Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का ५३वां दिवस [संख्या ३१

गुरुवार, दिनांक ६ मई, १९७१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, स्वायत शासन, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, राजस्व, उपनिवेशन, गृह, जनस्वास्थ्य, नगर विकास न्यास एवं सहकारी विभाग]

प्रश्न संख्या ६५४

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५५

श्री लाभचन्द वैद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

भीलवाड़ा-सांगानेर सड़क की पुलिया की मरम्मत

६५६. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में सांगानेर जाने वाले रास्ते पर रामद्वारे के पास एक ऐसा नाला है जिस पर होकर बसें निकलती हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नाले पर जो पुलिया बनी है वह हर सप्ताह टूट जाती है ?

(३) गत एक वर्ष में यह कितनी बार टूटी और सरकार ने कितनी बार ठीक कराई ?

(४) इसमें कुल खर्च वर्ष भर में कितना हुआ ? इस समय यह पुलिया किस स्थिति में है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां।

(२) यह इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(३) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, वह हर सप्ताह टूट जाती है। यह कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। किससे पूछें ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य, यह पुलिया म्युनिसिपल लिमिट में है। म्युनि-

(श्री खेतसिंह)

सिपल बोर्ड भीलवाड़ा इसको मरम्मत करायेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है, उनको कहेंगे।

प्रश्न संख्या ६५७

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाड़ा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

जिला स्तर पर प्रशासनिक समितियों का गठन

६५८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंजाब में जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार समितियें बनाई गई हैं ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि अब तक राजस्थान में जिलास्तर पर प्रशासनिक सुधार समितियें नहीं बनवाई गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर सरकार जिलास्तर पर ऐसी समितियों का गठन करने का विचार रखती है ? अगर हां तो, कब तक कर दी जावेंगी ?

उपमन्त्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। राजस्थान में ऐसी कोई समितियां न तो बनाई गई हैं और न ही सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसी समितियां हरियाणा और पंजाब में हैं। उसी प्रकार क्या सरकार यहां विचार रखती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि कोई समिति गठित नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री नत्थीसिंह ! की अनुपस्थिति में प्रो० केदार (श्री गंगानगर) द्वारा पूछा गया।

सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्तियां

६५९. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की किस-किस स्तर की व किन-किन सहकारी समितियों में कब-कब से प्रशासक नियुक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) प्रशासक नियुक्त करने के बाद उक्त संस्था में क्या-क्या सुधार हुए हैं ? प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व व अब तक की तुलना के आंकड़े समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री रामदेव-सिंह): अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब बहुत लम्बा है, पूरी जानकारी आई नहीं है इस लिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री रामकिशन (वैर) : मन्त्रिमण्डल भी बहुत लम्बा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट श्री शंकरलाल।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

Page No. 3

जनता कॉलोनी में प्लॉट की नीलामी

६६१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जनता कॉलोनी, जयपुर में एक प्लॉट सिनेमा के लिये नीलाम किया गया था जिसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये आई थी ?

(२) क्या यह सही है कि अब इस प्लॉट को लीज पर देने की कार्यवाही चल रही है ?

(३) क्या यह सही है कि अब इस प्लॉट को पुनः नीलाम किया जावे तो इसकी कीमत १० लाख रुपये तक आ सकती है ?

(४) क्या यह सही है कि जनता कोलोनी के निवासियों ने इस बस्ती में सिनेमा की योजना का भारी विरोध किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीलामी को कैन्सिल करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह (१) जी हां। दि० ३०-११-६६ को सिनेमा हेतु भूखण्ड जनता कॉलोनी में नीलाम किया गया था। श्री कुलदीप सिंह, सुरेन्द्रसिंह, २५-एल ब्लॉक, श्री गंगानगर की अधिकतम बोली ४२ रु० ७५ पै० से १०४६१ वर्ग गज के भू-खण्ड की राशि ४,७८,६९० रु. (चार लाख अठहत्तर हजार छः सौ नव्वे रुपये) होती है।

(२) जी नहीं।

(३) पुनः नीलामी किये जाने पर ही ज्ञात हो सकता है।

(४) न्यास की जानकारी में ऐसा कोई लिखित विरोध-पत्र प्राप्त होना ज्ञात नहीं हुआ। रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नीलामी की गई है, वह किन शर्तों के अनुसार, कितने दिनों में राशि जमा करानी था ?

श्री खेतसिंह : इन शर्तों के अनुसार बोली जिस दिन खत्म हुई उसके एक महीने बाद वह सारी राशि जमा होनी चाहिए थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पूरी राशि जमा हो चुकी है ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो शर्तों के अनुसार ऑक्शन कैन्सिल होना चाहिए था ?

श्री खेतसिंह : उसके बाद में स्टे ऑर्डर हो गया था। दूसरी पार्टी ने दरख्वास्त दे दी कि हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार ने स्टे दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने स्टे ऑर्डर दे दिया। उसकी नीलामी की बोली कितनी थी और दूसरे व्यक्ति ने कितना आफर किया था ?

श्री खेतसिंह : वह अमाउन्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन यह कहा था कि मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया था ?

श्री खेतसिंह : यही था कि नीलाम ठीक हुआ है। कोई अनियमितता नहीं हुई है।

Page No. 4

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही कि है नीलामी के बाद अवधि राज्य सरकार ने दी थी ?

श्री खेतसिंह : अवधि दी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि बोली खत्म होने पर उसने बोली का १/४ जमा करा दिया ?

श्री खेतसिंह : जी, जमा नहीं कराया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर यह कैसे हो गया ? १५ लाख का सवाल है। जिस दिन बोली खत्म हुई उसी दिन बोली का १/४ जमा नहीं कराया। निर्धारित रकम एक महीने बाद जमा करानी चाहिए थी वह भी नहीं की।

श्री खेतसिंह : यह बात सही है कि कुलदीपसिंह ने चौथाई रकम जमा नहीं कराई। उसने कहा था कि मैं १,६६,००० जमा करा रहा हूं। उसने चैक भी दिया। लेकिन फिर वापस ले लिया और कहा कि मैं खुद ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। बाद में फायल देखने पर पता चला कि उन्होंने वह पैसा भी जमा नहीं कराया। इस पर विचार कर लिया जाएगा। आया, उसको नीलाम कर दिया जाय या नीलाम को कैन्सिल कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुरेन्द्रसिंह के पिताजी का नाम क्या है ?

श्री खेतसिंह : वहां पर लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है, सरदारों में ऐसे ही नाम होते हैं—सुरेन्द्रसिंह कुलदीपसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे नाम में मनफूलसिंह भी हो सकता है।

श्री खेतसिंह : तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या शक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह पहले एलॉट की गई है। उसका १/४ जमा कराया नहीं। न रकम जमा कराई। ऐसी स्थिति में यू. आई. टी. अगर फिर ऑक्शन करे तो काफी लाभ हो सकता है। राज्य सरकार को क्या हो गया है ? क्या कोई दबाव है ? राज्य सरकार उसको रीऑक्शन क्यों नहीं कर रही है ?

श्री खेतसिंह : यह मालूम तो करना पड़ेगा कि जमा क्यों नहीं कराया ? इसमें यू. आई. टी. को लाभ होगा। उसने जमा नहीं कराया तो कोई कारण तो होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे आपको क्या मतलब ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से कुलदीपसिंह को नोटिस दिया गया था कि अमुक तारीख तक पैसा जमा कराओ नहीं तो उसको निरस्त समझा जायेगा ?

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी आपके पास नोट में है।

श्री खेतसिंह : नोट में कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : हमारे पास है।

श्री खेतसिंह : तो आप पढ़िये।

Page No. 5

श्री भैरोंसिंह : हां, मैं पढ़कर सुनाता हूं, दि० २०-११-७० पेज नम्बर २ है ।

श्री खेतसिंह : यह बात सही है, राज्य सरकार ने उनको यू० आई० टी० को लिखा था कि इनको नोटिस दिया जाय और पैसा जमा करवा दिया जाय, और यदि एक महीने में न कराये तो कार्यवाही की जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोटिस देने के बाद, क्या यह सही है कि उस अवधि में पैसा जमा नहीं कराया ?

श्री खेतसिंह : सही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि नोटिस के हिसाब से सारी कार्यवाही निरस्त हो गई ?

श्री खेतसिंह : हो गई ।

श्री भैरोंसिंह : फिर झगड़ा किस बात का है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हंसराज आर्य !

राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि का आवंटन

६६२. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने विशेष अधिकारों के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल एरिया में कुछ लोगों को जो भूमिहीन नहीं हैं, भूमि एलॉट की है ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनको कहां-कहां भूमि एलॉट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह भी सही है कि जिनको भूमि एलॉट की गई है वे लोग भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते ? अगर हां, तो उनको भूमि एलॉट करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि गंगानगर जिले की राजस्थान कैनाल एरिया की तहसील रावतसर के ग्राम बुधवालिया में सरकार ने कुछ भूमि (सिंचित) का आवंटन किया है ? अगर हां, तो उक्त गांव के कौनसे चक में कितनी भूमि किस व्यक्ति को अलाट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या सरकार इस तरह से अलॉट की गई भूमि जो कि नियम विरुद्ध है, को खारिज करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (१) राज्य सरकार ने नियम ८ (२) के अन्तर्गत एलाटमेंट किया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) एलाटमेंट नियम विरुद्ध नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री केदारनाथ : यह एलॉटमेंट जिनको किया है, यह कौन लोग हैं ? भूमिहीन हैं या और लोग हैं ?

श्री मनफूलसिंह : ये भूमिहीन हैं ।

Page No. 6

श्री केदारनाथ : नियमों के विरुद्ध भूमिहीनों को एलॉटमेंट कैसे कर दिया ? एक साल का एलॉटमेंट करने का आपने अधिकार में था, परमानेन्ट नहीं कर सकते ।

श्री मनफूलसिंह : विशेषाधिकार से एलाटमेंट किया गया है, जो भूमिहीन हैं उनको किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कुल कितने आदमियों को दी गई है ?

श्री मनफूलसिंह : तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तालिका हमें नहीं मिली है, सदस्य को मिली है। हम जानना चाहते हैं, कुल कितने आदमी हैं जिनको एलॉटमेंट में मिली है ?

श्री मनफूलसिंह : कुल २० आदमी हैं।

प्रश्न संख्या ६६३

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री खेतसिंह : हैं नहीं, मजलिस खां !

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं। आगे चलिये ! श्री विजयसिंह !

उप-मन्त्री के दौरे पर व्यय

६६४. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दिनांक १ अप्रैल, ७० से दिनांक १६ अप्रैल, ७० तक माननीय श्री जसराजजी उप-मंत्री, सिंचाई विभाग ने कहां-कहां का दौरा किया ?

(२) उप-मंत्रीजी के इन दौरों पर कुल कितना व्यय किया गया जिनमें से यात्रा भत्ता का कुल कितना रुपया उन्होंने उठाया ?

(३) उपरोक्त मंत्रीजी ने किन-किन कारणों से उपरोक्त स्थानों का दौरा किया व दौरा करने से उसका उद्देश्य किस हद तक सफल हुआ ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) श्री जसराज, उप-मंत्री, सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक १-४-७० से १६-४-७० तक निम्न स्थानों का दौरा किया गया :

ग्वालियर, देहली, अजमेर जिला भरतपुर, धौलपुर, अजमेर और देवली ।

श्री विजयसिंह : धन्य हो ।

(२) **श्री प्रद्युम्न सिंह** : उक्त दौरों पर रु० १,३२५.५० का व्यय हुआ, जिसमें से यात्रा भत्ता (दैनिक भत्ता सहित) के रु० ८६१ उप मंत्री महोदय ने लिये।

(३) ये दौरे जनहित में राजकीय कार्य हेतु किये गये।

श्री विजयसिंह : ये कौन-कौन से कार्य थे और क्या जनहित था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने निवेदन किया, सरकारी कार्य से किये।

श्री विजयसिंह : सरकारी कार्य क्या था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है वह बता दी।

श्री विजयसिंह : मैंने यही सूचना मांगी है।

Page No. 7

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आवश्यक नहीं है। इसके अन्दर ब्योरा नहीं दिया जाता है। यह बताया जाता है, किस कार्य पर गये थे, वह सरकारी कार्य है।

श्री विजयसिंह : स्टेटमेंट में ब्योरा देते हैं, काम बताते हैं तो क्यों बताते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकारी कार्य बाहर भी हो सकता है, अन्दर भी हो सकता है। जाना आवश्यक समझा गया इसलिए गये।

श्री फतेहसिंह : जब कभी कोई मिनिस्टर दौरे पर जाता है तो दौरे की सूचना सम्बन्धित क्षेत्र अथवा जिले के विधायक को भी दी जाती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आम तौर पर सूचना भेजी जाती है। नियमों में प्रावधान नहीं है कि वहां के एम. एल. ए. को सूचना भेजना आवश्यक है।

प्रश्न सं. ६६५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

भूमि कर नामान्तरण की सूची

६६६. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिलाधीश सिरोही द्वारा एक सार्वजनिक सूचना क्रमांक एफ. ३६ (७०) पी. ए. २०० सिरोही, दिनांक २० मार्च, १९७० प्रकाशित कर तहसीलदार, आबू रोड़ से सूचना में वर्णित भूमि में किये गये नामान्तरण की सूची तैयार करवाई थी ?

(ख) यदि हां, तो कृपया उस सूची की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर यह बतायें कि इस सम्बन्ध में अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) जी हां, यह सही है।

(२) स्वीकृत किये गये नामान्तरण की सूची संलग्न है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही जारी है व अन्य नामान्तरण उक्त सूचना के पालन में अभी रोक दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आगे क्या कार्यवाही जारी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : नामान्तरण रद्द किये जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री भैरोंसिंह : इस जमीन पर किसका अधिकार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार का।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामप्रसाद बोहरा !

उषा टॉकीज झालरापाटन

६६७. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालरापाटन (जिला झालावाड़) में सिनेमा उषा टॉकीज

Page No. 8

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

चलता है और शहर के बीच में होने से जनता को काफी परेशानी होती है जिसकी शिकायत ता० १९-५-७० को की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि सिनेमा खुले में चलता है और उसकी छत नहीं है और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट प्रथम व द्वितीय क्लास का नहीं है ? विद्युत् लाइन टेम्परेरी है जिससे रील बार-बार टूटती है, जनता हल्ला करती है, माइक की आवाज खुला होने से बहुत होती है और मुहल्ले वाले परेशान रहते हैं, सिनेमा कोई निश्चित समय पर न चलता है और न ही बन्द होता है और रात्रि को देर तक भी चलता रहता है ?

(३) यदि हां, तो जब इतनी शिकायतें आई हैं तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) यह सही है कि उषा टॉकीज झालरापाटन में चलता है। इस विषय में जनता कसेरा बाजार झालरापाटन का ६-४-७० व माननीय सदस्य का १९-५-७० को प्रार्थना-पत्र व २६-५-७० को प्राप्त हुए थे।

(२) जी नहीं।

(३) शिकायतें प्राप्त होने पर जांच एस. डी. एम. झालावाड़ द्वारा कराई गई। जांच से जनता को परेशानी होना नहीं पाया गया।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, असल में जो परेशानी बताई गई है १९-५-७० के प्रार्थना-पत्र में वह बरकरार है। बाद में जब दरख्वास्त आई इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एस. डी. एम. ने जांच की। जांच के लिए कलेक्टर झालावाड़ को भेजा गया उन्होंने एस. डी. एम. से जांच कराई। सिनेमा है उसके पास मकान है, उसकी एक खिड़की सिनेमा की तरफ खुलती है, उसकी आपत्ति थी। इसके अलावा गांव वालों ने इकट्ठा होकर कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस जांच से ऐसी बात नहीं पाई गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केदारनाथ !

भीलवाड़ा गांधी मजदूर सेवालय संस्था

६६८. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा स्थित गांधी मजदूर सेवालय नामक संस्था के कब्जे की भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

(२) यह भूमि नगरपालिका मण्डल, भीलवाड़ा ने किस निर्णय के अधीन दी तथा इस भूमि के लिये नगरपालिका ने क्या दर तय की और उसका कुल मूल्य कितना हुआ ? क्या सम्पूर्ण मूल्य की धनराशि नगरपालिका को प्राप्त हो चुकी है व क्या यह राशि किश्तों में ली गई है ?

(३) गांधी मजदूर सेवालय क्या सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कानून के अधीन पंजीकृत संस्थान है ? अथवा क्या यह संस्था किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है ? इस ट्रस्ट का पंजीयन कब हुआ ? इस ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

(श्री केदारनाथ)

(४) यदि यह संस्था कोई रजिस्टर्ड सोसायटी नहीं है और यदि यह किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अधीन भी संचालित नहीं है तो फिर यह भूमि किसको दी गई और इसका मूल्य किसने चुकाया है ?

(५) क्या सरकार ऐसे व्यक्ति से उस भूमि को वापस लेने का विचार रखती है, जिसने संस्था के नाम पर भूमि प्राप्त करके उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति बना लिया है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : (श्री खेतसिंह द्वारा कागज देखते रहने पर) इन्हें, अध्यक्ष महोदय, ताड़ना दें, यह तैयार होकर नहीं आये हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई): (१) नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा गांधी मजदूर सेवालय को कोई भूमि नहीं दी गई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन : भीखाभाई, मजा कर दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामचन्द्र !

भू-राजस्व से आमदनी

६६१. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि भू-राजस्व से आमदनी बहुत कम होती है और खर्च ज्यादा है ? यदि हां, तो आय कितनी है और खर्च कितना है ?

(२) राजस्व विभाग में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं ? उनको वेतन कुल कितना दिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि भू-राजस्व को समाप्त कर देने से काश्तकारों की अनेक कठिनाइयों का समाधान हो सकता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती ?

(४) क्या यह सही है कि भारत में कई प्रान्तों की सरकारों ने भू-राजस्व को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो कौन से राज्य में यह कदम उठाये गये हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि आपने जो सूची दी है यह अधूरी है। मैंने नम्बर १ में यह पूछा है : क्या यह सही है कि भू-राजस्व से आमदनी बहुत कम होती है और खर्च ज्यादा है ? यदि हां, तो आय कितनी है ? और खर्च कितना है ?

आपने सूची दी है, इसमें विवरण पूरा नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : है, भाग दो में दिया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं, प्रश्न के १ भाग के उत्तर में, आय लगभग ९ करोड़ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : लगभग का क्या सवाल है। सूची मांगी है। सूची क्यों नहीं दी ?

श्री गंगाराम चौधरी : सूची एक भाग में नहीं मांगी है विवरण मांगा है तो विवरण लगभग में हो सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : विवरण का क्या मतलब है, विवरण खर्च आमदनी का ही है, विवरण और क्या होता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अर्ज कर दूं, ९ करोड़ आय है, ६ करोड़, २६ लाख व्यय है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या फायदा है इतना बड़ा विभाग रखने से। काश्तकारों को वहां सूली पर चढ़ाये रहते हैं, पटवारी से कलेक्टर तक द्वारा। इस भू-राजस्व को समाप्त क्यों नहीं किया जाता है ? दूसरे प्रान्तों में टैक्स लगाते हैं वह लगाये जायं। इस तीन करोड़ के वास्ते सारे राजस्थान के काश्तकारों को बरबाद किया जाता है, इससे क्या फायदा है ?

श्री दिग्विजयसिंह : एक जानकारी चाहूंगा, आपने खर्च बताया ६ करोड़ पहले एक प्रश्न के उत्तर में और अब ३ करोड़ १६ लाख, १५ हजार ३८५ कहा।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दूं, कुछ व्यय सामान्य प्रशासन की मद से लिया जाता है, कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार की तनख्वाह वगैरह उससे होती है, छः करोड़ इसलिए कहा, तीन करोड़ सामान्य प्रशासन से होता है।

प्रश्न सं० ९७०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री किशनलाल वर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नंदलाल !

किशनगंज-राजगढ़-मांगरोल सड़क

९७१. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगंज-राजगढ़-मांगरोल सड़क किस साल में स्वीकृत हुई थी ?

(२) कितने मील यह सड़क पक्की बनायी गयी थी ?

(३) कितने मील बन चुकी है ? कितनी बननी बाकी है ?

(४) क्या इस समय कार्य बन्द है ? यदि हां, तो यह किस कारण से बन्द है ?

(५) यह सड़क कब तक पूर्ण हो जावेगी और कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ? और अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेत सिंह) : (१) १९६३ में स्वीकृत की गयी थी।

(२) ६ मील पूर्ण हो चुकी है।

(श्री खेतसिंह)

(३) ६ मील बन चुकी है। १६ मील शेष है।

(४) जी हां। अर्थाभाव के कारण।

(५) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता, अनुमानतः लागत ८,००,००० होगी और १,४४,८३२ रुपये व्यय हो चुका है।

श्री नंदलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क १९६३ में मंजूर हुई, आठ साल में केवल छः मील का टुकड़ा बना है बाकी टुकड़ा बेकार पड़ा है। जो टुकड़ा बना है, अगली साल बाकी का टुकड़ा बनने से पहले, मैं समझता हूं, वहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं होगी, सब खराब हो चुकेगी। आप बताते हैं कि अर्थाभाव की वजह से यह पूरी नहीं की जा सकती, मैं पूछना चाहता हूं इस सड़क के बारे में पहले भी प्रश्न किया था, एक दो बार, अब यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी, और इस वर्ष क्या प्रावधान रखा गया है ?

श्री खेतसिंह : निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि सड़क कौनसी तारीख को पूरी हो जायगी। बजट के लिए यह कह सकता हूं कि १९७१-७२ के अन्दर बजट प्रोविजन २५ हजार सड़क के अगेन्स्ट रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामकिशन : यह ज्यादा रख दिया आपने।

श्री देवीदत्त गाड़िया : योजना में सड़क ले लिया गया और एस्टीमेट बनाया गया तो योजना के अन्तर्गत किस-किस वर्ष में कितना काम कराया जाना चाहिए था ?

श्री खेतसिंह : योजना में किस-किस साल कितना कितना होना चाहिए, यह सूचना नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मूल प्रश्न यही है, १९६३ में इस सड़क को लिया गया, उस समय तय किया था, इस-इस वक्त इतनी-इतनी मील सड़क बनाई जायगी, डामर रोड़ बनाई जायगी, उस योजना में काम पूरा क्यों नहीं हुआ है और अब कब पूरा कराया जायेगा ?

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया कि छः मील तो बन चुकी है, बाकी की कच्ची है, उसके लिए २५ हजार का प्रोविजन रखा है, इस फोर्थ फाइव ईअर प्लान में इस सड़क को पूरी करने की कोशिश की जायगी।

श्री देवादत्त गाड़िया : प्रश्न यही है, मूल प्रश्न यही है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है।

जैसलमेर जिले में भू-बंदोबस्त कार्य

६७२. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में भू-बंदोबस्त कार्य चल रहा है और उपरोक्त कार्य प्रथम बार किया जा रहा है, और उसका आधार समरी सैटलमेंट माना जा रहा है। और आज जिनका पीढ़ियों से कब्जा है उनका इन्द्राज नहीं किया जा रहा है ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समरी सेटलमेंट का आधार सही नहीं है ? गांव लिया में समरो सेटलमेंट में भूमि ज्यादा दर्ज है और कब्जा कम भूमि पर है जिससे वसूली अधिक हो रही है, दूसरी तरफ गांव बोग्रा में भूमि दर्ज कम है और कब्जे में अधिक है ? अगर हां, तो भविष्य में स्थाई सेटलमेंट में सही रेकार्ड तैयार कराने के लिए क्या कदम उठा रही है।

(३) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जैसलमेर ने भी लिखा है कि उपरोक्त समस्या व्यापक है इसलिए कब्जे के आधार पर सही रेकार्ड तैयार कर फिर वसूली की जावे, जिससे जनता के साथ न्याय हो सके ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) जी हां। नियमित भू-बंदोबस्त जैसलमेर जिले में प्रथम बार किया जा रहा है। समरी सेटलमेंट आधार अवश्य है मगर पीढ़ियों से काबिज काश्तकारों को उनके हुकूक से वंचित नहीं किया जा रहा है।

(२) समरी सेटलमेंट को सही न मानना गलत है। वास्तविकता यह है कि मुताबिक रेकार्ड व मौका जितना जिसके कब्जे में है उसी के अनुसार रेकार्ड तैयार किया जा रहा है। समरी सेटलमेंट में कम या अधिक होना अब मौके के अनुसार ठीक कर दिया जावेगा। अब नियमित बंदोबस्त कराने का मतलब ही यह है कि इस प्रकार की गलतियों को दूर कर दिया जावे।

(३) राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक ५ (१०) रा. (ख) ६५ दिनांक १५-३-६५ द्वारा ही यह आदेश दे दिए हैं कि जहां जमीन की कमी बेशी को शिकायत हो वहां छानबीन न कर उतनी ही जमीन का लगान लिया जावे जो वास्तव में किसान के कब्जे में हो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसे की मंत्री महोदय ने बताया, यह नहीं किया जा रहा है। आज भी समरी सेटलमेंट को आधार मानकर सेटलमेंट हो रहा है और सेटलमेंट विभाग ने करीब-करीब पूरा कर लिया है। फिर भी जो कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से कब्जे में है, उनको ट्रेसपासर एन्टर किया जा रहा है और समरी सेटलमेंट में जमीन अधिक लिखी हुई है कब्जे में कम है, उनसे बिगोरी उसके अनुसार वसूल की जा रही है। आपके आदेश के बारे में मैंने विभाग से इन्क्वायरी की है, कहते हैं ऐसा कोई आदेश नहीं है उनके पास में।

श्री गंगाराम चौधरी : सेटलमेंट विभाग द्वारा समरी सेटलमेंट प्राइमरी आधार अवश्य माना जाता है परन्तु उसके बाद में कृषक को आपत्ति करने की छूट होती है। उसके बाद निपटारा होता है, वह एक तरफ से जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनके जरिए सारे रेकार्ड को सेटलमेंट डिपार्टमेंट ठीक करता है और हिदायतें भी इसी तरह की हैं। मैं समझता हूं पिछले वर्षों में जो सेटलमेंट हुए और रेकार्ड जलसे ग्राम के अन्दर पढ़े जाते हैं और आपत्तियों को वहां ठीक किया जाता है। उसके बाद में कोई शिकायत हो तो और हिदायतें करके ठीक करेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, सेटलमेंट विभाग के समक्ष बहुत कम उज्रदारियां इस तरह की हैं कि रेकार्ड सही नहीं है, उनको ठीक किया जा रहा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सेटलमेंट विभाग एप्लीकेशन्स एन्टरटेन ही नहीं कर रहा है,

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

वह कहता है कि राजस्व विभाग का काम है, हम नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने को सेटिसफाई करें और विभाग को आदेश दें कि दरख्वास्तें एन्टरटेन करना शुरू करें, इस प्रकार की कलेक्टर के पास ५ हजार दरख्वास्तें पड़ी हैं। वह विभाग ने वापस कलेक्टर को भेज दीं।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक कब्जे से संबन्धित रेकार्ड को ठीक करने का सवाल है वह बंदोबस्त विभाग का काम है, लगान वसूली का काम अवश्य जिलाधीश का है। हमने जिलाधीश को हिदायत दी है कि अगर कोई कृषक आपत्ति करे कि उसके कब्जे में जमीन कम है और ज्यादा लिख दी गई है तो जिलाधीश सुनवाई करके करेक्शन करते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अभी जो सेलटमेंट हो रहा है, वह फाइनल रेकार्ड माना जाता हैं इसलिए सेटलमेंट विभाग एन्टरटेन करके रेकार्ड को दुरुस्त क्यों नहीं करता है। यह नहीं हो रहा है। इन्क्वायरी करके आप बता सकते हैं कि कलेक्टर ने सरकार को लिखा है कि समरी सेटलमेंट में कम लिखा है, कब्जे में ज्यादा है। एक जगह कब्जे में ज्यादा है, समरी सेटलमेंट में कम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार आपको मैंने बताया है। केवल एक कृषक की शिकायत आई थी विभाग के पास। फिर भी मैं सेटलमेंट विभाग और राज्य सरकार की ओर से हिदायतें कर दूंगा कि इन उजरदारियों का निपटारा कर दें।

प्रश्न संख्या ७७३

श्री अध्यक्ष: श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

सेमरथली पंचायत के सरपंच के विरुद्ध मुकदमा

९७४. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सेमरथली पंचायत के सरपंच श्री शंकरलाल वर्मा के खिलाफ श्री मानसिंह सुपुत्र श्री खुमानसिंह के बंदूक के द्वारा गोली मारने के आरोप में छोटीसादड़ी पुलिस स्टेशन में दफा ३०७ में दिनांक १४-९-१९६९ को रिपोर्ट दर्ज है ?

(२) क्या यह भी सच है कि रिपोर्ट दिन के १ बजे पुलिस स्टेशन में श्री मानसिंह सुपुत्र श्री खुमानसिंह के द्वारा दर्ज कराई गई ?

(३) क्या यह भी सच है कि डाक्टरी मुआयना करने पर २ छर्रे उसके पैर से निकाले लेकिन डाक्टर ने उनको छिपा लिया ?

(४) क्या यह भी सच है कि श्री मानसिंह को एक्सरे के लिए चित्तौड़ व निम्बाहेड़ा भेजा गया लेकिन वहां एक्स-रे नहीं कराया गया और बाद में भीलवाड़ा अस्पताल में एक्स-रे हुआ ?

(५) क्या यह भी सच है कि एक्स-रे रिपोर्ट में छर्रे लगना पाया गया है ?

(६) यदि हां तो मुल्जिम को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है ? पुलिस ने अब इस मामले में क्या कार्यवाही की है।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) जी हां।

(२) जी नहीं। रिपोर्ट ९ बजे रात दर्ज कराई गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। एस० एम० ओ०, चित्तौड़गढ़ के अनुसार चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा की एक्स-रे मशीन खराब थी। अतः श्री मानसिंह का एक्स-रे भीलवाड़ा अस्पताल में कराया गया था।

(५) जी हां। एक्स-रे रिपोर्ट में छर्रे रिबाउन्ड होकर निकल गए बताए हैं।

(६) ६ अपराधियों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उनके विरुद्ध ३०७, ३४२, १४८, १४९ आई.पी.सी. के अपराध में चार्जशीट दिनांक ३०-४-७१ को मुरत्तिब किया जा चुका है। चालान न्यायालय को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री श्रवणलालः गिरफ्तारियां कब हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग-अलग तारीखों पर हुई है। हरेक की अलग-अलग तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन ६ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

श्री श्रवणलाल : कब हुई ? कम से कम एक-आध की तो बतायें ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा और पूरक लीजिए इसके साथ ही।

श्री श्रवणलाल : इसमें सरपंच को जो गिरफ्तारी हुई कौनसी तारीख को हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री शंकरलाल की गिरफ्तारी नहीं हुई उन्होंने अदालत से जमानत करवाई है।

श्री अध्यक्ष : खतम हुआ मामला।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान !

कृषकों से अनियमित तौर से सरचार्ज की वसूली

६७५. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले के बाली सब डिवीजन में कृषकों से अनियमित रूप से सरचार्ज की वसूली के संबंध में विभाग के पास कोई शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि सरचार्ज वसूली का आधार नामांतरकरण की तसदीक को न मानकर, प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की तारीख को माना जाए ?

(३) क्या सरचार्ज की वसूली का आधार नामान्तरकरण की तसदीक ही नहीं है बल्कि रेकार्ड का अमल दरामद है ? इस कठिनाई को दूर करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) उप खंड अधिकारी बाली को दौरे के समय कई लोगों ने मौखिक रूप से यह निवेदन किया था कि जिनके जमाबंदी में हिस्से दर्ज नहीं हैं उनका एक खाता मानकर सरचार्ज लगाया गया है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(२) सरचार्ज वसूली का आधार नामान्तरकरण है न कि प्रार्थना-पत्र की तारीख किन्तु ऐसे नामान्तरकरण जिनके फैसले होने में कुछ समय लगने की संभावना है, उनके लिए यह आदेश दे दिये गये हैं कि उन पर ता-निर्णय सरचार्ज वसूली स्थगित कर दी जावे।

(३) सरचार्ज वसूली का आधार अंकित नामान्तरकरण की स्वीकृति ही है। किन्तु नामान्तरकरण के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या ६ (२) राज (ख) ७१, दिनांक २२-१-७१ एवम् २५-२-७१ द्वारा आवश्यक निर्देश कर दिए हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : डेट आफ ट्रांसफर किसको मानते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : जो रजिस्ट्रेशन या बंटवारा हुआ है उसी दिन से डेट ऑफ ट्रांसफर मानते हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : डेट ऑफ ट्रांसफर हो जाने के बाद सरचार्ज लगाना उचित है?

श्री गंगाराम चौधरी : नामान्तरकरण न होने की वजह से अब रखा है लेकिन निपटारा के जो अधिकारी होंगे वह आवश्यक आदेश देंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : नहीं। जब ट्रांसफर हो जाता है तो ट्रांसफर के बाद में सरचार्ज लगाना उचित नहीं है यह तो आप मानकर चलते हैं कि नामान्तरकरण में जो समय लग जाता है उसके लिए चाहे सरकार की गलती हो, चाहे पटवारी की गलती हो, उसमें जो समय लग जाता है उससे काश्तकार को नुकसान क्यों हो? इसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है?

श्री गंगाराम चौधरी : वैसे तो इन्टरप्रिटेशन का मामला है कि सरचार्ज किस दिन से लागू होना चाहिए। आमतौर से फैसला होने की तारीख से होती है। इस सम्बन्ध में और जानकारी करके एग्जामिन करके आवश्यक निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिए जायेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने हाल ही में सरक्यूलर्स जारी किए हैं जो म्युटेशन करवाना चाहे करा सकता है लेकिन जो पेंडिंग पड़े हैं उनको भी डिस्पोज आफ किया। उनके तहत जो ऐसे केसेज हैं जिनका सरचार्ज वसूल कर लिया है और उनके मतालबे पेंडिंग पड़े हुए थे उनका सरचार्ज वसूल हो चुका है, उनको मुजरा देने का विचार करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपका सक्यूर्लर है स्वयं का और यह कठिनाई माननीय सदस्य बता रहे हैं कि ये केसेज होने चाहिये थे वह नहीं हुए इसलिये नहीं हुए कि देर हो गई। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने सक्यूर्लर निकाला, वह सरचार्ज वसूल हो चुकी है और....

श्री रामकिशोर व्यास : सरचार्ज वसूल हो गया, उसको वापस करने का फैसला नहीं हुआ है।

श्री पृथ्वीसिंह : सरचार्ज आपने वसूल कर लिया। म्यूटेशन है सर्टीफाइड, उन पर लम्बे समय तक अमल नहीं किया गया। उसके बाद कलेक्टर के पास दरख्वास्तें पहुँचीं

Page No. 16

(श्री पृथ्वीसिंह)

कलेक्टर ने कई प्रादेश दिए हैं कि यह जो अमल दरामद नामान्तरकरण की तसदीक को माना जाए उसके उपरान्त भी जहां पर मतालबे खारिज नहीं किये गये और वसूली को गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : उप-मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : जिस रोज से फैसला हुआ है उस रोज से सरचार्ज लागू होना मान लिया है

श्री पृथ्वीसिंह : जो अमल दरामद है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। क्लोज ! ऑर्डर क्लोज !

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूमि का आवंटन

६७६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) क्या नगर विकास न्यास मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर में न्यास ने समस्त श्रेणी के व्यक्तियों को आवास के लिये भूमि आवंटित करने के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए हैं ? अगर हां तो क्या-क्या श्रेणी बनाई गई व उन्हें किस दर से कब तक भूमि आवंटित करदी जावेगी ?

(२) प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अगर हां तो कब कब किस-किस योजना से ?

उप-मंत्री, नगर विकास न्यास (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, कोटा नगर न्यास द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ७ (१८७) एल. एस. जी, /५८ दिनांक १४-७-७० के अनुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उनमें चार श्रेणियां बनाई गई हैं तथा आवेदन-पत्रों की जांच तथा योजनाओं के कार्य की प्रगति पर इन कार्यों के सम्पन्न हो जाने के तुरन्त बाद भू-खंड आवंटन का कार्य लाटरी प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

(२) प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से कुल रु० ५४२५००-०० अग्रिम राशि के रूप में इकट्ठी हुई तथा रु० ८१००-.० आवेदन-पत्रों की बिक्री से हुई है ।

(३) जी हां । दादावाड़ी, तलवंडी तथा कुनाडी सकतपुर योजना, मंडी कमेटी कोटा की स्वीकृति योजनाओं में से है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये जो श्रेणियां बनायी गयी हैं वे कौन-कौनसी हैं ? और किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों से किस प्रकार सम्बन्धित हैं ?

श्री खेतसिंह : अल्प आय वाले व्यक्तियों से अलग अलग इस प्रकार से है:—

१. जिनका वेतन १०१ से २५० तक है।

२. जिनका वेतन २५१ से ४००

३. और ४०० से १००० ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या फीस रखी है ?

श्री खेतसिंह : १०, १००, २०० और ५०० ।

श्री भैरोंसिंह : नीलाम से होंगे या कैसे होंगे ?

श्री खेतसिंह : खण्ड एक में इसका मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : चौथी श्रेणी है उसको अलॉटमेंट से या ऑक्शन से देंगे ?

श्री खेतसिंह : जवाब आया है उसके अनुसार लॉटरी सिस्टम से अलॉट की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

थानेदार लाडनूं के विरुद्ध कार्यवाही

६७७. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं):** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि थानेदार लाडनूं के खिलाफ कोई कार्यवाहियां चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और कब-कब से ? उक्त थानेदार को अब तक दिये गये आरोपों पत्र-की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह भी सत्य है कि रिश्वत के मामले में उक्त थानेदार को सेवा-मुक्त करने या डिग्रेड करने का निर्णय सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो कब और उस निर्णय की पालना क्यों नहीं की गई ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त थानेदार के मामले में राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की राय ली थी ? यदि हां, तो कितनी बार कब-कब और कमीशन ने क्या राय दी ? कमीशन की राय को प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) उक्त थानेदार के खिलाफ कौन-कौन सी कार्यवाहियां किस-किस स्तर पर चल रही हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) इतने लम्बे समय तक आरोप सिद्ध हो जाने के बाद सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब फाइनल निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) थानेदार लाडनूं के खिलाफ रिश्वत की शिकायत पर विभागीय जांच चली थी। इसके अतिरिक्त ८ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विभागीय जांच के आरोप-पत्रों की प्रतियें संलग्न हैं।

(२) उप-महानिरीक्षक, आरक्षी के आदेशानुसार एस० आई० की न्यूनतम ग्रेड पर रिवर्ट करने के आदेश हुए थे परन्तु विजिलेन्स कमीशन की राय से उसमें सजा बढ़ाने के लिये नोटिस दिया गया है । अब मामला आर ... के विचाराधीन है ।

(३) आर० ... एक बार ली ... लिखा है। क... प्रस्तुत करना ... मामला विचा...

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(४) सजा बढ़ाने का मामला आर० पी० एस० सी० के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त थानेदार के खिलाफ कुल ८ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और प्रारम्भिक जांच के अनुसार ७ शिकायतें निराधार पाई जाने पर फाइनल की गई। एक शिकायत की प्रारम्भिक जांच ए० सी० डी० में चल रही है।

(५) सरकार द्वारा बराबर कार्यवाही की जा रही है। आर० पी० एस० सी० से राय आने पर शीघ्र ही कार्यवाही कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक : चार्ज शीट की प्रति मुझे नहीं मिली है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा है कि चार्ज विभाग ने लगाये और मामला विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरडक : डिग्रेड कब हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मिनिमम ग्रेड पर रिवर्ट हुआ है।

श्री हरजीराम बुरडक : रिवर्ट करने का कब निर्णय हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अपील की थी सरकार ने रिव्यू किया है। यह तय हुआ है कि सजा बढ़ायी जानी चाहिये।

श्री हरजीराम बुरडक : सरकार ने ...ब किये कि जिसकी अपील की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : डेट तो मेरे पास नहीं है मामला पी० एस० सी० के पास विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरडक : पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह राय दी थी कि सरकार उसको डिग्रेड कर दे लेकिन सरकार मामले को दबा रही है। जितनी शिकायतें हुई हैं उनमें आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं कर रही हैं और आरोप-पत्र की कॉपी भी नहीं मिली है कि किन-किन आरोपों के कारण सजा हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गाड़िया।

बारां नगर जलप्रदाय योजना

६७८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगर में जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत जो पाइप लाइन बिछाए जाने का कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था वह करीब एक माह से बन्द पड़ा है और ठेकेदार काम छोड़कर कहीं चला गया है ? यदि हां तो क्यों और विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(२) पाइप लाइन बिछाने का ठेका किस-किस ठेकेदार को किस-किस स्थान का कितने-कितने रुपयों का दिया गया और एग्रीमेन्ट के अनुसार ठेकेदारों द्वारा पाइप लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा कर लेना चाहिये था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) हीकड की देह नामक स्थान पर जो कुए के निर्माण का कार्य चल रहा है

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वह कार्य कितने रुपयों का किस ठेकेदार को दे रखा है और अब तक कितना निर्माण कार्य हुआ और पूरा कार्य एग्रीमेन्ट के अनुसार कब तक पूरा हो जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि नगर में गढ़ के ऊपर जो टंकी बनने वाली थी उस का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से और अब टंकी-निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य (श्रीमती-सुमित्रा) : (१) जी नहीं, पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। फसल कटाई एवं शादियों की वजह से बीच में मजदूरों की संख्या कम रह गई थी। विभाग द्वारा ठेकेदारों को कार्य शीघ्र समाप्त करने हेतु लिखा जा रहा है एवं नोटिस दिये जा रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) कार्य ४७,७८३-०० रुपयों का श्री मदनलाल सच्चर, ठेकेदार, कोटा को दे रखा है, उसमें से अब तक १३,६१५ रुपये का कार्य किया जा चुका है। कार्य एग्रीमेन्ट के अनुसार दिनांक ७-८-७० को पूरा हो जाना चाहिए था। कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार को अन्तिम नोटिस दिनांक २१-४-७१ को दिया जा चुका है।

(४) जी हां, प्रथम बार दि० ३-२-७१ को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं किन्तु किसी भी ठेकेदार ने टेन्डर नहीं दिया दि० २१-३-७१ को दुबारा टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं केवल दो टेन्डर प्राप्त हुये हैं, और वे अधीक्षक अभियन्ता, पी०एच०ई०डी० उदयपुर के कार्यालय में विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय लिया जाकर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदय ने कहा प्रश्न संख्या १ के उत्तर में कि कार्य प्रगति पर चल रहा है और मैंने कहा कि काम शुरू कर दिया गया तो आपने कहा कि यह ठीक नहीं है। आपने ये नोटिस किस कारण से दिये ? किस आधार पर दिये ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न ३ का जवाब जरा ठीक तरह से देखिये। कार्य ७-८-७० को ही पूरा हो जाना चाहिये था और हमने देखा कि उसमें विलम्ब हो रहा है इसलिये हम पहले से ही नोटिस दिये जा रहे हैं ताकि समय पर पूरा कर सकें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठेकेदार को ठेका दिया, चैंद प्रकाश को दिया। ५-५-७१ को ही उसका काम समाप्त हो जाना चाहिये था, दूसरा २७-४-७१ और तीसरा २७-४-७१ को पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पाइप लाइन बिछाई नहीं गयी। शादियों का कारण बताया। सही फसल में पाइप लाइन बिछाई गयी है।

श्रीमती सुमित्रा : शादियों के कारण मजदूर नहीं मिले।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मजदूर तो पड़े हैं और भूखों मर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्षजी, जैसा मैंने निवेदन किया फसल की कटाई के कारण मजदूर खेतों पर चले गये और यहां पर नहीं आये इसलिये काम धीमा था लेकिन बन्द कभी नहीं रहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : टेन्डर आपने आमन्त्रित किये थे और निर्धारित समय दिया था। सात-आठ महीने निकल गये और शहर में पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ।

श्रीमती सुमित्रा : अवधि तो कम नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ७-८-७० को आठ महीने हो गये।

श्रीमती सुमित्रा : बाढ़ आ जाती है बरसात में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिलकुल बाढ़ नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने टेन्डर आमन्त्रित किये २१-३-७१ को दुबारा, वे कब स्वीकृत हो जावेंगे?

श्रीमती सुमित्रा : १२-४-७१ के बाद मैं समझती हूं कि इस महीने तक स्वीकृति हो जायगी और काम शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : उपनिवेशन मंत्री!

प्रश्न संख्या ६७९

कस्बा रावतसर में हाई स्कूल भवन के लिये भूमि की मांग

६७९. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर में हाई स्कूल भवन के लिये ग्राम पंचायत की ओर से भूमि की मांग की गई है?

(२) यदि हां, तो कब की गई और कौनसे स्थान पर कितनी भूमि मांगी गई है?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में यह सबसे बड़ा कस्बा होने के नाते बहुत पहले हाई स्कूल के लिये भूमि मिल जानी चाहिये थी, लेकिन आज तक उपनिवेशन विभाग व प्लानिंग विभाग की तरफ से भारी उदासीनता दिखाई जा रही है?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल के विकास विभाग की ओर से काफी अर्से पहले भवन निर्माण के लिये धनराशि स्वीकार की गई?

(५) क्या राज्य सरकार इस ओर निकट भविष्य में ही गौर करेगी?

(६) यदि हां, तो कब तक और कितनी रकम स्वीकृत की गई?

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन विभाग (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) दिनांक १७-१-६६ को मांग की गई। मांग चक नम्बर ए. पी. एम. में मुरब्बा नं. १६३/४०७, १६४/४०७ कुल २७ बीघा की मांग की गई है।

(३) यह सही है कि रावतसर एक बड़ा कस्बा है पर हाई स्कूल के लिये भूमि मिल जाने में उपनिवेशन विभाग ने कोई उदासीनता नहीं दिखाई है।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस हाई स्कूल की जमीन के लिये पंचायत रावतसर गत चार सालों से मांग कर रही है और आपने यहां पर यह उत्तर दिया है कि ११-१-६६ को मांग की गई है, यह सही

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नहीं है। जिस स्थान की जमीन चाही गई है, मांगी गई है वह थाने के पैली तरफ पड़ती है और उपनिवेशन विभाग दूसरी तरफ जमीन देना चाहता है और इस प्रकार यह मामला बीच में ही अटका हुआ है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री मनफूलसिंह : मामला विचाराधीन है। इसका कारण एक तो स्वयं माननीय सदस्य ने बताया है जहां पर जमीन देने की बात कही गई है और जहां के लिये सरपंच ने दरख्वास्त दी है वह जगह, एरिया बहुत ही नीचा है और पास में ही तालाब आ जाता है। सब गांव वालों का एतराज था। इस पर असिस्टेन्ट कमिश्नर, कॉलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ ने दूसरी जगह की तजवीज की है और वहां पर इसके लिये दस एकड़ जमीन तुरन्त दे दी जायगी और वह जो क्षेत्र है उसको एम. एल. ए. साहब स्वयं जानते हैं। यह जमीन जल्दी नहीं दी जा सकी, इसके लिये वहां के एम. एल. ए. साहब खुद की उदासीनता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो आरोप लगाया गया है यह असत्य है। मैंने बार-बार यहां पर और डिपार्टमेन्ट से मांग की है, और जिस जगह की मांग की जा रही है वह सड़क के नजदीक है और थाना और धर्मशाला के नजदीक है, बीच में है। वहां पर एक मुरब्बा जमीन पड़ी है। वह जमीन देने में सरकार को क्या आपत्ति है ? गांव वाले लेना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं देते हैं ? इस तरह से यह मामला क्यों लटकाया जा रहा है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो दस एकड़ जमीन देने की बात आप कह रहे हैं वह गांव के किस तरफ है और मुरब्बा का नाम बतलावें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री मनफूलसिंह : जहां यह जमीन है वह गांव के नजदीक है और इसके लिये उपयुक्त है। दूसरी बात जो जमीन के बारे में कही जा रही है उसके बारे में एम. एल. ए. साहब स्वयं जानते हैं और वह काफी नीची है और तालाब के नजदीक है। दूसरी जगह मण्डी के क्षेत्र में है और वहां पर दस एकड़ जमीन निर्धारित कर दी गई है और तुरन्त दे दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह गांव से काफी दूर है...

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर दिया गया है वह अधूरा है। इसका स्थान बतलाया जाये। इसके बारे में जानकारी दें। हाई स्कूल बिल्डिंग के लिये कौनसी साइड में कितनी जमीन दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्री !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक लाख आदमी इसके आसपास रहते हैं और वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है। जमीन नहीं मिलने की वजह से वहां पर स्कूल नहीं बन पा रही है। उपनिवेशन विभाग जमीन नहीं दे रहा है और आवश्यक कार्यवाही कराने के लिये लोगों को बीकानेर जाना-आना पड़ता है। यह एक सार्वजनिक काम है। सार्वजनिक काम के लिये जमीन देने में इतनी देरी की जा रही है। इसके बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये।

श्री मनफूलसिंह : इसमें कोई देरी नहीं की गई है। असिस्टेन्ट कमिश्नर, कॉलो-

(श्री मनफूलसिंह)

नाइजेशन ने एक बार वहां पर जाकर और गांव वालों को पूछ कर वह जमीन बता दी है। जहां मण्डी क्षेत्र है उस जगह पर यह है। अगर इत्तला दी जायगी तो असिस्टेन्ट कमिश्नर एक बार और चला जायगा और वह जमीन दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई! स्थगित प्रश्न संख्या ५२०

स्थगित प्रश्न

(२८-४-७१)

तहसील सांचोर की कृषि सहकारी समितियां

५२०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कुछ कृषि सहकारी समितियां बनाई गई थीं? अगर हां, तो कितनी व कहां-कहां?

(२) उपरोक्त सहकारी समितियों के समितिवार अलग कितने-कितने सदस्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सहकारी समितियां अब नियमानुसार कोई कार्य नहीं कर रही हैं और सिर्फ जमीन प्राप्त करने के लिये ही बनाई गई थीं?

(४) क्या यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों को दी गई भूमि सदस्यों ने आपस में बांट कर अलग करके कुछ काश्त करते हैं एवं कुछ सदस्यों ने अपने हिस्से दूसरों को बेच दिये हैं? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और अब भविष्य में ऐसे सदस्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी?

(५) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कृषि सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों को कोई जमीन नहीं दी गई है एवं वास्तव में भूमिधारी काश्तकारों ने ऐसी समितियां सिर्फ ज्यादा जमीन रखने की दृष्टि से ही बनाई थीं? अगर हां, तो ऐसे कितने सदस्य समितिवार हैं जिनके पास पूर्व में सैकड़ों बीघा खातेदारी की जमीन थी और फिर भी सहकारी समिति के सदस्य मान लिये गये? सूची समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) उपरोक्त फिक्टीशस समितियां बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस बारे में अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

(७) अब उपरोक्त विषय में कब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (१) जी हां, तहसील सांचोर में सात सहकारी कृषि समितियों का गठन होकर उनकी रजिस्ट्री हुई थी। इन समितियों की सूचना परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(२) इन सहकारी समितियों की समितिवार सदस्यता का विवरण निम्न है :—

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	सदस्यता
१	२	३
१.	झोटड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	१७

Page No. 23

(श्री रामदेवसिंह)

१	२	३
२. सरनाऊ कृषि सहकारी समिति लि०		१७
३. शंकर कृषि सहकारी समिति लि०		१७
४. रामदेव	,, ,,	२०
५. वाणासर	,, ,,	२५
६. रामचन्द्र	,, ,,	२५
७. केसूरी	,, ,,	१२

सदस्यों की सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(३) जी नहीं यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त सहकारी समितियां अब नियमानुसार कोई कार्य नहीं कर रही हैं और सिर्फ जमीन प्राप्त करने के लिये बनाई गई थीं। जमीन प्राप्त करना समितियों के उद्देश्यों की पूर्ति करने का माध्यम था। वर्तमान में २ सहकारी समितियां चालू हैं और ५ समितियां अब कार्य नहीं कर रही हैं।

(४) जी नहीं! सरनाऊ कृषि सहकारी समिति लि० एवं झोटड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० के सदस्य संयुक्त रूप से खेती करते हैं व सदस्यों द्वारा भूमि आपस में नहीं बांटी गई है। केसूरी कृषि सहकारी समिति लि० को कोई जमीन एलॉट नहीं की गई है अतः भूमि सदस्यों द्वारा आपस में बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता शेष ४ समितियों में सदस्यों द्वारा पृथक् रूप से खेती की जा रही है। सदस्यों द्वारा अपने हिस्से दूसरों को बेचने के सम्बन्ध में समिति के रेकार्ड से कोई जानकारी नहीं मिलती है और न विभाग को ही इसकी सूचना प्राप्त हुई है।

ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है।

(५) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त कृषि सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों को कोई जमीन नहीं दी गई है एवं वास्तव में भूमिधारी काश्तकारों ने ऐसी समितियां सिर्फ ज्यादा जमीन रखने की दृष्टि से बनाई थीं। उपरोक्त ७ समितियों में से केसूरी कृषि सहकारी समिति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। शेष ६ समितियों में भूमिधारी सदस्यों की संख्या व समिति के कुल सदस्यों की संख्या निम्न है। सूची समितिवार सदस्यों की परिशिष्ट (स) संलग्न है।

क्र. सं.	नाम समिति	कुल सदस्यों की संख्या	भूमिधारी सदस्यों की संख्या	जो बीघा जमीन वाले सदस्यों की संख्या
१	२	३	४	५
१.	झोटड़ा संयुक्त कृषि स० स० लि०	१७	१४	५
२.	सरनाऊ कृ. स. स. लि.	१७	–	–
३.	रामचन्द्र ,, खोगपुरा	२५	–	–
४.	वाणासर ,,	२५	३	–
५.	शंकर ,, भावाहेड़ा	१७	२	–
६.	रामदेव ,, जोरावर	२०	१	–

Page No. 24

(श्री रामदेवसिंह)

केवल झोटड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति के ५ सदस्यों के पास सौ बीघा से अधिक पूर्व में खातेदारी की जमीन थी।

(६) जी नहीं, इन समितियों में कोई समिति फिक्टीशस नहीं है। समितियों की कार्यप्रणाली नियमानुसार नहीं रही है और ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है इसलिये निष्क्रिय समितियों को अवसायन में लाने के बाबत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(७) आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर को निर्देश दे दिये गये हैं जो शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भूमिहीन काश्तकारों की समितियां गठित की गई हैं और जो आपने लिस्ट दी है उसमें एक-एक के पास १३१ बीघा, १०३ बीघा भूमि खातेदारी में है। तो क्या यह नियमानुसार है ? जो आपने लिस्ट दी है उससे स्पष्ट साबित होता है की ऑलरेडी खातेदारी की ५००/१००/२०० बीघा जमीन उनके पास है। तो सरकार क्या सोचती है ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने शुरू में ही निवेदन किया है कि कुछ सदस्यों के पास में जमीन थी। उनके पास जो जमीन है वह उनकी है और कुछ जमीन सरकार ने आवंटित की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिड्यूल्ड कास्ट के दो-तीन मेम्बर्स की आप जांच करवा लीजिये, एक बीघा जमीन उनके पास में नहीं है। जिनके पास खातेदारी की जमीन है, वही काश्त करते आ रहे हैं। क्या यहां से अधिकारी भेजकर इसकी जानकारी कराना आप पसन्द करेंगे ? एक लिस्ट बना कर जमीन एलॉट करवा ली गई है जो सदस्यों के नाम इसमें लिखे हुए हैं वे बराबर शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है।

श्री रामदेवसिंह : पांच कृषि सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जालोर को आदेश दे दिया गया है कि वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सत्य है कि आपने बताया जमीन आपस में बांटी है तो सोसायटी ने जिस मकसद से दर्ज कराई है वह....

श्री रामदेवसिंह : सही बात यह है कि भूमि जो एलॉट की है उसके बाद भी आज १०-१२ साल से उनको नहीं मिली।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिनको मिली है-चार सोसायटीज को ५००-५००, ६००-६०० बीघा जमीन बताई है वह दो-तीन सदस्यों ने आपस में बांटकर ले ली है बाकी के सदस्य तो मारे-मारे फिर रहे हैं।

श्री रामदेवसिंह : पांच सोसायटीज तो बिलकुल निष्क्रिय हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० के चेयरमैन

४१८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर के सन् १९६७-६८ और १९६८-६९ में चेयरमैन ने बैंक की चेयरमैन-शिप कौनसी तारीख से किस तारीख तक की? इस दौरान बैंक के मैनेजर कौन थे?

(२) क्या उक्त बैंक का ऑडिट १९६७-६८ और १९६८-६९ का हो चुका है? यदि हां तो दोनों ऑडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(३) इन दोनों वर्षों की ऑडिट रिपोर्टों में चेयरमैन और मैनेजर द्वारा किये गये कार्यों में ऑडिट पार्टी द्वारा कौन-कौन से आक्षेप लगाये हैं?

(४) क्या ऑडिट के आक्षेपों पर चेयरमैन और मैनेजर के विरुद्ध कोई कार्य-वाही की गई है यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं?

उप मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (१) अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, अलवर में १९६७-६८ व १९६८-६९ में निम्न व्यक्तियों ने उनके आगे अंकित तारीखों में चेयरमैनशिप की

१.	श्री रामजीलाल यादव	१४-५-६६ से १६-१०-६७ तक
२.	श्री रामसिंह यादव	१६-१०-६७ से १२-१०-६८ तक
३.	श्री दुर्लभसिंह	१२-१०-६८ से ९-१२-६९ तक

इस दौरान बैंक के मैनेजर श्री हरिदत्त व्यास रहे।

(२) जी हां, ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां वर्ष, १९६७-६८ व १९६८-६९ संलग्न हैं।

(३) दोनों वर्षों के ऑडिट रिपोर्टों में चेयरमैन व मैनेजर के विरुद्ध ऑडिट पार्टी द्वारा लगाये गये आक्षेपों की प्रतियां परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(४) ऑडिट आक्षेपों पर की गई कार्यवाही परिशिष्ट (अ) के कालम ३ पर अंकित है।

(सूचियां दिनांक २९ अप्रेल, १९७१ को पूछे गये उपर्यंकित प्रश्न के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई थी जो विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह जो आक्षेप ऑडिट रिपोर्ट ६८-६९ में लगाये गये है, इसमें एक आक्षेप है अध्यक्ष महोदय, जो कि उन्होंने कार्य पर नियन्त्रण के लिये ५१९ रु० की राशि उक्त नियमों के विरुद्ध दी है; वह वसूल की जाय। इसी तरह व्यवस्थापक के बारे में है, तीसरे जीप का दुरुपयोग किया है तो यह वापिस लेने की बात है, भत्ता उन्होंने उठाया है, क्या रूल्स के अन्तर्गत किया है क्या?

श्री रामदेवसिंह: परिशिष्ट (अ) में दिया गया है जो विभाग कार्य कर रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: परिशिष्ट में दिया हो, नियमों के विरुद्ध भत्ता उठाया है तो क्या यह नियमों के विरुद्ध घटना थी।

श्री रामदेवसिंह : जो भी अनियमितता की है रजिस्ट्रार सहकारी समिति जांच कर रहे हैं। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय चेयरमैन और मैनेजर इन दोनों के खिलाफ झूठे बिल बनाकर भत्ता उठाने की बाबत, जीप के दुरुपयोग करने की, बाबत बैंक के अलावा कार्यों में जीप का इस्तेमाल करने के आरोप लगाये गये हैं और ऑडिट रिपोर्ट में उनसे पैसे वसूल करने के लिये कहा गया तो न तो पैसे वसूल किये गये हैं और न सिर्फ पैसे वसूल करने की बात है, बल्कि इस दोनों के खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं। इस पर मैनेजर और चेयरमैन के विरुद्ध एक्शन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण ?

श्री रामदेवसिंह : अध्यक्ष महोदय ६८-६९ की ऑडिट रिपोर्ट है उसकी सारी की जांच डिप्टी रजिस्ट्रार कर रहा है। उनकी जैसे ही रिपोर्ट आयेगी और जो आक्षेप है वे सारे के सारे भेज दिये जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ऑडिट रिपोर्ट विभाग को कब प्राप्त हुई ?

श्री रामदेवसिंह : मेरे पास इसकी इस वक्त इतला नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच कब से कर रहे है ?

श्री रामदेवसिंह : डिप्टी रजिस्ट्रार को ७-१-७१ को भेजी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६८-६९ की रिपोर्ट ७-१-७१ को आई....

श्री रामदेवसिंह : उप रजिस्ट्रार को भेजो गई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑडिट कब हुआ ?

श्री रामदेवसिंह : ८-९-७० को विभाग में आई है और ७-१-७१ को भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लाल कोठी स्कीम में अवाप्त भूमि

४२५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विगत २ वर्षों से जयपुर नगर विकास न्यास को लाल कोठी स्कीम में जो जमीनें एक्वायर की गई हैं उनमें से किन किन व्यक्तियों को एवज में रिहायशी प्लॉट दिये हैं ? सूची सदन को मेज पर रखे।

(२) इनमें हर एक कितने का एनटाइटल था और कितना उसे वास्तविक में तथा उसके कहने से दूसरों को कितने प्लॉट दिये सूची सदन की मेज पद रखे।

उप मंत्री नगर विकास न्यास (श्री खेतसिंह) : (१) तालिका सदन की मेज पर रख दो गई है।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है किसी भी योजना की राज्य सरकार से स्वीकृत

(श्री भैरोंसिंह)

न हो उस वक्त तक भू-खन्डों का आवंटन नहीं किया जा सकता हैं।

श्री खेतसिंह : जी हां। जहां तक सम्भव है ऐसा ही होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आदेश क्या है ?

श्री खेतसिंह : एज फार एज पॉसिबल

श्री भैरोंसिंह : एज फॉर ऐज पासिबल क्या ?

श्री खेतसिंह : जो आपने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूं सही है; आप जो कह रहे हैं वह गलत है। तो क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस योजना की स्वीकृति के पहले भू-खन्डों का आवंटन हुआ है ?

श्री खेतसिंह : जी हां। कुछ केसेज के अन्दर स्वीकृति के पूर्व आवंटन किया गया है लेकिन पजेशन नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किस्सा इस तरह से है कि कुछ व्यक्ति वहां पहले से बसे हुये थे, उनकी भूमि का उनको अवार्ड दिया गया है और कुछ केसेज में बेचने के लिये पिटिशन में जाना जरूरी है। और अवार्ड यह जरूरी है लेकिन पजेशन नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको आपने पजेशन दिया, उन बसे हुये लोगों में से एक का भी नाम नहीं है। जो आपने सूची दी है।

श्री खेतसिंह : जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अपने रिश्तेदारों को अवार्ड के नाम से एक हजार गज का प्लाट दे दिया जाय, यह भी ठीक है लेकिन....

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है वह यह है कि न्यास अवार्ड के रूप में प्लाट्स देना चाहता है और वे अपने रिश्तेदारों के नाम भी बता दें ताकि उनको आवंटन किया जा सके, लेकिन न्यास यह समझता है कि उनको मेन रोड पर प्लाट्स नहीं दिये जाय क्योंकि मेन रोड्स पर प्लाट्स के पैसे अधिक मिल जाते हैं और उससे उस स्थान के डवलपमेंट में सहयोग मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। आपने सिर्फ एक व्यक्ति को प्लॉट देने के लिये यह सब कुछ किया है और वह व्यक्ति है श्री एस० के० शर्मा। उनके नाम से प्लाट अलाट किया गया है और उनके नाम से किसी प्रकार का अवार्ड नहीं है और सारी स्कीम के अन्तर्गत केवल एस० के० शर्मा को प्लाट देने का है क्योंकि वे टाऊन प्लानर के भाई है।

श्री खेतसिंह : इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या सरकार विचार करेगी कि····

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है राज्य सरकार ने अपने इस आदेश के अन्तर्गत जब तक योजना स्वीकृत नहीं हो तब तक यू० आई० टी० अलॉट नहीं कर सकती है और नगर विकास न्यास ने बिना स्वीकृति के भू-खण्डों-

(श्री भैरोंसिंह)

का आवंटन किया है और जो राज्य सरकार द्वारा अनियमित करार है उनको रद्द किया जायेगा ?

श्री भीखाभाई : उनको रद्द करने पर विचार किया जायगा जिनको बिना स्वीकृति भू-खण्डों का आवंटन किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय सुना नहीं भीखाभाई ने क्या कह दिया । क्या बिना स्वीकृति जिन भू-खण्डों का आवंटन लाल कोठी में हुआ है और जिसको अनियमित मानते हैं उसको रद्द करने की कार्यवाही कर देंगे।

श्री भीखाभाई : जैसा आपने बताया कच्ची बस्ती के लोगों को नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कच्ची बस्ती के लोगों को भी प्लाट्स दिये गये हैं। मैं समझता हूं अपवाद स्वरूप अगर दूसरों को अलाट हुये हैं और अनियमित नजर आते हैं तो उनको रद्द किय जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो डाईरेक्ट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट के आर्डर्स क्लियर हैं कि जब तक कोई स्कीम मन्जूर नहीं हो तब तक उस स्कीम के अन्तर्गत प्लाट्स का एलाटमेंट नहीं किया जाय। लाल कोठी की स्कीम मन्जूर नही हुई है और उसके पहले ही उसमें एलाटमेंट हो गये तो इस अनियमित कार्यवाही के लिये कारण क्या है ?

श्री भीखाभाई : अगर किसी स्कीम में माननीय दृष्टिकोण में अनियमितता भी हुई है तो उसको नियमित करते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि इस मानवीय और अमानवीय दृष्टिकोण पर विचार करके सरकार ने यह आदेश दिया था और इसी आदेश के अन्तर्गत, कई स्थानों के अन्तर्गत, इस प्रकार से जो आवंटन किये गये है तो सरकार का एवार्ड होने के कारण अनियमित करार दे दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने किसी आदमी को....

श्री भैरोंसिंह : यह आपके बस की बात नहीं है।

श्री भीखाभाई : यह मेरे जुरिस्डिक्शन की बात है और जब तक इस विभाग का मैं मन्त्री हूं मेरी बात आपको सुननी होगी।

श्री अध्यक्ष : वैधानिक स्थिति तो यही है।

श्री भैरोंसिंह : वैधानिक स्थिति तो यही है, लेकिन उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, उसको मैं समझता हूं। ये चाहे समझते हों कि माननीय दृष्टिकोण से किया गया है, लेकिन मैं मानवीय दृष्टिकोण से माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे अपने साथियों को एम्बरेसिंग पोजीसन से बचाने के लिए काम से कम इस बात का क्लेरिफिकेशन कर दें कि गवर्नमेंट आर्डर्स का कम्प्लायन्स है गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्ट में है तो गवर्नमेंट ने मानवीय और अमानवीय मसलों को देखकर इस प्रकार का डिसीजन लिया है या इस प्रकार के डिस्क्रीशनरी पावर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दे रखे है ? या गवर्नमेंट का आर्डर क्लियर है कि जब तक स्कीम सेंक्शन नहीं हो तब तक प्लाट्स का एलाटमेंट नहीं किया जाय। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह मानवीय दृष्टिकोण से एलाट किये है तो यदि आप लिस्ट देखे तो मानवीय आधार पर किसी के ऊपर दया

(श्री भैरोंसिंह)

करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एस० के० शर्मा का नाम लिखा है तो उस आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के क्लियरकट ऑर्डर्स होने के बाद भी गवर्नमेंट की जमीन पर एन्क्रोचमेंट किया है तो जयपुर में ऐसे कई उदाहरण हैं कि वहां पर उनको मन्सूख किया गया है।

श्री भीखाभाई : आपने एस० के० शर्मा का बताया। अगर उनको गलत तरीके से आवटंन हो गया है तो उसको निरस्त किया जायगा। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी एक समारोह के अन्दर लाल कोठी गये थे तो वहां पर जो उस जमीन पर बसे हुए थे उन लोगों को प्लाट्स दिये थे तो उनका जहां सवाल पैदा होगा तो वहां पर निरस्त करने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्रीजी अगर अपने हाथ से अनियमित कार्यवाही करते है तो वह अनियमित नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : यह मैंने नहीं कहा। जहां कच्ची बस्ती के लोग बैठे हुए थे तो उनको वहां पर प्लाट देने की बात है और उनको पट्टा दिलवाया तो वह नियमित है और लेजिटिमेट तरीके से दिलवाया तो नियमित माना जायेगा।

श्री भैरोंसिंहः अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी अनियमित कार्यवाही भी करते हैं तो भी वह नियमित होगी। इनके वसका कोई चारा नहीं है।

श्री भीखाभाई : नो दिस इज नाट।

श्री भैरोंसिंहः आप यह चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कोई अनियमित कार्यवाही भी करें तो भी आप उसको नियमित मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और मैं करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा तो कोई गुजारा ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लाल कोठी में जिन लोगों को एवार्ड मिला है, भीखाभाई, जरा सुन लें, और जितनी भूमि के लिए एवार्ड दिया है तो उसमें एक-एक हजार के प्लॉट का कहा गया है और उसमें एक हजार के प्लॉट के चार-चार टुकड़े किये जाय यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है या यू० आई० टी० ने अपनी मरजी से किया है?

श्री भीखाभाई : यह मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कि यू० आई० टी० का होगा। राजस्थान सरकार का भी हो सकता है। मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह हिस्सा करने का मामला यू० आई० टी० ने किया है जो कि स्कीम के अन्तर्गत नहीं है जो कि गवर्नमेन्ट ने एप्रूव की है।

श्री भीखाभाई : इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। कल बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

स्थगित प्रश्न

(२९-४-७१)

Page No. 30

कोटा व झालावाड़ की सड़कों को मरम्मत

५५०. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा व झालावाड़ पी० डब्ल्यू० डी० क्षेत्र में बाढ़ व अकाल सहायता मद से पिछले दो सालो में किन-किन सड़कों पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि नई बनाई गई बतलाई गई सड़को में से, बहुतसी ऐसी हैं जिन पर लाखों रुपया खर्च हो जाने के बाद भी कोई काम नहीं किया गया है, यदि हां तो कौन-कौन सो ? यह भी बतावें कि झूंठी रिपोर्ट दिये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि बाढ़ सहायता के नाम से अनेकों ऐसी सड़कों की मरम्मत करवाया जाना भी बताया गया है जो बाढ़ से खराब नहीं हुई थीं व बहुत सी ऐसी सड़कों को ठीक नहीं करवाया गया है जिन पर बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ था ? कृपया बाढ़ से ग्रस्त होने वालो सड़कों के बाबत कलेक्टर, कोटा व झालावाड़ की रिपोर्ट की कॉपी सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें

(४) क्या यह सही है कि राजगढ़-सांगोद सड़क पर बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान बताया गया था ? अगर हां, तो इस सड़क के किसी भी हिस्से की मरम्मत नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री सार्वजानिक निर्माण (श्री खेतसिह) :

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। कलेक्टर कोटा व झालावाड़ की रिपोर्ट के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) जी हां खड़ी फसलों के कारण काश्तकारों ने ठेकेदार को कार्य नही करने दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि कोटड़ी-पीड़ावा सड़क है यह सड़क बिल्कुल उसी हालत में है हालांकि इस पर रुपया मन्जूर हुआ है और १,८०,००० रुपया खर्च कर चुके हैं ? यह सड़क बिल्कुल नहीं बनी है, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : यह मेरी जानकारी में है कि कोटड़ी-पिड़ावा सड़क के लिए १,८६,३०२ रुपये और ७७ पैसे खर्च हुए हैं और कितनी बनी और कितनी नहीं बनी यदि आप चाहेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री जुझारसिंह : बाढ़ कौन-कौन सी नदियों में आई थी इसके आपके पास में कोई इत्तिला है।

श्री खेतसिंह : कौन कौनसी नदी में बाढ़ आई थी यह मैं नहीं कह सकता। बाढ़ में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए कौन-कौन सी सड़कों के लिये कितना पैसा दिया गया है यह लिस्ट मैंने आपको दे दी है। उसमें आप देख सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : जो लिस्ट आपने दी है उसमें आप भी इस बात को मन्जूर करेंगे कि बाढ़ नदियों में आती है लेकिन इसमें आपने बहुतसी ऐसी सड़कें बनवाई हैं जिनका

(श्री जुझारसिंह)

बाढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं है। २४ लाख रुपये आपने सड़कों की मरम्मत के लिए रखे हैं उनमें से ७५ रोड्स ऐसी हैं कि जिनका कि नदियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो मेटेरियल पोइन्ट मेरा प्रश्न पूछने का यह था कि कलेक्टर की लिस्ट आई कि बाढ़ से कौन-कौन सी सड़कें प्रभावित हुई हैं तो उन जगहों की तो मन्जूरी नहीं दी गई और ऐसी जगहों की मन्जूरी दी गई है जहां कि बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं था।

श्री खेतसिंह : प्रश्नकर्ता महोदय स्वयं उन सारी सड़कों के नाम बता दें जो कि बाढ़ में नहीं टूटी थीं और उन पर रुपया खर्च किया गया है। तो कलेक्टर साहब की रिपोर्ट और आपके स्टेटमेंट को देख कर जांच करवा ली जायगी कि वहां पर बाढ़ थी या नहीं।

श्री जुझारसिंह : यह आप मन्जूर करेंगे कि बाढ़ नदियों में आती है। जिस जगह पर नदी थी ही नहीं तो वहां पर बाढ़ का प्रश्न नहीं है। कोटा-बारां रोड़ बता दी, उस सारे इलाके में बाढ़ नहीं थी। इसी तरह से अटरू में ४८ हजार रुपये खर्च किये उसमें बाढ़ का कहीं भय नहीं था। इस तरह से जिन लोगों को ओब्लाइज करना था उनके यहां सड़कों की मन्जूरी दे दी जहां कि बाढ़ का कोई प्रभाव ही नहीं था। जहां बाढ़ का प्रभाव था और जिस जगह के लिए कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है जैसे पलायता-सांगोद वहां के लिए डेढ़ लाख की मन्जूरी हुई है और १३ हजार ही रुपये दिये। बहुत सी जगहों के लिए कलेक्टर की रिपोर्ट दी हुई है कि बाढ़ से सड़कें खराब हुई हैं लेकिन वहां के लिए एक पैसा भी मन्जूर नहीं किया गया और गलत जगहों पर मन्जूरी दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : और स्पष्टीकरण।

श्री खेतसिंह : जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा है तो उनके सारे मुद्दों की जांच करा ली जायगी। यों तो चीफ इन्जीनियर, झालावाड़ के एक्स० ई० एन० के खिलाफ जांच कर रहे हैं कि उनको जितना पैसा दिया था उससे ज्यादा खर्च कर गये। आप लिस्ट दे दें तो उस जांच के साथ इसकी भी जांच करा ली जायगी कि जहां पर पैसा खर्च किया गया है वह बाढ़-ग्रस्त एरिया था या नहीं था, और उन्होंने गलत खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय। उनकी लिस्ट में आइटम नं० ३६ और आइटम नं० २२ पर दो सड़कें अलग-अलग हैं और एक सड़क पर तो ४,८०,०००) रुपया खर्च करना बताया गया है और दूसरी पर १, १६,०००) रुपया खर्च करना बताया गया, क्या ये दोनों सड़के अलग-अलग हैं ?

श्री खेतसिंह : एक ही हो सकती हैं। मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लाभचन्द वैद : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका भी प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री लाभचन्द वैद : ६५५ नम्बर का क्वेश्चन है उसको दिये हुए १२ महीने हो गये। उसका जवाब आज भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

Page No. 32

श्री भरोंसिंह : यह तो स्थगित हो गया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित माना जाय।

श्री भेरोंसिंह : जवाब नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सराड़ा व गिरवा क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु धनराशि :

६५४. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा व गिरवा में आदिवासी मीणा, भील, चमार, बलाई व भंगी पिछड़े वर्गों की अलग-अलग जन-संख्या कितनी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों के मकान निर्माण, पीने के पानी के कूप निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण आदि कार्य कराना बन्द कर दिया है ?

(३) पंचायत समिति सराड़ा और पंचायत समिति गिरवा के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये सन् १९६८ से सन् १९७० तक पंचायत समितियों को किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

उत्तर

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा व गिरवा में आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों की अलग-अलग जनसंख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों के लिए मकान निर्माण, पीने के पानी के कूप निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण आदि कार्य बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ये योजनाएं क्षेत्र के लिए न होकर विशेष जातियों के लिए हैं। आदिवासी विकास खंडों के क्षेत्र में ये योजनाएं अब भी चल रही हैं।

(३) पंचायत समिति, सराड़ा तथा गिरवा के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष ६८-६९, ६९-७०, ७०-७१ में दी गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपाया परिशिष्ट ७ देखिये)

सीकर नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

६५५. श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ के विरुद्ध सन् १९६० से लगातार जब तक वे अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, नगरपालिका के सदस्यों, प्रमुख नागरिकों एवं राजनैतिक दलों की ओर से उनके भ्रष्टाचार फैलाने, पब्लिक के धन का दुरुपयोग करने, नजूल भूमि की नाजायज बिक्री करने इत्यादि की अनेक शिकायती दरख्वास्तें डाइरेक्टर लोकल बॉडीज राजस्थान, जयपुर व राज्य सरकार को दी गई थी ? यदि हां तो दरख्वास्तें किस-किस की ओर से कब-कब, किस-किस अधिकारी को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 33

(श्री लाभचन्द वेद)

(२) क्या यह सही है कि इन दरख्वास्तों पर राज्य सरकार द्वारा किसी विभागीय अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी को कलेक्टर सीकर ने ४०० मिसलें जिनमें उक्त श्री सोमनाथजी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होते थे, जांच अधिकारी को दी थी ? यदि हां, तो उन ४०० मिसलों की सूची अनुमान सहित सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) क्या यह सही है कि उक्त जांच अधिकारी की आरम्भिक जांच के फलस्वरूप उक्त श्री सोमनाथजी अध्यक्ष व एक अन्य सदस्य को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(५) क्या जांच अधिकारी द्वारा श्री सोमनाथ अध्यक्ष व उनके सहयोगी श्री कालूराम, चैयरमैन नजूल कमेटी, नगरपालिका सीकर को कोई चार्ज-शीट दी गई थी ? यदि हां, तो चार्ज-शीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) क्या यह सही है कि उक्त श्री सोमनाथ अध्यक्ष के खिलाफ ट्रैक्टर ट्राली व जीप आदि की खरीद में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कई शिकायतें सरकार के पास हुई और सरकार द्वारा उसकी जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(७) क्या श्री सोमनाथ अध्यक्ष के खिलाफ फिर से सन् १९६६ व सन् १९६८ में चार्ज-शीट दी गई थी ? अगर हां, तो चार्ज-शीट की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(८) क्या श्री सोमनाथ अध्यक्ष ने नगरपालिका से ता० २२-६-६४ को श्री दीवानचन्द्र अपने पिता के नाम से कोई जमीन रास्ते ग्राम पर खरीदी थी ? अगर हां, तो उस जमीन की नीलामी हुई थी ? अगर नहीं, तो क्यों ? उस जमीन की कितनी कीमत परिषद् के खजाने में जमा हुई और कितनी उसमें से वापिस ली ? वापिस राशि किसने प्राप्त की ?

(स्थगित किया गया)

ए. सी. सी. लाखेरी के साथ हुए समझौते की शर्तें

६५७. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सन् १९४७ में बूंदी राज्य और ए. सी. सी. लाखेरी के बीच में एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या-क्या थीं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि समझौते की एक शर्त यह थी कि लाखेरी नगर की जनता का मुफ्त में इलाज ए. सी. सी. द्वारा अस्पताल में किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। समझौते की शर्तों का सारांश सदन की मेज पर रख दिया गया है।

Page No. 34

(उद्योग-मन्त्री)

(२) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

फसलों पर कॉमर्शियल टैक्स

६६०. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने फसलों पर जो कॉमर्शियल टैक्स लगाया था उसे रद्द कर दिया गया है ?

(२) जिन व्यक्तियों से कॉमर्शियल टैक्स वसूल किया गया उनको वापिस लौटाया गया है या नहीं ? यदि नहीं लौटाया गया तो, कब तक लौटाया जायगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। वसूलशुदा कॉमर्शियल टैक्स के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ही आगे निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों की कटाई

६६३. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सड़कों पर जो गैंग काम करते हैं वे बड़े-बड़े सूखे खड़े पेड़ों के तनों को काट-काट कर खराब करते रहते हैं इससे पेड़ों की नीलामी कीमत कम हो जाती है, जिसका सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

विभागीय गैंग द्वारा सूखे पेड़ों के तनों को काट कर खराब करने की शिकायत विभाग की जानकारी में नहीं आयी है।

इकलेरा से छीपाबड़ौद सड़क

६६५. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इकलेरा से छीपाबड़ोद, कवाई से सालपुरा तक जो सड़क जाती है उस सड़क पर ग्राम इकलेरा, छीपाबड़ोद, मवासा व कवाई में वहां के निवासियों ने सड़क से बहुत करीब मिलते हुए ही मकानात आदि बना लिये हैं जिसकी वजह से सड़क बिलकुल तंग हो गई है तथा यातायात में रुकावटें पैदा हो गई हैं और एक्सीडेंट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं ? उपरोक्त चारों गांवों के जिन्होंने सड़क से सटे हुए ही मकानात, चबूतरियां आदि बना दी हैं ? उनके नाम, पता बताने का कष्ट करें तथा इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची संलग्न है मामलें न्याया-लयों में विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

गोजगढ़ कस्बे की नल योजना

६७०. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के गोजगढ़ कस्बे में नल योजना चालू करने की स्कीम स्वीकृत हो चुकी है, और क्या यह बात भी सही है कि वहां की जनता ने स्वीकृत धनराशि का १/५ हिस्सा चन्दे के रूप में एकत्रित कर सरकार में जमा करा दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्रीजी ने ता० ११ अगस्त, १६७० को गोजगढ़ सम्मेलन में नल योजना बहुत जल्दी हो चालू करने की घोषणा की है ?

(३) इस योजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कार्य कब तक सम्पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) १/५ नहीं अपितु ५ प्रतिशत के हिस्से से ८०२५) रु० जमा करवाये हैं।

(२) जी हां, नल योजना स्वीकृत को जा चुकी है।

(३) योजना का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है। धनराशि सामग्री की उपलब्धि पर सम्पूर्ण होने में ३ वर्ष की अवधि में।

नागौर जिले की अधूरी सड़कें

६७३. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की जायल व नागौर तहसीलों के अकाल राहत कार्यों में शुरू हुई कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं ? एवं उनमें क्या-क्या अधूरापन है ? कितना-कितना खर्चा प्रत्येक पर हो गया है ? एवं स्वीकृत सड़क को पूरा करने पर अब कितना व्यय करना पड़ेगा ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति व जन - जाति के लोगों को मुकदमे लड़ने हेतु सहायता

६२२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जातियां व जन-जातियों के व्यक्तियों को मुकदमा लड़ने के लिए किसी प्रकार की सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो नागौर जिले के किन-किन व्यक्तियों को कब-कब कितनी-कितनी सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त सहायता देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? यदि कोई नियम बने हुए हों, तो उनकी प्रति सदन को मेज पर रखने को कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। नागौर जिले में यह सहायता गत दो वर्षों में किसी को नहीं दी गयी।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता। नियमों की प्रति संलग्न है। यह नियम राजस्थान

(समाज कल्याण-मन्त्री)

राज-पत्र दिनांक ५ फरवरी, ७० में प्रकाशित भी हो चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योग विभाग के तकनीकी अधिकारी

६२३. **श्री मेघराज पंवार (चूरू)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) उद्योग विभाग जो एक तकनीकी विभाग है उसमें कितने अधिकारी तकनीकी हैं ? डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) किन-किन तकनीकी पदों की पदोन्नतियां जिला उद्योग अधिकारी के पदों पर हो सकती है ?

(३) उद्योग विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के स्थाईकरण की स्थिति क्या है ? तथा कितने तकनीकी कर्मचारी अभी तक स्थाई नहीं किये गये हैं व क्यों और कब तक स्थाई कर दिये जायेंगे ?

(४) उद्योग विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची की क्या स्थिति है ? क्या पिछले दस सालों में कोई वरिष्ठता सूची फाइनल की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या सन् १९६६ की वरिष्ठता सूची को फाइनल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इसे फाइनल कर दिया जायगा।

(६) उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न तकनीकी जानकारी देने को विभाग में व्यवस्था क्या है ? क्या कोई तकनीकी शाखा है और क्या विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकार के सैल को स्थापित करने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) उद्योग विभाग में १३ अधिकारी तकनीकी हैं। डिप्लोमा व डिग्री प्राप्त अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(२) राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, १९६६ में दिये हुये वर्तमान प्रावधान के अनुसार जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति निम्न पदों के माध्यम से की जाती है जो तकनीकी नहीं हैं:—

(१) व्यवस्थापक औद्योगिक सम्पदा, जयपुर।

(२) व्यवस्थापक औद्योगिक सम्पदा (जयपुर के पद के अलावा)

(३) उद्योग निरीक्षक।

(४) निरीक्षक बाट व माप।

(५) उद्योग प्रसार अधिकारी।

(३) विभाग के ६९ तकनीकी कर्मचारियों में से ४७ पद स्थायी हैं व २२ अस्थाई हैं, ४७ पदों में से कार्य कर रहे कर्मचारियों में से ३१ कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है, और शेष १६ कर्मचारियों का भी स्थायीकरण शीघ्र ही कर दिया जायेगा, जिसकी कार्यवाही चल रही है।

Page No. 37

(श्री मेघराज पंवार)

(४) उद्योग विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अस्थायी तौर पर सन् १९६६ में प्रसारित की गयी थी। अब इस वरिष्ठता सूची को निम्न तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है:—

(क) बहुत कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दे रक्खे हैं।

(ख) वित्तीय कटौती के कारण तकनिकी पदों को बार-बार कम दिया गया।

(ग) कई तकनिकी कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित कर अन्य विभागों में समावेश करने के कारण।

(घ) कई तकनीकी पद जो १९६६ के पश्चात् सृजित किये गये हैं को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, १९६६ के शिड्यूल में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। उपरोक्त विषयों पर शीघ्र विचार कर वरिष्ठता सूची को शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

(५) इस प्रश्न का उत्तर भाग ४ के उत्तर में सम्मिलित है।

(६) उद्योग विभाग में तकनीकी सलाह देने के लिये केमिकल इन्जीनियरिंग, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग, टैक्सटाइल्स, चर्म इत्यादि विषयों के विशेषज्ञ हैं? जिस उद्योग के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी चाहते हैं। उनको सम्बन्धित विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी जाती है।

उपरोक्त विषयों सम्बन्धी तकनीकी शाखाएं इस निदेशालय में कार्य कर रही हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों पर लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार, जयपुर व राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम, जयपुर द्वारा भी तकनीकी राय उपलब्ध कराई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

खातेदारों से पानी का मुआवजा

६२४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रिकार्ड्स्) नियम, १९५७ के नियम १६७ के अनुसार फार्म नं० पी. २९ में पटवारी द्वारा कूप विवरण रखा जाता है? यदि हां तो निम्न गांवों के पिछले पांच वर्षों के फार्म नम्बर पी. २९ की नकल सदन में प्रस्तुत की जावे:

(अ) ग्राम बोरूंदा, तहसील बीलाड़ा, जिला जोधपुर

(ब) ग्राम भागासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

(२) फार्म पी. २९ के खाना नं० ६ व ७ का ऐसे कुओं का जिनसे एक से अधिक गांव व एक तहसील से दूसरी तहसील में सिंचाई होती है का सही इन्द्राज करने का क्या आधार हैं? प्रश्न के भाग नं० १ में पूछे गये गांवों के कुओं से जिन-जिन गांवों में व जिन-जिन तहसीलों में सिंचाई होती है कुऐ और खाना नम्बर ६ व ७ का सही क्षेत्र-फल बताया जाये?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) फार्म पी. २६ के खाना नम्बर ४ में दर्ज व्यक्ति की खातेदारी की भूमि कितनी है व खाना नं० ७ में दर्ज क्षेत्र कितना है ?

(४) क्या सरकार भूमि के अन्दर सिंचित जल भण्डार का एकाधिकार समाप्त करने या दूसरों की भूमि सिंचित करने की दशा में दूसरे खातेदारों से पानी का मुआवजा लिया जाने बाबत कानून बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

रेवेन्यू इन्सपेक्टर के फिक्सेशन का मामला

६२५. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सहीराम रेवेन्यू इन्सपेक्टर या नायब तहसीलदार के पद पर कई वर्षों पूर्व जिला श्री गंगानगर में कार्य कर रहे थे ? अगर हां, तो वे रिटायर किस वर्ष व किस तिथि को किए गए ? वक्त रिटायरमेन्ट उनका पोस्टिंग किस स्थान पर था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उनकी पेंशन अभी तक निश्चित की जाकर नहीं दी गई है ? अगर हां, तो इतने वर्षों तक पेंशन नहीं देने के क्या कारण हैं ? अब उक्त राज्य कर्मचारी की पेंशन कब तक तय करदी जावेगी ? एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन कब तक रिटायरमेन्ट के बाद नियमानुसार तय करना आवश्यक है ? उपरोक्त मामले में देरी के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि सहीराम का वेतन फिक्सेशन भी वक्त रिटायरमेन्ट तक नहीं किया गया था ? अगर हां, तो क्यों और अगर नहीं, तो कब किया गया ? अब पेंशन दिलाने की निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) जी हां। यह सेवा निवृत्त नहीं हुए थे, किन्तु भादरा में निरीक्षक पद पर कार्य करते हुए दिनांक २५-३-६९ को उनका स्वर्गवास हुआ।

(२) इनके वेतन स्थिरीकरण के मामले में कुछ गलती रहने के कारण तहसील द्वारा दिनांक १९-११-७० को वित्त विभाग को संदर्भित किया गया था जहां से दुरुस्ती होकर १-२-७१ को तहसील को लौटाया गया है जिसके आधार पर अब इनके पारिवारिक पेंशन का मामला शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जावेगा । नियमानुसार एक वर्ष में पेंशन केस तय हो जाना चाहिये था।

(३) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। इनके पारिवारिक पेंशन का मामला ३ माह की अवधि में अन्तिम रूप से तय कर दिया जावेगा।

जागीरदारों से बकाया की वसूली

६२६. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ऐसे जागीरदार कितने हैं जिनको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है परन्तु उनसे बकाया की वसूली नहीं की गई ?

(२) प्रत्येक की तरफ कितनी कितनी रकम कब से बकाया है ?

(श्री गंगासहाय)

(३) इनको मुआवजे का भुगतान कब किया गया तथा बकाया की वसूली नहीं करने के लिये कौन दोषी है ?

(४) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) ऐसे जागीरदार १४६ हैं।

(२) संलग्न सूची में प्रत्येक की तरफ कितनी कितनी रकम कब से बकाया है इस विषयक सूचना उपलब्ध है।

(३) इनको मुआवजा दिये जाने का दिनांक उक्त सूचि में अंकित है।

बकाया की वसूली नहीं करने के लिये कौन दोषी है इसके लिये जांच करवानी होगी।

(४) यदि आवश्यक हुआ तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बूंदीमें ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम

६२७. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बून्दी में सन् १९६९ से १९७१ तक किस किस तहसील में ओलावृष्टि हुई और इससे कितने गांव प्रभावित हुए और उनमें से कौन कौन से गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या जहां जहां ओलावृष्टि हुई और जिन गांवों को अभाव-ग्रस्त घोषित किया गया उन गांवों में अनुदान अथवा ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस गांव में कितने कितने व्यक्तियों को अनुदान व ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है उक्त गांवों में वसूलियां स्थगित की गई थी ? यदि हां, तो दूसरे वर्ष पूरी वसूली की गई या नहीं ?

(स्थगित किया गया)

चरागाह की भूमि का आवंटन

६२८. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम जावला, खेजड़पुरा, भालरा, भकरी, बाजवास, भीह गांवों की मवेशी की कितनी कितनी संख्या है और उनके लिए चरागाह कितना कितना बीघा है ? क्या मवेशी के अनुपात से चरागाह पूरा है ?

(२) यदि जमीन ज्यादा है, तो क्यों नहीं भूमिहीनों को आवंटन की जाती है ?

(३) नागौर जिले में कितने भूमिहीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को व भूतपूर्व सैनिकों को १९६८, १९६९ व १९७० में भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

[redacted]

उत्तर

(१) वांछित सूचना सहित सूची "क" संलग्न है।

(२) आवश्यकतानुसार भूमि चरागाह में से निकाल कर नियमानुसार भूमिहीनों को आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पहले सम्बन्धित पंचायत की राय लेनी पड़ेगी क्योंकि चरागाह भूमि पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा मौके की जांच करना भी आवश्यक होगा कि मौके पर भूमि काबिल काश्त है या ऊबड़ खाबड़ है या पथरीली है। जो भूमि काबिल काश्त न हो उसे छोड़कर ही ऐसी भूमि के आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

(३) वांछित सूचना की सूची "ख" संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

ग्राम खेड़ा में भूमि का अलाटमेंट

६२९. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ा, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में सन् ६६ ता० १०-६-६६ को खसरा नं० १६३/९।।) ४ भूमि श्री गंगाराम पुत्र घीसा चमार को एलाट कर दिया गया और पट्टा भी दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है उपरोक्त भूमि पर श्री गंगाराम ने फसल बो दी थी ? परन्तु इस फसल को श्री हरीसिंह, सरपंच, गुराडिया कलां, तहसील पचपहाड ने दूसरे व्यक्ति श्री निरभयसिह को करवा दी और श्री गंगाराम को यहां से भगा दिया ?

(३) क्या यह सही है कि तभी से उक्त जमीन पर श्री गंगाराम का कब्जा नहीं है ? इसकी रिपोर्ट समय पर श्री जिलाधीश, झालावाड़ व पुलिस में भी की परन्तु इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि दि० १८-६-६६ में गंगाराम पुत्र घीसा चमार निवासी खेड़ा, तहसील पचपहाड़ को ख. नं. १६३ की ९।।) ४ भूमि आवंटन हुई थी। अदालत अपील से आवंटन रद्द होने के कारण पट्टा नहीं दिया गया।

(२) अलोटी को दखल नहीं दिया गया और निर्भयसिह पुत्र मेघजी भी आदि व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया होना तहसीलदार पचपहाड़ ने बताया, अलोटी द्वारा फसल बोने एवं हरीसिंह सरपंच द्वारा दूसरों के द्वारा करवाने एवं गंगाराम को भगाने का रेकार्ड तहसील की फाइलों में नहीं है।

(३) जब पट्टा ही नहीं दिया गया तो भूमि पर कब्जे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। श्री गंगाराम द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक २७-७-७० प्राप्त होने पर अधीक्षक, आरक्षी झालावाड़ को जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सचिवालय के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाएं

६३० **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य सचिवालय के सेक्शन आफिसर एवं आशुलिपिकों तथा

Page No. 41

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में नियुक्त कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक तथा एकाउन्टेन्ट्स के कार्य का आउट-पुट, कर्त्तव्य, दायित्व और वेतन शृंखला क्या है? तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि सचिवालय के सेक्शन आफिसर राजपत्रित हैं और विभागाध्यक्षों के सुपरिन्टेन्डेट्स राजपत्रित नहीं? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि सचिवालय में नियुक्त सेक्शन आफिसर तथा आशुलिपिकों के विभागाध्यक्षों के कार्यालय में नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों की अपेक्षा उन्नति व पदोन्नति के अधिक अवसर हैं? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों?

(४) क्या यह सही है कि आशुलिपिकों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के अवसर दिये जाते रहे हैं किन्तु कार्यालय अधीक्षकों को नहीं?

उत्तर

(१) तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां। सचिवालय के सेक्शन आफिसरों को उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है। वे राज्य सरकार की ओर से आदेश अपने हस्ताक्षरों से जारी करने को सक्षम हैं जब कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को इस प्रकार के अधिकार देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(३) हां। सचिवालय में आशुलिपिकों को सेक्शन आफिसर के पद पर तथा सेक्शन आफिसरों को राजस्थान सचिवालय सेवा में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति का अवसर मिलता है। सचिवालय के कर्मचारियों की पृथक सेवा होने के कारण बाहर के कार्यालयों के कर्मचारियों को समान अवसर नहीं दिया जा सकता। विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के अधीक्षक ग्रेड २ व आशुलिपिकों को भी सबोर्डिनेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज नियम, १९५७ के अन्तर्गत अधीक्षक ग्रेड १ में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं।

(४) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आशुलिपिकों की पदोन्नति के लिये कोई प्रावधान नहीं है प्रशासनिक सेवा में स्पेशल सलेक्शन के द्वारा पदोन्नति के लिये कोई भी कर्मचारी जिसमें आशुलिपिक भी शामिल है, जो स्थाई रूप से नियुक्त है और निर्धारित सेवा अवधि पार कर चुका है वह विशिष्ट योग्यता के आधार पर हकदार होता है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

ग्राम सीसवाली में पुलिस स्टेशन

६३१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील मांगरोल के प्रमुख ग्राम सीसवाली में पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने के संबन्ध में सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है?

यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(२) क्या यह सही है कि सीसवाली ग्राम की छः हजार से अधिक की जनसंख्या एवं उक्त ग्राम में होने वाली डकैतियां, चोरियां आदि घटनाओं को देखते हुए पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है ?

(३) क्या यह सही है कि सीसवाली ग्राम पंचायत केन्द्र है और इसके आस-पास १५-२० ग्राम हैं और अन्ता व मांगरोल पुलिस स्टेशन की दूरी १५ मील व १० मील की है तथा यातायात के मार्ग खराब हैं और इस कारण सीसवाली में पुलिस स्टेशन का होना आवश्यक है ?

(४) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन के लिए सीसवाली में पुराना गढ़ का भवन उपलब्ध है ?

(५) उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने सीसवाली में जन-सुरक्षा हित में पुलिस स्टेशन कायम करने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो पुलिस स्टेशन कब से कायम हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय से अभी तक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) ग्राम सीसवाली के क्षेत्र में पिछले पांच सालों में कोई डकैती की वारदात नहीं हुई है। इस ग्राम के क्षेत्र में पिछले पांच सालों में जो साधारण अपराध हुए हैं उनकी सूची संलग्न है। पुलिस थाना स्थापित करने या न करने का मामला पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन है।

(३) जी हां। यह सब सही है लेकिन पुलिस थाना ग्राम में स्थापित किया जावेगा या नहीं यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

(४) जी हां। यह सही है।

(५) यह मामला अभी तक महा-निरीक्षक पुलिस के कार्यालय में ही विचाराधीन है। अतः इस स्तर पर कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

उप मंत्री द्वारा बंदूक व पिस्टल की खरीद

६३२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण उप-मंत्री श्री रामचरण ने उप-मंत्री बनने के बाद बारह बोर की बन्दूक व पिस्टल आदि की खरीद फरोख्त की है ?

(२) यदि हां, तो किस किस तारीख को कितने रुपयों में किस किस स्थान से किस किस लाइसेन्सदार से हथियार खरीदे और किस-किस व्यक्ति को कितने कितने रुपयों में बेचे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां, श्री रामचरण (उप-मंत्री) ने ३२ बोर रिवाल्वर नं० ए० २०५५ व १२ बोर गन दुनाली नं० ८६४७८,८६२८३ व ८६५८ खरीद किये, जिनका इन्द्राज लाइसेन्स नं जे० पी० आर० ३५८६/६८ व लाइसेन्स नं० जे० पी० आर० १०६२/६७/ पी० आर० में अंकित है। कौन कौन से

(गृह मंत्री)

हथियार कितने कितने रुपयों में खरीद किये गये इसकी जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।

(२) खरीदे गये शस्त्रों में से १२ बोर दुनाली बन्दूक सं०-८९४७८ व ८६२८३ का बेचान किया जाना जाहिर होता है। ये शस्त्र क्रमशः श्री मालूराम जिनके कि पास शस्त्र क्रय करने का लाइसेन्स नं० १५३ : S.D.M. बोर मौजूद था व श्रीरामनारायण जिनके कि पास लाइसेन्स नं० २१६ छपरा ७० मौजूद था को बेचान किये गये। उक्त शस्त्र कितने कितने रुपयों में बेचे गये जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।

बावा सहकारी समिति, कठूमर

६३३. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बावा सहकारी समिति, कठूमर का चुनाव दिनांक २८-११-७० को हुआ था ?

(२) क्या यह भी सही है कि सहकारी एक्ट की दफा ३७ (३) के अन्तर्गत सर्च वारन्ट इश्यू होने पर भी उक्त समिति के नये पदाधिकारियों को चार्ज नहीं मिला है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सहकारी समिति के सदस्यगण गत वर्ष भी ऋण प्राप्त नहीं कर सके थे ?

(४) वारन्ट इश्यू होने के बाद से आज तक सरकार ने नये पदाधिकारियों को चार्ज दिलाने के क्रम से क्या कार्यवाही की है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस सहकारी समिति के पुराने (भू. पू.) प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों द्वारा लगभग १३ हजार रु० के घोटाले व गबन की चर्चा सारे क्षेत्र में फैली हुई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) अधिनियम की धारा ३७ (३) के अन्तर्गत नवीन प्रबन्धकारिणी ने समिति से चार्ज प्राप्त करने हेतु मजिस्ट्रेट से सर्च वारन्ट जारी कराये जिसकी तामील एस. एच. ओ. कठूमर से सर्च वारन्ट की तामील कराने को मजिस्ट्रेट, राजगढ़ को पुनः निवेदन किया जा रहा है।

(५) जी नहीं।

सिकराय-गीजगढ़ सड़क की योजना

६३४. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार कसबा सिकराय व गीजगढ़ को सड़क से मिलाने के लिए कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

(२) क्या यह बात सही नहीं है कि सिकराय से लेकर कलो की कोठी तक केवल ३ मील के सड़क के टुकड़े को अथवा सिकराय से लेकर सीधा गीजगढ़ जाने वाले मार्ग में केवल ४ मील के सड़क के टुकड़े को बनाने से सिकराय, थाना मानपुर, सिकराय

(श्री किशनलाल वर्मा)

होते हुए १६ मील के चक्कर से बचाव होता है ?

(३) यदि यह बात सही है तो क्या सरकार उक्त कथित ३-४ मील के टुकड़े को बनाकर दोनों कस्बों का मिलान कराने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क के टुकड़े को कब बनाने का विचार है ? और विचार नहीं है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। धनाभाव के कारण।

पाली घाट चम्बल नदी पर पुल निर्माण की योजना

६३५. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में श्योपुरी हाई वे पर पाली घाट पर चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने की योजना राज्य सरकार ने स्वीकार की थी ? यदि हां तो इस पर अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? और यह कार्य कब तक पूरा कराया जावेगा ?

उत्तर

भारत सरकार ने कार्य योजना में शामिल कर लिया है। तखमीनें बनाये जा रहे हैं, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ हो सकेगा।

मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान

६३६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष के अकाल राहत कार्य करडा से भाव सड़क पर १५ गैंगों के मजदूरों को आखरी सप्ताह की मजदूरी दिनांक १-८-७० से १५-८-७० तक का भुगतान कई दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वारा उपरोक्त मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में उनके वास्तविक कार्य की जांच करली गई है ? अगर हां, तो कब ? उस जांच के तहत मजदूरों के कार्य के अनुसार कितनी मजदूरी का भुगतान करने का एसेसमेन्ट किया गया है ?

(३) उपरोक्त मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जिला झालावाड़ में खोले गये अकाल राहत कार्य

६३७. श्री रामप्रसाद बोहरा, (झालरा-पाटन) श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६८-६९ व १९६९-७० में जिला झालावाड़ में अकाल सहायता कार्यों

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

के अन्तर्गत कितने व क्या क्या कार्य किये गये और उन पर कितना कितना रुपया खर्चा हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि ये सभी कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो इनके कब पूरे होने का अनुमान है ? क्या अभी सारे कार्य बन्द पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों की हालत बिलकुल खराब है व विभाग की ओर से इनकी जांच नहीं की गई है ?

उत्तर

(१) सूची 'अ' संलग्न है ।

(२) जी हां, धनाभाव के कारण कार्य नहीं कराये जा सके ।

(३) उक्त कार्य इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

ग्राम सांकड़ का नलकूप

६३८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम सांकड़ में एक नलकूप बना हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि इस नलकूप से पिछले दो सालों में अकाल सहायता विभाग द्वारा मशीन से पानी निकाल कर होज भर कर स्थानीय आस पास की ग्रामीण जनता एवं मवेशियों को पानी पिलाया गया था ? अगर हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि अब उक्त नलकूप से पानी पिलाना बन्द कर दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि इस नल कूप पर आस पास के करीबन ८-१० ग्रामों की जनता एवं पशुओं को पीने का पानी मिलता था और अब पानी बन्द होने से ग्रामीण जनता एवं मवेशियों को पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है । अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नलकूप से ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा पानी निकाल कर जनता एवं मवेशियों को पिलाने देने की शीघ्र इजाजत देगी ? अगर हां तो कब तक अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत सांकड़ उपरोक्त नलकूप को चलाने देने की इजाजत नियमानुसार काफी अर्से से मांग रही है ? अगर हां, तो अब तक इस नल कूप से पानी निकाल कर पीने की इजाजत सरकार ने क्यों नहीं दी है ? अब वह इजाजत कब तक दी जाकर पीने का पानी ग्रामीण जनता को कब तक मिल सकेगा ?

उत्तर

(१) ग्राम सांकड़ के नल कूप द्वारा मई १९६९ में अकाल राहत कार्यक्रम में पेय जल हेतु पानी निकाल कर दिया जा रहा था जिसे १५-८-७० को बन्द कर दिया गया ।

(२) उक्त नल कूप से पानी पिलाना आजकल बन्द है क्योंकि अकाल राहत कार्यक्रम १५-८-७० से राज्य सरकार ने बन्द कर दिये हैं ।

(३) अभी हाल ही सरपंच, ग्राम पंचायत, सांकड़ ने अपने पत्र दिनांक ५-४-७१ द्वारा नलकूप चलाने के लिये भू-जल मण्डल से अनुरोध किया है । राज्य सरकार द्वारा नलकूप चालू करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

राजस्थान केनाल एरिया को मंडी स्कीम में ईंटों के भट्टे

६३९. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल एरिया मण्डियों की स्कीम में ली गई भूमि पर ईंटें पकाने के भट्टे पहले से लगे हुए थे और उन भट्टों की भूमि को एक्वायर करके मंडी के प्लाट काट दिये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों के भट्टेजात मंडी क्षेत्र में आये? मंडीवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के भट्टों की भूमि मंडी में ले ली गई है उनको एवज में भूमि नहीं दी गई और न ही उनको कोई हर्जाना दिया गया? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कितने व्यक्तियों को हर्जाना दिया गया? नामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि कुछ ठेकेदारों द्वारा महकमा कोलोनाइजेशन में क्षति पूर्ति के लिए मुकदमे किये गये थे? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने दावे पेश हुये और उन दावों पर क्या निर्णय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

जोधपुर नगरपालिका के राजस्व अधिकारी का पद

६४०. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगरपालिका में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर किन किन (नाम बतावें) व्यक्तियों की कब कब नियुक्ति की गई? इन नियुक्तियों के आधार व कारण क्या क्या थे? क्या कोई नियुक्ति किसी और हकदार का हक मार कर की गई थी? यदि हां तो किस का हक मार कर ऐसी नियुक्ति की गई?

(२) क्या नगरपालिकाओं में नियुक्तियों एवं एकीकरण (इन्टीग्रेशन) के लिये राजस्थान सरकार के काई नियम बने हुए है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में जो नियुक्तियां कि गई वे क्या नियमों के अन्तर्गत की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) जोधपुर नगरपालिका एवं अन्य नगरपालिकाओं में सेवाओं का एकीकरण कब हुआ? और अब तक नहीं हुआ तो कारण क्या है और कब तक यह कार्य हो जायेगा?

(४) सदन पटल पर जोधपुर नगरपालिका की सेवा में गत तीन वर्षों से व्यक्तियों की सूची रखें जिनको कि उनको सराहनीय एवं लम्बी सेवाओं के उपलक्ष में पहले से पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र मिले हुए थे? पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी उनकी उपेक्षा करके क्या किसी ऐसे व्यक्ति को गत दो वर्षों के समय में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर लगाया गया है जिसको कि नगरपालिका के कानूनों एवं राजस्व कानूनों का कोई पूर्व अनुभव नहीं था? नियमानुसार एवं वरिष्ठता अनुसार (लम्बे समय की सेवा व सराहनीय कार्यानुसार) इस पद पर नियुक्ति के लिये क्रमशः कौन कौन हकदार थे?

(५) क्या यह सही है कि नगरपालिका जोधपुर के रेवेन्यू ऑफिसर के पद के लिए

Page No. 47

(श्री फूलचन्द बाफणा

नियमित प्रमोशन उन व्यक्तियों को देने की परम्परा रही है जो कि वरिष्ठतम होते थे ? यदि हां, तो इस परम्परा को भंग करके गत तीन वर्षों में क्या किसी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति किस की हुई व क्यों ?

(६) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगरपालिका रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर क्या किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जिन्होंने कभी पहले इस पद के लिये एप्लाई किया था परन्तु स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग ने नियमों के प्रतिकूल समझकर उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया था और फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने उनका आवेदन-पत्र रद्द किया था ? यदि हां, तो अब उसी पद पर उनकी नियुक्ति कैसे उचित व नियमानुसार समझ ली गई ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चूरू शहर में पीने के पानी की समस्या

६४१. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चूरू शहर में गर्मी की मौसम में गत वर्षों में पीने के पानी की समस्या रहती आई है ? यदि हां, तो उसका क्या हल निकाला गया है ?

(२) क्या गत तीन वर्षों में कोई योजना इसके लिए बनी और क्रियान्वित की गई ?

(३) गत तीन वर्षों में कितने नये कनेक्शन दिये गये ? वर्षवार बताये जायं ?

(४) क्या पानी की उपलब्धि के लिए पुराने कुए योजना में लिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से हैं ? इन कुओं का पानी पीने के योग्य है या नहीं ?

(५) क्या चूरू का सैकड़ों वर्ष पुराना चौलावा कुआ भी लिए जाने की योजना है ? यदि हां, तो उसके पानी की टैस्ट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यह भी बतलाया जाय कि इस कुए से पानी सप्लाई करने की क्या व्यवस्था की जायगी और कुल कितना व्यय अनावर्तक व आवर्तक होगा ? उसका अनुमानित विवरण सदन की मेज पर रखा जाय ?

उत्तर

(१) जी हां, और अधिक पानी प्राप्त करने के लिए पुनर्गठित योजना तैयार की जा रही है।

(२) जी नहीं अभी योजना की तकनीकी जांच की जा रही है।

(३) गत तीन वर्षों मे दिये गये कनेक्शनों की सूची निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	१९६८-६९	२१९
वित्तीय वर्ष	१९६९-७०	२३६
वित्तीय वर्ष	१९७०-७१	२३०

(४) जी हां, पुराने कुए योजना में लिया जाना प्रस्तावित है। कुओं के नाम इस प्रकार है:—

(१) चौलावा कुआ

(२) सराफों का कुआ

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(३) जय देव मिश्रा का कुआ

(४) सोआ कुआ

(५) कोतान्दी कुआ

इसके लिए प्रत्येक कुए की रासायनिक जांच किये जाने के बाद ही बताया जा सकता है वैसे चोलावा कुए के पानी की रासायनिक जांच की जा चुकी है तथा पानी पीने योग्य है।

(५) जी हां, वह कुओं की योजना में लिया जाना प्रस्तावित है। पानी की टेस्ट रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है। योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट १५ देखिये)

पाली जिले की जलप्रदाय योजनाएं

१४२. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या जलप्रदाय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) (i) पाली जिले में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनायें हैं जो एक से अधिक गांवों हेतु बनाई गई हैं व सरकार के विचाराधीन हैं तथा कहां कहां की व कितने कितने गांवों की तथा कौन कौन से ग्रामों की हैं ?

(ii) उपर्युक्त प्रत्येक योजना कितने कितने रुपयों की है व कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

(२) (i) पाली जिले में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनायें—जो एक से अधिक गांवों हेतु बनाई गई हैं व सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं परन्तु जिनका कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है ?

(ii) उपर्युक्त प्रत्येक योजना कहां की व कितने रुपयों की व कौन कौन से गांवों की हैं और कब तक कार्यान्वित हो जायेंगी ?

(३) (i) पाली जिले में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनाएं हैं जो एक से अधिक ग्रामों की हैं और सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं जिनसे जनता को जलप्रदाय किया जाना चालू है ?

(ii) उपर्युक्त प्रत्येक योजना कहां की कौन कौन से गांवों की (अर्थात् ग्राम समूह की), कितने कितने रुपयों की है और उनसे यदि आय हो रही है, तो कितनी आय हो रही है ?

(४) पाली जिले में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनाएं विचाराधीन हैं (जिनके पैसे ग्राम पंचायतों ने जमा करवा दिए हैं पांच प्रतिशत) किस किस ग्राम की ये योजनाएं हैं व उनकी कार्यान्विति कब तक होगी ?

(५) (i) पाली जिले में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनाएं हैं जिनके ५ प्रतिशत पैसे ग्राम पंचायतों में जमा करवाये हुए व किस किस ग्राम की योजनाएं हैं व उनको पानी प्रदान किया जाना चालू है ?

(ii) उपर्युक्त योजनाओं से किस किस गांव में कितनी कितनी आय होती है ?

उत्तर

(१) (i) पाली जिले में संलग्न सूची के अनुसार योजनाएं बनाये जाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ii) प्रारम्भिक योजना के अनुसार इनकी लागत व आने वाले गांव सूची में अंकित हैं।

(जल प्रदाय योजना-मन्त्री)

(२) (i) कोई नहीं।

(ii) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) (i) केवल एक।

(ii) नियाज, जैतारण योजना तहसील जैतारण इससे नियाज व जैतारण गांवों को पानी दिया जा रहा है। इस योजना पर ७,२६,७७० रुपये व्यय हुआ है इस पर अब तक आय रुपये २४,१०० है।

(४) पाली जिले में निम्नलिखित जल-प्रदाय योजनाएं ऐसी हैं जिनका ५% जमा हो चुका है:—

पिलियां कलां	२५०० रुपये
झूंठा	३००० रुपये

ये योजनाएं बनाई जा रही हैं योजनाएं बनाये जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(५) (i) पाली जिले में जिन जल-प्रदाय योजनाओं के लिए ५% पैसा पंचायत ने जमा कराया हुआ है और उनको पानी देना चालू है उनकी सूची संलग्न है।

(ii) इन योजनाओं से जो आय होती है वह संलग्न सूची में प्रत्येक योजना के साथ अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट १६ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२१-४-७१ व २८-४-७१)

मोराझड़ी ग्राम के पास पुलिया का निर्माण

४१०. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मोरझड़ी ग्राम के पास राहत कार्यों में ६९ में पुलिया का निर्माण हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उस पुलिया में वर्षा का पानी नहीं निकलने से पुलिया के आगे की भूमि कट कर यातायात ठप्प हो गया है ?

(३) क्या उस पुलिया को ७० में पूर्ण करने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो पूर्ण क्यों नहीं की गई ?

(४) क्या सरकार उस पुलिया के अधूरे कार्य को यातायात की सुविधा हेतु पूर्ण कराने की इच्छा रखती है ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२२-४-७१ व २९-४-७१)

चम्बल क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

४३१. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डाकूग्रस्त चम्बल क्षेत्र में ५०० मील की लम्बाई की

Page No. 50

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन-कौनसी सड़कें बनाने की प्रस्तावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सत्य है कि केशोराय पाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीय योजना का जीते जागते अवशेष का प्रतीक है जबकि तहसील पाटन के मध्य में एकमात्र यही सड़क है और जबकि इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का बराना में डकैतियां पड़ चुकीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सड़क को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है ?

(३) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है ?

(४) क्या यह सत्य नहीं है कि यह सारी तहसील चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(२६-४-७१)

ग्राम नागदेला की कृषि भूमि

५४८. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल के ग्राम नागदेला के करीब ४८ वनवासियों को खाता या खसरा नं० ५५ के करीब ३९८ बीघा कृषि भूमि जो कि करीब २०-२२ वर्ष से उनके कब्जे में थी को वनवासियों द्वारा उज्रदारी करने पर जिलाधीश ने अक्टूबर, ६८ को अपने निर्णय एफ० २ (११३) एल०/६६/७२३ के द्वारा यह आदेश जारी किया था कि उक्त भूमि वनवासियों के नाम से खाते बांध दी जावे ? यदि हां तो उस आदेश की पालना हुई या नहीं और यदि नहीं तो क्यों ? जिलाधीश के इस सम्बन्ध के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि कुछ गुजरातियों ने फर्जी कार्यवाही करके वनवासियों से जमीन छीनने के लिये जिलाधीश के निर्णय के विरुद्ध रेवेन्यू बोर्ड में अपील न करके राजस्व मंत्री कार्यालय से स्टे-आर्डर लेकर पुलिस आदि की मदद लेकर वनवासियों को जबरन उक्त भूमि से हटा दिया ? यदि हां तो राजस्व मंत्री ने स्टे-आर्डर किन नियमों के अन्तर्गत दिया और उस स्टे-आर्डर का निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया ? स्टे-आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही है कि जिन गुजराती व्यक्तियों को राजस्व मंत्री ने स्टे-आर्डर दिया है वे गुजरात के निवासी हैं ? यदि हां तो वे कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(१) जिलाधीश महोदय के आदेश संख्या एफ० २ (११३) एल/६६/७२३, अक्टूबर, ६८ की पालना नहीं हुई क्योंकि प्रतिवादियों ने इसके विरुद्ध राज्य सरकार

(राजस्व मंत्री)

को निगरानी दायर कर स्टे-ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। जिलाधीश के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(२) यह सही है कि राज्य सरकार को निगरानी दायर कर स्टे-ऑर्डर प्राप्त किया गया। स्टे-ऑर्डर की प्रति संलग्न है। यह स्टे-आर्डर भू-राजस्व अधिनियम की धारा ८३ के अन्तर्गत निगरानी को विचारार्थ लिया जाकर दिया गया है। मामले में निर्णय शीघ्र ही कर दिया जायगा।

(३) जी हां वे गुजरात के निवासी हैं, लेकिन रियासत के समय से ही बांसवाड़ा जिले में रह रहे हैं। उनके नाम सर्वश्री मोतीभाई, कान्तीभाई, रमणलाल आदि हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(२९-४-७१)

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का अलाटमेंट

५५०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सैनिक को कृषि भूमि एलॉट की गई है? यदि हां तो नागौर जिले के किस-किस भूतपूर्व सैनिक को नागौर जिले में कहां-कहां पर कौन-कौनसी कितनी-कितनी भूमि कब-कब एलाट की गई और उनको कब्जा कब-कब दिया गया है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(१) श्री रामचंद्र आर्य व श्री विट्ठलभाई सदस्य विधान सभा ने जयपुर शहर एवं कस्बों में रेजगारी की किल्लत की वजह से आम नागरिकों को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) इन्हीं माननीय सदस्यों ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें २२ अप्रेल, १९७१ को बीकानेर-नापासर रोड़ पर ड्राइवर द्वारा शराब पीकर बस चलाने के कारण बस उलटने से एक हरिजन की मृत्यु हो जाने एवं ४० यात्रियों को गंभीर चोटें आने तथा घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर में पीने के पानी की भारी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(४) राजकीय कृषि फार्म दुर्गापुरा के १५० कर्मचारियों को दिनांक ३०-४-७१ से सेवा मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा

Page No. 52

(श्री अध्यक्ष)

रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री मुन्नालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें थाना दूदू, जिला जयपुर में कई चोरियाँ होने तथा चोरियों का माल बरामद नहीं किये जाने तथा थानेदार के स्थानान्तरण के आदेश हो जाने पर भी थानेदार द्वारा चार्ज न दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

(२) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जयपुर में पेयजल के अभाव की जटिल समस्या होने पर भी जो पानी मिलता है वह दूषित एवं दुर्गन्धपूर्ण है यह मुख्यतया श्री बाढ़दारजी ने रखा है। इस पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है:—

(१) गंगनहर में पानी की बन्दी के कारण कपास आदि की बुवाई न होने से काश्तकारों को नुकसान के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) भरतपुर जिले के प्रशिक्षित शिक्षकों की द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति से सम्बन्धित श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एग्रो इण्डस्ट्रीज के सेवा मुक्तकर्मचारियों को लेबर कोर्ट के आदेश के उपरान्त भी राहत न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री दिग्विजयसिंह, श्री फतेहसिंह व श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पेंडिंग रक्खा गया था। इस सम्बन्ध में अब राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त हुई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय कृषि मन्त्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं इस विषय से सम्बन्धित उक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उस पर आपने जो व्यवस्था दी है, वह सिरोधार्य है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि जयपुर में पीने का पानी नहीं मिलता है····

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन करना यह है कि आखिर अविलम्बनीय लोक महत्त्व का कैसे होगा। क्या यह अविलम्बनीय लोक महत्व का तब होगा जब सारी जयपुर की जनता मर जायगी।

श्री अध्यक्ष : ये अशुभ कामनायें क्यों करते हैं, जनता के लिये माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज जयपुर शहर में जयलाल मुंशी के रास्ते में पानी की लाइन और गटर लाइन की स्थिति यह है कि सुबह-शाम जब प्रेशर आता है तो यह होता है कि दोनों लाइन आपस में ऐसी मिल गई है कि गटर लाइन का पानी पीने के पानी की लाईन में चला जाता है। मैं यह नमूना उस पानी का लाया हूं।

(पानी की शीशी सदन में दिखाते हुए)

मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह यहां क्यों रखते हैं? यह खराब है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह सबसे बड़ा कलंक जनतन्त्र के लिये है और जनता के साथ अन्याय है। इतनी गम्भीर समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि 'जीवन बिन जीवन वृथा'····

कुछ माननीय सदस्य : वाह, वाह।

एक माननीय सदस्य : जीवन बिन जीवन क्यों····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पानी को भी जीवन कहते हैं। इसको हाथ में लेकर कहना चाहता हूं 'क्यों' विलम्ब अविलम्ब में क्योंकि हर प्रश्न पर आप कहते हैं कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं हैं, इसलिये क्यों विलम्ब अविलम्ब में सुनो निरन्जननाथ। (हंसी)

कुछ माननीय सदस्य : वाह, वाह।

श्री अध्यक्ष : यह अध्यक्ष से सम्बन्धित नहीं है, व्यक्तिगत है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है या दरबार है?

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब भी कविता में हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप तो निरंजननाथ हैं। भक्तिभाव प्रदर्शित करने पर वरदान भी दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार सुनिये, जरा····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं जनता के दुखदर्द की भावना आप तक पहुँचाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो चुका। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था भी कविता में होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात वह नहीं कह पाये हैं। कविता में उलझ गये। वह यह है कि जयलाल मुंशी के रास्ते में वहां पर एक नाला है। वहां पर शायद गटर लाइन और वाटर पाइप लाइन का आपस में कनेक्शन हो गया है। मेरे पास आज सुबह कुछ लोग बोतल में वह पानी लेकर आये हैं। उसमें टट्टी आती है। वह लोग लेकर आये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बजाय बातचीत करने या स्थगन प्रस्ताव रखने के, इसका कोई हल निकालने का प्रयत्न करें। पिछली बार स्वास्थ्य मन्त्री ने भी यह स्वीकार किया है कि यहां के पानी में कीड़े आते हैं। उसकी यहां यूनिवर्सिटी में जांच कराई। वह कहते हैं कि कीड़े हानिकारक नहीं हैं। कीड़ों की बोतल मेरे पास भी है। एक सज्जन ने हमें वह दी थी। ये कीड़े निकलते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में ५०% पेट के रोगी हैं। वह कहते हैं कि पीने का पानी शुद्ध नहीं है। पिछली बार सुमित्रा जी ने कहा था कि ये कीड़े हार्मफुल नहीं हैं। ये कीड़े हैं मैं शीशी पेश करता हूं। (शीशी को दिखाते हुये) कीड़ों का पानी पीने के लिए मिले। आप उसको व्यवस्था नहीं कर सकें। यह गम्भीर मसला है। सरकार को इसकी तुरन्त जांच करानी चाहिए। आखिर जगह-जगह कीड़े आते हैं। कई जगह का पानी ले लें तब जांच करलें। इसकी रोकथाम होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह साधारण सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बाढ़दारजी ने जयलाल मुंशी के रास्ते में जहां पर गटर लाइन और नल की लाइन का मिलान हो गया है, उस की जांच करा लेगें। अभी जो पानी दिया जा रहा है, उसमें कीड़ों की बात कही गई है, उसकी जांच कराली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, बातचीत हो जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एग्रो इण्डस्ट्रियल के मजदूरों के बारे में स्टेटमेन्ट दिला दें।

श्री अध्यक्ष : वह ले लेंगे।

श्री विजयसिंह : वह लोग तो धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र ही ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में आप ने व्यवस्था दी है कि जानकारी चाहूंगा। अभी यहां पर मन्त्री भी बैठे हैं। मुख्यमन्त्री भी बैठे हैं। एक पैसा नहीं मिलता है। किसी भी होटल में जाओ तो चाय नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : मैने इसको जानकारी के लिए भेजा है, माननीय सदस्य। मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह पोस्टकार्ड दिया है। क्या इस पोस्ट कार्ड का करें? वह पोस्टकार्ड सबको देते हैं....

Page No. 55

श्री अध्यक्ष : आपके लिखने के काम में आयेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : पैसा नहीं देते हैं क्योंकि पैसे की चोरी होती है, पैसा ब्लेक में जाता है। आज कहीं भी रेजगारी नहीं मिलती है, किसी आदमी की जेब में चार पैसे होते हैं वह भी नहीं देना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्षजी, जो पानी का मसला उठाया है, यह मसला गम्भीर है। इसके कई सेम्पल आये हैं। इसलिए मैं जयपुर से आने वाले, प्रथम माननीय सदस्य, जो पहले बोले थे, उनको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चीफ इंजिनियर यहां मौजूद हैं। उनको वहां भेज देते हैं, वह वहां जाकर सेम्पल ले लें तो ज्यादा ठीक होगा उस सेम्पल को देखने से सही स्थिति मालूम हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय सदस्य वैसे ही शीशी में भर कर ले आये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं....

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप चीफ इंजिनीयर को भेज दीजिये। सुबह के वक्त जो पानी आया था, उसका....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चले जाय, जो चीफ-इंजिनीयर हैं, वह खुद जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी के लिए भेजा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसी बात की जानकारी। यह आम आदमी की दिक्कत है। आज किसको परेशानी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : आज रेजगारी नहीं मिलती है....

श्री अध्यक्ष : यह आज का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसी होटल में जाते हैं तो वहां पोस्टकार्ड दे देते हैं। यह हालत है, इस प्रकार हरों में किस तरह से व्यवस्था चलेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रेजगारी के कारण आज बस में नहीं बैठ सकते, कार वालों को तो इसका पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मैं निर्णय देने वाला हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें जानकारी करने का क्या प्रश्न है ? आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! समय मेरे पास नहीं है। बिजनेस काफी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रेजगारी का इतना अभाव है····

श्री अध्यक्ष : जनता की समस्या है लेकिन....

श्री देवीदत्त गाड़िया : रिक्शा वाला बिना रेजगारी दिये बैठाता नहीं है, टैम्पो वाला बैठाता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा बिजनेस है, उसको क्या पोस्टपोन कर दूं। यह भावना श्री आर्य ने व्यक्त कर दी है, आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें जानकारी क्या चाही है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में रेजगारी का अभाव है····

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमती नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रोजाना समाचार आ रहे हैं अखबारों में, आप इस समस्या का क्या समाधान कर रहे हैं। अन्य मामलों में कभी आप श्री के० एल० राव से मिलने वाले हैं, कभी आप प्रधान मंत्री से मिलने वाले हैं। यह कहते हैं, इस मामले में क्या किया है। यह पूछना चाहता हूं, इस रेजगारी की समस्या को हल क्यों नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह केन्द्र का विषय है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्री का एक टिकट निकलवा दीजिये, अगर और कुछ कर सकते हों तो।

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन ! श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, १६६६-६७ से सम्बन्धित) विषयक राजकीय उपक्रम समिति के २२वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन - श्री हरलालसिंह खर्रा !

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के ए० ई० एन० का कार्यालय श्री माधोपुर में खोलने से सम्बन्धित याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री बी० एन० जोशी !

विधायी कार्य

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धर्म-स्वातन्त्र्य विधेयक, १६७० पर प्रवर समिति के प्रवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगामी सत्र तक क्यों ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी हाउस मीट कर रहा है, बीस दिन तक मीट कर रहा है, अठारह बीस दिन तक।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बिजनेस की वजह से माननीय सदस्यों को मीटिंग में आने का मौका न मिले और फिर शादी और हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शादी की वजह से इस हाउस का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने अधिकांश माननीय सदस्यों से बात की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री जी ने कहा था मुझे उसी वक्त मैंने इनसे कहा था कि इसी सत्र में इस सदन में यह आना चाहिए। घण्टे, आधा घण्टे के लिए आप कमेटी की मीटिंग बुला लें, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, उसमें आपको आथोराईज कर देते हैं, उसके बाद आप इस हाउस में पेश करें और हाउस उस पर विचार करे इसी सत्र में। उसमें किसी का विरोध नहीं है, यूनेनिमस रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि फोर्सेबल कन्वर्शन नहीं हो। बीस साल के बाद में राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कानून लाई है, उसके बाद वह सिलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ, सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई, उनमें उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और यूनेनिमसली यह बात स्वीकार की। उसमें किसी का विरोध नहीं है, केवल आपको आथोराइज करना है। उसके बाद में आप हाउस में वह पेश कर दें। फिर आप क्यों नहीं इसी सत्र में पेश करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, आपको याद नहीं है। जो मीटिंग हुई वह एक्सप्लोरेटरी हुई, और उसमें कुछ डिस्कशन हुआ। आपने कहा, रिपोर्ट तैयार है और केवल पेश करनी है, यह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तैयार तो आपको करनी है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह ठीक है कि कमेटी में यूनेनिमस राय थी, लेकिन आपने कहा कि तैयार है। अभी सदन में डिमाण्ड चल रही है, माननीय सदस्य डिमाण्ड पर कटौती प्रस्ताव देते हैं, इसलिए सदन में बैठना चाहेंगे, दूसरे कुछ माननीय सदस्यों को शादी में जाना है, इसलिए यह सम्भव नजर नहीं आता है कि इस सत्र में आ सके। फिर भी अभी मियाद बढ़ावें, उसके बाद में माननीय सदस्य तैयार होंगे तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मियाद बढ़ाने के बाद में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको मियाद बढ़ानी है और मियाद बढ़ाने की ही नौबत आ गई है तो हाउस एडजोर्न हो उसके पहले यह आ जाय, तब तक के लिए बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित कर देता हूं।

Page No. 58

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : डेफर करना चाहें तो डेफर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव !

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति १९७१-७२ के लिये १२ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(२) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९७१-७२ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(३) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३३ (बी) (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, १९७१-७२ के लिये १२ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य । भीखाभाई ! जयपुर शहर में हथरोई किला मारवाड़ी कच्ची बस्ती के सम्बन्ध में वक्तव्य !

शासकीय वक्तव्य

श्री भीखाभाई (मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में से हथरोई किला (फोर्ट) की भी कच्ची बस्ती है, जिसका सर्वेक्षण सन् १९६८ में हथरोई किला के पास एवं हथरोई फोर्ट से विधायक पुरी तक हुआ है। यह सर्वेक्षण जिलाधीश की संरक्षता में किया गया था। इस सूची में अङ्कित निवासियों के प्रति किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं की गई।

दिनांक २३-४-७१ को मध्याह्न में जब न्यास के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी गश्त में जा रहे थे यह पाया कि हथरोई फोर्ट के पास सरकारी भूमि पर जबरन बिना स्वीकृति के अतिक्रमण कर कुछ झोंपड़ियां बनाई गई हैं, जिनमें कोई भी नहीं रहते। गश्त के समय तोड़ फोड़ के कर्मचारी भी उनके साथ थे। जयपुर शहर में यह परम्परा बन गई है कि महत्वपूर्ण सरकारी भूमि पर रातोंरात अतिक्रमण कर सरकारी भूमि दबा ली जाती है और कुछ समय पश्चात् अतिक्रमण की गई भूमि पर जो निवासी हैं वे अपने आप को पुराने निवासी बताते हुए उसी स्थल पर आवंटन हेतु बार बार दबाव डालते हैं। इसी प्रकार यह झोंपड़ियां भी अतिक्रमण कर बनाई गई थीं। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जावे। अतः महत्वपूर्ण सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर बनाई गई ११ झोंपड़ियों को उनके द्वारा हटाया गया। झोंपड़ियों में केवल मात्र फूस का छप्पर था तथा बल्लियों पर ये झोंपड़ियां लगाई गई थीं। किसी प्रकार के डोला अथवा दीवारें इनमें नहीं थीं। मौके पर अन्य निवासियों द्वारा इसी प्रकार का न तो कोई रोष प्रगट किया गया और न ही कोई एतराज किया गया। वहां के निवासियों ने भी मौके पर

(श्री भीखा भाई)

यह जानकारी दी थी कि यह नई झोंपड़ियां तोड़ फोड़ के दिनांक २३-४-७१ के करीब १५-२० दिन पूर्व जबरन अतिक्रमण कर लगाई गई थीं। यह जानकारी भी दी गई कि सम्भवतया डीडवाना के मजदूरों द्वारा यह झोंपड़ियां बनवाई गई हैं और वे चंद दिनों में यहां आकर रहेंगे जो वर्षा प्रारम्भ पश्चात् चले जावेंगे। अतः १९६८ में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जो व्यक्ति यहां निवास करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न पहुँचाते हुए, सरकारी भूमि को सुरक्षित रखे जाने हेतु अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा नये जबरन किये गये अतिक्रमणों को हटाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार यहां पर १८५ परिवार, ९८६ सदस्य, २२६ कच्चे झोंपड़े व ३४ पक्के निर्माण विद्यमान हैं। अतः केवल इन झोंपड़ों को हटाने से व्यक्ति विशेष के साथ जैसा कि स्थगन प्रस्ताव में बताया गया है, भयंकर रूप से दुर्व्यवहार हुआ हो अथवा उनके मकानों से सामान आदि बाहर फेंक दिये गये हों, निराधार हैं। जब झोंपड़ियां ही खाली थीं, नये थे, और उन झोंपड़ियों में कोई निवास नहीं करता था तथा न ही १९६८ में किये गये सर्वेक्षण की सूची में किसी का नाम उपलब्ध था, ऐसी अवस्था में अतिक्रमण हटाये जाने पर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, मानने में नहीं आता व आक्षेप तथ्यहीन है। ऐसी स्थिति में वहां के निवासियों व जनता में भयंकर असंतोष जैसा कि स्थगन प्रस्ताव में है का प्रश्न नहीं उठता एवं यह प्रश्न लोक महत्व का भी नहीं है। इसके विपरीत जो कार्यवाही की गई वह जनहित में महत्त्वपूर्ण सरकारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर दबाने से बचाने के लिए की गई है

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न, भाषण नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि जो व्यक्ति वहां झोंपड़ियों में रहते थे जिनकी २३-४-७१ को झोंपड़ियां हटाई गईं हैं, उनके नाम वहां की मतदाता सूची में उसी एरिया में निवास करने के संबंध में १९६६ की वोटर्स लिस्ट में हैं? क्या यह भी सही है मंत्री महोदय जो बता रहे हैं कि खाली जगह पर कब्जा किया था वह गलत है, क्योंकि झोंपड़ियां पुरानी बनी हुई हैं। क्या यह भी सही है कि इनको जब हटाया गया उस समय पुरुष मौजूद नहीं थे और उनके घर के सामान पर ट्रक्स चलाई गईं और फेंका गया? क्या यह भी सही है कि उनको हटाने के लिये किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया जबकि आप खुद मानते हैं कि १५-२० दिन पहले कब्जा किया था तो नोटिस देना चाहिए था?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस भूमि के निकट ही प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी को सस्ते मूल्य पर सरकार ने भूमि का आवंटन किया है और उस भूमि को खाली कराने की नीयत से इनकी झोंपड़ियों को तोड़ा है।

श्री भीखाभाई : बिल्कुल सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपने कहा जनता में कोई रोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है जबकि यहां पर करीब २०० से अधिक स्त्री, बच्चे, पुरुष इस कड़ी धूप के अन्दर जुलूस लेकर विधान सभा में आए थे। वह सब गरीब लोग और मजदूर हैं और यहां

Page No. 60

(श्री दौलतराम सारण)

विधान सभा के बाहर काफी समय तक प्रदर्शन करके बैठे थे ? पैदल चलकर आए थे और पैदल वापस गए थे ? आप कहते हैं कि रोष नहीं है, असंतोष नहीं है। कहां से आपको सपना आ गया था ? दूसरी बात आपने कहा वह तो डीडवाना से आते हैं और अभी झोंपड़ियां आगे आने वाली बरसात के समय के लिए बना रहे थे। मजदूर आगे आगे आयेंगे और झोंपड़ियां बना रहे हैं, कैसी कल्पित बातें भीखा भाई आप करते हैं ? आप मौका देखकर आते कि क्या स्थिति है, निर्दयता के साथ उनका सामान फेंक ट्रक चलाई गई, उनकी बेइज्जती की, जलील किया। औरतें इस धूप में बैठी हैं और उनको अपने सर की छाया के लिए, सोने के लिए जो टपरियां थी वह भी आपको नहीं सुहाई, इतनी बेरहमी और क्रूरता का व्यवहार किया गया ? आप कहते हैं कि सरकारी भूमि की हिफाजत की गई आप उनको जमीन नहीं दे सकते। समस्या का समाधान आप नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपने परिश्रम से खाली जगह पर सर ढकने के लिए यह किया है, उसको भी आप बरदाश्त नहीं करते, आपका यह व्यवहार चलने वाला नहीं है। अनुचित, अव्यवहारिक और अमानवीय है। इसलिये मन्त्री महोदय ने जो उधार दिया है, स्पष्टीकरण आया है बिल्कुल अप्रासंगिक है, गलत है, तथ्यहीन है और वस्तुस्थिति से परे है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन लोगों की झोंपड़ियां हटाई गई हैं, वह यहां पर विधान सभा के सामने जुलूस लेकर आए थे और उनसे मिलने का दूसरे माननीय सदस्यों के साथ-साथ मुझे भी मौका मिला था। उन लोगों का कहना था कि उनकी ३३ झोंपड़ियां हटाई गई हैं, वे १५ वर्ष से वहां पर लगातार बसे हुए हैं और उनका सामान वगैरह उनकी अनुपस्थिति में वहां से फेंक दिया गया है। उनका कहना था कि वहां एक बच्चा, उसका मकान वगैरह न होने से और धूप में फिरने से, उसकी मृत्यु हो गई और यह सही है कि प्रतिष्ठित नागरिक उस जुलूस में, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस दल के लोग भी हैं, युवा कांग्रेस दल के लोग थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने ये सारे तथ्य बताये।

इसी प्रकार की घटनायें यहां जयपुर शहर में कई जगह होती हैं जहां पर यू० आई० टी० ऐसे लोगों को जो पुराने बसे हुए हैं, उनको हटाता है और यह विकट समस्या है। मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें भी स्पष्ट है कि जो आपके अधिकारी अतिक्रमण हटाने वाले हैं, उन्होंने अचानक घेरा किया और उस समय नोटिस दिया। उसी समय तोड़ने वाले मौजूद थे और उसी समय उन्होंने वे झोंपड़ियां तुड़वा ली। वह जो यू० आई० टी० का तानाशाही का तरीका है अपने आप में कन्डेमनेबल है। आप जानते हैं कि कोई भी मजदूर जो दो-तीन महीने बाद आएगा, इतने मजदूरों के पास साधन हों, पहले से यहां आकर मकान बनायें फिर आकर यहां रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की बात कभी भी नहीं होती। यह सही है जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं उन लोगों के वोटर्स लिस्ट में नाम हैं तो यह घटना बहुत गम्भीर है। इसकी जांच दुबारा कराई जानी चाहिए और इस सदन के माननीय सदस्यों को इस जांच में एसोसिएट करें। मन्त्री महोदय कुछ तकलीफ करेंगे तो और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अच्छा हो ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी पूरी तरह से मदद की जाए। जो पहले के बसे हुए हैं उनको वहां बसाया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यहां पर कई बंगले अन-आथोराइज्ड बने हैं, एक बंगले को भी हटाने का प्रयत्न किया ?

श्री दौलतराम सारण : सब रेग्यूलराइज हो गए।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : मैंने खुद देखा है, गरीबों के साथ अन्याय है। एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह गरीबों को निकालते हो, यह सही नीति नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जब समाजवाद का नारा लगाया गया फिर झोंपड़ी वालों को हटायें तो आप कौनसा समाजवाद ला रहे हैं। जिनको हटाया है उनको स्थायी रूप से वहां बसाइए।

श्री डूंगाराम (दौसा) : यहां पर जो बेकानूनी बंगले बनाए जाते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उन गरीबों के लिए आज ऐसी स्थिति है कि शहर के बाहर जितने भी गरीब झोंपड़ी वाले हैं उनके साथ यही हालत होती है। मोती डूंगरी, चाहे लाल डूंगरी पर चले जायें जितने भी झोंपड़ी वाले हैं उनके साथ यू० आई० टी० वाले ज्यादती करते हैं। यह व्यवहार राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : वह जगह बंगलों वालों को एलॉट करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : जिन कच्ची झोंपड़ी वालों को यू० आई० टी० ने हटाया उनका एक्चुअल पजेशन वहां था, कितने ही दिनों से था। चलते रास्ते कोई यू० आई० टी० का अधिकारी जा रहा है उसके दिमाग में जंच जाए कि अतिक्रमण हो गया, नया कन्स्ट्रक्शन होगा इसलिए निकाल दिया। वह एक्शन कहां तक सही है ? क्योंकि कब्जे की परिभाषा है कि यदि कोई दीवार बना दे तो कब्जा है। सीमेन्ट की दीवार बना दे तो पक्का कब्जा है, ईंट की बना दे तो कम कब्जा है, घास-फूस की बना दे तो बिल्कुल कब्जा नहीं है। आखिर जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है उसके अनुसार वह बनाएगा। इसलिए गरीब लोग घास-फूस की बनाते हैं। वे कब्जे की परिभाषा में आते हैं, कितने दिनों से कब्जा था अधिकारियों ने पता लगाने का कोई प्रयत्न किया ? लीगल प्रोसीजर क्या है ? दूसरी बात क्या यू० आई० टी० के अधिकारियों ने इस बात को जानने की चेष्टा की कि उन आदमियों को जिनको बेदखल किया गया था, उनके पास दूसरा रहने का साधन था ? बेदखल करने के पश्चात् कहां जाकर रहेंगे या होमलेस हो गए, कोई जानकारी की ? दूसरा प्रोवीजन किया उनके लिए ? एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय और रह गया है। क्या यह सही है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर झोंपड़ियों को उठा कर फेंक दिया है कि वहां पर महिलायें ही थी और आदमी वहां पर नहीं थे। यह कहना ठीक नहीं है कि कई आदमी वहां थे। केवल महिलायें थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ झोंपड़ियां हटेंगी और उनकी जगह पक्के मकान बनेंगे तब ही तो उनका समाजवाद आवेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके सम्बन्ध में यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार कर लेने की बात है। सदन की चर्चा के परिणामस्वरूप और कोई भी हो, कोई कुछ झोंपड़ी बना ले पांच सात घन्टे और २४ घंटे में बना ले उसको रेगुलर कर लेना चाहिये क्या ? इस प्रकार के सिद्धान्त को मान कर चला गया तो अनग्रोथोराइज्ड वर्क्स की ग्रोथ ज्यादा होगी और उसको रेगुलराइज करने में स्लम और बनते जावेंगे और इसको ध्यान में रखा गया तो न म्युनिसिपैलिटी, न यू. आई. टी. और न कुछ चल सकेगा और एक कम्पलीट डिसआर्डर की स्थिति पैदा हो जावेगी। फाइनेन्स कमिश्नर और टाउन प्लानर की समिति में विचार किया जा रहा है कि कोई एरिया निश्चित किया जाय, कुछ झोंपड़ियां बना कर रहना चाहते हैं, आराजी आरजी मार्क कर दी जाय, बजाय इसके कि रोड़ साइड़ पर जगह है या नहीं, झोंपड़ियां बना कर बैठ जांय। उस बैक-ग्राउन्ड में देख कर चलना चाहिये। कोई प्लाट हो और उसको ओक्यूपाई कर लें। समाजवाद की दृष्टि से भी यह उपयुक्त होगा कि रहने के लिये उनके लिये कोई रास्ता ढूंढे वरना अनग्रोथोराइज्ड मजेशन हो जाय उसको समाजवाद मानना होगा यह क्योस और डिसऑर्डर को कायम कर लेना है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार के सोचने की बात है। बड़े-बड़े लोगों ने अनधिकृत कब्जे करके बड़े-बड़े मकान बनवाये हैं और इनको रेगुलेराइज किया है और करते जाते हैं। झोंपड़ी वाले बराबर हटाये जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह बराबर यह प्रोसेस चल रहा है। उनकी जगह बंगले आबाद किये जा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाले ने झोंपड़ी बांध ली वह तो एन्क्रोचमेंट हो गया और पक्का मकान बना लिया तो वह एन्क्रोचमेंट नहीं हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि अनधिकृत कब्जे बढें। बड़े लोगों को तो रेगुलेराइज कर दिया जाय और छोटे लोगों को रोंद दिया जाय यह भी हम नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि अनधिकृत कब्जे करने क्यों दिये जाते हैं। आपके पास स्टाफ है, इन्स्पेक्टर हैं और भी अधिकारी हैं। जो लोग अनधिकृत कब्जे करने देते हैं, और उनकी यह सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स है, आप उनको सजा क्यों नहीं देते। यू. आई. टी. के और म्युनिसिपैलिटी के इन्स्पेक्टर, अधिकारी और जो सुपरविजन करने वाले दीगर लोग हैं वे फिर क्या चैकिंग करते हैं और तनख्वाह किस बात की देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह ('मकराना') : अध्यक्ष महोदय, जो अनधिकृत कब्जे करते हैं उसमें एक समस्या यह आती है कि बहुत से लखपति गरीब आदमी को कह देते हैं कि खाली जगह पर कब्जा कर लो। कब्जा उसने कर लिया तो खरीद कर उसका बंगला बना लेते हैं। ऐसी स्थिति आती है इसको अवश्य रोकना चाहिये और गवर्नमेंट होस्टल के सामने ही काफी बड़ा प्लाट है गवर्नमेंट का उस पर कई लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखें

(श्री विजयसिंह)

हैं उनको वहां से हटाना चाहिये और स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस एडजोर्नमेंट मोशन पर पोइन्ट एट इश्यू था कि झोंपड़ी वालों ने एप्लाई नहीं किया था उनको रेगुलेराइज कर दिया जाय। यह प्रश्न तो बाद में उत्पन्न होता है। वे एक अर्से से बसे हुए थे। किसी अथोरिटी द्वारा यह तय नहीं किया गया था कि उनको हटाना है और क्यों हटाना है इस और चेयरमेन और किसी ने अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है। ऑफिसर ने कहा कि ये तो अभी बनी है और उनको हटा दिया। १०, १५ साल से वे लोग वहां पर बसे हुए हैं वे यह कहते हैं। इसमें इन्क्वायरी की जरूरत है। उनको वहां पर वापिस बसा कर कम्पन्सेट करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : एक ही बात है। यह एप्रोच है आपका। सात साल से मैं पर्सनली जानता हूं, उनके झोंपड़े बने हुए हैं।

श्री भीखाभाई : जिसका जिक्र हो रहा है वह अलग बात है। मैं यह कहता हूं कि यह नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उनको इस प्रकार हटा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गरीबों की झोंपड़ी को तोड़ रहे हैं। वे कौन है? रिक्शा चालक और जो लोग यहां मजदूरी करते हैं और मजदूरी के लिये जो गांवों से आये मुख्य मन्त्रीजी ने संकेत दिया कि इस कारण कच्ची बस्तियों का डेवलपमेन्ट नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिये पहले समिति बनायी, कलेक्टर महोदय ने विचार किया। संकट यह खड़ा हुआ कि पहले बसे या बाद में बसे और बाद में बसे हैं, टेम्परेरी हैं उनको उनके साथ रखा जाय या अलग। गवर्नमेन्ट ने कहा कि दो-तीन माह के लिये मजदूरी करने आते हैं उनको अलग रखा जाय। इस कारण न तो उनका तय हुआ और न ही कच्ची बस्तियों का डेवलपमेन्ट हो पाया। इस गर्मी की मौसम में बेरोजगार हैं, कहीं रोजगार नहीं मिलता है, रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले और मजदूरी करने वाले गांवों से काफी लोग आते हैं। उनके लिये आपका कोई होम सेन्टर नहीं है। आप कहते हैं कि कमेटी बनायेंगे। काफी बसेंगे तब तक उनको बसाने का क्या विचार है? अगर नहीं बसायेंगे तो खाली जगह पड़ी मिलेगी तो झोंपड़ी बनायेंगे। फिर आप उसको तोड़ेंगे और यह प्रॉसेस कब तक चलेगा। दो माह मजदूरी करने के लिये यहां आयेंगे उनकी दो माह की मजदूरी तो उनके झोंपड़ों को तोड़ देने से ही समाप्त हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी स्पष्टीकरण दें।

श्री भीखाभाई : माननीय मुख्य मंत्रीजी के बोलने के बाद स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुराने हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है। नहीं होगा तब भी उन पर विचार होगा। ५२ से ५७ के लोगों को बसाने का सवाल है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यू. आई टी. को टेलीफोन किया।

श्री भैरोंसिंह : मेरी तरफ से काहेको कह रहे हैं। मकान तोड़ दिये तब पहुँचे।

श्री भीखाभाई : ५२ और ५७ के बाद के हैं तो आज ही बसाने का सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५७ में नाम नहीं ६० में हैं।

श्री भीखाभाई : उनको प्रोत्साहन दिया जाय तो अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह : आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। इसकी गम्भीरता को नहीं समझते हैं। गवर्नमेंट के पास मकान तोड़ने का अधिकार रहता है लेकिन उसकी भी प्रक्रिया दी हुई है। यू. आई. टी. के किसी प्रकार के अधिकारी को यह अधिकार नहीं है।

श्री भीखाभाई : २२३ में अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : किसी की प्रोपर्टी को तोड़ दें और मकान में पड़ी हुई वस्तुओं को ट्रक में डाल कर ले जायं इसका किस कानून में अधिकार दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, सारी समस्याओं को सोच विचार कर निर्णय लें जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा उस संदर्भ में।

दौसा में पानी के संकट पर वक्तव्य

श्री भीखाभाई (जनस्वास्थ्य मंत्री) : कस्बा दौसा में भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में स्केलटन जलप्रदाय योजना चालू थी। सन् १९५९-६० में राजस्थान सरकार ने ८० हजार रुपये की धनराशि इस नगर की जल योजना के पुनर्गठित करने के लिये स्वीकृत की। इस योजना के अन्तर्गत एक नया कुआ और चालू किया, साथ में कुछ पाइप लाइन डाली गई, स्वच्छ जल की टंकी आदि बनवाई गई। और साथ में कुछ आवश्यकतानुसार काम किये गये। इस योजना का कार्य १९६२ में पूर्ण किया गया।

तत्पश्चात् सन् ६७ में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जल की कमी को देखते हुए अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत राज्य सरकार ने पुन: ७५ हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जिसके द्वारा योजना में एक और कुआ लिया गया, पाइप लाइन डाली गई, पम्पिंग सेट लगाये गये। यह कार्य सन् १९६७ में ही पूरा कर दिया गया, और इस प्रकार पानी की क्षमता २० हजार गैलन प्रतिदिन और बढ़ाई जाकर कुल ८० हजार गैलन तक पानी प्रतिदिन वितरण किया जाने लगा। इस समय पानी तीन कुओं से जिनके नाम क्रमश: बड़ा कुआ, नीमडी का कुआ और रामकुण्ड से प्राप्त कर वितरण किया जा रहा है। इस समय उत्पादन क्षमता के अनुसार दौसा कस्बे को प्रतिदिन ७५ हजार गैलन पानी दिया जा रहा है। इन तीनों कुओं से इतना ही पानी प्रतिदिन वितरण करना सम्भव है। पानी कुछ तो स्टेशन की ओर सीधा ही विशेष टंकी द्वारा जिसकी क्षमता ७० हजार गैलन है, दिया जाता है। इस समय दौसा शहर में कुल ८०० पानी के कनेक्शन हैं। जिनमें से ८० कनेक्शन सार्वजनिक नलों के हैं। शहरी योजनाओं में जो सार्वजनिक नलों का माप दण्ड दिया हुआ है उसके अनुसार केवल शहर में १६ सार्वजनिक नल होने चाहिये थे? जबकि वर्तमान में इस समय यह चार गुणा से भी अधिक है। दौसा की जनसंख्या

(श्री भीखा भाई)

सन् १९६९ को जनगणना के आधार पर करीब १६ हजार है और अभी-अभी हुई जनगणना के अनुसार यह १९ हजार है। पानी की इस कठिनाई को देखते हुए गत वर्ष इस विभाग ने नगरपालिका के सामने कुछ और कुए लेने का प्रस्ताव रखा था परन्तु एक भी कुआ नहीं मिलने के कारण जल वितरण व्यवस्था में समुचित वृद्धि नहीं की जा सकी, जनता को इस ग्रीष्म ऋतु में तत्काल राहत देने के लिये विभाग ने नगरपालिका के सामने कुछ और कुए देने का प्रस्ताव रखा, परिणाम स्वरूप अब निम्नलिखित कुए और उपलब्ध हो सके जिनमें पम्प आदि लगाकर चालू कर दिया है:–(१) बग्नेरास की बावड़ी, (२) सिक्का का कुआ, (३) भूरे खां का कुआ। इस प्रकार से पानी को क्षमता जो पहिले ७५ व ८० हजार गेलन प्रतिदिन थी वह दिनांक २२ अप्रैल से बढ़ा कर इन तीन नये कुओं के मिलने से १ लाख १० हजार गेलन तक हो गई है। इस कस्बे के कई भागों में जहां पानी नहीं मिलने की शिकायत थी उसके निवारण हेतु पिछले पन्द्रह दिनों से कुछ नये वाल्व लगाकर एवं जोन वाइज सप्लाई करने का प्रबन्ध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका दौसा यदि और कुए भी देती है तो विभाग उनमें भी पम्प लगाकर और अधिक पानी प्राप्त करने में समर्थ है। पानी की नियमित पूर्ति हेतु वहां पर एक अधिदर्शक को नियुक्त कर दिया गया है।

पानी की इस कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक ११-९-७० को दौसा नगर की एक पुर्नगठित योजना, जिसकी अनुमानित लागत १९.२१ लाख रुपये है स्वीकृत की गई है। इस योजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा चुका है। इस योजना के लिये श्रोत की खोज हेतु केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग व राजस्थान भू-जल मण्डल जोधपुर द्वारा चयन किये गये दो स्थानों पर नलकूप खोदे गये। जिनमें से एक नल कूप बाण गंगा नदी पर मालपुरिया ग्राम के पास व तीन नल कूप लालसोट सड़क पर ग्राम आलूदा के पास खोदे गये। परन्तु इनमें यथेष्ट जल प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग से विचार-विमर्श किया गया और फिर उन्हीं के सुझाव के अनुसार बाण गंगा नदी पर एक खुला कुआ और एक नल कूप खोदने का कार्य हाथ में लिया गया, जिसका कार्य प्रगति पर है।

दिनांक २१ अप्रैल सन् १९७१ को दौसा में जन-प्रतिनिधियों जिसमें अध्यक्ष नगरपालिका भी सम्मिलित थे उप मुख्य अभियन्ता के साथ विचार-विमर्श किया जिसमें मालपुरिया के अलावा ग्राम धर्मपुरा के पास भी नलकूप बनाने का विशेष आग्रह किया और वहां पर यथेष्ट जल श्रोत मिलने का विश्वास भी दिलाया। तदुपरान्त अधिशासी अभियन्ता ने इन प्रतिनिधियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और वहां के मौजूदा कुओं की क्षमता देखकर यह निश्चय किया कि वहां पर भी बोरिंग कराना लाभदायक रहेगा तथा वर्त्तमान जल संकट को हल करने के उद्देश्य से दिनांक ३ मई, १९७१ से धर्मपुरा ग्राम में भी एक बोरिंग का कार्य शुरू किया गया है। ग्राम धर्मपुरा में बोरिंग के साथ-साथ ग्राम मालपुरिया का भी बोरिंग चालू है और जहां भी इन दो स्थानों में से अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होगा एवं तकनीकी दृष्टि से ठीक रहेगा वहीं से पानी लिया जायेगा।

Page No. 66

(श्री भीखा भाई)

गत वर्ष इस योजना पर ३ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था जिसमें से १ लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा एवं २ लाख रुपया जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण के रूप में दिया गया है। इस वर्ष योजना में ६ लाख ५० हजार रुपयों का प्रावधान लिया गया है। अतः इस स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जलप्रदाय योजना का सम्पूर्ण कार्य आने वाली गर्मियों तक पूर्ण होना सम्भव नहीं है। फिर भी बाणगंगा, मालपुरिया तथा धर्मपुरा के पास पानी का विश्वसनीय श्रोत मिल जाता है, तो वहां से सीधी पाइप लाइन डाल कर आने वाली गर्मियों तक पानी की व्यवस्था में कुछ और राहत दिलाई जा सकेगी क्योंकि श्रोत की प्राप्ति के बाद ही पाइप उपलब्ध कर, बिछाने एवं बिजली की लाइन लगाने इत्यादि कार्यों में ७-८ माह का समय लग जाना सम्भव है। यद्यपि यदि धर्मपुरा ग्राम से पानी लेना तय होता है तो वहां विभाग को बिजली की लाइन डालने हेतु लगभग १ लाख रुपया अधिक का खर्चा वहन करना होगा। विभाग बिजली की लाइन डालने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को लिखेगा।

अतः माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है और उसको पूरा किया है। लेकिन वहां की जो स्थिति है, हड़ताल रही और जो भूख हड़ताल हुई उसमें ज्यादातर पार्टी के लोग शामिल हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह सार्वजनिक समस्या हो, सफाई की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, उसके अन्दर किसी प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये और किसी प्रकार से हड़ताल की जाती है तो वह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्यों को भी बार-बार निवेदन किया है, आग्रह किया है। इस बात को माननीय सदस्य ने माना है किन्तु जो जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनको इस बात की सूचना नहीं है और उन्होंने एक प्रकार से इसको प्रेस्टीज का प्रश्न बना लिया है और हड़ताल को नहीं तोड़ा है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से जो व्यवस्था की जा सकती थी, वह की है और यह जो मेरा स्टेटमेन्ट है स्पष्ट बताता है कि राजस्थान सरकार इस बारे में काफी जागरूक है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जब कभी भी कोई प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि जनता की ओर से कोई आग्रह नहीं है। जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं है इसलिये नहीं कर रहे हैं। जनता आग्रह नहीं करता है....

श्री भीखाभाई : आप क्या कह रहे हैं....

श्री विजयसिंह : आप बात सुनिये। अगर बिना शिकायत ही आप काम कर दें तो कोई समस्या ही न हो....

श्री भीखाभाई : कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : नहीं कर रहे हैं। जनता कोई शिकायत करती है जल संकट की तो सुनवाई नहीं होती है, उन्होंने पहले २१ तारीख को शिकायत की और उसके पहले १३ तारीख को आम हड़ताल रही १४ तारीख को दस्तखायरी की गई और यह विश्वास दिलाया गया कि जल्दी से जल्दी

Page No. 67

(श्री विजयसिंह)

संकट के निवारण के लिये कार्यवाही करेंगे। जब १२ तारीख को हड़ताल करने के लिये कहा गया तो आपने कहा कि कुछ समय लगेगा, ५-७ दिन इन्तजाम में लगेंगे तब तक के लिये इसको पोस्टपोन कीजिये.... आपके यहां जयपुर में आकर १५ तारीख को मिले। उसके बाद एक तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे। कल आपने कहा भूख हड़ताल से उठ गये, यह बिल्कुल सफेद झूठ बोले हैं। आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हुये है। कांग्रेस के लोगों से भी मिलकर आये है उनका भी उनको सहयोग है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जल का इतना संकट है रोज सुबह ८ बजे लोगों के घड़े फूटते है, औरतों में झगड़ा होता है और एक एक बून्द पानी के लिये तरसते हैं। जब मालपुरा मे १२ फुट की खुदाई हुई है और ३५ फुट के नीचे राक मिलती है तब जनता ने कहा कि वहां पानी नहीं मिल सकता है। वहां पर पानी का स्रोत नहीं है। उस कुये को आप क्यों खुदवा रहे हैं इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : और तो प्रश्न नहीं है, आपके ...

श्री विजयसिंह : और है।

श्री अध्यक्ष : सभी पूछ लीजिये।

श्री विजयसिंह : मन्त्री महोदय, ने जो दौसा के जल संकट के बारे में समस्या बताई उसके बारे में तो स्वतः मालूम होता है कि पानी की वहां बहुत ज्यादा कमी है और राज्य सरकार किसी भी स्तर पर पूरा नहीं कर सकती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं जो राज्य सरकार ने अस्थाई पानी की व्यवस्था की है वह भी वहां नहीं हो सकी है। दो कुये लिये गये है, उनमें भी पानी नहीं है.खैर, यह तो साफ हो जाता है कि पानी नहीं है और जनता को पानी ऐसी जगह से लाना पड़ता है जो दौसा के आसपास नहीं है। मालपुरा में कुआ खुदवा रहे हैं और वहां से पानी लेंगे। मालपुरा में पानी नहीं मिलेगा, जबकी २८ फीट गहरे चले गये और पानी नहीं मिलकर राक मिलती है तो फिर पानी का सवाल ही कहां पर है ? इसलिये अध्यक्ष महोदय पानी मिलने की किसी प्रकार की सम्भावना नहीं है। इसलिये वहां जो पैसा जाया कर रहे हैं उसको रोक दें और उस स्कीम को फेल करदे। जितना पैसा लगा है वह बेकार गया। वहां की जनता की मांग है और जनता ने बताया है कि धर्मपुरा में पर्याप्त मात्रा में पानी है और वहां का पानी मिलने के बाद समस्या दूर हो जाती है लेकिन राज्य सरकार यह कहती है जब तक हम पूरी तसल्ली नहीं करलें तब तक धर्मपुरा को ले नहीं सकते हैं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री विजयसिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा धर्मपुरा के पानी के स्रोत को लें और मालपुरा की जो जिद्द कर रहे हैं उसको छोड़ दे लेकिन आपकी भी जिद्द है जबतक इस स्कीम को सही नहीं कर लें तब तक नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं दो जगह ऐसा ही हुआ है। ८० हजार रुपया बेकार गया। आपने जो भी

Page No. 68

(श्री विजयसिंह)

स्कीम की है वह फेल हो गई और जनता ने जो धर्मपुरा की स्कीम बताई है और वहां ५ रोज पहले गये भी है, वह बड़ी अच्छी स्कीम है। कुये में पाइप लग रहा था। ५ घंटे पानी निकलता है और चार मिनिट में दो फुट पानी आ जाये ऐसी पोजिशन है। इसलिये धर्मपुरा की स्कीम को तुरन्त लेना चाहिये और पहले वाली को छोड़ना चाहिये।

अब दूसरे, धर्मपुरा से पानी लेने के लिये राज्य सरकार यह भी कहती है कि वहां बिजली नहीं है और बिजली की लाइन डालने में समय ज्यादा लगेगा। इस तरह बहाना बनाकर वहां की जनता को गुमराह किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है, आप वहां की जनता को पानी कैसे दे सकेंगे। इस गर्मी को तो वे बर्दाश्त कर लेंगे, आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आने वाली गर्मी से पहले पहले कोई राज्य सरकार का निर्णय होना चाहिये इसके लिये भी आप क्या कर रहे हैं। क्या यह मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले समय जब मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले साल इस पानी का बन्दोबस्त कर देंगे, वह आज तक नहीं हुआ है। आपको याद होगा सन् १९३९ में जब भूतपूर्व राजा विलायत जा रहे थे उस समय भी जल का संकट था और वहां की जनता ने उनसे पुकार की थी तो उन्होंने अपना विलायत जाना केन्सिल करके पानी की व्यवस्था की थी तो आप लोग भी ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि दौसा का जल संकट दूर करके हो....

श्री बिरदा राम : व्यवधान....बीदासर में भी आश्वासन था।

श्री विजयसिंह : जो कमेटी है उससे क्यों नही बात करते है ६ साल से पानी की समस्या बनी हुई है पिछले साल भी आश्वासन दिया था

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय वहां के लोग इतना ऐजोटेशन कर रहे हैं लेकिन अखबारों में जल संकट के बारे में कुछ नहीं छपा है। वहां की जनता ने आवेश में आकर राजस्थान पत्रिका की १३० कापियां भी जला दी हालांकि अखबार वाले क्या कर सकते है? लेकिन ऐजीटेशन इतना बड़ा हुआ है और उसको अखबार वाले भी नहीं चाहते है। प्रतिदिन अखबारों की प्रतियों को जलाया जाता है- क्या आप इस ऐजीटेशन के अन्दर यह ठीक नहीं समझते हैं कि पानी का कोई न कोई स्थाई हल करना है। सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य

श्री विजयसिंह : एक मिनट में अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि क्या अखबार वालों पर भी कोई प्रतिबन्ध है अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा इतना ही निवेदन है कि जहां १६ लाख खर्च किये हैं वहां आप २० लाख भी खर्च कीजिये किन्तु इस पानी की समस्या को सुलझाना चाहिये जल्दी से जल्दी आपको कोई न कोई स्टेप्स लेने चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल,जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य दिया। क्या वे स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हैं कि १४ तारीख के उपरान्त जो कार्यवाही की है उससे आज जनता में पानी मिल रहा है। क्या आपने खुद ने इसकी जानकारी की?

Page No. 69

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दूसरे, यदि यह बात सत्य है तो मन्त्री महोदय, और विभाग ने देखा है कि जहां पानी उपलब्ध है वहां से पानी की व्यवस्था करें और कागजों में सरकार जो रुपया खर्च करती है वह क्या····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कह दिया, उसका उल्लेख विस्तृत रूप से कर दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उल्लेख इसलिये हो गया जो सरकार खर्च करती है मुझे दुःख है और यह सुनकर अत्यन्त क्षोभ के साथ निवेदन करना चाहता हूं पीने के पानी को राजनैतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार जो रुपया विकास के लिये खर्च करती है उसमें पार्टी वाले यह न माने की यह हमारी ओर से खर्च होता है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार यह न सोचे कि पार्टी विशेष खर्च करती है, बल्की राजस्थान की जनता का पैसा है····

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया है। वही पुनरावृत्ति है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना है····

श्री अध्यक्ष : बड़ा मुश्किल है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय केवल मन्त्री महोदय को आप आदेश ..

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार को यह पहले से मालूम था कि दौसा में पानी की कमी है और गर्मी के दिनों में अधिक खराब होने की स्थिति है तो फिर सरकार ने स्थिति को पहले से क्यों नहीं सम्हाला और ऐजीटेशन के समय ही योजना सब मन्जूर की। सतर्कता इस्तेमाल नहीं कर यह स्थिति क्यों आने दी ? समय के पहले स्थिति को सम्हालते तो जनता को इतनी परेशानी नहीं होती और राज्य सरकार को सहूलियत होती।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, इस बात में क्या जिद्द है ? जनता अपने अनुभव के आधार पर कहती है कि विशेष जगह पर पानी है और दूसरी जगह पर पानी नहीं तो पानी वाले स्थान पर बोरिंग करके देखें तो ज्यादा सहूलियत से पानी प्राप्त हो सकता है, लेकिन टैक्निकल राय के नाम से लाखों रुपये बरबाद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, बोदासर योजना का विवरण बताऊं कि पहले सांडवा में बोरिंग किया वहां पर पानी नहीं मिला। बतलाया जब कि पानी था वहां हम कहते थे कि पानी नहीं है। वहां बोरिंग किया गया अब वे कहते हैं कि पानी का श्रोत उपलब्ध नहीं हुआ। जिद्द करके कदम उठाते हैं और रुपया बरबाद करते हैं। तो जनता के अनुभव से लाभ लेना चाहिये। टैक्निकल आदमियों की राय चाहे हो लेकिन जनता की राय के साथ उनकी राय का सामन्जस्य हो तो लोगों को सन्तोष मिलेगा और शायद परिणाम भी अच्छे आयेंगे।

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि अब तो पानी पर्याप्त रूप में दे दिया गया तो पहले ही प्रबन्ध किया जाता। यह जनता का एजीटेशन है न राजनैतिक आन्दोलन है और न किसी पार्टी का सवाल है। वहां की जनता की जो समस्या है उस समस्या से सब लोग वहां के रहने वाले वे व्यक्ति हैं,

(श्री दौलतराम सारण)

उत्तेजित हैं और क्षुब्ध हैं, और वे इसलिये क्षुब्ध हैं कि पानी नहीं पहुँचा, इसलिये परेशान हैं। राजनैतिक बात आती है तो वह आपकी दृष्टि से हो सकती है, लेकिन वहां के लोग पानी चाहते हैं और सुरक्षित रूप से पानी चाहते हैं। दौसा के आदमी इस बात के लिये विरोध कर रहे हैं कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन पूछूंगा।

आपने जो तीन कुए लिये हैं जिनमें से एक तो बन्नेदास की बावड़ी है तो क्या उसके अन्दर पानी उपलब्ध हुआ है और वह पानी खारा है या मीठा ? और दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो एक मामूली सी बात है उसको आप प्रेस्टीज पाइंट बना रहे हैं और वह इसलिये है कि आपने नगरपालिका को चिट्ठी दे दी और जो एक्शन कमेटी है उससे गवर्नमेंन्ट ने बात-चीत नहीं की। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूचना लिखित में आप नगरपालिका को दे रहे हैं तो उसकी प्रतिलिपि एक्शन कमेटी को दे दें कि अगले वर्ष तक यानी एक साल की अवधि में आपका जल संकट जो है उसका निवारण अवश्य कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, संक्षेप में और टू दी पाइंट।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो व्यग्रता है उसको मैं जानता हूं, परन्तु प्रश्न जो उठाया गया है उसके सम्बन्ध में डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार ने एजीटेशन शुरू होने से पहले कोई काम शुरू क्यों नहीं किया ? तो मैंने अपने वक्तव्य में स्पेसिफिकली कहा है कि १९६१ से लेकर अभी तक जल वितरण व्यवस्था को निश्चित रूप से चलाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं, कितनी धनराशि व्यय की गई है और लगातार इस बात के लिये प्रयत्न किया गया है, और अकाल में कितना कितना खर्च किया गया, ये सारी बातें बताई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका यह कहना कि राजनैतिक आन्दोलन के जरिये कोई कदम उठाया गया है वह सही नहीं है।

यहां पर यह भी प्रश्न उठाया गया कि हजारों रुपयों का धन खर्च हो गया। यह बात सही है कि हम १६ लाख रुपये इस पर खर्च करने जा रहे हैं, मगर पानी की सर्वे के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सर्वे डिपार्टमेंट से सर्वे कराया है और अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से बोरिंग के साधनों के लिये कहा है। ट्यूबवैल्स खोदने होते हैं तो ट्यूबवैल्स खोदने के लिये साइट-सिलेक्शन का सवाल है। उसके अन्दर वे एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय को न मानें तो क्या अपनी राय से चलेंगे ? हमारी और आपकी राय से चलना उचित प्रतीत नहीं होता है।

एक दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार के हैं कि किसी प्रकार से वहां की जनता को तुरन्त राहत मिले और राहत मिलने की दृष्टि से ही मैंने निवेदन किया कि तीन कुए हमने लिये हैं और भूरे खां का कुआ किराये पर लिया गया है। उससे अब ८० हजार गैलन से पानी बढ़ने लगा है।

(श्री भीखा भाई)

अब प्रश्न उठता है स्थाई व्यवस्था का तो स्थाई व्यवस्था के लिये मैंने निवेदन किया कि प्रावधान कर दिया गया है और १६-२ लाख रुपये की योजना मन्जूर कर ली है, और साथ ही साथ बाणगंगा पर मलूदा और धर्मपुरा में पानी नहीं निकलने पर बोरिंग का कार्य हाथ में लिया गया। मैं मानता हूं कि अगर सर्वे का नतीजा नहीं निकलता है और पानी की सम्भावना नहीं होती है तो टेक्निकल राय को ओवर राइड करके इनकी बात को मान सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : लाखों रुपया राज्य सरकार से लेकर लगा दिया।

श्री अध्यक्ष : आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं क्या ? इस तरह से तो अधूरा रह जायगा।

श्री भीखाभाई : मेरे ध्यान में यह लाया गया है, धर्मपुरा की जो योजना है उसमें पानी है और दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि माधोपुर में बोरिंग हो तो दुःख क्यों होना चाहिये। मैंने अपने वक्तव्य में साफ कहा है कि जहां कहीं भी पानी टेक्नीकल दृष्टि से प्रचुर मात्रा में होगा, क्वालिटी ठीक होगी वहां किया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : पानी खारा है और मीठा पानी....

श्री अध्यक्ष : खारा और मीठा यह नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : अभी मैं नहीं कह सकता कि पानी मीठा है या खारा पानी है। अभी तक इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। इसके तीन टेस्ट होंगे बोरिंग होने पर। अभी बोरिंग तो शुरू होने दें....

श्री अध्यक्ष : (किसी माननीय सदस्य के उठने पर) उनका स्पष्टीकरण आने दें।

श्री भीखाभाई : सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री भीखाभाई : सर्वे ऑफ इंडिया को मैंने कहा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इनका प्रयोग कामयाब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में समाप्त कर दें तो दूसरे प्रश्न पर चलें।

श्री भीखाभाई : हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कार्यवाही कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : (श्री डूंगाराम के उठने के प्रयत्न पर) आप प्रयत्नशील मत हो।

श्री भीखाभाई : नगरपालिका जनता को रिप्रेजेन्ट करती हैं और वे कहते हैं कि जो एक्शन कमेटी है उसको मान लें ? जहां नगरपालिका में जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं तो उसको लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई माननीय मंत्रीजी। विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सदन के सम्मुख आ रहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, जो पानी मंगाने के लिए निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न ले लिया गया है, माननीय सदस्य।

Page No. 72

श्री डूंगाराम : पानी का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हुआ हूं आप स्थान ग्रहण करें !

श्री डूंगाराम राजोरिया : वह सम्मान और शिष्टाचार मैं जानता हूं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला जब तक...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपकी आज्ञा का पालन कर रहे है और साथ-साथ निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई अवशेष बात रही है तो माननीय मंत्री महोदय से कह दूंगा कि इसकी आपसे चर्चा कर लेंगे और स्पष्टीकरण चाहें तो करलें और जो सुझाव चाहे मंत्री महोदय को देंगे। माननीय मंत्री महोदय आप से मिल लेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मिलने वाली बात की कोई स्थिति नहीं है, और मंत्री महोदय क्या बात करेंगे। जरूरत होगी तो बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : तो चर्चा में नहीं। इसको समाप्त करके।

श्री डूंगाराम राजोरिया : लेकिन दौसा में पानी की कमी है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समय नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने चर्चा समाप्त कर दी। अंकित न हो। स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : × ×

श्री अध्यक्ष : आपका दुराग्रह! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : × × ×

श्री अध्यक्ष अंकित न हो स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने यह सुझाव दिया है। इसके बाद श्री माननीय मंत्री महोदय आपको आमंत्रित करेंगे और कोई विशेष बात हो तो सुझाव दे दें या वह आपको स्पष्टीकरण कर देंगे। समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन !

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के १८वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, अगर आप बताना चाहते हैं तो आपके चेम्बर में बुला लें कम से कम।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 73

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया माननीय सदस्य। दूसरा प्रश्न ले लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के १८वें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन तो प्राप्त नहीं हुए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कल शाम को तैयार हुआ है प्रतिवेदन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे पास नहीं है। कल का अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : प्रतिवेदन नहीं है तो विचारार्थ क्या लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कट मोशन है आज की पत्रावली में तो प्रश्न है, श्री भैरोंसिंह शेखावत है, राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन है।

श्री अध्यक्ष : सरक्युलेशन का समय नहीं मिला है। यदि आप चाहें तो इसको अन्त में रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रतिवेदन सरक्युलेट करने के बाद में ले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्हें १० तारीख को पेश करना था और इन्होंने आज ही कर दिया है तो उसके बाद में इसको लेंगे मन्डे को।

श्री अध्यक्ष : मन्डे को ले लिया जायेगा।

अनुदान को मांगों के प्रस्ताव।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांग पर प्रस्ताव। शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,२४,१७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : सामान्य प्रशासन मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६१,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ३१

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक—६७, भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,३४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या १५, ६ व ३१ पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या १५

१. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा को विभाग में वापिस न लिए जाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से ५० रुपये कम कर दिये जायें (सवाई माधोपुर शिक्षा निरीक्षक कार्यालय को सवाई माधोपुर स्थानान्तरित करने से होने वाली मित-व्ययता)।

३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने तथा इसके लिये समुचित भवन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा बोली एवं तहसील बोली के उच्च माध्यमिक शाला, खिरनी में विज्ञान कक्षाएं खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे में पंजाबी तथा सिंधियों की पर्याप्त आबादी होते हुए भी सिंधी तथा गुरुमुखी भाषाओं का कोई प्राथमिक स्कूल न होने से शरणार्थियों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक शाला, सवाई माधोपुर के सात वर्ष के कार्य-काल में शाला में उत्पन्न अनुशासनहीनता तथा निराशाजनक परीक्षा-परिणामों पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में पंचायत समितियों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अभी तक भी तैयार न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पिछले दो वर्षों में सवाई माधोपुर सब डिवीजन में किसी भी प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाला को क्रमोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में डिग्री कॉलेज अब तक न खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

१०. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण करने और

Page No. 75

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
कैंसिल करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

११. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग में से ५१) रुपया कम कर दिया जाये (राज्य में मन्त्रिमण्डल का आकार छोटा करके मित्त-व्ययता की जाए) ।

१२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा अकारण दौरे करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

१३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा चुनावों में टी० ए० डी० ए० बिलों में राजकीय यात्रा दिखाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१४ मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

१५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (एस० डी० ओ०, सवाई माधोपुर के भ्रष्टाचारी कारनामों पर चर्चा के लिये) ।

१६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों एवं राज्य कर्मचारियों को दलीय-कार्यों में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभागाध्यक्षों से, उनके अधीन के कर्मचारियों के नियंत्रण का कार्य मंत्रियों द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नियुक्तियों, स्थानान्तरणों एवम् तरक्कियों में पक्षपात एवं अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये) ।

१९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लालफीताशाही समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

२०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा दौरों में विरोधी क्षेत्रों में ऐसे कार्य किये जाते हैं जो जन-हित में नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं० १५

२२. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण वगैरह पंचायत समिति की राय लिये बिना दूसरी तहसील में कर देते हैं. इस विधेयक पर सरकारी नीति का अननुमोदन) ।

२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में पति-पत्नी एक ही स्थान पर रखने के सम्बन्ध में सरकारी नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में काफी ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के लिए राज्य सरकार गरीबों को खास फायदा नहीं पहुँचा सकी है इसलिये सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के निरीक्षक को बहुत अधिक शिकायतें हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलने से बच्चों को कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में पति पत्नी नियुक्त होने पर भी अलग-अलग रखे जाते है, जिससे उनको भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रौढ़ों को शिक्षा देने में अनावश्यक खर्चा किया जाता है, रात्रि पाठशालायें नहीं चल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के तबादलों में भारी अनियमिततायें हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक स्कूलों में छात्रावास नही होने से जनता में भयंकर असंतोष है, इस कमी को दूर करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में अध्यापकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई में बाधा होती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में कन्या पाठशाला नहीं है, इसकी आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव पंडिता वाली तहसील सूरतगढ में मिडिल स्कूल खोले जाने की मांग पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव वडोपल, तहसील सूरतगढ़ में सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (संगरिया कृषि कालेज को सहायता नहीं दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर की गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी किया जाकर साइन्स की क्लासेज खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८, शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव ढंढेला, जसाना पालिका, रामगढ़ बिरकाली, दलपतपुरा, नालेकी की मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक, २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में कालेज नहीं खोला जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव ललानियां, पल्लू, रामपुरा, थालड़का, दीपलाना, बरवाली में मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने पर जनता में असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्राथमिक पाठशालाएँ खोलने में सरकार की नीति असफल रही है, इस असफल नीति का अनुमोदन)।

४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव जसाना में मिडिल स्कूल नहीं खोला जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव गंधेली में मिडिल स्कूल नहीं खोला जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के ३६ ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर

Page No. 78

(श्रीरामचन्द्र आर्य)

दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव बड़ विराना की जनता द्वारा ५०००/— रुपये जमा कराने पर भी मिडिल स्कूल नहीं खोला गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (कस्बा, रावतसर की जनता हाई स्कूल की मांग करती है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को चुनाव के अवसर पर इस्तेमाल किया जाकर आम चुनाव से पूर्व ज्यादा स्कूल खोले जाते हैं इस पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में अध्यापक नहीं ठहरते, जिससे देहातों में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० ९

५०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति असफल हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

५१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हनुमानगढ़ में मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के भाई कई साल से हनुमानगढ़ में हैं और राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर के वाशिन्दे काफी तादाद में गंगानगर जिले में ही नौकरी करते हैं और राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

५३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मुकदमों के निपटारे नहीं हो पाते इस पर चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों को प्रमोशन देने में पक्षपात पूर्ण तरीका अपनाने से कर्मचारियों में उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये)।

५५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनिय-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मितताओं को रोकने में सरकार की नीति असफल रही है, उस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मंत्रियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा सीधा हस्तक्षेप किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

५७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील भादरा के गांव लाखनवास का एक हरिजन चूरू गोली काण्ड में शहीद हुआ था, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज तक उसका मुआवजा नहीं दिलवाया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, द्वारा दौरे के समय चूरू में रेस्ट हाउस के एक चपरासी को थप्पड़ मारने के कारण राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में फैले रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं० १५

५९. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की दुर्व्यवस्था तथा गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

६०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्तियों व स्थानान्तरण में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर के एस०टी०सी० ट्रेंड अध्यापकों में २८ प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों की नियुक्तियां करने में विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अध्यापकों के ग्रेड इन्क्रीमेंट व अन्य बकाया भुगतान का चुकारा समय पर न करने से विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अध्यापकों के बकाया वेतन का चुकारा करने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार में बरती जा रही असमानता को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एवं सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

(श्री भवरणलाल)

६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकार स्कूलों व कॉलिजों में विद्यार्थियों को पुस्तकें समय पर देने में असफल रही है एवं इसमें धांधली चल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा एस० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों की नियुक्तियां करने में पक्षपात एवं विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के विद्यालय निरीक्षक के पद पर अन-क्वालीफाइड अधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत बागना, पंचायत समिति हिण्डौन में माध्यमिक स्कूल नहीं खोले जाने के कारण वहां की जनता को भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ८२—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा बड़ा इब्राहीमपुर में हाई स्कूल नहीं खोले जाने से वहां की जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ८२—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार में बरती जा रही असमानता को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

७२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की उदासीन नीति का अननुमोदन)।

७३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मंत्रियों एवं उप मंत्रियों के द्वारा टी० ए० डी० ए० आदि के नाम पर हो रहे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

७४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में फैली हुई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

७५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मंत्रिमण्डल पर होने वाले खर्चे में फिजूल खर्ची समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

७६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में फैले हुए घोर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

(श्री भवरलाल)

७७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से [illegible] रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों [illegible]ों के द्वारा रोजमर्रा के विभागीय [illegible] दखल देने से प्रशासन में [illegible] एवं असंतोष फैला हुआ है, [illegible] के लिये)।

७८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस कर्मचारियों को समय पर दूसरी जगह नियुक्ति नहीं करने में विभागों की मनमानी पर चर्चा के लिये)।

७९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये आवासगृहों के एलोटमेन्ट में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये २८–प्रतिशत रिजर्वेशन को पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

८१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

८२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में फैले हुए घोर भ्रष्टाचार के कारण जनता बहुत दुःखी है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

८३. श्री गंगासहाय (कठूमर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने, मनमाने स्थानान्तरण एवं स्कूलों को अपग्रेड करने में धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

८४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए स्टाफ की कमी है, जिससे किसान व साधारण जनता परेशान होती है इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १५

८५. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में आबादी के अनुपात के आधार पर स्कूलों और कालेजों की कमी पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के कारण बेरोजगारी तथा उच्छृंखलता बढ़ी है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

८७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

१०० रुपया कम कर दिया जाय (सब डिवीजनल अधिकारियों द्वारा किये गए घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

८८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल राजधानी में न होने से व्यर्थ के खर्चे पर चर्चा के लिये) ।

८६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों को अंतरिम राहत केन्द्रीय स्तर पर न लाने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या १५

६०. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं जनहित की दृष्टि से शिक्षा पद्धति को उपयुक्त बनाने एवं विद्यार्थियों में उच्छृंखलता समाप्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

६१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बढ़े हुए प्रशासनिक खर्चों को घटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

६२. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १ ... दिया जाय (शिक्षा की ... सर्वथा उपेक्षा की जाती ... में जहां पर आय के सी ... के अंशदान को सरकार ... किन्तु बड़े शहरों में सरकार ... के लिये भवन आदि व्यवस्था ... इस पर चर्चा के लिये) ।

६३. मांग संख्या १५, मुख्य ... २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु... कम कर दिया जाय (कन्याशाला अकलेरा एवं मनोहरथाना में अध्यापिकाएं नहीं होने से छात्राओं के अध्ययन में असुविधा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (कन्या शाला, अकलेरा के भवन निर्माण बाबत चर्चा के लिये) ।

६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रीय जनता से श्रमदान, अंशदान मांगा जाता है जबकि शहरी जनता को यह सुविधा है, इस असमानता बाबत चर्चा के लिये) ।

६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (अकलेरा सैकण्डरी स्कूल के एक भूतपूर्व प्रधानाध्यापक की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति की शिकायतों पर विभाग द्वारा ढिलाई बरतने बाबत चर्चा के लिये) ।

६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु.

...लप्रसाद शर्मा)

...दिया जाय (अकलेरा सैकण्डरी ...व विज्ञान कक्षा प्रारंभ करने ...के लिये) ।

...ग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ... अन्तर्गत मांग में से १०० रु. ...जाय (अकलेरा सैकण्डरी स्कूल ...थ को भवन निर्माण हेतु व्यय ...बाबत चर्चा के लिये) ।

९९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की अस्वस्थता के कारण विभागीय कार्य ठप्प हो गया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

१००. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मन्त्रियों एवं उपमन्त्रियों की फौज कम की जाए एवं मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के दौरों एवं भत्तों की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्क्रिय होता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कार्यालयों में अधिकारी समय पर नहीं पहुँचते हैं तथा लंच टाइम पर भी २-२ घन्टा विलम्ब से आते हैं जिससे जनता परेशानी अनुभव करती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ४० मन्त्री तथा उप-मन्त्रियों की संख्या राज्य की आर्थिक स्थिति के लिये अभिशाप है, उसे अविलम्ब कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

१०४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मंत्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों के दौरों की सीमा निर्धारण के बाबत सरकार की वर्तमान असफलता पर चर्चा के लिये) ।

१०५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारी गण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अपना व्यक्तिगत कार्य लेते हैं, इसे रोकने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्याधिकारी विभागीय वाहनों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी पत्नियों को घुमाते हैं, इस पर नियंत्रण आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उच्चाधिकारी जब दौरे पर जाते हैं तो अपने मातहत अधिकारियों के यहां भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, इसे रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

१०८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा में राजस्थानी साहित्य और संस्कृति की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

१०९. श्री फूलचन्द बाफना सुमेरपुर) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति तुरन्त नहीं गई तो देश में अराजकता फैल जावेगी, इस पर चर्चा के लिये) ।

११०. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

१११. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग सं. १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन कर उद्योग के जरिये से शिक्षा देने, नये कॉलेज न खोलने और शिक्षा में योग्यता के आधार पर ही भर्ती के बारे में चर्चा के लिये) ।

११२. मांग सं. १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बन्दनी व महुआ में सैकेण्डरी स्कूल न खोलने के कारणों पर प्रकाश डालने व निश्चित नीति न होने से ही अव्यवस्था फैलने के बारे में चर्चा के लिये) ।

११३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आमूल-चूल परिवर्तन करने, शालायें गांव-गांव में खोलने, कॉ बन्द करने, उद्योग व श्रम के शिक्षा देने आदि के सम्बन्ध लिये) ।

मांग संख्या ९

११४. मांग संख्या ९, मुख १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार कम करने हेतु दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा दखल कम करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिकारियों के घरों पर काम न लेने व प्रशासनिक खर्चों में कटौतियां करने की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा के लिये) ।

११५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या कम करने, टैलीफोन, बिजली, पानी तथा यात्रा पर सीलिंग लगाने आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३१

११६. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में मे १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिये जाने वाले भत्तों के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

११७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

(श्री जयनारायण सलोदिया)

कम कर दिया जाय (बगड़ी कस्बे में हायर सैकण्डरी स्कूल चालू करने पर चर्चा के लिये)।

११८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर [illegible] जाय (निवाई तहसील [illegible]प, झिलाय, दतवासा [illegible] चलाने पर चर्चा के [illegible]

[illegible] १५, मुख्य शीर्षक [illegible]त मांग में से १०० [illegible] जाय (निवाई में लड़- [illegible]ल भवन के अभाव पर [illegible]

[illegible] रामनारायण चौधरी [illegible]ख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– [illegible] मांग में से १०० रुपया [illegible]य (झुन्झुनू जिले में कोई [illegible]लय नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा एक राजकीय छात्रावास स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये)।

१२२. श्री नाथूराम (बागीदोरा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा नीति को व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये।

१२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मिडिल स्कूल, नौगामा, को सैकण्डरी में उन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

१२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा में मिडिल स्कूल बोरी को सैकण्डरी स्कूल में उन्नत करने पर चर्चा के लिए)।

१२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मिडिल, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों के भवन जो पूर्ण हैं उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० ९

१२६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१२७. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पीपलखूंट क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास नहीं होने से वहां के लोगों को असुविधाएं हो रही हैं एवं वहां के लोगों में शिक्षा प्रसार में बाधा पहुंच रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No. 86

१२८. **श्री रामप्रसाद बोहरा** : (झालरापाटन) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (असनावर ग्राम जिला झालावाड़ में सैकण्डरी स्कूल न खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२९. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में स्कूलों की संख्या बढ़ाने व उन्हें उन्नत किये जाने की ओर ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

१३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता हेतु चर्चा के लिये)।

१३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में कॉलेज के कमरे बनाने हेतु आर्थिक सहायता पर चर्चा के लिये)।

१३२. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लुहारी कला में हाईस्कूल खुलवाने, खजूरी में हाईस्कूल तथा गाडोसी मिडिल स्कूल पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

१३३. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तो के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिये जाने वाले भत्तों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१३४. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाईमाधोपुर की तहसील के ग्राम सिवाड़ के स्कूल को सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी में उन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम पांचोलास की पाठशाला को प्राइमरी से मिडिल में उन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये।

१३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक १८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खण्डार में साइन्स कक्षाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

१३७. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ तहसील स्थित लोहा ग्राम में माध्यमिक स्कूल नहीं होने के कारण भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़

(श्री लालचन्द जैन)

तहसील स्थित गोगासर ग्राम में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने से भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ नगर में कॉलेज नहीं खोले जाने के कारण जनता में भारी असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

१४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ नगर में हायर सैकण्डरी स्कूल की कमी के कारण वहां दो-दो शिफ्टें चल रही है, वहां की जनता को भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१४१. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ में कॉलेज खोला जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

१४२. मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र में ५ मील के अन्दर मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

१४३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९- समान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन अधिक से अधिक पन्द्रह सौ या हजार एवं छोटे कर्मचारियों का कम से कम डेढ़ सौ रुपये निश्चित करने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १५

१४४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर के प्रिन्सिपल की अवैधानिक नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

१४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गर्ल्स कॉलिज, कोटा, में प्रिन्सिपल के कारण फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

१४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर में स्थापित प्राईमरी व मिडिल, कन्या व बालक पाठशालाओं के भवनों की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

१४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लॉ कॉलेज, कोटा में लेक्चरार्स की नियुक्तियों के बारे में चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, कोटा द्वारा मनमानी व पक्षपातपूर्ण ढंग से अध्यापकों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

१४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा, एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देशन व आदेश की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

१५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर, प्राइमरी व सेकण्डरी एज्यूकेशन, के अवकाश पर डाइरेक्टर कॉलेज एज्यूकेशन को कार्य करने का अवसर देने पर चर्चा के लिये) ।

१५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर प्राइमरी व सेकण्डरी एज्यूकेशन की अवैधानिक पदोन्नति व नियुक्ति पर चर्चा के लिये) ।

१५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर प्राइमरी व सेकण्डरी एज्यूकेशन के कार्यालय में अनुचित व अवैधानिक नियुक्तियों व स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

१५३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन में की जा रही फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

१५४. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा हायर सेकण्डरी स्कूल, जिला टोंक में स्टॉफ जो नियुक्त हैं उसमें से अधिकांशतः स्थानीय हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

१५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलीगढ़, जिला टोंक) कस्बे में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में उन्नत करने पर चर्चा के लिये) ।

१५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा गर्ल्स मिडिल स्कूल, जिला टोंक, को सेकेण्डरी स्कूल में उन्नत करने पर चर्चा के लिये) ।

१५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा विभाग के अधीन जो मिडिल स्कूल हैं, उनके भवन अधूरे पड़े हुये हैं, उनको पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

१५८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मंत्रिमण्डल का आकार छोटा किया जावे ताकि प्रशासनिक दृष्टि व आर्थिक दृष्टि से ठीक रहें, इस पर चर्चा के लिये) ।

१५९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने अभी हाल ही में १२ तहसीलदारों

(श्री दिग्विजयसिंह)

को आर० ए० एस० में जो लिया उसमें पक्षपात किया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

१६०. मांग संख्या ६. मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के प्रशासन में विभागीय साधारण (रूटीन) कार्यों में मन्त्रियों द्वारा हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये)।

१६१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में विकास अधिकारी टौंक को उप-जिलाधीश नियुक्त कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

१६२ मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को मिलने वाले भत्तों के उचित मुआवजे दिये जाकर समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१६३. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के नरेशों को जो भत्ता मिल रहा है उसका उचित मुआवजा दिया जाकर समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१६४. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील के बाटाडू, जसाई एवं सना-वड़ा गांवों में इस वर्ष मिडिल स्कूल खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की शिव तहसील के भीयाड़ हरसाणी एवं जैसिंधर गांवों में इस वर्ष मिडिल स्कूल खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

१६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की कवास मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में इस वर्ष क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

१६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलें खोलने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

१६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील में हरसाणी, फांटा (जालेरा) आलीसर की बस्ती (देरासर) एवं बोथिया ग्रामों में प्राइमरी स्कूलें न खोले जाने से जनता में तीव्र असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

१७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बायतू सैकेण्डरी स्कूल में सन् ७१-७२ में विज्ञान के विषय की कक्षाएं खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० ९

१७१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन व सचिवालय प्रशासन की कमियां एवं उनके सुधार की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

१७२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिये मंत्रियों के निवासस्थानों पर जल और विद्युत् व्यय में कमी और उनके दौरों पर नियंत्रण की आवश्यता पर विचार के लिये चर्चा के लिये)।

१७३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता एवं लाल फीताशाही के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

१७४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

१७५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रवृत्तियों में सक्रिय भाग लेने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने में निष्क्रीयता एवं ढ़िलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

१७६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रि-मण्डल पर होने वाले यात्रादि के अधिक खर्चों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१७७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रि-मण्डल का आकार कम कर उसकी संख्या १८ करने पर चर्चा के लिये)।

१७८. मांग सं० ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि के खर्चे की सीमा निर्धारित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

१७९. मांग सं० ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण काफी अर्से से नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार में बढ़ावा होने पर चर्चा के लिये)।

१८०. मांग सं० ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकोय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दृष्टिकोण समाजवाद के अनुरूप न होने से राज्य के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
निर्देशों, आज्ञाओं एवं नीतियों के परिपालन में अकर्मण्यता, उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये) ।

१८१. मांग सं० ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आर. एस. एस० में सक्रिय भाग लेने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

१८२. मांग सं ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती क्षेत्र में ईमानदार एवं योग्य अधिकारी एवं कर्मचारी न भेजे जाने से देश की सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावना है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३१

१८३. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दी जाने वाली विशेष सुविधायें बिना मुआवजे के समाप्त करने के विषय में चर्चा के लिये)

मांग संख्या १५

१८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा को हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान कक्षाएं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मेसूंवा हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

१८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाधल कस्बा, तहसील फुलेरा में कन्या मिडिल विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा के कस्बा भादवा में सैकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा के कस्बा कारीगरान में मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१९०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा के ड्योडी ग्राम में मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१९१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा के ग्राम इटावा में मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री पी. के. चौधरी)

मांग संख्या ९

१९२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक गठन अयोग्य है इस पर चर्चा के लिये)।

१९३. मांग संख्या ९ मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कर दिया जाय (हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स की पोस्टें टेन्योर पोस्टें किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१९४. श्री विजयसिंह (मकराना) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मकराना हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी न करने व लड़कियों की स्कूल को हाई स्कूल न बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

१९५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में अत्यधिक ढिलाई से जनता को भारी कष्ट हो रहा है व भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

१९६. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिये जाने वाले भत्तों के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१९७. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग, कोटा के अधीन आने वाले स्कूलों के मास्टरों का राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१९८. मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की छीपा-बड़ोद तहसील में स्कूल भवनों की कमी से होने वाली दिक्कतों पर चर्चा के लिये)।

१९९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सामान्य प्रशासन में होने वाली ढिलाई व फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

२००. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सामान्य प्रशासन में फैल रही अनियमितताएं व बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

२०१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कलेक्टर, कोटा द्वारा किये जाने वाले नादिरशाही व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

२०२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में प्रशासन द्वारा बन्दूकों के लाइसेंसों में बरती जाने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२०३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये)।

२०४. श्री बालसिंह सोढ़ा (जेसलमेर) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जेसलमेर नगर में स्कूलों व कॉलेज में छात्रावास के अभाव में कई छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में प्राथमिक शालाएं खोलने में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

२०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सांकड़ा के माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

२०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर उच्चतर माध्यमिक शाला में विभाग द्वारा छात्रावास की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

२०८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में भारी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के कारण जनता को भारी संकट है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२०६. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हायर सैकण्डरी व कॉलेज तक की उच्च शिक्षा की अपेक्षा करते हैं, अतएव इनकी समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सेवा संघ के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला तथा पंचायत समिति के अध्यापकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

२११. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

२१२. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के भत्ते तथा अन्य विशेष सुविधाएं समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२१३. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल और देवली में महाविद्यालय की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

२१४. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० कम कर दिया जाय (ये भत्ते तत्काल बन्द किये जाएं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२१५. देबीलाल (सराड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव अदवास और गांव रठोड़ा दोनो स्थानों में मिडिल स्कूलें खोलने पर चर्चा के लिये)।

२१६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सेमारी मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

२१७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के ग्राम अदवास में प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२१८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (देपुरा मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल के साथ में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२१९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के ग्राम रठोड़ा, में प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२२०. श्री रावतराम (छापर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा सम्बन्धी नीति पर पुनविचार करने तथा हर नागरिक को समान रूप से शिक्षा मिल सके, ऐसी व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

२२१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सडू, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२२२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (Disapproval of Government policy in not setting up Inspection Boards to enquire into the Financial & other allied matters).

२२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर १ रुपया कर दिया जाय (विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

२२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयी कानूनों के संहिताकरण के संबन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

२२५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग एवं बिजली पानी पर फिजूलखर्ची के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)

२२६. मांग संख्या ९, मुख्यशीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (मंत्री-मण्डल की संख्या सदन की संख्या का १/१० नहीं करने के बारे में नीति का अनुमोदन)

२२७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय राजस्व मण्डल की बैंच द्वारा मुकदमों की सुनवाई जयपुर में नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

२२८. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव खोड़ की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये) ।

२२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांगों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव बिलाड़ा की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये) ।

२३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय [गांव मानगढ़ (कोट-किशना), तहसील रायपुर की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये] ।

२३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (जैतारण हाई स्कूल भवन के लिये सरकारी सहायता न देने पर चर्चा के लिये) ।

२३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (उप शिक्षा निदेशक, जोधपुर के कार्यालय के एक लिपिक के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत शिक्षकों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२३४. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के महाविद्यालय को अब

(श्री केसरीसिंह हाडा)

तक अपूर्ण रखने, पुस्तकालय, कैन्टीन व अहाता नहीं बनवाने पर चर्चा के लिये)।

२३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (नैनवा में अब तक प्राथमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में पदोन्नत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

२३६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान के नाम से रखी गई राशि महज स्वयं के हिमायतियों की उदरपूर्ति कराने का एक साधन मात्र है, इस पर चर्चा के लिये)।

२३७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मंत्रियों के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही के बोलबाले पर चर्चा के लिये)।

२३८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जनता पर वर्तमान मंत्रिमण्डल से अथाह बोझ है, इसमें भारी कटौती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२३९. श्री आलमअलीखां (फतेहपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं में अल्प संख्यक लोगों की भाषाओं में शिक्षा न देने व इस हेतु अध्यापकों की तरक्की न कर लम्बे समय तक स्थान खाली रखे जाकर छात्रों को पहुँचाये जाने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

२४०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (महत्वपूर्ण पदों पर अल्प संख्यक जाति के लोगों की तकरूरी व तैनाती के सम्बन्ध में बरते जाने वाले पक्षपातपूर्ण रवैये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२४१. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरु जिले में अनेक गांवों में आज तक प्राथमिक पाठशाला न खोलने के कारण हजारों ग्रामीण छात्राएं प्राथमिक शिक्षा से महरूम रह गये हैं, सरकार की इस भयंकर असफलता एवं घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

२४२ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रू. कम कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने और १४ वर्ष तक आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने में सरकार की असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

२४३. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षाके

(श्री प्रमीलाल यादव)

अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहजहांपुर में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल तथा कायमा, जौनामचा कलां, तमींग आदि मिडिल स्कूलों को सेकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने व बहरोड़ सब-डिवीजन में कॉलेज खोलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

२४४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन द्वारा, लिये जाने वाले निर्णयों को शीघ्र क्रियान्विति एवं भ्रष्टाचार की रोक-थाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३१

२४५. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिये जाने वाले भत्ते एवं विशेषाधिकार समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

२४६. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा क्षेत्र में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२४७. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सादेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत चीतीवास के ग्राम प्रतापपुरा में प्राथमिक शाला खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण प्राथमिक शालाओं को पंचायत समिति से हटा कर जिला निरीक्षकों के अधीन रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जूनियां की माध्यमिक शाला को अपग्रेड करने के संबंध में ग्राम पंचायत जूनियां से १०,०००) रु. विभाग को लेने थे वह रकम माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में पक्षपात पूर्ण नीति अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, केकड़ी की ग्राम पंचायत बस्टा में कृषि विषय में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिकशाला के पास छात्रावास

Page No. 98

(श्री देवीलाल बुरासिया)

का सब सामान उपलब्ध होते हुए भी शिक्षा विभाग द्वारा वहां छात्रावास चालू न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर की राजकीय पायटेल प्राथमिकशाला को अपग्रेड कर उच्च प्राथमिक शाला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में महाविद्यालय भवन उपलब्ध होने पर भी अभी तक महाविद्यालय नहीं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अराई की ग्राम पंचायत सांपला में माध्यमिक पाठशाला खोलने हेतु चर्चा के लिये) ।

२५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, केकड़ी की ग्राम पंचायत पेहरू में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूगोल विषय चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५९. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रठोड़ा प्राइमरी स्कूल, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर, को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल सेमारी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कन्या मिडल स्कूल ऋषभदेव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जवास मिडिल स्कूल, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६३. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की सुल्ताना व बख्तावरपुरा हाईस्कूलों को इस वर्ष हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००

(श्री मूलचन्द कटेवा)

रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति की पीपला बिचला व किढवाना प्राथमिकशालाओं को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की काकोड़ा व खुडानिया मिडिल स्कूलों को इसी वर्ष सेकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाएं पंचायत समितियों से लेकर शिक्षा विभाग के अधीन पुनः लिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६७. मांग संख्या १५, मुख्य, शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भवनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

२६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों का शिक्षा स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

२६९. श्री सुरेन्द्रसिंह. (खारची) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खारची चुनाव क्षेत्र में स्कूलों की कमी पूरी करने व नई स्कूलें चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२७०. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी पहाड़ी एरिया में शिक्षा का प्रचार व प्रौढ़ शिक्षा चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२७१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां बालिका हायर सेकण्डरी स्कूल भवन में छात्राओं की कक्षाओं के लिये कमरों की कमी और ऐसी हालत में भी प्रधानाध्यापिका द्वारा अपने कुटुम्ब सहित स्कूल भवन में दो-तीन कमरों में रहने से जनता में व्याप्त क्षोभ पर चर्चा के लिये)।

२७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के अधीन बारां प्राइमरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए टाट पट्टियों का अभाव है, इस पर चर्चा के लिये)।

२७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां शहर में प्राइमरी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों एवं माध्यमिक स्कूलों में करीब डेढ़ हजार से अधिक विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए दूसरा नया माध्यमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता हायर सैकण्डरी स्कूल भवन कई वर्षों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराये जाने तथा जनता द्वारा कमरे बनाने हेतु दिए गए चन्दे की रकम को खर्च नहीं किए जाने एवं एक तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा उन रुपयों का किये गये गोलमाल पर चर्चा के लिये)।

२७५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुन्झुनूं में इन्दिरा गांधी बाल निकेतन कॉलेज अरडावता में व हाईस्कूल में भारी भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग, फर्जी जमा खर्च आदि पर चर्चा के लिये)।

२७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुन्झुनूं द्वारा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिला परिषद् को दी गई धनराशि का उचित वितरण नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

२७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इन्दिरा गांधी बाल निकेतन स्कूल व कॉलेज भवन निर्माण हेतु दानदाताओं, पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का भारी गबन व घोटाला काण्ड पर चर्चा के लिये)।

२७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जा (इन्दिरा गांधी बाल निकेतन, कॉलेज व हाई स्कूल अरडावता के वार्षिक परीक्षाफल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

२७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ रुइया कालेज को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद तत्कालीन स्टाफ में से कुछ को राज्य सेवा में लेने व कुछ को न लेने के सम्बन्ध में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

२८०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के प्रमुख ग्राम मिर्जापुर व सोरसन में भवन तैयार कर देने एवं धन एकत्रित कर लेने के बाद भी अभी तक वहां मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

२८१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांरा नगर की मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या करीब ११०० की होते हुए भी दूसरा मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने के कारण जनता में फैल रहे असंतोष पर चर्चा के लिये)।

२८२. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा शिक्षा निरीक्षक द्वारा नियमों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण ढंग से एवं पद का दुरुपयोग करते हुए किन्हीं कारणों से बांरा में जूनियर अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल का हैड मास्टर बना देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२८३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया

Page No. 101

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कम कर दिया जाय (उदयपुर महिला विद्यालय में चल रही गुटबाजी एवं व्यवस्थापकों द्वारा की जा रही गड़बड़ी व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

२८४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर महिला विद्यालय में चल रहे हजारों रुपयों के घोटालों, फर्जी जमा खर्ची एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार से प्राप्त की गई अनुदान की रकमों के किये गये दुरुपयोगों पर चर्चा के लिये) ।

२८५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के राजकीय कालेज के प्राध्यापक इस प्रकार पार्ट टाइम अध्यापन कार्य कर रहे हैं जिससे कि शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२८६. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के सीनियर टीचर्स का स्थिरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

२८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रात्रिकालीन शास्त्री कालेज में एल० एल० बी० की कक्षाएं प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

२८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के राजकीय कालेज के प्राध्यापकों द्वारा विजयसिंह पथिक कालेज में पार्ट टाइम अध्यापन करने पर चर्चा के लिये) ।

२८९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय रात्रि कालेज में पार्ट टाइम अध्यापन का कार्य करने वाले प्राध्यापकों द्वारा राज्य में प्रवृत नियमों के अनुसार १/३ जमा कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

२९०. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शास्त्री संध्या कालेज द्वारा वर्तमान में ली जाने वाली बिल्डिंग के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

२९१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के पार्ट टाइम कार्यरत प्राध्यापकों द्वारा नियमानुसार विभागीय आदेश प्राप्त नहीं करने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

२९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिये जाय (कालेज लाइब्रेरियन की सिनियरिटी व वेतनमान फिक्सेशन में हो रहे पक्षपात एवं बारां कालेज लाइब्रेरियन का वेतनमान निश्चित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

२९३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां डिग्री

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कालेज भवन निर्माण हेतु किये गये खर्चे एवं निर्माण हेतु लाखों रुपयों की लागत के खरीद किये गए सामान में घोटालों व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

२९४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला केन्द्र, झुन्झुनूं सेठ मोतीलाल कॉलेज में विज्ञान की कक्षायें नहीं होने एवम् पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

२९५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

२९६. मांग संख्या ९. मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नियम विरुद्ध राज्य कर्मचारियों को सरप्लस किये जाने एवम् उसके बाद कई कर्मचारियों को महीनों तक नियुक्त नहीं किये जाने से राजकोष को होने वाली हानि आदि पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

२९७. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (एडेड स्कूलों के अध्यापकों के शोषण तथा शिक्षा पद्धति में बढ़े हुए कोर्स पर चर्चा के लिये) ।

२९८. **श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा)** : मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत थली में मिडिल स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये) ।

२९९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अमवा रामगढ़ के ग्राम चावण्डा में हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

३००. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के ग्राम चादराणा में हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

३०१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

३०२. **मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर)** : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (फीस माफ कराने के इच्छुक छात्रों से मांगे जाने वाले जाति एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्रों की दोषपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

३०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (एस०डी० महाविद्यालय, ब्यावर में एम० ए० (हिन्दी) एम० एस० सी० (रसायन) और एल० एल० बी० की कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

३०४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर नगर में कन्या महाविद्यालय खोलने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव कूकड़ा व काछबली पंचायत समिति भीम की मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव बड़ा खेड़ा व आसन) (पंचायत समिति जवाजा) की मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीम में एन० सी० सी० खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

३०८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भारत चीन संघर्ष के समय सुरक्षा कोष के नाम पर ब्यावर में इकट्ठे किये गये सोने के गबन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३०९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा एवं कन्या शिक्षा के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

३१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में होस्टल्स की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

३११. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवन निर्माण के बारे में सरकार के दृष्टिकोण के परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३१२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण एवं माध्यमिक कन्या पाठशाला भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३१३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में माध्यमिक पाठशाला भवनों को सरकारी भवनों की सूची में अंकित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३१४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में और प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

३१५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर नीचे गिरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३१६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में नई मिडिल स्कूलों एवं सैकण्डरी स्कूलें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३१७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवनों के निर्माण में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

३१८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बारे में सरकार द्वारा बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

३१९. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनता के साथ प्रशासनिक कर्मचारियों के दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३२०. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग से से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय राजस्व बोर्ड एवं जिला प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

मांग संख्या ३१

३२१. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक-६७– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को शीघ्र खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३२२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में पंचायत समितियां, रामगढ़ राजगढ़, तिजारा, किशनगढ़, थानागाजी, नीमराणा द्वारा अध्यापकों के मेडिकल बिल्स लगभग १ वर्ष से पास न किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

३२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की तृतीय वेतन शृंखला में पदोन्नति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों की कठिनाइयां दूर करने हेतु निर्मित भण्डारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

३२५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

१०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर नगर की जन संख्या एक लाख से अधिक हो जाने के कारण वहां के राज्य कर्मचारियों को हाउस रेंट, अलाउन्स देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३२६. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बगवाड़ा तहत पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर में माध्यमिक शाला खोलने पर चर्चा के लिये)।

३२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

३२८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों में कमी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३२९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्री जे० बी० हायर सेकण्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा अध्यापकों की तनख्वाह में से रकम काटने तथा उसको शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को रिश्वतें देने पर चर्चा के लिये)।

३३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (श्री जे० बी० हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा स्कूल की अपनी दो नम्बर की केश-बुक रखने तथा उसमें शिक्षा विभाग अधिकारियों को दी गई रिश्वतों का हिसाब रखने पर चर्चा के लिये)।

३३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (श्री जे० बी० हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा रक्षा-कोष की राशि इकट्ठी करके सम्बन्धित कोष में जमा नहीं करवा कर हजम कर जाने पर चर्चा के लिये)।

३३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (संस्कृत शिक्षा के सेवा नियमों को उल्लंघन करके नियुक्तियां व प्रमोशन कर देने पर चर्चा के लिये)।

३३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (संस्कृत निदेशालय, जयपुर में निरीक्षक के पद पर मौजूदा समय पर कार्य कर रहे निरीक्षक की नियुक्ति में अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिये)।

३३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग से से १०० रु० कम कर दिया जाय (संस्कृत विभाग द्वारा प्रिंसीपलों की निुक्ति में अनियमितताएं बरतने तथा पक्षपात के आधार पर प्रमोशन देने पर चर्चा के लिये)।

३३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु०

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कम कर दिया जाय (सन् १९७०-७१ में अनुदान समिति की बैठकें नहीं बुलाने तथा समिति की बिना सिफारिश के अनुदान देने पर चर्चा के लिये) ।

३३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (श्री जे० बी० हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं द्वारा सेवामुक्त किये गये अध्यापकों की अपीलों पर उप-संचालक द्वारा निर्णय नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

३३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष १९७०-७१ में शिक्षण संस्थाओं को दिये गये अनुदान में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये) ।

३३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्री जे० बी० हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं द्वारा डबल अकाउन्ट रखने व फर्जी हिसाब बनाने तथा फर्जी बिलों के आधार पर सरकार से सहायता प्राप्त करने पर चर्चा के लिये) ।

३३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टीपर्पज हायर सैकन्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा स्कूल को सरकार को देते समय किये गये वायदे के अनुसार रुपये जमा नहीं कराये, उस पर चर्चा के लिये) ।

३४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं के अयोग्य स्टाफ को सरकारी सेवा में लेने पर चर्चा के लिये) ।

३४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं को अधिग्रहण करते समय पूर्व की सम्पत्ति व रेकार्ड का चार्ज अभी तक नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

३४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं, के अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं पर अभी तक कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

३४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला शिक्षणालय, नागौर द्वारा अध्यापकों का सत्र के बीच अधिक मात्रा में स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये) ।

३४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर के पंचायत समितियों में नियुक्त अध्यापकों को प्रमोशन देने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये) ।

३४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उप संचालक, जोधपुर द्वारा दिनांक ३-७-१९७० के पत्र

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा श्री कृष्ण शास्त्री, अध्यापक, शाला, रेण, जिला नागौर की पदोन्नति कर दी गई, परन्तु निरीक्षक द्वारा इस आदेश की पालना नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

३४६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों को लम्बे समय तक स्थानान्तरण के द्वारा नियुक्ति के आदेश की प्रतीक्षा में (awaiting posting orders) बिठाये रखने पर चर्चा के लिये)।

३४७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस हुए कर्मचारियों को लम्बे समय तक दूसरे स्थानों पर नियुक्त नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

३४८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला कार्यालय, उप खण्ड कार्यालयों व तहसील कार्यालयों में कानूनी किताबों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

३४९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा बिना स्वीकृति व बिना स्कीम के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने पर चर्चा के लिये)।

३५०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन से अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय तहसील भवन, लाडनूं की मरम्मत व सफेदी के लिये समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

३५१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा अधिकतर यात्राएं क्षेत्रीय आधार पर करके क्षेत्रीय भावनाएं फैलाने पर चर्चा के लिये)।

३५२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय तहसील कार्यालय, लाडनूं में पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर न होने तथा पुराने फर्नीचर की मरम्मत की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

३५३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांधीनगर, जयपुर में राजकीय आवास गृहों के आवंटन में पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

३५४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा ऐच्छिक अनुदान का, अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने समर्थकों को खुश करने के लिये खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

३५५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिन सरकारी अधिकारियों ने सरकार से ऋण लेकर जयपुर शहर में मकान बना रखे हैं उन्हीं मकानों को सरकार द्वारा किराये पर लेने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 108

(श्री हरजीराम बुरड़क)

३५६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अंतर्गत, मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों को नाजायज लाभ पहुँचाने की गरज से अधिक समय तक जयपुर में ही नियुक्त करके रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

३५७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अंतर्गत। मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (दोषी अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

३५८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुपयोगी सरकारी भवनों व वाहनों का समय पर डिस्पोजल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

३५६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय. (मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के स्टाफ को कार्य के आधार पर नहीं रखने तथा उनके कार्य का कोई असेसमेन्ट नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३६०. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में विश्वविद्यालय कायम नहीं कर के सरकार ने बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इस पर चर्चा के लिये)।

३६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पृथक् कला महाविद्यालय की स्थापना एवं डूंगर कॉलेज में समस्त विषयों में अध्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहरी इलाके में एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना इसी वर्ष किये जाने पर चर्चा के लिये)।

३६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में बारह गुवाड़ कन्या सैकेण्डरी स्कूल को हायर सेकण्डरी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में सोनगिरी मोहल्ला में कन्या मिडिल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

३६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में पिछले १५ वर्षों से कोई प्राइमरी स्कूल सरकार द्वारा नहीं खोली गई है और आबादी दुगुनी हो गई है व हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं; अतः ६ और प्राइमरी स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००

Page No. 109

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर नगर-परिषद् कुछ स्कूलें चलाती हैं इनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है, छोटे बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, अतः दूसरे शहरों की तरह इन स्कूलों को भी विभाग द्वारा चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३६७. मांग संख्या १५; मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में बी० एस० टी० सी० का शिक्षालय बन्द कर दिया गया है जिसे चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्टें कम होने एवं बीकानेर के लिये पृथक् डिप्टी डाइरेक्टर का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

३६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में संस्कृत शिक्षा की ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

३७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (साहित्य एकेडमी पर राज्य सरकार बहुत कम खर्च कर रही है, राज्य सरकार की इस उदासीनता को दूर कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ललितकला एकेडमी पर बहुत ही कम रकम खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

३७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नाटक एकेडमी पर बहुत ही कम रकम खर्च करने का प्रावधान है, इसे बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)

७३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (साहित्य के प्रोत्साहन हेतु अनुदान की जो राशि रखी गई है उससे जाहिर है कि राज्य सरकार इस बारे में उदासीन है, इसकी ओर ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

३७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हिन्दी तथा राज-भाषाओं के उत्थान पर जो रकम रखी गई है वह बहुत ही कम है, इस राशि को बढ़ाया जाय; इस पर चर्चा के लिये)।

३७५. मांग संख्या १५; मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों की रचना की योजना पर कोई रकम नहीं रखी गई है; इस ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

३७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जिस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिये खेल-कूद पर भी राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

३७७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पटवारियों के रहने के मकान ग्रामों में नहीं हैं; पटवारियों को आवास सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३७८. मांग संख्या ९ मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है, इसे कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

३७९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिला एक सीमावर्ती जिला है इस जिले में ए० डी० एम० की पोस्ट खत्म करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

३८०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल में ज्यूडिसियरी के जजों को नियुक्त कर राजस्व मण्डल को शुद्ध किया जाय; क्योंकि न्याय प्राप्त करना बेवसीले वालों के लिये दुश्वार हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

३८१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय मन्त्रिगणों पर टेलीफोन, विद्युत, मोटर मरम्मत व यात्रा पर जो राशि खर्च हो रही है, उसे कम कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३१

३८२. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजाओं के सम्बन्धियों व सेवकों को भत्ते के रूप में जो राशि मिल रही है, इसे बन्द किया जाय तथा इनमें से जरूरतमन्दों को अलग से वृद्धावस्था का भत्ता या अन्य रूप में सहायता दिये जाने की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये)।

३८३. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के भत्ते तुरन्त बन्द किये जायं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३८४. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में पंचायत समितियों द्वारा मिडिल स्कूलों पर होने वाले एक वर्ष के खर्चे को वहन करने पर चर्चा के लिये)।

३८५. श्रीकिशनलाल वर्मा (सिकराय): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित वर्ग में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के लिये वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री किशनलाल वर्मा)

३८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-२८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के कस्बे लवाण में मिडिल स्कूल को सैकन्डरी अथवा हायर सेकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

३८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय को सिकन्दरा व गीजगढ़ सैकन्डरी स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

३८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के गांव ठिकरीया में प्राथमिक शाला को माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

३८९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के स्थान पर रिटायर्ड होने वाले अधिकारी को न लगाया जाकर भ्रष्टाचार को रोके जाने पर चर्चा के के लिये) ।

मांग संख्या ९

३९०. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में ढिलाई को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

३९१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कठोरता से रोकने के लिये क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३१

३९२. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग से से १०० रुपया कम कर दिया जाय (देश में समानता व समाजवाद लाने की दिशा में भारतीय नरेशों के विशेषाधिकार तथा भत्ते बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

३९३. श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों पर अनुदानों का अपव्यय व उनके विभागों में कोई सुधार न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

३९४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में विभिन्न अपव्ययों को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३१

३९५. मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

विशेषाधिकार तथा भत्ते बंद करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सुभाव न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० १५

३९६. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शास्त्री संध्याकालीन कॉलेज द्वारा वर्त्तमान में प्रयोग में ली जाने वाली बिल्डिंग के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३९७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के पार्ट-टाइम कार्यरत प्राध्यापकों को नियमानुसार विभागीय आदेश प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

३९८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रात्रि कॉलेज में पार्टटाइम अध्यापन का कार्य करने वाले प्राध्यापकों द्वारा राज्य में प्रवृत्त नियमों के अनुसार १/३ राशि जमा न कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

३९९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के राजकीय कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा विजयसिंह पथिक कॉलेज में पार्ट-टाइम अध्यापन करने पर चर्चा के लिये)।

४००. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रात्रिकालीन शास्त्री कॉलेज में एल० एल० बी० की कक्षाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४०१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के सीनियर टीचर्स का स्थिरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

४०२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के राजकीय कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा इस प्रकार अध्यापन कार्य करने से शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये)।

४०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने में सरकार असफल रही, इस सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

४०४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर शहर में जो शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है, एज्यूकेशन 'सेन्टर' बनाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

४०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार

(श्री केदारनाथ)

पंजाब के पेटर्न पर देहातों में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल खोलने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार स्पोर्ट्स कौंसिल के कम्पोजीशन में इलेक्टेड एथलेट्स को शामिल करवाने की व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार आज तक राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम इतिहास को प्रकाशित करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४०८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटेटिव चेन्जेज लाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४०९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार मिडिल स्कूल के व सैकण्डरी स्कूल की शिक्षा को वोकेशनल ट्यून देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार स्टूडेन्ट्स को सीनेट, सिंडीकेट व कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिनिधित्व दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४११. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं कलेक्टर द्वारा चेरिटी फण्ड के तहत दी जाने वाली, स्कूलों को एड के ओवर लेपिंग को समाप्त कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४१२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार उन ओवरसियर्स को, जो राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के बाहर के पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूशन से डिप्लोमा प्राप्त कर पिछले ५ सालों से सरकारी नौकरी में हैं, उनको जोधपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग बी० ई० क्लासेज में एडमीशन दिलाने की व्यवस्था करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४१३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर शहर की राजकीय गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४१४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर जिले में तहसील करनपुर में चक ३ ओ के हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान व भूगोल आदि की कक्षाएं खुलवाने की व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

४१५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००

Page No. 114

(श्री केदारनाथ) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार चक नं० जैड़, तहसील गंगानगर के मिडिल स्कूल को सेकण्डरी स्कूल तक अपग्रेड करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

४१६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर पब्लिक पुस्तकालय के भवन बनाने, वहां पर अधिक पुस्तकें रखने व अधिक धनराशि व्यय करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

४१७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गवर्नमेन्ट कॉलेज गंगानगर के भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४१८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के भवन व होस्टल के लिये धनराशि जुटाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

४१९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्रशासन में शासकीय पार्टी के खुले दखल को रोकने में सरकार असफल रही, इस सम्बन्धी असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १५

४२०. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा तारानगर, जिला चुरू में इन्द्रमणि शारदा बालिका विद्यालय को सेकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४२१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर फोर्ट मिडिल स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

४२२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू एपीलेट आथोरिटी को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व केसेज का जल्दी फैसला न होने के बाबत चर्चा के लिये)।

४२३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

४२४. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४२५. मांग संख्या ९ मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के टूर्स की लिमिट किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४२६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(राजवी श्री रूपसिंह)

१०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के टेलीफोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के कंजम्शन पर सीलिंग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४२७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय—(गंगानगर जिले में) सरकारी मुलाजिमान के तबादले मंत्रियों की इच्छानुसार किये जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

४२८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर, चुरू व गंगानगर जिलों में अधिकारियों का ऑफिस में समय पर आने व जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

४२९. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा): मांग संख्या १५; मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में आर्ट्स कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

४३०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

४३१. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में एक भी उच्च माध्यमिकशाला न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (राजकीय बालिका विद्यालय, नवलगढ़ को उच्च माध्यमिकशाला में अपग्रेड करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (राजकीय बालिका विद्यालय, नवलगढ़ का नाम भवनदाता के नाम न करने पर चर्चा के लिये)।

४३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (श्री नवलगढ़ विद्यालय, नवलगढ़ का अनुदान प्रतिशत बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

४३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (भारतीय विद्या मंदिर नवलगढ़ को प्राथमिकशाला होते हुए भी माध्यमिकशाला का अनुदान स्वीकृत कर देने पर चर्चा के लिये)।

४३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (भारतीय विद्या मंदिर नवलगढ़ द्वारा अनुदान के लिये कोई अर्जी न होने के बावजूद पांच हजार का ड्राफ्ट तैयार हो जाने पर चर्चा के लिये)।

४३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु.

(श्री सांवरमल बासोतिया)

कम कर दिया जाय (जयपुरिया विद्या मंदिर नवलगढ़ के लिये स्वीकृत पांच हजार की राशि अनुदान स्वरूप न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

४३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (शेखावटी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं के अनुदानों को धीरे-धीरे बढ़ाये जाने एवं पूर्णतया उन्हें राज्याधीन लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (ग्राम डूमरा की प्राथमिकशाला को माध्यमिकशाला में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

४४०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेकोमा डिपार्टमेंट में सरप्लस घोषित कर्मचारियों को तनख्वाह न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

४४१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

४४२. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (तहसील बानसूर, जिला अलवर में विज्ञान कक्षा खोलने, मिडिल स्कूल व सैकण्डरी स्कूल खोलने में पिछले ५ साल से अवहेलना करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

४४३. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं १५

४४४. श्री मेघराज पंवार (चूरू) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में कन्या महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कालेज चूरू में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा चूरू में हायर सैकण्डरी छात्रों के लिये छात्रावास की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव सोमासी, तहसील चूरू व आनन्दसिंहपुरा की माध्यमिक शालाओं को सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No. 117

(श्री मेघराज पंवार)

४४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सांतोली में मिडिल स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण लम्बे समय तक न किये जाने से होने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शालाओं में छात्रों की भरती में बरती जाने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शालाओं में अध्यापकों द्वारा छात्रों से विभिन्न चन्दों के नाम से वसूल किये जाने वाली धनराशि पर चर्चा के लिये।

४५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शालाओं में क्लास रूम्स व अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये)।

४५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

४५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निरन्तर गिर रहे शिक्षा स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

४५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कालेज चुरू में गत वर्ष हुये गोलीकाण्ड में ड्यूटी पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घायल हुए उनको किसी प्रकार का मुआवजा आज तक न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ९

४५६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उच्चाधिकारियों द्वारा उनके नीचे सेवा में लगे छोटे कर्मचारियों से अशिष्ट व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४५७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने घरों पर कार्य करने हेतु विवश किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४५८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सेवा में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४५९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से

(श्री मेघराज पंवार)

१०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदारान के स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किये जाने की अवस्था में सम्बन्धित कलेक्टर साहेबान से पोस्टिंग ऑर्डर प्राप्त कराने में लगने वाली देरी व अधिकारी को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४६०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टेक्निकल प्रशासनिक पोस्टों पर नियुक्ति के लिये टेक्निकल क्वालिफिकेशन को आधार न माने जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४६१. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

४६२. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सदन में मुख्य मंत्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद उप-मंत्री (झालावाड़) द्वारा अकारण महीने में ६ दिन से अधिक जिले का दौरा करने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

४६३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल पर किये जा रहे खर्च में कटौती करने पर चर्चा के लिये)।

४६४. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा जिले के इन्टीरियर गांव में रात्रि विश्राम न करने संबंधी चर्चा के लिये)।

४६५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा जिला प्रशासन समय की आवश्यकता के अनुकूल न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

४६६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के निलंबन की अवधि अत्यधिक होने संबंधी चर्चा के लिये)।

४६७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय जांच में अत्यधिक समय लगने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

४६८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सेवाओं के नियमों की समय पर अनुपालना न किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

४६९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सेवा में विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : मेजर फतेहसिंह जल्दी चले जाना चाहते हैं। श्री फतेहसिंह !

मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मांगों के सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व, समय सीमा का भी ख्याल रखें। १०-१५ मिनट। आरम्भ रखें।

श्री फतेहसिंह : राजस्थान में पिछले १६ वर्षों से प्रजातन्त्र शासन चल रहा है। जिसमें साढ़े १६ वर्ष से श्री सुखाड़ियाजी मुख्य मन्त्री बने हुये हैं। सही बात तो यह है कि अगर राजस्थान का इतिहास लिखा जाये अर्थात् पिछले साढ़े १६ वर्ष का इतिहास लिखा जाये तो वह इतिहास मुख्यमन्त्री सुखाड़िया जी के व्यक्तित्व का इतिहास होगा। लेकिन इस इतिहास के दो पहलू हैं। जहां मुख्यमन्त्री सुखाड़ियाजी ने राजस्थान में पिछले साढ़े १६ वर्ष स्थायी शासन दिया, स्थायी सरकार दी है। चाहे कारण कुछ भी हो इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह बात सही है कि पिछले १५ वर्ष भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। यही नहीं राजस्थान के जन-जीवन में नैतिक स्तर में भी गिरावट हुई है। मैं क्षमा चाहूंगा जहां मैं सुखाड़ियाजी का प्रशंसक हूं, वहां आलोचक भी हूं। आज जो भ्रष्टाचार हुआ है, नैतिक स्तर में गिरावट आई है. उसका उत्तरदायित्व सुखाड़ियाजी का है। जो मीठा खाता है, उसको खारा खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिये। आज बंगला देश की समस्या हमारे लिए समस्या बन गई है। मैं नहीं कह सकता हूं कि कल क्या हो जाये। देश एक प्रकार से युद्ध के द्वार पर खड़ा है। और सम्भव है किसी भी समय तोपों की गड़गड़ाहट हो सकती है। मैं सैनिक रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं। सारे हिन्दुस्तान और राजस्थान में बंगला देश के विस्थापितों के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है। मैं इस सन्दर्भ में सोचता हूं तो मुझे एक पुरानी घटना याद आजाती है जो इस सन्दर्भ में ताजी और नई हो जाती है। सन् १९६२ में जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था। सारा देश तन, मन, धन से मदद के लिए तैयार हो गया था। सारे देश में धन इकट्ठा होने लगा। राजस्थान में भी एक मुख्यमन्त्री सुरक्षा कोष की स्थापना की गई। इसकी सब जगह समितियां बनीं। सारे राजस्थान में बनीं। उसी प्रकार ब्यावर में भी एक समिति का गठन हुआ। और उस समिति के तत्कालीन नगर परिषद् के अध्यक्ष श्री चिमनसिंह लोढ़ा संयोजक बने। और मुकुन्ददास राठी, डायरेक्टर, कृष्णामिल, कोषाध्यक्ष बनें। और श्री जगन्नाथ एडवोकेट, डा० ए० एम० गुप्ता, श्री बृज-मोहनलाल शर्मा, वजीरचन्द वकील, स्वामी कुमारानन्द. तत्कालीन एम० एल० ए०, सदस्य थे। इसके साथ ही कुछ गवर्नमेन्ट अधिकारी, टी० वी० रमन, और बी० डी०

(श्री फतेहसिंह)

ओ० आदि उसके साथ थे। उन्होंने धन इकट्ठा किया। और वह धन १ लाख १८ हजार ५५ रु० इकट्ठा किया था। ४८० या ४८१ ग्राम सोना भी इकट्ठा किया। और यह धन और सोना मुख्यमन्त्री सुरक्षा कोष में जमा करा दिया। लेकिन एक आश्चर्य की बात हुई है, कि ब्यावर में कांग्रेस का एक तबका है जिसने इस सुरक्षा कोष समिति से असहयोग किया। और उन्होंने एक नई समिति का गठन किया। जिसका नाम सोना संग्रह समिति रखा। उसके संयोजक श्री बृजमोहनलाल शर्मा बने। डा० ए० एम० गुप्ता, वजीरचन्द एडवोकेट ये सभी माननीय सज्जन जो सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी, उसके भी सदस्य थे, सदस्य बने इन लोगों ने भी सोना इकट्ठा किया। लेकिन इस सोने का उन्होंने क्या किया, उसका जनता को पता नहीं रहा। स्मरण रहे कि यह सोना तब इकट्ठा किया गया था जब चीन ने आक्रमण किया था १९६२ में। लेकिन जब १९६५ में पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उस समय भी समिति का गठन किया गया। उस समय बृजमोहनलाल शर्मा लक्ष्मी मिल के सेठ कोठारी के यहां चन्दा मांगने के लिए गये। उन्होंने कहा कि सन् १९६२ में जो सोना दिया था उसकी रसीद हमें नहीं मिली। तो उन्होंने दान तो चढ़ा दिया, लेकिन यह बात उन्होंने जरूर कही। इस बात को लेकर सारे ब्यावर में खलबली मच गई, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने श्री बृजमोहनलाल को एक पत्र लिखा और दुःख प्रकट किया कि जो सोना उन्होंने इकट्ठा किया १९६२ में उसका क्या हुआ? अन्त में इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, अजमेर, पी. सी. सी. सी., राजस्थान, जयपुर और ए० आई० सी० के ऑफिस दिल्ली में की गई, तब १०-९-६५ को उन्होंने केवल २४३ ग्राम सोना जेवरात जमा करवा दिया, मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष में। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने इस विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था और वह प्रश्न संख्या ५११ था, ७ मार्च, १९६८ को उसका उत्तर मुख्य मंत्री ने दिया था। उस प्रश्न में मैंने कहा था, क्या सरकार इस घोटाले की जांच सतर्कता आयोग अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराने को तैयार है? मुख्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं यह बात कहूंगा कि मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी एक डेमोक्रेट है। जब यह सदन इस बात को लेकर बहुत उद्विग्न हुआ तो सतर्कता आयोग को इस प्रश्न को इस बात की जांच के लिए भेजने को तैयार हो गये। यह ७ मार्च, १९६८ की बात है। फिर ९ अक्टूबर, १९६८ का मुझे विजलेन्स कमीशन के सेक्रेटरी से एक पत्र मिला, कि ७ मार्च १९६८ को मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार यह इश्यू बना कर उनके पास जांच के लिए इस बात को भेजा है। उसका मैंने उत्तर दिया, वह उत्तर मैंने दिया १३-११-६८ को दिया मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो इश्यूज गवर्नमेंट की तरफ से बनाकर भेजे थे उनमें इश्यू नम्बर ३ है, मैं समझता हूं वह बहुत उचित इश्यू था।

What legal action can be taken against the Convenor or against any other member of the committee

Page No. 121

(श्री फतेहसिंह)

for not deposting 243 grams gold Collected in July, 1962 in the Fund as late as on 30-9-65. बिल्कुल उचित इश्यू था। दूसरे इश्यू को मैं छोड़ देता हूं लेकिन, श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तीन वर्ष बीत गये, सतर्कता आयोग ने उस सम्बन्ध में क्या किया ? जांच पूरी कर ली या नहीं ? तीन वर्ष बीत गये तब से जब यह प्रश्न उठाया गया था और सतर्कता आयोग को इस प्रश्न को सौंपने का निर्णय लिया गया था, हमने तीन साल इन्तजार किया How long shall we wait till the dooms day इसलिए मैंने इस प्रश्न को आज दुबारा उठाया है, और मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सतर्कता आयोग ने इसकी जांच कर ली है। और कर ली है तो इसकी रिपोर्ट कब दी और रिपोर्ट दे दी है तो इस सदन को अभी तक अवगत क्यों नहीं कराया गया ? जहां तक सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा, अभी तक इसका केवल तीसरा प्रतिवेदन ही इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें मार्च, १९६८ तक के कार्यकलापों का जिक्र है, १९६९-७०, १९७०-७१ का नहीं है, तीन वर्षों में सतर्कता आयोग ने क्या कार्य किया, उसकी हमको जानकारी नहीं है। श्रीमान्, आप एक एडवोकेट रहे हैं और इस विधान सभा में भी कई माननीय सदस्य हैं, जो क्रिमिनल साइड में प्रेक्टिस करते हैं और जिन्होंने की है, और जिनको इण्डियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवीडेन्स एक्ट का ज्ञान है, वह इससे सहमत होंगे कि जो सोना १९६२ में इकट्ठा किया गया, अगर वह १९६५ में तीन, साढ़े तीन साल के बाद में जमा कराया जाना है तो इण्डियन पीनल कोड की धारा ४०३ एक्सप्लेनेशन १ के अन्तर्गत आप अवगत हैं, यह मिस एप्रोप्रियेशन की परिभाषा में आता है, चाहे टेम्प्रेरी थोड़े समय के लिए ही इसका मिस एप्रोप्रियेशन क्यों नहीं किया गया हो। इसलिए जो नम्बर तीन इश्यू बना कर भेजा था वह बिल्कुल सही था। एक प्रश्न यह भी उठता है-यह सोना किस स्थिति में बाहर आया ? पाकिस्तान ने आक्रमण किया और दुबारा जब दान मांगने के लिए गये तब यह सामने आया, अन्यथा यह सामने नहीं आता। इस बात को भी आपको देखना है। तो सुखाड़ियाजी, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आप में यह कमजोरी आ गई है- यह क्यों आ गई है ? मैं जानता हूं कि जिसने यह घोटाला किया, जिसने यह गड़बड़ी की, उनका आपके दल से सम्बन्ध है। यही नहीं, वह केबिनेट में आपके कुलीग भी रह चुके हैं। इसलिए आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। जब मैं यह बात कहता हूं तो मुझे महाभारत की एक घटना याद आती है। वह घटना यह है, दोनों तरफ कौरव और पाण्डव की सेना खड़ी हैं लेकिन अर्जुन के दिमाग और दिल में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है....

श्री रामकिशन : एक कन्फ्यूजन।

श्री फतेहसिंह : द्रोणाचार्य के खिलाफ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : When your turn comes, you may speak.

वह दोनों के खिलाफ– द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के खिलाफ शस्त्र उठाने में आनाकानी करता है। उस वक्त कृष्ण उनको उपदेश देते हैं और कृष्ण उसको कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, नपुंसकता त्याग, सामर्थ्यवान बन। ऐसा नहीं करेगा तो बदनामी होगी। उन्होंने उसको कहा—

जो कार्य करता श्रेष्ठ जन
करता वही और भी
उसके प्रमाणित पथ पर ही
पैर धरते हैं सभी।

मैंने आपसे कहा था, साढ़े सोलह वर्ष आपको मुख्य मन्त्री बने हुए हो गये। साढ़े सोलह वर्ष का इतिहास आपका इतिहास रहा है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं बने, आपने हिम्मत नहीं की तो फिर आपकी बदनामी होगी। जब मैं इस बात को देखता हूं, मैं आपको नसीहत नहीं देना चाहता, आप ऐसा काम करिये कि जिससे जब आप मुख्य मन्त्री नहीं हों, या हम और आप दोनों दुनियां से चले जायें तो हमको पीछे आने वाली सन्तान याद करे। लांग फैलो अंग्रेज कवि हुआ है, उसने कहा है—

Lives of Great men
reminds us, We can
make our lives sublime,
And when, parting
leave behind us,
Footprints on the sands
of time.

इसलिए इस सब कमजोरी को त्यागिये और चाहे वह घोटाला करने वाले आपके सहयोगी रहे हों, आपके दल से सम्बन्धित हों, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करिये। नहीं तो मैंने कहा था, मैं इसी संदर्भ में यह बात कहूंगा, बंगला देश के विस्थापितों के लिए कोष इकट्ठा किया जा रहा है, दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है, यदि आप उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने १९६२ में इकट्ठा किये गये सोने का दुरुपयोग किया, एक्शन नहीं लेंगे तो ब्यावर में जो अब कमेटी बनी है, उसके साथ असहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या विश्वास है, जैसे उस वक्त सोने का दुरुपयोग करने की भावना पैदा हुई, इस वक्त भी जनता से इकट्ठा किये हुए धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए जनता के दिल दिमाग में विश्वास पैदा करिये तो पहली सूचना तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सतर्कता आयोग ने आखिर इसका क्या किया और अगर तीन वर्ष में भी सतर्कता आयोग कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो यह साधारण मसला नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्या है, एक बड़ी समस्या है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो देश की सुरक्षा के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। He should be hanged by the first lamp post या He should be whipped publicly मगर यह आप में सामर्थ्य से ही हो सकेगा या आप सोचेंगे कि सतर्कता आयोग जो रिपोर्ट नहीं देता है, तो ऐसे सतर्कता आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा महत्व मारा गया। तीन वर्षों में अगर रिपोर्ट नहीं आती है, तो आप इस सम्बन्ध में जरूर प्रकाश डालें।

Page No. 123

(श्री फतेहसिंह)

शिक्षा के सम्बन्ध में भी मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं शिक्षा पर जाने से पहले एक बात कहूंगा कि मुख्यमन्त्री के सम्बन्ध में कुछ जनहित में कठोर बातें कह गया वहां कुछ और बात भी कहना चाहूंगा एडवर्ड मिल के बारे में। आपके जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, उनके लिए मेरा अनुभव है कि उनमें शिष्टता की कमी है। मैंने आपको बहुत शिष्ट पाया, आयुक्त सीनियर क्लीग्स को शिष्ट पाया। एडवर्ड मिल के मामले को लेकर मैंने आपको पत्र लिखा और आपके क्लीग्स उद्योग मन्त्री और श्रम मन्त्री को भी पत्र लिखा प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा और केन्द्रीय उद्योग और श्रम मंत्री को भी पत्र लिखें। मैं यहां पब्लिकली एनाउंस करना चाहता हूं कि मैंने आठ अप्रेल को पत्र लिखा और २० अप्रेल को मुझे प्रधान मन्त्री के निजी सचिव से उनका एकनालेजमेन्ट का पत्र प्राप्त हुआ। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि मुझे मुख्यमन्त्री आपका पत्र भी दूसरे दिन २२ तारीख को प्राप्त हो गया, आपको मेरा पत्र एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में आपको मिल गया है। लेकिन जिन मन्त्रियों से इस समस्या का सीधा सम्बन्ध था—उद्योग मन्त्री व श्रम मन्त्री— उनमें इतनी भी शिष्टता नहीं हुई कि मेरे पत्र को एकनालेज करते। आज हम जन प्रतिनिधियों के साथ यह व्यवहार होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि साधारण व्यक्तियों के पत्रों और प्रार्थना-पत्रों का कभी एकनालेजमेन्ट होता होगा। यह साधारण बात हो सकती है लेकिन इस बात का बड़ा महत्व है। इसलिए जब मुझे मुख्यमन्त्री और प्रधान मन्त्री के पत्र मिले तो मैं प्रभावित हुआ कि आखिर कहीं नियमित तौर से काम होता तो है।

इसी तरह से श्री शिवचरणजी माथुर, आप यहां बैठे हुए हैं....

श्री मनोहरसिंह महता : नहीं बैठे हैं?

श्री फतहसिंह : मैं नहीं चाहता कि नहीं बैठें, आपको भी मैंने विद्यार्थियों और उनकी फीस माफ करने की समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा था और पत्र इस बात का था कि आज विद्यार्थी फीस माफ कराना चाहते हैं। उनके गार्ज्यन अथवा माता व पिता को आयु का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है, इसमें कई स्लेबस बना रखे हैं कि ५ हजार तक की आमदनी वाले को यह फीस देनी पड़ेगी ७ हजार वाले को वह देनी पड़ेगी और १० हजार वाले को व २० हजार वाले को यह देनी पड़ेगी। श्रीमान, हम विधान सभा के सदस्य हैं, हमारे पास ये लोग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं और फार्म पहले ही भर कर लाते हैं कि ८००) सालाना, २ हजार रुपये सालाना, ५ हजार रुपए सालाना आय का प्रमाण-पत्र दिया जाए। मैं यहां पूछ रहा हूं कि हमारे लिए क्या संभव है कि हम इस प्रकार के प्रमाण-पत्र दे सकते हैं? हमारे पास कोई सेक्रेटरियट नहीं है और अगर हम देते हैं तब सर्टिफिकेट्स झूठे होंगे। इतना ही नहीं, हमको जाति का भी प्रमाण-पत्र देना पड़ता है, देना चाहिए; वह आसान है लेकिन ७वीं कक्षा का विद्यार्थी हो उससे इस साल जाति का प्रमाण-पत्र लिया, उससे अगले साल भी लिया जावे, ८वीं में ९वीं क्लास में हर साल वह सर्टिफिकेट लेते हैं। वह तो वहां स्कूल के अध्यापकों का और जो प्रमाण-पत्र देने वाले हैं, सब के समय का वेस्ट करना है। इस बात को लेकर मैंने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था। पत्र सीनियर डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और हैड आफ दी

(श्री फतेहसिंह)

इन्सटीट्यूशन को लिखा था उसकी प्रतिलिपि आपको भेजी थी और पत्र भेजा था आपको २०-७-७० को। इसमें मैंने खास तौर से लिखा था :—

Copy to Shri Shivcharan Mathur, Education Minister, Rajasthan, with a request that he should kindly evolve some practical methods on the above subject.

दुर्भाग्य की बात है कि कोई मेलाड इवाल्व किया या नहीं, उसको मैं नहीं जानता लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं आप शिक्षा मंत्री हैं, आप सब लोगों को शिक्षा देते हैं, आपमें इतनी भी शिष्टता नहीं थी कि मेरे पत्र के एकनालेजमेन्ट के सम्बन्ध में मुझे कुछ सूचना देते। खैर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो फीस के सम्बन्ध में या आमदनी के सम्बन्ध मे सर्टीफिकेट् निर्धारित किया है उसका कोई तरीका निकालें। आप चाहते हैं कि विधान सभा सदस्य सार्टिफिकेट दें तो क्या हम झूठे देंगे, मगर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अपनी लोकप्रियता कम होती है तो होने दें, मैंने गलत सर्टीफिकेट नहीं दिया। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। आप इस समस्या पर विचार करें।

मेरे और भी कटौती प्रस्ताव हैं। इस साल आप कई जगह प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जवाजा पंचायत समिति में आसन गांव है वहां भवन का निर्माण भी हो गया है, वहां मिडिल स्कूल भी खोलें। इस समय जवाजा पंचायत समिति के बड़ा खेड़ा गांव में और भीम पंचायत समिति के कूकड़ा व काछबली में मिडिल स्कूल चल रहे हैं, वहां पर भी भवनों का निर्माण हो चुका है। उनको माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। आप जब नए सेकेन्डरी स्कूल खोलें तो इन स्थानों का जरूर ध्यान रखें। जहां तक बड़ा खेड़ा का प्रश्न है, मुख्यमंत्री बैठे हैं और ये जानते हैं कि २६-७० को आप बड़ा खेड़ा पधारे थे, स्कूल भवन का उद्घाटन किया था। उस समय आपने विश्वास दिलाया था कि राजस्थान में यदि कोई मिडिल स्कूल खोलेंगे तो बड़ा खेड़ा को प्राथमिकता दी जायगी। अवसर आ गया है, आप सिफारिश करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। आपने देवगढ़ में हायर सेकेन्डरी स्कूल में एन. सी. सी. खोल रखी है, मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भीम में क्यों नहीं खोली ? उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। भीम वह स्थान है जहां से हजारों व्यक्ति इस समय सेना में सेवा कर रहे हैं, हजारों पुलिस में भी हैं। समय के अभाव के कारण इतना ही सिर्फ निवेदन करूंगा कि जनता की मांग एन. सी. सी. खुलवाने की है, इसको आप ध्यान में रखें। सरकार ने इस साल भरतपुर और भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता कि ब्यावर भी महत्व रखता है, ७० हजार की आबादी का नगर है। व्यापारिक केन्द्र है। तीन मीलें हैं यद्यपि उनमें से एक बन्द है, वहां पर करीब १५० लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, को एजूकेशन हो रही है वहां

(श्री फतेहसिंह)

के लोगों की मांग है कि उनके लिए डिग्री कालिज खोला जाए।

अंत में एस. डी. महाविद्यालय, ब्यावर के विद्यार्थियो ने हड़ताल की। इस संबन्ध में शिष्टमंडल ७ जनवरी, १९७१ को आपसे अजमेर में मिला था और उस अवसर पर मैं भी वहां आ गया, हालांकि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसको मैं अभी नहीं कहना चाहता। उस समय भी आपने आश्वासन दिया था कि एल. एल. बी. कक्षायें खोलेंगे तो ब्यावर को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया इस पर विचार करें। इसके अलावा एम. एस. सी. केमिस्ट्री में और एम. ए. हिन्दी में वहां पर कक्षायें खोलने के लिए आप कृपापूर्वक विचार करें। मैं अधिक समय न लेकर अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उन पर उचित ध्यान देगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टौंक): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के लिए जो राशि स्वीकृत की जाएगी उसका बहुत बड़ा भाग अनुदान के रूप में विभिन्न संस्थाओं को विभाग को दो जाएगी। जो अनुदान इस विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिया जाता है, उसका इस विभाग के द्वारा जानकारो कर कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इस बात का खयाल नहीं रखा जाता है कि अनुदान जो दिया जाता है उसका सही उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है या अपव्यय होता है।

राजस्थान स्पोर्टस् कौंसिल को जो धनराशि दी जाती है उसके लिये निवेदन करूंगा। राजस्थान स्पोर्टस् कौंसिल बहुत वर्षों से कोचिंग कैंप माउन्ट आबू में आर्गेनाइज करता है। उसकी क्या उपयोगिता है और क्या नहीं है, उसके द्वारा क्या उपयोगी काम हो रहा है स्पोर्ट्स के लिये इस प्रकार के कैम्प्स से यह मेरे दिमाग में नहीं बैठता है और न ही शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान रखता है। राजस्थान में टैलेन्टेड प्लेयर्स की कमी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि का मनमाने ढंग से खर्च किया जाता है। लड़के लड़कियों का मनमाने ढंग से सिलेक्शन किया जाता है। सही ढंग से जो सिलेक्शन होना चाहिये वह नहीं होता है। स्पोर्ट्स कौंसिल अपने मनमाने ढंग से माउन्टेनियरिंग में भेज देगी चाहे वह उसके लिये उपयुक्त न हो और दूसरा उपयुक्त होगा तो भी उसको नहीं भेजा जायगा। इसी प्रकार अमुक व्यक्ति को माउन्टआबू भेज देंगे। इसे गेम में नहीं दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। क्या वहां पर एक्टीविटीज होती है, क्या वहां पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं कोई देखरेख नहीं। काक साहब हैं उनकी जिम्मेदारी इसके लिये पूरी है और किस प्रकार से वे इसको चला रहे हैं यह देखने की बात है। १५-१६ गेम्स की संख्या निश्चित की जाती है। एक गेम की संख्या निश्चित की जाती है। बाद में लड़के जब एक्जर्ट करते हैं तो वही संख्या २०, २५ और ३० हो जाती है। किस परिस्थिति के आधार पर संख्या बढ़ाने की बात हो सकती है ? निश्चित उम्र है १७ से १९ वर्ष, २० वर्ष तक हो लेकिन २५ वर्ष तक भी वह बढ़ जाती है। वे क्या सीखेंगे यह मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है।

कोचिंग क्या करते हैं। किस प्रकार का कोचिंग होता है उसके लिये भी कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मिसाल नहीं है। कोचेज एक प्रकार से पेन्शन ले रहे हैं ऐसा लगता है। रीजनल सेन्टर्स कायम किये हुए हैं। कागजों में आपने व्यवस्था कायम कर रखी है कि फलां-फलां जगह रीजनल सेन्टर्स, फलां २ जगह में गेम्स। इसके बारे में न अरेन्जमेन्ट का तरीका स्पोर्ट्स कौंसिल के पास है और न ही कुछ। विभाग का तो प्रश्न ही नहीं होता है। स्पोर्ट्स कौंसिल ने क्या लाभ पहुँचाया कॉलेजेज में इसको भी देखा जाय।

एन्टरटेनमेन्ट एन्ड पब्लिक रिलेशन का एक फन्ड है स्पोर्ट्स कौंसिल में। उसका कोई उपयोग नहीं होता है। एक्जीक्युटिव, वाइस चेयरमेन श्री नाक के घर का पूरा खर्चा निकल जाता है। ट्रिपल सिगरेट खरीदी और बिल पर दुरुस्ती करायी और सेक्रेटरी और उनके बीच झगड़े हुए हैं। विभाग भी इसकी जानकारी से इनकार नहीं करता है।

आलोचना नहीं करना चाहता हूं। राजस्थान में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हैं। राजा महाराजाओं के जमाने में भी नहीं थे ऐसे बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन आप अच्छे खिलाड़ियों के निर्माण के लिये क्या कर रहे हैं? कितने अच्छे खिलाड़ियों को यह राज्य सरकार सुविधा प्रदान करती है? कुछ नहीं। सरकार को चाहिये कि अच्छे खिलाड़ियों को सब सुविधा प्रदान करें, पूरा खर्चा उनका वहन करे और होल टाइम प्लेयर बनाये। कोई आदमी गेम्स के नाम से अटेन्डेन्स लेता है तो मैं उसके खिलाफ हूं। बढ़िया प्लेयर का निर्माण करें और सब सुविधायें प्रदान करेंगे तो वे प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन उनको न तो एडमिशन में प्रायोरिटी दी जावेगी और न ही उनकी पर्सनलिटी का निर्माण किया जावेगा। झुंझुनूं और शेखावाटी की तरफ अच्छे २ प्लेयर्स हर एक गेम में मिलेंगे और यदि उनको प्रोपर फेसिलिटी मुहैया करेंगे तो वे राजस्थान का नाम ऊंचा करेंगे, देश के नाम को रोशन करेंगे।

इसके पश्चात् राजस्थान के विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिया जाता है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। पहले सदन में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा उठायी थी। अनियमितताओं और घोटालों और धपलेबाजी का मैंने जिक्र किया था। मैं विस्तार में दुबारा नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी अनियमितताओं पर विस्तार में जाना पसन्द नहीं करूंगा।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात को मैं जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह है कि तीन विश्वविद्यालयों में, उदाहरण के लिये एक विश्वविद्यालय को ले लें और एक-एक करके तीनों को ले लें, निश्चित रूप से आप पायेंगे कि राजस्थानवासियों के बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिये बाहर से एथेलेट्स को बुलाया। हमने बुलाया। हमारे बच्चों को वे अच्छी तालीम देंगे यह उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने हमारा किस प्रकार से शोषण किया है। सदन में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि लोकल टेलेन्ट्स को प्रोत्साहन देना चाहिये और उनको प्रिफरेन्स देना चाहिये लेकिन नहीं लोकल टेलेन्ट्स को प्रिफरेन्स नहीं मिला और आज ये बाहर से आये लोगों ने हमारा शोषण किया है। राजस्थानी शुड हैव बिन गिवन प्रिफरेन्स, बट दे हेव बिन नेग्लेक्टेड। बाहर से आये लोगों ने बाहर वालों को भरा। जिसकी नीयत में खराबी होती है वह उसी रूप में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

देखता है। बाहर से आये लोगों ने हवा बनायी, उनको गर्व हो गया, राजस्थान के लोगों को दबा दिया गया। ऊपर आने नहीं दिया। मैं सदन में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। विश्वविद्यालय के कार्यालय से जो सूचना दी गयी है वह गलत सूचना दी गयी है। मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। आपको यह मालूम हो सकेगा कि किस प्रकार से यहां के व्यक्तियों का हक दबाया गया है। रसायन शास्त्र डि० टोटल ७४। स्टुडेण्ट ८६। ३५ आदमियों को नया लिया गया है। २४ यू० पी० गोरखपुर। १२ आदमी मौजूद हैं। ८ आदमी लोकल हैं। लोकल की स्थिति मैं बताता हूं। हर एक डिपार्टमेन्ट के आंकड़े दे सकता हूं और हर एक विश्वविद्यालय के दे सकता हूं। मंत्री महोदय आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। उसमें क्या मिस्ट्री है उसको भी आप देखेंगे। वे लोग यहां के नहीं हैं, तालीम उन्होने नहीं पायी है यहां पर, और उनका यहां कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि कई रिश्तेदार हैं, कई मिलनेजुलने वाले राजस्थान विश्व विद्यालय के अन्दर बैठे हैं और राजस्थान के लोग बोल नहीं सकते और उनको कोई सुनता नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर जनता का, राजनैतिक नेताओं का कोई इन्टरेस्ट नहीं है और इसलिये उनकी कोई सुनने वाला नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इनका ठीक उत्तर देने की कोशिश करें और कार्यालय द्वारा उनको जो जानकारी दी जाय पहले उसे इन तथ्यों के साथ वेरीफाय कर लें। यूनिवर्सिटी जब बनी थी, राजस्थान एजूकेशनल सर्विस के लोग भी उसमें गये थे। उन्हें कहा गया कि या तो एजूकेशनल सर्विस को आप्ट करो या राजस्थान विश्वविद्यालय को सर्विस को आप्ट करो। उन्होने यूनिवर्सिटी बनने के बाद यूनिवर्सिटी की सर्विस का आप्ट किया परन्तु उन्हें आगे कोई चान्स नहीं दिया गया और यूनिवर्सिटी के हैड्स आफ दी डिपार्टमेन्ट बाहर से आकर बैठ गये हैं। इसमें रसायन विभाग का एक मनोरंजक इतिहास है और उसे सुन कर यह सदन विश्वास नहीं करेगा और इस के ऊपर मंत्री महोदय को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। इसी प्रकार से जो सिवल रजिस्ट्रार है उन्होंने तमाम यू० पी० का स्टाफ भर दिया है और इस यूनिवर्सिटी में हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट वह व्यक्ति बनाया जाता है जो कि रीडर की पोस्ट के लिये रिजेक्ट हुआ था और दो वर्ष पश्चात् बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसे प्रोफेसर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। जो आदमी रीडर के पद के लिये अयोग्य था उसे प्रोफेसर योग्य कैसे मान लिया गया ....

श्री उपाध्यक्ष : जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हार जाते हैं वे पार्लियामेन्ट के लिये जीत जाते हैं। वैसे ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी एनोलोजी ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु यह वास्तविकता है। यह दूसरा प्रश्न है, यह सिलेक्शन का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय डा० एच० सी० सक्सेना रीडर थे और उन्होंने अपनी मेहनत से कई लाखों की लागत का सामान लिया और इसको एस्टेब्लिश किया और बाद में जब प्रोफेसर का मौका आया तो उनका हक मारा गया और डा० लोकनाथन् को लाकर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इस पर बिठाया गया। इस प्रकार डा. सक्सेना योग्य थे, लेकिन उनका हक मार कर डा० लोकनाथन को बिठाया गया और जब वे इंग्लैण्ड चले गये तो पीछे से उनका सामान तोड़ मरोड़कर फेंक दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस प्रकार की कार्यवाहियां चल रही हैं। इसी प्रकार से सोशियोलोजी डिपार्टमेन्ट का दिलचस्प किस्सा है। सोशियोलोजी डिपार्टमेन्ट में भी एक लेक्चरार का हक मार कर दूसरे को बाहर से लाकर रखा गया। उसके बाद एक दूसरा और सिलिक्शन हुआ और रख लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं कोई राजस्थानी का नारा दूं, प्रान्तीयता की बात करूं मैंने तो यहां पर यह बात कही है कि लोकल प्रोडक्ट को प्रीफरेन्स मिलनी चाहिये और यह नहीं होगा तो मजबूर होकर दूसरा रास्ता लोगों को अपनाना होगा। और यदि यही रवैया चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जनता कहेगी कि राजस्थान के अन्दर राजस्थानी ही हो और बाहर से लाकर बिठाया गया तो उनको निकाल देंगे और राजस्थान का स्टूडेन्ट्स उनसे पढ़ने को तैयार नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा उदयपुर यूनिवर्सिटी का। यह सोचना पड़ेगा कि उदयपुर में जो मुख्य मंत्री महोदय का क्षेत्र है वहां पर राजस्थानियों का दमन हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : राजस्थान भर में हो रहा है ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर श्री ओ० पी० शर्मा कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक पेपर पब्लिश नहीं किया, एक किताब नहीं लिखी और डा० योगेश उदयपुर के ही रहने वाले हैं, सोशियोलोजी डिपार्टमेण्ट में है उन्होंने चार किताबें लिखी है और करीब १०० पेपर पब्लिश किये है। इन्टरव्यू हुआ डा० योगेश को रिजेक्ट कर दिया गया। यह सब मैनुपुलेशन है। वहां सिलेक्शन कमेटी बनती है और कौन नियुक्त होता है और कौन नहीं नियुक्त होता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। डॉ० योगेश को रिजेक्ट करके प्रोफेसर ओ० पी० शर्मा को लिया गया। डा० योगेश नेशनल रेपूटेशन के आदमी हैं, उदयपुर के ही रहने वाले हैं और इस प्रकार एक योग्य आदमी को सिलेक्ट नहीं किया गया। इसी प्रकार से दुलाचंद चौहान है। उन्होंने सोशियोलोजी डिपार्टमेन्ट को उदयपुर में डेवलप किया उनको बाहर निकाला डा० महाजनी ने झगड़ा कर। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय कई उदाहरण हैं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार विश्वविद्यालयों के अन्दर जिन लोगों को आपने बेहतर शिक्षण के लिये बाहर से लाकर बिठाया है, वे हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

जोधपुर विश्वविद्यालय को देख लीजिये इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हैं उनके बारे में जो तथ्य हैं वे सर्वविदित हैं। वे अजमेर के अन्दर डिसमिस हुए थे और आगे जाकर के रिइन्सटेट हुए। मैं इस सारे किस्से में तो नही जाना चाहता परन्तु यह कहना चाहता हूं कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की इन्टीग्रिटी बियोण्ड डाउट हो यह सरकार को देखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, वे हिन्दी का अनादर करते हैं जबकि राज्य सरकार की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नीति है हिन्दी को पनपाने की। वे हिन्दी से नफरत करते हैं और हिन्दी में बात नहीं करते हैं। हिन्दी में उनसे कोई बोलता है तो वे उसका जवाब अंग्रेजी में देंगे। वह उससे बात नहीं करेंगे और कह देते हैं आई डू नाट नो हिन्दी। फिर इस बात की आप क्या उम्मीद करते हैं कि वह आदमी राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालय को ऊपर उठायेगा और शैक्षणिक स्तर उच्च कर पायेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय एक आदमी ने जिसने अपना सारा जीवन लगा कर विश्वविद्यालय को वहां पर जमाया था उस आदमी को रिजेक्ट कर के उससे कहा गया कि योग्य आदमी को बाहर से लाकर बिठाया जायेगा। इस तरह से पांच जगहों पर पांच व्यक्ति बाहर से लिये गये। यह स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय जोधपुर विश्वविद्यालय की स्टूडेन्टस् की जो यूनियन थी उसको भंग कर दिया गया और उसको भंग कर के फैकल्टी कौउन्सिल बना दी ताकि स्टूडेन्ट्स मूमेन्ट कमजोर पड़ जाये। इन बातों से स्टूडेन्ट्स का मूवमेन्ट कमजोर नहीं पड़ता। आज राजस्थान का छात्र जगत सोया हुआ है। वह अपनी जेनुइन डिमाण्ड के लिये सरकार से मांग करता है और मांग न मन्जूर होने के कारण ही हड़ताल करता है और इस प्रकार से एक सिलसिला चलता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान के छात्र अपने माता पिता के पैसे पर मोज करते रहते हैं। एम० ए० पास करने के बाद उनको ख्याल जाता है कि उन्हें नोकरी करनी है और एम० ए० करने के बाद वे नौकरी की तलाश में दर दर मारे फिरते हैं और उनको कोई नोकरी नहीं मिलती है क्यों नहीं नौकरी मिलती है। क्यों नही मिलती है ? आज यूनिवर्सिटी के अन्दर क्या हो रहा है। उस तरफ उसका ध्यान न होने से एक मौका उसके हाथ से निकल गया और तब जाकर के वह समझता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन कि आज स्थिति विकट है और उसको इस ओर गम्भीरता से सोचना चाहिये। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर अगर सही ढंग से देखा जाय तो राजस्थान के लोग वन थर्ड हैं और टू थर्ड लोग बाहर के हैं। यह पोजीशन है यह बात। आज हमारे यहां के लड़के यू० पी० में नौकरी नहीं ढूंढ सकते, नौकरी तलाश नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जो इसका नमूना है, वह आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इतिहास के अन्दर एक प्रपोजल आया डॉ० जी० सी० पान्डे हैं उसमें स्टूडेन्ट्स को प्रमोट करने के लिये चार बाहर के आदमियों को लेना मतलब चार इतिहास के स्टूडेन्ट्स बाहर से लिये जायं, एक ऐसा प्रोविजन बनाया। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये चार स्टूडेन्ट्स राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर के हों। उस प्रस्ताव का विरोध हुआ। मैं तो कहता हूं आज यू० पी० में दो का करवा दीजिये। म्यूचुअल या रेसीप्रोकल हो सकता है लेकिन चार सीटें बाहर के आदमियों को दे दीं यह बिलकुल गलत बात है। मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूं–इन बातों से असन्तोष फैला है। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्या जोधपुर विश्वविद्यालय में, क्या उदयपुर विश्वविद्यालय में सब जगह राजस्थान की शिक्षा के बारे में असन्तोष फैल रहा है। राजस्थान के छात्र जगत मे तीव्र असन्तोष फैल रहा है। दो वर्ष बाद राजस्थान का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

छात्र जगत चेतेगा और राजस्थान में बाहर से आने वालों के खिलाफ आन्दोलन छोड़ेगा। आखिर राजस्थान का छात्र इन सब बातों को कब तक बर्दाश्त करेगा। आज राजस्थान का छात्र अपना केरियर खराब होने से डरता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय वह भी समय दूर नहीं जब छात्र किसी बात की परवाह नहीं करेगा, अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं करेगा और राजस्थानी लोगों को जागरूक करेगा। बाहर से आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उपाध्यक्ष महोदय जहां आन्दोलन हो जाय, छात्रों में गड़बड़ हो जाय और छात्रों में वायोलेन्स की भावना जाग्रत हो जाय तो मैं चाहता हूं इसके पहले ही राजस्थान की सरकार इस बात के लिये ध्यान दें और मसले को शीघ्रातिशीघ्र हल करें। कभी मेहता कमेटी के नाम से, कभी गजेन्द्र गड़कर कमेटी के नाम से टालमटोल नहीं करें। बहुत जल्दी एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर विलम्ब हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

हैड्स की मोनोपोली खतम हो जाय और डेमोक्रेसी अगर आ जाय और राजस्थान के लोगों को हक मिल जाय तो मैं निश्चित रूप से, मेरे भाषण से चाहे कुछ भी सारांश निकलता हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा आज भी राजस्थान के बाहर जो योग्य व्यक्ति हैं उनको लेने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बशर्ते वे राजस्थान विश्वविद्यालय के लिये हो, राजस्थान की जनता के लिये हो, राजस्थान के समाज का दर्द लेकर चलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय कानोड़िया कॉलेज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आज महारानी कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो वहां एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। कानोड़िया कॉलेज है उसमें अच्छी शिक्षा, दी जाती है। महारानी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने के कारण लड़कियों को कानोड़िया कॉलेज में जाना पड़ता है लेकिन वहां, उपाध्यक्ष महोदय, साइन्स नहीं है और लड़कियों को आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ता है। इसके लिये मैं चाहूंगा राज्य सरकार कुछ न कुछ कार्यवाही करके साइन्स खुलवाने का प्रबन्ध करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बी० एड० के कॉलेज चलते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो प्राइवेट कॉलेजेज चलते हैं, सरकार उनको अनुदान देती है पर शिक्षकों से अनाप शनाप फीस लेते हैं और एडमिशन लेने के लिये ५ हजार ६ हजार रुपये की वसूली करते हैं। न मालूम कौनसी फीस का नाम लेकर मुझे याद नहीं आ रहा है वे बी० एड० वालों से ले लेते है....

एक मा० सदस्य : डोनेशन फीस....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई होगा फीस उसमें ५ हजार, ६ हजार रुपया ले लेते हैं।

एक मा० सदस्य : केपिटेशन फीस।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां । केपिटेशन फीस के नाम से ले लेते हैं। जयपुर शहर के शिक्षक मुझ से मिले थे। उन्होंने मुझे बताया है आज इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। बिना ट्रेन्ड हुये उनको प्रमोशन नहीं मिलता है और अगर ट्रेनिंग लेने जाते हैं और सोचते हैं जयपुर के अन्दर ही ट्रेनिंग ले लें तो खर्चा कम लगेगा लेकिन उनसे ४–५ हजार केपिटेशन फीस लेने लग जाते हैं तो यह कतई उचित नहीं। इसके लिये समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य सरकार का ध्यान मैं इस

Page No. 131

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और भी आकर्षित करना चाहता हूं जो लोग काफी तजुर्बेकार हो गये हैं और काफी बूढ़े भी हो गये हैं तो उनको ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट होनी चाहिये। मैं इसको विशेष उचित नहीं समझता हूं। जो प्राइवेट संस्थायें चलती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके विषय में भी राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र करूंगा। शिक्षा और बेरोजगारी का बहुत गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा विभाग समझता है कि स्कूल खोलना और कॉलेज खोलना ही हमारी ड्यूटी है, इससे हमारा डवलपमेंट होता है और उस आधार पर प्रगति विवरण पेश कर दिया कि फलां जगह हमने चार स्कूल खोल दिये और फलां जगह हमने चार कॉलेज खोल दिये, लेकिन उसमें मैं आपको पूछता हूं आपने टेक्निक कौनसी बदली। कभी शिक्षा विभाग ने किसी एक्सपर्ट को कन्सल्ट किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य नाराज हो सकते हैं पर मैं सहमत हूं चार साल तक स्कूल और कॉलेज न खोले जांय लेकिन किसी एक्सपर्ट को कन्सल्ट किया जाय और शिक्षा प्रणाली को बदला जाय। विद्यार्थी का साइकलोजी का टैस्ट लेकर उसको उसी सबजेक्ट में भेजा जाय जिससे व्यक्ति सेल्फ सफिशियेन्ट हो और नौकरी के पीछे नहीं पड़े। आज हर आदमी के दिमाग में यह बात रहती है मुझे बाबू बनना है, किसी भी प्रकार बना दिया जाय लेकिन नौकरी दिला दी जाय। इसलिये इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिये राज्य सरकार को चाहे कितना खर्च वहन करना पड़े। पर इसकी परम आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को यह अवश्य करना चाहिये चाहे इसके लिये किसी अधिकारी को या मंत्री महोदय को अमेरिका भी भेजना पड़े तो भेजना चाहिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह : आपको भेज दें।

एक माननीय सदस्य : आपको भेज दें तो और भी अच्छा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडवाइजर के रूप में चला जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में दो चार लाइनें निवेदन करना चाहता हूं। आज रेवेन्यू कोर्ट्स की हालत बहुत खराब है और सारी प्रतिष्ठा रेवेन्यू कोर्ट्स की गिर रही है। यह तहसील से लेकर रेवेन्यू कोर्ट्स तक अच्छी नहीं है। मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों की तरह रिश्वत और भ्रष्टाचार की बात नहीं करता लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं एप्रीसियेशन ऑफ लॉ नहीं आज रेवेन्यू बोर्ड द्वारा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जजमेंट आज कुछ करते हैं और कल कुछ कर देते हैं। राज्य सरकार ने एक दफा तय किया था एक प्रेसीडेन्शियल जज और सेशन जज को कायम किया जायगा आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा इस विषय में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके एक सेशन जज ही नहीं बल्कि एक हाई कोर्ट के स्तर के जज जैसे व्यक्ति को कायम करना चाहिये। जो चेयरमेन हो। आपके सेक्रेटेरियेट से निकल कर कोई व्यक्ति चला जाय तो मेरी मान्यता है वह सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी है। एक सीनियर आर. ए. एस. स्केल का ऑफिसर सीनियर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आई. ए. एस. ऑफिसर की अपील सुनता है। सीनियर आर. ए. एस. का व्यक्ति आई.ए.एस. ऑफिसर की सुने और फिर रिटायरमेंट के टाइम पर उसको लगाया जाय तो कार्य में रुकावट आती है दो मिनट उपाध्यक्ष महोदय

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

रैवेन्यू बेंच जयपुर में कायम होनी चाहिये। आज रीजनल इन्टरेस्ट के लिये राजस्थान सरकार ने जगह-जगह रैवेन्यू बोर्ड पी. एस. सी., एज्यूकेशन का ऑफिसर और सारे ऑफिसेज को जगह-जगह कर दिया यह ठीक नहीं है। यह बात हिन्दुस्तान के अन्दर किसी स्टेट के अन्दर अलग-अलग जगह ऑफिसेज नहीं है। यह सब रीजनल इन्ट-रेस्ट के लिये किया गया है। मैं यह नहीं कहता जयपुर हो, अजमेर हो या और कहीं हो लेकिन जहां केपिटल हो वहीं होने चाहिये। जयपुर अगर आपने राजस्थान की राजधानी बनाई है तो सारे ऑफिसेज को भी यहीं रखने चाहिये ...

एक माननीय सदस्य : कारखाने कैसे अलग ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कारखानों की बात अलग है। कारखाने आप कहीं भी खोल सकते हैं लेकिन ऑफिसेज के बारे में जो नीति है वह जयपुर में ही होने चाहिये। और जो आज बैंचेज की मांग करते हैं, बैंचेज क्या पूरी की पूरी बैंच को जयपुर में जाकर लगवा दें। मेरी मांग है कि ये सब केपिटल में रहनी चाहिये। मैं जानता हूं भाषण देने से बेन्च जयपुर में नहीं आयेगी। इसके लिये तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। माननीय सतीशचन्द्रजी इस विषय पर बोलने वाले है वे ही इस मसले को उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात को अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि राजाओं के प्रिविपर्सेज और प्रिविलेजेज के प्रश्न पर मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहूंगा। इस सदन में पहले भी डिबेट हो चुकी है, मेरी मान्यता है बिना मुआवजे के खतम किया जाय। और मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को प्रस्ताव पास करके हिन्दुस्तान की सरकार से अनुरोध करना चाहिये कि राजाओं के प्रिविपर्स और मान्यतायें समाप्त करें।

जो पद और जो प्रापर्टी राजाओं की है सियत से उनमें वेस्ट करती है और जो राज्यों के जमाने में पर्सनल प्रापर्टी लिखा ली है, जो कार्य नहीं करके, बिजीनेस नहीं करके कोई कमाई नहीं करके, व बिना कमाये ही राज्य की प्रापर्टी को अपने नाम पर प्राइवेट प्रापर्टी में लेली तो यह लूट नहीं है तो क्या है ? उनकी किस बात की प्रापर्टी। वह प्रापर्टी जनता की है और सरकार में वेस्ट करती है और कर देना चाहिए और उनको सड़कों पर खड़ा कर देना चाहिये कि अपनी कूवत पर बनाओ और अपने हाथ-पांव से खड़े करिये ये महल।

श्री उपाध्यक्ष : राजाओं का क्या सब पर कानून लागू होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि समाजवाद को चलाने के लिए राजा-महाराजाओं के बाद में पूंजिपतियों का नम्बर आयगा और एक एक करके सब का नम्बर आयेगा।

तो, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री देवीदत्त गाड़िया : होम डिपार्टमेन्ट

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरा जो अनुरोध है और मैंने जो निवेदन किया है उस पर विशेष तौर से कार्यवाही करें और विश्वविद्यालय के बारे में वापस दुबारा निवेदन करूंगा कि उनका जवाब दें और यहां पर उत्तर प्रस्तुत करें और कोई न कोई कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा और सामान्य प्रशासन की मांगों पर इस सदन में विचार हो रहा है। ये दोनों मांगें इस प्रकार की हैं कि जिनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत थोड़े में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि मैंने जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन पर विस्तार से कुछ अधिक न कहते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन के ऊपर हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। प्राईवेट कॉलेजेज को ग्रान्ट इन-एड के रूप में काफी धनराशि दी जा रही है। मैं इन दोनों के सम्बन्ध में एक मोटा सुझाव देना चाहूंगा।

इस सदन में अनेक बार इस बात की चर्चा की गई है कि प्राइवेट कॉलेजेज में पढ़ाने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों को जो तनख्वाह, जो सेलेरी बिल में दिखाई जाती है वह नहीं दी जाती है। मैंने भी इस सदन में कई बार कुछ एकाउन्ट्स ओरीजनल पेश किये थे जो कि जयपुर के एक प्राईवेट कॉलेज के ओरीजिनल एकाउन्ट्स थे, और मैंने सदन में यह साबित करने की कोशिश की थी कि ग्रान्ट-इन-एड लेने की दृष्टि से बिल कुछ बनाये जाते हैं और वास्तविक रूप में तनख्वाह कुछ और दी जाती है। राज्य भर में चलने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की हालत बड़ी दयनीय है और विशेषकर ऐसे कालेजेज और स्कूलों की जिनको आय बहुत कम है। बड़े-बड़े पुराने कालेजेज या स्कूल्स को आप छोड़ दें जो कि सिलवर और गोल्डन जुबली मना चुके हैं या जिनको चालू हुए १०-२० साल हो चुके हैं। मेरा सुझाव यह है कि जितने भी प्राइवेट कालेजेज में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका वेतन राज्य सरकार डाइरेक्टली अपने कोष से दे और बाकी की ग्रान्ट-इन-एड का एडजस्टमेन्ट कर दे। मैं यहां तक कहूंगा कि सारी तनख्वाह चुकाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अपने ऊपर ले और उनकी ग्रान्ट-इन-एड में से एडजस्टमेन्ट कर ले तो जो शिकायत आज है वह शिकायत नहीं होगी। आप देखिये कि कालेजेज को आप ग्रान्ट-इन-एड ६०, ५० या ७० प्रतिशत देते हैं और मैं समझता हूं कि स्कूल और कालेजेज के बजट का जहां तक सम्बन्ध है वह इससे ज्यादा नहीं होगा इसलिए प्राइवेट कॉलेजेज और प्राइवेट स्कूल्स के टीचिंग स्टाफ की सेलेरी का भुगतान डाइरेक्टली कन्सोलिडेटेड फण्ड से होना चाहिए। यदि ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स में तब्दीली की आवश्यकता हो तो वह की जाय और कानून बनाये जाने की आवश्यकता हो तो शुरू कर देना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो अध्यापकों को पूरा वेतन मिलेगा और वेतन उनको समय पर मिल पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय और भी कई उदाहरण सामने आयेंगे कि दो-दो और ६-६ महीनों तक प्राइवेट कालेजेज और स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। राजस्थान में प्राइवेट कालेजेज और स्कूल के अध्यापकों की संख्या लाखों की है उनको राहत पहुँचायेंगे अगर हमने यह निर्णय लिया तो।

इसी सम्बन्ध में दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यूनिवर्सिटीज के सिलसिले में है। बड़े खेद का विषय है कि राजस्थान विधान सभा में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में हमें चर्चा करनी पड़ती है। हम कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की पढ़ाई के स्तर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फाइनेन्शियल केपेसिटी या उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में विधान सभा में चर्चा करें। यह बड़े खेद का विषय है। हमें विश्वविद्यालयों के इन्टरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में रहते हैं और विश्वविद्यालयों में दलबन्दी और गुटबन्दी सामने आती है तो निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधियों को यह प्रश्न सदन में उठाना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की बात नहीं करता हूं, व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं करना चाहता, उससे कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो तीन विश्वविद्यालय हैं उनकी हालत सेटिस्फेक्टरी नहीं है, न फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी है, न एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी है, न एज्यूकेशनल स्टेण्डर्स हैं, न रिजल्ट्स के स्टेण्डर्स हैं और अध्यापकों में आपाधापी से असन्तोष है, विद्यार्थियों में असन्तोष है और आये दिन हड़तालें होती हैं व तोड़-फोड़ होती है और एक अजीब सी धारणा राजस्थान के इन तीनों विश्वविद्यालयों में है और गुटबन्दी के अखाड़े बन गये हैं। मुझे बड़ा खेद और वेदना होती है इस सारी स्थिति को देख कर। मैं केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं जो मैंने सुझाव दिया है और कटौती-प्रस्ताव रखा है कि यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता हो तो कानून संशोधन किया जाय और किसी प्रकार से दूसरी व्यवस्था की जा सकती हो तो वह व्यवस्था की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं—एक सुझाव तो यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के फाइनेन्शियल मेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर्स, एज्यूकेशन स्टेण्डर्स के सम्बन्ध में जितनी शिकायतें हों या जो भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किये जा सकते हों तो मैं यह कहूंगा कि उन इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के लिए एक विजीटर्स पेनल का उसमें आर्टिकल करें। वाइस चान्सलर को जो अधिकार दिये गये हैं उसके अन्दर यह भी कहा जाय कि वे इन्सपेक्टिंग पेनल बना सकते हैं या इन्सपेक्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। इन्सपेक्टिंग पर्सोनल को भी नियुक्त किया जा सकता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो चान्सलर की सलाह से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो कि टाप आँनेस्टी का हो, टाप इन्टीग्रिटी का हो और जिस आदमी को एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन का आदमी हो, हिन्दुस्तान के लोग समझते हों उसे कोई व्यक्ति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की या अन्य कई व्यक्तियों की पैनल भी बनाई जा सकती हैं जो कि राज्य सरकार को विश्व विद्यालय की स्थिति को देखकर रचनात्मक सुझाव दें।

दूसरा इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे मसलों पर विश्वविद्यालय के मामले अदालत में जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी कोर्ट अलग से बना दें जिस प्रकार से चिल्ड्रन्स एक्ट के तहत कुछ पावर्स हैं जिनके तहत चिल्ड्रन्स कोर्ट बनाते हैं इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी कोर्ट्स की व्यवस्था हो, जहां पर यूनिवर्सिटी के आदमी जैसे किसी विद्यार्थी के एडमिशन का सवाल हो, किसी को इम्तिहान से रोकने का सवाल हो, पर्सेंटेज का सवाल हो, अटेन्डेन्स का सवाल हो या इस प्रकार का यूनिवर्सिटी से कोई भी सम्बन्धित मैटर हो, वह ले जा सकें। वैसे बिजनेस में पार्टनरशिप एक्ट में आर्बीट्रेशन का क्लाज रखते हैं, मैं आर्बीट्रेशन की बात नहीं कहता हूं कि सारे काम में आर्बीट्रेशन करें, लेकिन आज न्याय देखते हैं कि जहां पर अरजेन्सी है, किसी सिन्डीकेट के निर्णय के विरुद्ध कोई चीज हो, तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि यूनिवर्सिटी के अन्दर यूनिवर्सिटी कोर्ट्स हों कि जहां पर कोर्ट -फीस देने की आवश्यकता नहीं है, वहां जाकर अपना मामला पेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से न्यायालय में जाकर इनजेक्शन का सूटफाइल करते हैं इसी प्रकार से उस कोर्ट को अधिकार होगा कि वह यूनिवर्सिटी के खिलाफ इन्जक्शन जारी कर सके कि इस विद्यार्थी को इम्तिहान में बैठने दें और बाद में फैसला होगा। हम यूनिवर्सिटी को कोर्ट के दायरे से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा और यूनिवर्सिटी में ही सब व्यवस्था कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आप एक स्टेट लेविल पर इन्फार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी बनायें। आये दिन शिकायतें आती हैं। पोलिटिकल इण्टरफीयरेंस के लिए यहां कहा गया है। शिक्षा क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं पर राजनैतिक आधार पर विचार करना महान पाप है। इसके लिए इनफार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी रखी जाय। यूनिवर्सिटीज के बारे में यह है कि यूनिवर्सिटीज हमारी नई बनी है। छोटे-छोटे एरिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को ९५% एरिया दे दिया गया है। तो इसमें से जोधपुर को कुछ दे दिया जाये या उदयपुर को एरिया दे दिया जाये। आप एक यूनिवर्सिटी खोल दीजिये।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : बेहतर यह होगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जोधपुर को बना दीजिये। जोधपुर को ९५% एरिया दे दीजिये।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : अजमेर में खोल दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरा विभाग है सामान्य प्रशासन, इसके सम्बन्ध में कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग में राज्यपाल महोदय, जो हमारे कान्स्टीट्यूशनल हैड हैं और जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, वह सारा इसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिमाण्ड में आ जाये।। जैसे कि रेवेन्यू का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। लेकिन मैं इसके लिए खड़ा नहीं हुआ हूं और न मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज आप कोई धार्मिक किताब पढ़कर आये हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि आज कोई धार्मिक किताब पढ़ कर आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आप जो अपने चेम्बर में सुनाते रहते हैं कि कैसे विश्नोई समाज बना है, उसी का कुछ असर है।

लोकतन्त्र में चुनी हुई सरकार नीति का निर्धारण करे और उसको क्रियान्वित प्रशासन करें। मुझे १४ वर्ष से यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं राज्य में दुर्भाग्य से आज यह हो रहा है कि नीति निर्धारण करने का काम प्रशासन का है और क्रियान्वित करने का काम मन्त्रिमण्डल का है। हमारा यह मन्त्रिमण्डल प्रशासन की नीति को क्रियान्वित करते हुये देखा जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बिल्कुल ठीक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इरीगेशन में किसी को लगा देते हैं। वह सारे लोग यहां पर आते हैं। अभी हमारे दल के एक सदस्य मि० बोहरा कह रहे थे कि एक ओवरसीयर ट्रांसफर होकर झालावाड़ जा रहे थे। कभी यह था कि पैसा देकर ट्रांसफर कराते थे। आज यह है कि पैसा देकर ट्रांसफर केन्सिल कराते हैं। नीतियां निर्धारित करते हैं उसके अनुसार कार्यवाही नही होती है। नीति के अनुसार कार्यवाही नहीं तो एक्शन लिया जा सकता है, यह आज हाउस में नही है। जो सबसे बड़ी देश की समस्या है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर देश में आज एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को ठीक नहीं कर सकेंगे तो कब कर सकेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर हावी है। उदाहरण के लिए जितने के सरकिट हाउस में अधिकारी ठहर सकते हैं लेकिन एम० एल० ए० नहीं ठहर सकता है। सर्किट हाउस में कौन ठहरेगा, डाक बंगले में कौन ठहरेगा, यह वह निर्धारित करते हैं....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बिल्कुल ठीक। एम० एल० ए० नहीं ठहर सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो फर्स्ट-क्लास के एण्टाइटिल नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। यहां इस प्रकार के सवालात होते हैं। राज्य में किस प्रकार की नीति निर्धारण होना चाहिए। चाहे विधान सभा का मसला हो, उपाध्यक्ष महोदय, यहां इतने मसले लेकर आते हैं। केसेज रखते हैं। नतीजा क्या होने वाला है। यह सरकार नहीं मानेगी। सो जैसा कि श्री लंका में हो रहा है। बर्मा में हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है। लोगों का विश्वास भंग किया गया। जो पढ़े-लिखे इण्टेलेक्चुअल्स हैं वह पोलिटिक्स में आते नहीं हैं। विभाग से जो मिनिस्टर को उत्तर मिलता है, वह पढ़ देते हैं। स्वयं की कोई जानकारी है नहीं। जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्वयं की जानकारी नहीं रख सकते वह विभाग पर हावी नहीं हो सकते हैं। यहां ३६ मिनिस्टर बैठे हैं। ४-५ की तो बात मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इस राजस्थान में ऐसे-ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हुये हैं जैसे हरिभाऊजी थे। वह फाईनेंस मिनिस्टर थे लेकिन मुख्य मन्त्री के पास जाते थे और उनसे कहा करते थे कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी से कह दीजिये कि वह मेरी बात मान लें। यह हालत क्यों है कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं माने। आपने इतना बड़ा मन्त्रिमण्डल बना रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के द्वारा १९३५ में हाउस का १/१० का रेशो रखा गया है। यह संख्या निर्धारित है। आज हमारे यहां किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं है। तो क्या परम्परा के अनुसार कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं उनका अटल बहुमत होगया है तो भी १/१० सदन की सीमा है, इससे ज्यादा मन्त्रिमण्डल की संख्या नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज क्यों नहीं रोक सकते। आज हर कांग्रेस के दो एम. एल.ए. के पीछे एक मंत्री है। दो कांग्रेस के एम. एल. ए. के पीछे एक मंत्री है, तो अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब यह ट्रेडिशन है और १९३५ के गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडिकेशन है, और फॉरिन कन्ट्रीज में व्यवस्था है, तो सरकार कह सकती है कि मैं कानूनी आधार पर यह बात नहीं कह सकता क्योंकि संविधान में पाबन्दी नहीं है। मेरा निवेदन है चाहे कांग्रेस की हकूमत हो, चाहे दूसरी विरोधी पार्टियों की, देश के अन्दर एक मापदण्ड रखना चाहिए, और वह हो, सदन के एक बटा दस सदस्यों से ज्यादा न हो। यही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन ने भी सिफारिश की है उसके आधार पर देश के अन्दर कोई भी मंत्रिमण्डल सदन के एक बटा दस सदस्यों से ज्यादा नहीं हो (श्री भैरूंसिंह द्वारा पुस्तक देने पर) जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, मैं किसी पुस्तक के हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट से उद्धरण भी नहीं रखूंगा, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट में है। मैं निवेदन कर रहा था, एक यह चीज है, दूसरी चीज है, हाउस के लिए रेस्पान्सिबल कौन हो? यह गवर्नमेन्ट हो। लेकिन इस गवर्नमेंट, इस कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का कम्पोजिशन क्या है? आज कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की हालत क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आती है, उसको देखते हैं, इनकी हालत भी देखते हैं, क्वेश्चन आवर भी देखते है, एडजार्नमेन्ट मोशन के सम्बन्ध में देखते हैं, डिबेट में भी देखते हैं—इन सबमें इनका पर्फामेन्स देखते हैं। वाट इज दी पर्फामेन्स आफ दी मिनिस्टर्स, वह पूवर है। इस कारण जो मिनिस्टर्स पर चार्ज लगते रहे हैं करप्शन के, उन करप्शन के चार्जेज को भले ही आप बहुमत से दबा दें, राजस्थान के सिलसिले में जो करप्शन की बात है उसे पारित न होने दें, लेकिन क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी हो सकते हैं। इस वक्त मैं राजस्थान विधान सभा में कह कर चलता हूं कि ३६ मिनिस्टर्स में से चार को छोड़ दीजिए, बाकी के मिनिस्टर्स हैं इनको कोई बात नहीं मानता है—वित्त मन्त्री गृह मन्त्री, मुख्य मंत्री और थोड़ा बहुत उद्योग मंत्री—यह चार हैं जो विभाग से काम करवा सकते हैं अगर चाहे तो, बाकी के मिनिस्टर्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को दो पैसे की कीमत नहीं है। सुखाड़िया जी माफ करें, आपने सारा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कम्पोजिशन इस तरह से बना रक्खा है, मैं कहना चाहूंगा कि जो मंत्री मंडल के सदस्य हैं, इनमें म्युचुअल डिस्ट्रस्ट दिखाई देता है। व्यक्तिगत बातचीत होती है, चेम्बर में बातचीत होती है, इस सदन में देखने को मिलता है, सार्वजनिक रूप से सुनने को मिलता है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सारी परिकल्पना है, उदाहरणस्वरूप मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बरकतुल्ला जी माइनोरिटी को रिप्रेजेन्ट करते हैं, वह पावरफुल हैं, इसलिए उनको बेलेन्स करने के लिए नवाब साहब को लगा रखा है। नवाब साहब कोई मिस्चीफ न करें, इसलिए माधोसिंह को लगा रखा है। दामोदर जी पावरफुल हैं, कोई मिस्चीफ न करें, इसलिए हीरालाल देवपुरा को लगा रखा है। मथुरादास जी कोई पावरफुल होने के नाते मिस्चीफ न करें इसलिए जयकृष्णजी को लगा रखा है। हरिदेवजी के पीछे भीमसेन जी को लगा रखा है। यह सारा कम्पोजीशन इस तरह का है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो किसी न किसी तरह पावरफुल हैं उनके साथ अपने आदमियों को लगा दिया है। भीखा भाई कोई नुकसान नहीं कर सकते, सुमित्राजी बाल खींचें, तो भी क्या बिगड़ने वाला है, फिर भी खेतसिंहजी को लगा दिया। दोनों बेकार हैं। राव नारायणसिंह कोई नुकसान करें या नहीं, फिर भी प्रभा मिश्रा को लगा दिया। जो भी पावरफुल मिनिस्टर्स हैं केबिनेट में हर एक के साथ में अपने कान्फीडेन्स के आदमी को लगा रखा है। होम मिनिस्टर, दामोदरजी हैं यह पावरफुल थे, १९६२ से १९६७ तक इनका रुतबा देखा है, गरदन सीधी नहीं होती है। अब गरदन सीधी करदी है, हीरालाल देवपुरा को इनके साथ लगा दिया, वही स्टेटमेन्ट देंगे, प्रश्नों का जवाब देंगे हीरालाल देवपुरा। क्योंकि हीरालाल देवपुरा चालाक हैं। अब सुखाड़ियाजी, राज्य का जितना बजट है, उसका पचास पर्सेन्ट बजट कंट्रोल कौन करता है, इरिगेशन का पचास पर्सेन्ट हैं वह कौन कन्ट्रोल करता है, इनकी गोद का बैठा, रामप्रसाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पचास पर्सेन्ट बजट का कन्ट्रोल सुखाड़ियाजी के इस स्ट्यूज के पास है। और पावरफुल डिपार्टमेन्ट औरों के पास है। खुद के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुद के पास नियुक्ति, सामान्य प्रशासन और राजनीति विभाग और बाकी की डाउ पटेलाई। किसी विभाग की जिम्मेदारी होती, इरिगेशन, पावर की, तो रोज बात सुननी पड़ती–लाखों रुपये का घोटाला करते हैं, यह नहीं बना, यह नहीं बना। अब आराम से बैठे हुए हैं, सिविल लाइन्स में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के एम.एल.ए. आरहे हैं, मन्त्री आरहे हैं चार-चार दिन तक मिलने का टाइम नहीं मिलता–हुक्म है शाह कलन्दर का कि बैठा दुम हिलाया कर। चार चार दिन तक टाइम नहीं देते हैं। कांग्रेस के मन्त्री, उप-मंत्री, शिवचरण सिंह ने भूख हड़ताल की थी करौली में उस समय उन्होंने कहा था कि मैंने मिलने का टाइम मांगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया। राज्य मंत्री को टाइम दें नहीं, उप-मंत्री को टाइम दें नहीं। दें तो कृपा समझें। सुखाड़ियाजी मुस्करा जाय, इसके लिए मंत्रिमंडल के सदस्य चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं और सुखाड़ियाजी मुस्करा जांय तो समझें, दिन अच्छा है। मैं इन एम. एल. ए. की बात नहीं कहता, उनमें से कोई, जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज मंत्रिमंडल का रूप है, उसका विरोध करता है तो उसकी फाइल खुली हुई है। एक और विचित्र बात है, केबिनेट की तो यह पोजिशन है, फिर डिपार्टमेन्ट्स के सेक्रेट्री हैं, उनमें आज मोस्टली ऐसे हैं, जैसे एस. पी. सिंह भण्डारी, जगन्नाथसिंह मेहता, कोठारी, भण्डारी कोई मेहता, कोई भीलवाड़ा का, कोई चित्तोड़ का, कोई उदयपुर का–इनको मंत्रियों के साथ अटेच कर दिया कि अब मिनिस्टर कैसे निकल कर जायेंगे। ऐसा मकड़ी का जाला बना रखा है, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, उनका मास मेसाकर कर रखा है। यह जो मिनिस्टर हैं, इनमें से एक घटा दीजिये, तो पैंतीस का यह हाल है। जब यह हाल है तो आप क्या समाजवाद लायेंगे? क्या गरीबी को दूर करेंगे? क्या इनके सामने समस्या रखें? क्या इनको कहें। देवीदत्त गाड़िया कहते हैं, मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं। वह जानते हैं बल मुख्य मंत्रीजी के हाथ में हैं, भीखाभाई बेकार हैं, खेतसिंहजी से वह सवाल जवाब नहीं करते। इसी तरह रामचन्द्र आर्य कहते हैं, मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं। हाउस के सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि मुख्य-मंत्रीजी कह देंगे तो काम हो जायगा। डूंगाराम राजोरिया भी जानते हैं कि मुख्य मंत्री कह देंगे तो दौसा की समस्या का हल निकल सकता है। बाकी भीखा भाई खेतसिंह व्यर्थ हैं। सरदार साहब बोलते ही नहीं हैं। इन्होंने तो जिस दिन शपथ ली थी उस दिन यह बोले थे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कन्हैयालाल, डिप्टी मिनिस्टर हैं– मैं इनको और बहुतसों को पहचान नहीं पाता हूं। लिफ्ट वाला रोक देता है, ठीक कह रहा हूं आपसे, मैं कहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर हैं, आने दो। ऐसे नान एग्जिस्टेन्ट मिनिस्टर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो, क्वेश्चन आवर हो, डिबेट हो–इनमें यह कौंसिल आफ मिनिस्टर इज, अन्डर द कान्स्टीट्यूशन, रेस्पान्सिबल टू द हाउस ऐसी स्थिति में यहां हम आरोप लगाते हैं, भले हो निराधार आरोप लगायें, वह गवर्नमेन्ट को भगाने के लिए लगाते हैं, मुख्य मंत्री को मजबूर करने के लिए लगाते हैं कि मुख्य मंत्री खड़े हों और जवाब दें। क्योंकि वैसे तो यह जवाब देने वाले हैं नहीं, और बहस का कुछ नतीजा निकलने वाला है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का भला करना है तो यह कम्पोजीशन बदलना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजेन्ट कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में म्युचूअल डिस्ट्रस्ट है और लगाम सबके पीछे लगा रक्खी है, इनमें कार्डिनेशन हो, ट्रस्ट हो, जिम्मेदारी का एलोकेशन हो, ड्यूटीज का एलोकेशन हो। माधोसिंह डिप्टी मिनिस्टर है; उनकी मिनिस्टर से नहीं पटती है, उन्हे नवाब साहब के पीछे लगा दिया गया है, इससे कितने डिमोरालाइज होते हैं, यह हाउस के दो मिनट बोल नहीं सकते हैं। सारा अपोजिशन चुप बैठा है, कह रहा हैं, बोलो, बोलो, लेकिन कितने डिमोरे-लाइज हो गये हैं क्योंकि इनके पीछे ऐसे डिप्टी मिनिस्टर को लगा रखा है। अगर कान्फीडेन्स नहीं है तो हटा दीजिये, इस तरह डिमोरेलाइज करने में क्या मजा आता किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दीजिये, जिसके साथ में ताल मेल बैठ जाय–ऐसा लगा दीजिये। तो ऐसा कम्पोजिशन रहा है, इस स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अनफार्चुनेटली पांच दस साल से ऐसा लगता है, केबिनेट में इन्क्लूजन के लिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, भले ही तीसरी क्लास पास की हो वह भी मिनिस्टर बन सकता है। तीसरी क्लास पास मिनिस्टर हो, ठीक है, उसमें मुझे एतराज नहीं है, लेकिन कोई मेरिट वाला आदमी तो होना चाहिये। लेकिन कोई मेरिट नहीं है, अन्डरस्टेन्डिंग नहीं है। इनको पूछें, इन्फ्लेशन क्या है, बैंक लाग क्या है–तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। कोई बात यह समझ नहीं सकते, संविधान की बात नहीं समझते हैं तो रोजमर्रा की बात तो इनकी समझ में आये। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बना रखी है कि आप देखिये, कुछ की भाषा भी क्या है। आपकी कांग्रेस पार्टी जोधपुर में प्रस्ताव पास करती है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या घटायें, लेकिन आप घटाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस का राजस्थान में राज्य रखना है तो इनको रखना पड़ेगा, जसराजजी को दो साल की सजा हो चुकी है फिर भी उन्हें रखना पड़ेगा। दिस इज दी गवर्नमेन्ट आफ डिफेक्टर्स। आप करेप्शन को दूर करेंगे? किस आधार पर रोकना चाहेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक उदाहरण देते हुए मैं जयपुर शहर का हवाला दूंगा। जयपुर में पानी में जहर आने लग जाय, तो क्या नल की टूटियां तोड़ने से क्या जहर मिट जायगा। पानी में से जहर को मिटाना है, तो रामगढ़ की टंकी में जहर मिला हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। आप कहते हैं पटवारी खा गया गिरदावर खा गया, ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर खा गया, थानेदार खा गया। एम. एल. ए. कहते हैं वह खा गया। कांग्रेस के एम. एल. ए. कहते हैं वह खा गया, फारेस्ट का रेन्जर खा गया। ऊपर तक जाता है, टंकी तक जाता है। टंकी तक जाता है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। एम. एल. ए. हैं, पंचायत समिति के प्रधान हैं, जिला परिषद् के प्रमुख हैं, कौंसिल आफ स्टेट के मिनिस्टर हैं–इनकी जांच करने के लिये आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में संशोधन करने को आप तैयार नहीं हैं, लोकपाल की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर राजस्थान में यदि कोई मंत्री खाता है, शिकायत कहीं हो कि पैसा खाया है तो विजिलेंस कमीशन कुछ कर नहीं सकता, कोर्ट में केस जा नहीं सकता, विधान सभा में प्रस्ताव लाए तो वह बहुमत से गिर जाय। थानेदार कहता, है मिनिस्टर खाता है, डाक्टर कहता है, मिनिस्टर साहब खाते हैं, फिर दोनों बातें हैं, वह सोचते हैं, मुझे बचाने वाला मिनिस्टर है, तो उसमें कमजोरी पैदा हो जाती है, वह सोचता है मंत्री तो खायें, मैं भी खाऊंगा। चुनाव में साथ देते हैं तो कहते हैं, बाद में मेरा ध्यान रखना....... । कोई मशीनरी इसके लिए निकालें। आप कहते हैं आपके पास भ्रष्टाचार की शिकायतें करें। ३६ मन्त्री आपके पास हैं। आपसे पूछें कि कितनी प्रापर्टीज हैं उनके पास तो नहीं बतायेंगे। उनका डिक्लेयरेशन आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे? किसी के पास बहुत प्रापर्टीज हैं एग्रीकल्चरल लैंड है, जनता कहां शिकायत करेगी? मुख्य मन्त्री के पास २० बीघा जमीन थी बाद में बढ़ गए, कैसे हो गए? किसी के पास बाद में बंगला हो गया। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मुख्यमंत्री को डिक्लेरेशन देते हैं। हमारी पहली मांग है कि लोकपाल और लोकायुक्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की व्यवस्था को तुरन्त स्वीकार करना चाहिए और जब तक वह व्यवस्था केन्द्रीय स्तर पर नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और दबाव डाले। राजस्थान में अच्छे प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को शिकायतों की जांच करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए और अगर नहीं करेंगे और यह व्यवस्था जब तक हो तब तक राज्य की जनता और राजस्थान के विधायकों को जानकारी देने के लिए मंत्री मण्डल के जिस सदस्य ने जब कभी शपथ ली है, उस समय प्रापर्टी क्या थी, उनका सार्वजनिक रूप से डिक्लेरेशन कर देना चाहिए। उसका लाभ यह होगा कि जनता को जानकारी रहेगी कि अमुक मंत्री के पास यह प्रापर्टी थी जब शपथ ली थी और अब इतनी है। नहीं तो क्या होगा ? कई बार अनर्गल आरोप लगते हैं, एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है और नतीजा यह होता है कि राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति हकारत होती है। एक सदस्य ने कहा सारे विधायक ऐसे हैं, हमें बुरा लगेगा। जनरल रिमार्क है। राजनीति में बेईमान भी आते हैं और ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत आवश्यक है कि इस आधार पर सारी चीज को करें। इस समय जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है, मैं मांग करता हूं कि उस संख्या को घटायें वह बहुत ज्यादा है, ठीक से काम इस समय नहीं चलता। इसको १/१० करें। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ आपने जांच की है ? मुझे जानकारी है कि राजस्थान के विजीलेन्स कमिश्नर से जिन मंत्रियों के खिलाफ करप्शन चार्जेज के प्रमाण थे, शिकायतें की गई और विजीलेन्स कमिश्नर ने कहा कि मैं इसकी जांच नहीं कर सकता, मेरे अधिकार में नहीं है मैं सारी शिकायतें मुख्यमंत्री को भेजूंगा। आप बतायें कि कितनी शिकायतें आपको मिली हैं, मेरी जानकारी है कि सारी शिकायतें आपको फारवर्ड की गई। आपके सचिवालय में आई हैं। आपने क्या कार्यवाही की है ? जो मंत्रिमण्डल के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें आपको सतर्कता आयोग द्वारा भेजी गई, आपने किस-किस पर जांच की और भविष्य में क्या सोच कर चलते हैं ?

वर्तमान मंत्रिमण्डल में रीजनल कन्सीडरेशन है। जो प्रेजेंट काऊंसिल ऑफ मिनीस्टर्स का कम्पोजशीन है वह कास्ट रिडिन है, रीजनल कन्सीडरेशन है उसमें, इम्बेलेन्सड है, क्वालिटी के आधार पर नहीं है। आज इस प्रकार जो अपने कम्पोजीशन कर रखा है, जो मानोपोली पावर की बना रखी है और ब्यावर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने स्टेबिलीटी दी है उसके लिए सुखाड़ियाजी को मुबारकबाद दे रहे थे लेकिन बहता हुआ पानी अच्छा रहता है, रुका हुआ पानी गंदा रहता है। स्टेग्नेशन मीन्स स्टिंकिग। आप राजस्थान के जन-जीवन में १६ साल रहे हैं। आप १६-१७ साल में एक भी कांग्रेस के नेता पैदा नहीं कर सके जो आपको सक्सीड कर सके। इसके लिए शायद आपको बधाई दे सकें बाकी कांग्रेस माइनस मोहनलाल सुखाड़िया इज ए बिग जीरो, यह साबित कर रहे हैं। मैं आपको काग्रेचूलेट करने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि यदि कन्डीशन्स सुधरती, स्टेबिलटी के साथ प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होता है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो समझ में आ सकता था। आप विश्यस सर्किल बनाते जाते हैं, उसके उदाहरण नहीं दूंगा। आपने स्टैबिलिटी दी होगी, कैसे भी तोड़ मरोड़ कर की होगी। मैं उस चेप्टर में नहीं जाता, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं केवल सीमित दायरे में बात करना चाहता हूं। राजनीति में सरकारें आयेंगी जायेंगी, लेकिन समाज रहेगा। जब तक मंत्रिमण्डल के सदस्य ऐसा आदर्श उदाहरण स्थापित नहीं करेंगे तब तक बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार के संबन्ध में रखे गए प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दें। प्रश्न पूछें तो प्रश्न का घंटा समाप्त हो गया, यह कह कर दबादें, यह कहें कि यह अविलंबनीय लोक महत्त्व का नहीं है, इसको उठा नहीं सकते, यह कह कर टालदें, बाकी सारी चीजें बहुमत के आधार पर होंगी। आप केवल बहुमत के आधार पर चलते रहें और हमारी की हुई क्रिटेसिज्म और सजेशन्स को लोकतन्त्र की भावना से नहीं देखा तो यह जो एशिया में दीपक हिन्दुस्तान के जनतन्त्र का डगमगा रहा है एक दिन बुझ जायगा और सारा कलंक पाप का आपके माथे पर लगेगा। इसी दृष्टि से विचार करके और प्रशासन को सुधारने की दृष्टि से और मंत्रिमण्डल को सुधारने के लिए जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार करके आप सदन में घोषणा करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा): मेरे कट मोशन्स शिक्षा विभाग में हैं और कुछ सामान्य प्रशासन के हैं। जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है, जो मेरी कान्स्टीट्युएन्सी की डिमांड्स हैं उस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री उन पर स्वयं विचार करेंगे। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप का सवाल है, मुझे एक दो बातें कहनी हैं। हमेशा हम देखते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप है, हमारी जो डेवलपिंग इकानामी है, उसको मीट करने का यह ढांचा नहीं है। हमने जो इन्हेरिट किया है अंग्रेजों से उसका डिटो चला रहे हैं। हम एक बात भूल जाते हैं कि ब्रिटेन में जो एन्वायरन्मेंट्स हैं वह हमारे यहां नहीं हैं। वहां पर पार्ल्यामेन्टरी डेमोक्रेसी चलती है लेकिन वहां कोई संविधान नहीं है। जैसे हमारा संविधान है वहां पर नहीं है लेकिन फिर भी वहां सैकड़ों वर्षों से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चल रही है। इंग्लैंड में जो हरेक सोसाइटी है, सेक्शन्स ऑफ सोसाइटी ऑरगेनाइज्ड हैं जबकि हिन्दुस्तान में वेरियस सेक्शन्स ऑफ सोसाइटी के अलग अलग इन्ट्रेस्ट्स हैं। चाहे लेबर हों या दूसरे लोग हों, इस तरह से ऑरगेनाइज्ड सेक्शन्स नहीं हैं।

दूसरी बात, वहां कि जो सरकार है रेस्पान्सबुल है, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म से और पार्ल्यामेंटरी बातें आती हैं या डेमोक्रेटिक वे से बातें सामने आती हैं, वहां की सरकार उसमें रेस्पांसिबल है, वह हीयर करती है और उससे उनका प्रशासन ठीक चलता है लेकिन यहां पर जैसे मुझसे पहले वाले वक्ता ने कहा यहां पर क्रिटिसिज्म का सरकार के दिल पर और प्रशासन पर कोई असर नहीं होता है। यही वजह है कि प्रशासन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन लाने होंगे जिनसे यह स्ट्रक्चर जिसको हमने इन्हेरिट किया है, जिसका

(श्री पी. के. चौधरी)

केरेक्टर है ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करना, वही स्ट्रक्चर आ रहा है। इस ढांचे में कैसे वेलफेयर स्टेट बिल्ड कर सकते हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। जो मैन्यूएल्स हमारे हैं जो रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स हैं, कोड वगैरह हैं उस जमाने के उन कन्वेशन्स के लिए ठीक थे जहां तक ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने का सवाल है। लेकिन जहां तक समाज निर्माण की बात आती है, एक वेल्फेयर सोसाइटी बिल्ड करने की बात आती है, हम देखते हैं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन) (३.०० म.प.)

कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नाकाफी है, आज तक सफल नहीं हुई है। इससे जनता में एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। असंतोष पैदा होता है इस बात के लिये होता है। इसलिये नहीं होता है कि सरकार नहीं करना चाहती हो इस बात के लिये नहीं होता है। प्लान में पैसा काफी खर्च किया है। इम्पलीमेंन्टेशन अच्छा नहीं हुआ इस कारण फ्रस्टेशन और असंतोष पैदा होता है। इसलिये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदलने के लिये कुछ करना पड़ेगा।

समय-समय पर हमने हिन्दुस्तान में और राजस्थान में भी कमेटियां बनायी हैं। राजस्थान की भी रिफार्म्स कमेटी हुई है और कमीशन अपोइन्ट हुई है, उनकी रिपोर्ट आयी है और उन पर कुछ हद तक हमने पालन करने की कोशिश की है। आर्गेनाइजिंग मेथड्, सेल सिस्टम किया. उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जावेगा और एफिशियेन्सी बढ़ जावेगी। सरकार ने सब कुछ कर लिया उसने कहा है कि पावर डेलीगेट कर दो। वह भी कर दिया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे प्रशासन में जो तब्दिली हम चाहते हैं वह नहीं हुई। उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ा, चाहे भाषा में परिवर्तन लाये होंगे लेकिन उसका इम्पेक्ट जन-मानस पर नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है? एक दो-बात कहना चाहता हूं। डेलीगेशन ऑफ पावर। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पेपर में ही रह गया है। जैसे मंत्रिमंडल में मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर को पावर डेलिगेट कर देते है लेकिन डिप्टी मिनिस्टर हम देखते हैं कि दो-चार को ही जिनाइन तरीके से पॉवर डेलीगेट हुई है। कागजों पर तो हो जाती है लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है, डिसिजन मेंकिग सेन्टर है, वह ऊपर ही रह जाता है। और नीचे तक नहीं आता है। एक वजह यह भी है कि जितना पावर डेलीगेशन होना चाहिये उतना नहीं हुआ। और जहां हुआ है तो इतना डिग्रेडिंग हुआ है कि उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं कि जिनको यह डेलिगेट हुआ है।

सभापति महोदया, दूसरा यह भी कहना चाहता हूं कि कम्पलीट डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया तो स्फीयर ऑफ वर्क होना चाहिये और फिर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स अप होनी चाहिये। सबसे बड़ी बाधा, डिफेक्ट यह है कि कोई तरीका नहीं है जिससे हम यह कहें कि फलां काम हुआ नहीं उसके लिये फलां व्यक्ति रेस्पोन्सिबिल है। हम कहीं पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स अप नहीं करते हैं सड़क क्यों नहीं बनी, बनी तो खराब बनी तो क्यों नहीं उसका बजट में प्रावधान है और वह बनती है लेकिन कैसे बनी और न बनी इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी हम कहीं पर भी फिक्सअप नहीं करते हैं। एक्स. ई. एन. की रेस्पोन्सिबिलिटी

Page No. 144

(श्री पी. के. चौधरी)

है यह कहेंगे वह कहेंगे कि ठेका तो एक्स. इएन. ने नहीं दिया। ठेकेदार ने काम नहीं किया मेटिरियल कोई सप्लाई करता है सुपरविजन किसका है। मौजूदा जो सिस्टम है, किसी काम के लिये काम नहीं होता है, खराब होता है कि उसके लिये रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्सग्रप नहीं कर पाते हैं। मकान बन गया। उसमें से पानी गिरता है बरसात में, लेकिन उसके लिये कोई रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्सग्रप नहीं है। एक्स. इएन. की है, सुप० इन्जीनियर की है या चीफ इन्जीनियर की है, कोई रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्सग्रप नहीं कर सकते हैं। इसलिये हम बार-बार यह कहते हैं, रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्सग्रप नहीं करने के कारण ही यह स्थिति है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है काम खराब हो जाता है, मेरे ऊपर दोष नहीं ग्रा सकता है। ग्राप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ग्रच्छे ढंग से काम करूंगा। ग्राप एकदम रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्सग्रप कीजिये। चाहे बिल्डिंग हो, सड़क हो ग्रौर कोई चीज हो, ठीक नहीं बनाई है तो किसने नहीं बनायी है, चाहे एक्स. इएन. हो, चाहे सुप० इन्जीनियर हो, चीफ इन्जीनियर हो या ठेकेदार हो। सब उसके लिये जिम्मेदार होने चाहिये। जिस ग्रॉफिसर को पॉवर डेलीगेट करते हैं, रेस्पोन्सिबिलिटी देते हैं उस पर यह जिम्मेदारी है। यदि यह हो जाय तो कुछ एफिशियेन्सी एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रा सकती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कुछ डिपार्टमेन्ट ऐसे हैं जिनके लिये ग्राप टारगेट फिक्सग्रप नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ विभाग तो ऐसे हैं कि जिनके लिये टारगेट फिक्सग्रप कर सकते हैं, जैसे डवलपमेंट डिपार्टमेंट है ग्राप टारगेट फिक्सग्रप कर सकते हैं, पी. डबल्यू. डी. विभाग है ग्राप एक्स. इएन. ग्रादि इतना काम करेंगे, इरीगेशन के इतना काम करेंगे। ग्राज ग्रापके पास टारगेट फिक्सग्रप नहीं है। काम हो जाय तो ग्रच्छा ग्रौर न हो जाय तो ग्रच्छा। यही एक कारण है, कमेटी की रिपोर्ट के ग्राने के बाद भी यह नहीं होता है।

एक बात यह मान कर चलता हूं। नियम वगैरा बनाते हैं। रूल्स बनाते हैं। नियम ग्राप बना देते हैं सेक्रेटेरियेट में बैठ कर उसका नीचे जाकर क्या ग्रसर होता है उसको ग्राप नहीं देखते हैं। नियम ग्रापने बनाया कि किसानों को पास-बुक देना है। नियम तो ग्रापने बना दिया। दरख्वास्त पहुंच गयी लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं दी जावेगी। ग्रापने यह नियम बना लिया कि किसान दरख्वास्त देंगे। किसान तो उसी दिन जावेगा जब कि उसको कर्जा लेना पड़ता है, वह दरख्वास्त दे तो ही ग्राप उसको मना कर देंगे। उसको दो रुपये की एवज में ४० रुपये देने पड़ते हैं। पास-बुक लेना है तो दरख्वास्त दो। जिस प्रकार लगान वसूल कर लेते हैं ग्रौर रसीदें बांटते हैं उसी प्रकार बांटना चाहिये। यह ग्राप नहीं करते हैं उसका नतीजा यह हुग्रा है। चालीस लाख पास-बुकों की ग्रापको जरूरत है ग्रौर ग्राप छपवाते हैं दस लाख। फिर दरख्वास्त का भी वो प्रोसिजर रखा है। दरख्वास्त लेकर तहसील में जावेगा जब ही तो ग्राप उसको देंगे। हर एक खातेदार को पास-बुक देना है तो यह नियम बना दीजिये कि दरख्वास्त की जरूरत नहीं है। जैसा कि रेवेन्यू रिकार्ड में जिसके नाम का खाता है उसी से उसके घर पर पास-बुक पहुंच जाये ग्रौर उससे ग्राप लगान वसूल

(श्री पी. के. चौधरी)

कर लेंगे। नियम आप बना देते हैं किन्तु उसका इम्पलीमेन्ट नहीं होता है। सेक्रेटरियेट में बैठने वालों को नियम बनाने का कोई ध्यान नहीं होता है। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को कैसे वर्क आउट किया जायेगा, कैसे इम्पलीमेंट किया जायेगा इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक डिसीजन लिया है तो वह इम्पलीमेंट होना चाहिये। एक मिसाल देता हूं। साल भर पहले राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा गांव में रहने वालों को आबादी के प्लॉट देंगे। उनके भाषण के समय यह कहा था। आपने कह दिया लेकिन इसके लिये आगे आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है। गांव में खाली प्लाट पड़े हैं तो ठीक है लेकिन चूंकि जमीन नहीं है फिर प्लाट कहां से देंगे। इसके लिये पहले जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। तो यह जमीन कौन एक्वायर करेगा। कौन जमीन को एक्वायर कर के डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके लिये कोई नियम आपने नहीं बनाया है और इस साल भी आपने इस बात को दोहराया है लेकिन मैं जानता हूं कि इसको इम्पलीमेन्ट नहीं किया जायगा। क्योंकि इसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये पहले नियम चाहिये रूल्स होने चाहिये। आपका जो ऑफिसर है वह बिना रूल्स के एक कदम भी नहीं चलेगा और न बिना रूल्स के वह जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही करेगा।

दूसरी मिसाल देता हूं। आपने फैसला किया है रूरल वर्क्स प्रोग्राम हो और उसके अन्दर आप एक हजार व्यक्तियों को रोजगार देंगे। कलेक्टर ने सब को बुला कर मीटिंग की। परन्तु यह तय नहीं है कि कौन सो वर्क्स को एक्जीक्यूट करेगा, कौन वर्क्स का पेमेन्ट करेगा रूरल वर्क्स प्रोग्राम का। तालाब, सड़क, कुएं आदि बनेंगे। परन्तु आज यह तय नहीं है कि कौन आदमियों को रिक्रूट करेगा और उसका क्या बेसिस होगा और किस फेमीली को रोजगार की जरूरत है। इसके लिये आपने कोई कम्पीटेन्ट प्रॉयोरिटी नहीं रखी है और दरअसल में यह सारे रूल्स भी नहीं बनाये गये हैं। इस प्रकार यह भी अमल में नहीं आयेगा। गांव में कोई काम है तो उसका कौन देखेगा। आया इर्रीगेशन का काम है तो इर्रीगेशन विभाग देखेगा या पी. डब्ल्यू. डी. इसके बारे में भी आपकी कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम डिसीजन तो लेते हैं लेकिन डिसीजन लेने के पहले जो तैयारी करनी चाहिये कि वो मस्ट बी इन एपोजीशन टु इम्पलीमेन्ट इट और इसके लिये बराबर नियम होने चाहियें।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आप जानते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्स-पेन्डीचर काफी बढ़ गया है और उसमें खास करके यह पाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि कोई भी सरकार नया काम लेती है तो उसके लिये एक नया डिपार्टमेन्ट खोला जाता है। ऑफिसर का अपाइन्टमेंट किया जाता है और फिर वह अपना स्फीयर ऑफ इन्फलेन्स बढ़ाता जाता है और फिर दस, बीस आदमियों को और नियुक्त करने का सिलसिला खड़ा हो जाता है। सरकार कोई भी नया काम करने का फैसला करती है तो तुरन्त ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, चपरासी की नियुक्ति हो जाती है और क्लर्क भी रखे जाते हैं और खर्चे का बजट बराबर बढ़ता

(श्री पी. के. घोधरी)

जाता है और पार्किसन लॉ ने यह बता दिया है कि एन ऑफिसर डवलप्स इट्स ओन इनकोम्पीटेन्सी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को आप फैमिली प्लानिंग की बात कहते हैं तो उसी प्रकार जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी परकिनसन लॉ को थ्योरी के अनुसार काम करें और इसमें भी फैमिली प्लानिंग का तरीका सोचना चाहिये। दूसरी बात हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। यह जो ऑफिसर होता है वह एक परटिकूलर ब्यूरोक्रेसी का हाइएस्ट ऑफिसर होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक आदमी डिप्टी मिनिस्टर है और अच्छा काम करता है तो उसको मिनिस्टर के पद पर प्रोमोट कर दो और अब मिनिस्टर बनने के बाद, मिनिस्टर की लियाकत उसमें है परन्तु मिनिस्टर की पोस्ट पर पहुँचने के बाद वह इन-इफेक्टिव हो जाता है और काम नहीं करता है और यदि उसमें सी. एम. बनने के टेलेन्ट्स है तो वह काम करता है। उसके सामने यह होता है वह कभी न कभी सी. एम. बनेगा। उस खयाल से वह इफेक्टिव रहता है। यहां हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट में भी यही बात आती है। जब एक आदमी अच्छा स्टेनोग्राफर है, अच्छा सेक्शन ऑफिसर है तो वह असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और डिप्टी-सेक्रेटरी तक जाने की कोशिश करता है। उसमें उस पद की काबलियत होती है और उस पद पर पहुँचने के बाद वह इनकोम्पोटेन्ट हो जाता है और कोई वील नहीं रहती है और कोई इन्सेंटिव नहीं रहता है काम करने का। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जिनकी सेक्रेटरी बनने की ज्यादा काबलियत है उसका प्रोमोशन होता है और वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट सीनियोरिटी के आधार पर हो जाता है। जैसे-जैसे आदमी इस पद पर पहुँच जाता है वैसे-वैसे उस व्यक्ति की काम करने की जो एक इच्छा है वह कम हो जाती है। जितना छोटा आदमी रहता है वह उतना ही काम करता है। हम देखते हैं ऑफिसर गैलेरी की तरफ, जो छोटा ऑफिसर होता है वह अलर्ट होकर बैठता है और हमारी बाते नोट करता रहता है और जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट यहां पर बैठते हैं वे ऐसे बैठते हैं जैसे कोई मेहमान हों और हमारी बात को सुनने के लिये नहीं आये हैं। वे जानते हैं कि उनको जहां तक पहुँचना था वे वहां तक पहुँच गये हैं और अच्छा काम करने से उनको कोई फायदा नहीं है। तो पार्किसन लॉ के अनुसार यह पाया गया है कि ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर हाइएस्ट पोस्ट पर पहुँच जाता है तो वह उस पोस्ट के काबिल नहीं रहता है। लोअर स्टेज पर वह ठीक चलता है और इफेक्टिव रहता है तो मेरे कहने का मतलब यह है। यह जो ह्यूमन नेचर है उसको कैसे कन्ट्रोल किया जाये? क्या इसका कोई तरीका है? दो बातें इसमें है। एक तो यह है कि जो यह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, यह पोस्ट सीनियोरिटी से नहीं होनी चाहिये। यह पोस्ट सीधी प्रोमोशन से नहीं होनी चाहिये। यह एक टेनुअर पोस्ट हो और ३/४ साल के लिये रखा जाये। इसमें कोई सीनियर, जूनियर का सवाल नहीं होना चाहिये। जो अच्छा काम करेगा और डिपार्टमेन्ट में चाहे वह लोअर में हो और वह कम्पीटेन्ट है तो उसको उस पर लगाना चाहिये। यह क्या है कि जो सी. ई. बने वह रिटायरमेन्ट के दो साल पहले ही बने या पांच साल पहले

Page No. 147

(श्री पी. के. चौधरी)

बन जाये और जब तक रिटायर नहीं हो सी. ई. बना रहे ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

....दो मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी में इफोशिएन्सी लाने के लिये, उनको अलर्ट रखने के लिये यह जरूरी है कि जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वह पोस्ट प्रमोशन से नहीं होनी चाहिये। वह आउट ऑफ दी केडर, नॉन केडर पोस्ट होनी चाहिये इसमें अब दो बाते हैं। एक बात यह है कि यह किस प्रकार से होगा। सभापति महोदया, यह एक अनडिजोरबल सब्जेक्ट है परन्तु मैं यह मानकर चलता हूं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट एक कमीटेड पर्सन होना चाहिये। हम समाजवाद के लिये काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट है उसका समाजवाद पर भरोसा नहीं है। हम जो डवलपमेन्ट वर्क करना चाहते हैं उसको हमारा हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट मन से नहीं करता है तो वह काम चल नहीं सकता है अगर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट कमीटेड होगा तो उसके नीचे का स्टाफ भी कमीटेड होगा और काम सफल होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको टेन्युअर पोस्ट कर देनी चाहिये, नॉन केडर पोस्ट कर दे और उस पर इफेक्टिव आदमी को लावें और उस कमीटेन्ट आदमी को तीन साल के लिये रखें। ठीक काम करेगा तो तीन साल और रहेगा नहीं तो चला जायेगा अपनी सबार्डिनेट पोस्ट पर और दूसरे आदमी को लायेंगे और यह आप कर सकते हैं। दूसरी एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कि सारे कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन को गीअर अप करने के लिये जो हमारे राजस्थान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी है। उसमें जो बातें कही है मैं पढ़कर सुना देता हूं। मेरी भी राय है और मैं समझता हूं सरकार को तुरन्त विचार करना चाहिये। वह स्टेट पालिसी का चेप्टर है। उसकी शुरूआत में जो बातें कही है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं। वह मैं बड़ी इम्पार्टेन्ट मानता हूं। काफी सोच समझ कर रखा गया है—

"In any form of Government, proper administrative structures, procedures are important and do contribute to the efficiency of the administration, but much more important is the quality of the human element and the manner in which it is handled. The Cabinet is the fountain head of the administration and determines the tone and temper of the entire administration. The confidence integrity, and team work of the Cabinet cast their reflection throughout the administration. Without these pre-requisites it will be idle to expect a good administration however sound the administration and procedures may be."

यह बात तो मैं मुख्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं अपनी केबिनेट को

(श्री पी. के. चौधरी)

इस सुझाव के माफिक करें। एन्टायर ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को टेक-अप कर सके। दूसरी बात जो कही गई है वह भी बड़ी इम्पारटेन्ट है—

"The right man in the right place with full freedom to function and with necessary support and confidence of a vigilant and strong minister will without doubt, ensure efficient administration. The Minister should decide policies, draw up programmes and priorities, give general directions and exercise supervision and control, but should permit the civil servant to execute the policies and programmes of the Govt unhindred, encourage initiative amongst them and ensure that they exercise fully the powers that have been delegated to them at all levels.

आज वह बात नहीं होती है। पावर्स जो डेलीगेट की है वह आल लेवल पर आज नही है। कुछ लोग इसलिये करते भी नहीं हैं। इन दो बातों को कर लिया जाय तो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इम्प्रूवमेन्ट हो सकता है और काफी सुविधा से काम कर सकते हैं। अन्त में एक बात मेरे कहने का नही था लेकिन हमारी पार्टी के सदस्यों ने बी० बी० जोन के लिये कुछ बातें कही हैं। मैं पर्सनली बी० बी० जोन को जानता हूं। ही इज वेरी क्लियर मेन, उसके लिये एक ऐसी बात कही जाय–ही इज वन्डरफुल मेन–बिना जानकारी किये उनके बारे में कुछ भी कहना मैं ठीक नहीं मानता हूं—

He is a Scholar. He is a wonderful man. He is a nice and a fine piece of man.

गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुआ है। मैं उसके लिये इस प्रकार की बात हाउस में कहा जाय, ठीक नही मानता हूं।

श्री सभानेत्री। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज।

श्री मेघराज पंवार (चूरू): सभानेत्री महोदया, आज जो शिक्षा और सामान्य प्रशासन पर बहस चल रही है। उस सम्बन्ध में मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं। उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। सभापति महोदया, शिक्षा जो हमारे यहां प्रचलित है उसकी प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। मैं कम से कम यह निवेदन करूंगा गांवों में तो ऐसा नहीं हो जो भी गांव के आदमी थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं वे गांव से तो चले ही जाते हैं। सच्ची शिक्षा वह है जो सजीदगी जीवन में लाये और अपनी रोजी-रोटी कमाने में आत्मनिर्भर हो सके लेकिन आज की जो शिक्षा है उसमें ये सारी बातें नहीं आतीं है। उससे गांव का आदमी तो पंगु बन जाता है और वह केवल नौकरी करने के लिये इधर-उधर दौड़ता है। पुराने

(श्री मेघराज पंवार)

जमाने में हमारे गुरुओं के यहां पढ़ाई होती थी। अगर कोई काश्तकार होता था तो उसको खेती का काम करने में शरम नहीं आती थी और इस तरह कोई दुकान पर बैठना पड़ता था तो उसको शरम नहीं आती थी। उसको अपना काम करने में नफरत नहीं होती थी लेकिन आज जो पढ़-लिख जाता है वह नौकरी ही नौकरी की रट लगता है इसलिये प्राइमरी स्कूल गांवों में खोल देना और सरकारी रुपया खर्च कर देना ही शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं है। इसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सुरेन्द्रजी ने और माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा एक एक्सपर्ट की-शिक्षा शास्त्रियों की कमेटी बैठानी चाहिये और कोई न कोई नतीजा निकाला जाना चाहिये। अब २० वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं अब कोई एक्सपेरिमेन्टल स्टेज नहीं रह गई है इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस बारे में कोई कमेटी बैठायेंगे और सही शिक्षा देने का उचित तरीका निकालें जो हमारे राजस्थान के पिछड़े हुये इलाके के लिये सबसे अच्छा रहे। इसके अलावा एक स्थानीय समस्या है। उनके बारे में निवेदन करूंगा जिनके बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव है। चूरू ६५ हजार की आबादी का कस्बा है उसमें एक कॉलेज स्टेट के वक्त से बना हुआ है। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिये जो सामान होना चाहिये सब है-बिल्डिंग बना हुई है और बहुत बड़ा हॉस्टल भी उसमें है लेकिन उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं खोल जा रही है। कई दफा मुख्य-मन्त्री जी से भी मिले हैं लेकिन दूसरी जगह-जगह जहां साधन नहीं है वहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल देते हैं। आस पास को फीड करने के लिये बड़े-बड़े कस्बे हैं लेकिन इस बात की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं आपकी मारफत यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चूरू में कन्या विद्यालय नहीं है उसकी बड़ी आवश्यकता है। जिला हैडक्वार्टर होने की वजह से बहुत बड़े ऑफिसर भी रहते हैं। वे अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं क्योंकि उनकी लड़कियों के लिये वहां पढ़ने का कोई साधन नहीं है तो इसका होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे यहां एक मिडिल स्कूल का भवन बना हुआ है—शिक्षा विभाग ने रिकमण्ड किया है, जिला परिषद् और पंचायत समिति ने इस बात की सिफारिश करके भेजी है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा-मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं खासोली ग्राम में माध्यमिक शाला के रूप में स्कूल खोलें। इसके अलावा ८ ग्राम ऐसे हैं जहां स्कूल भवन बने हुये हैं। मैं निवेदन करूंगा आपकी मारफत उन गांवों में भी आप प्राइमरी शिक्षा शुरू करवाने की कृपा करें। रामपुरा, धनेरी, ढानी, चांदेला, बिकासी बालाराम व रामदेवरा आदि गांवों में भवन बने हुये हैं।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय; मेरे कुछ अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कुछ प्रस्ताव हैं वह शिक्षा विभाग से भी सम्बन्ध रखता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है। अध्यापकों के ट्रांसफर १०-१२ साल तक नहीं किये जाते हैं और जिन अध्यापकों का लम्बे समय तक ट्रांसफर नहीं होता है वे कोई दुकान कर लेते हैं, कोई खेतीबाड़ी करने लग जाते हैं और कोई होम्योपैथिक की प्रेक्टिस करता है—कोई कुछ करता है और पढ़ाने में ज्यादा इन्टरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसे दूसरे-दूसरे महकमों में तीन साल में बदली को

Page No. 150

(श्री मेघराज पंवार)

जाती है, अधिकारियों को उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी तीन साल की बदली का यह नियम लागू होना चाहिये। वे आदमी बहुत अच्छे हैं, अच्छे मास्टर हैं तो और जगहों को भी उनका लाभ मिलना चाहिये और अच्छे नहीं हैं तो हम पर ही क्यों उनको थोपकर रखा गया है। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री आलमअली।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : माननीय सभानेत्रीजी, मेरा शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है। अनपढ़ होने के नाते शिक्षा विभाग के मामले में इतनी बात कोनी जाण सकूं जितनी कि पढ्योड़ा जाने है। एक बात आ केणों चाहूं कि आज की शिक्षा जिको है वा हिन्दुस्तान के वास्ते चोखी नहीं है। जिका हिन्दुस्तान से बाहर रा मुलक शिक्षा लेणे की कोशिश कर्या करता बी मुल्कां में आज हिन्दुस्तान रा आदमी जिका आपणे यहां बड़ो माना हां, चीफ मिनिस्टर, प्रधान मन्त्री वे आपांका लड़का ने बठे शिक्षा लेणे भेजे हैं। जिका मुलक से दूसरा मुलक शिक्षा लेने री आशा करता हा वे मुलक रा आदमी आज वठे शिक्षा लेणे जावे है। माननीय सभानेत्रीजी, हिन्दुस्तान की एक मूरत थी जीकी कीमत एक करोड़ रुपयां हो सकती है तो आ मुलक रा इन्सान री कीमत कित्ती होणी चाहिए, लेकिन आज शिक्षा जीकी शिक्षा होणी चाहिए वी शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं है। हमारी शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी। आज धार्मिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है तो अंग्रेज आ शिक्षा लाया है तो हिन्दुस्तान ने बिगाड़ने रे वास्ते लाया हा, सुधारने के वास्ते नहीं। वे तो आ मुलक ने बिगाड़नो चाहता था। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री भी बैठ्या है। बींको आदमी बड़ो नहीं मानने चाहिये जींका आचरण बड़ा नहीं हो। हमें इन्सान की पूजा करनी पड़ेगी और स्वतन्त्रता की पूजा करनी पड़ेगी।

माननीय सभानेत्रीजी, आज बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी जिकाने माननीय मंत्रीजी आज चाहे, प्रधान मंत्रीजी चाहे, वे धूल्याधूल हो रही है और दूसरी बड़ी-बड़ी जिकी संस्थाओं का नाम लियो जाय वे जिकी धूलियाधूल है। कोई धर्म की शिक्षा हो।

मैं एक बात और कहणो चाहूंगो के खास तौर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आ कयो गयो है कि धार्मिक पढ़ाई का इन्तजाम हो। कम से कम २० साल में राजस्थान में किती गवर्नमेंट आई है जिकी धक्काधूड़ी के सिवाय आ बात नहीं करे कि जिका लोगां ने फायदो मिल सके। भाषण में धोखाधड़ी। तो, सभानेत्रीजी, जिकी थाणो धर्म की किताबां हैं बीमें आ नहीं लिख्यो कि झूठ बोलनो चोखो है। चाखो लिख्यो वे तो बताओ। तो धर्म ही आ बात केवे है कि झूठ बोलनो पाप है। सगलां धर्मां की किताबां में आ बात लिखी मिलेगी। सबने थे देखलो, दरयाफ्त करलो। झूठ बोलनो पाप बोले है। लेकिन आज नौकरी में सच बोलकर कानून के तहत काम करो तो नौकरी नहीं है। काश्तकार खेत के खातिर सच बोल जाय तो अदालत बीं काश्तकार ने खेत नहीं दे। थें गांधीजी का चेला क्यूं बणो। गांधीजी कियो के कानून

(श्री आलम अली)

ने हमेशा के लिये निकाल दांगा, मगर आज जिका ई मुलक में कानून लाद्या है वे लोगां ने दबावा के वास्ते है। हिन्दुस्तान में इसी किसी मुसीबत है कि मुसीबत पर कब्जो पाणे के वास्ते कानून लाया। अंग्रेजां ने तो कब्जो करणो हो। वे कानून आज भी ई प्रजातन्त्र में और समाजवाद की बात करे तो ईणा कानूनों सूं समाजवाद हिन्दुस्तान में लाणो चाहे।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)
(३-३६ म. प.)

कानून के वास्ते जिका बड़ा-बड़ा लीडर हा हिन्दुस्तान का वे कयो कि हिन्दुस्तान में कानूनांरी होली जलाई जायगी। आज यो कानून लाया, दूसरे दिन यह लाया और तीसरे दिन और ले आया। हम मर पचकर कानून बनायेंगे और अमेंडमेंट करेंगे।

तो कहणो चाहूंगो शिक्षा मन्त्रीजी ने के आ धूलियाधूली किस्थान मिटे। कानूनां सूं तो शिक्षा में जो धूलियाधूल है वा नहीं मिटने वाली है, पत्थरबाजी नहीं मिटने वाली है जब तक कि आप धार्मिक पढ़ाई नहीं दोगा। जिके ताईं गांवां में धार्मिक शिक्षा नहीं मिले आ मुलक री धूलियाधूल नहीं मिटने वाली है, चाहे एम. ए. करवो।

तो मैं शिक्षा के मामला में अब ज्यादा नहीं कहकर सामान्य प्रशासन के मामला में के घालमटोल है बीका मामला में मेरा जिका विचार है वे मैं बताऊंगो। माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिका राजा-महाराजा की आप बात करो तो मारे फतेहपुर में नवाब हुया है वो आपणी पब्लिक ने महीना में एक बार बुलाते और सगलां ने बुलाकर आ कहतो कि खुदा एक है। पड़ौसी ने मत सताओ। वे आ कयो के पड़ौसी ने मत सताओ तो आ कस्यो प्रजातन्त्र नहीं है। गांधीजी आ कहे गया के पड़ौसी ने सताओ? माननीय उपाध्यक्षजी, प्रजातन्त्र में दूसरा के वास्ते जीकी बात करता तो प्रजातन्त्र को नाम हो सकतो। प्रजातन्त्र तो बीने कहे जिका में कानून का नाम नहीं हो और कानून सिर्फ एक इन्सानियत को कानून हो।

आज जठे बात करो, समाजवाद की बात करें, पर समाजवाद कठे है। म्हें भ्रष्टाचार की बात कोनी बोलूं। ये दूकानदार है। यह कब तक दूकान चलेगी। बेरोजगारी की बातां करो। आज तक कोई मिनिस्टर बेरोजगार देखो हो। मुख्यमन्त्रीजी आ कुर्सी रहवा वालो नहीं है। डर से कुर्सी दूर भागे है। ये कबूतरों को दाना कब तक पकड़े रहेगा। अबार जनता पर अन्याय की लहर क्यों। प्रधान मन्त्री ने भाषण दियो। चुनावों मां प्रधान मन्त्री ने भाषण दियो। दिल्ली में प्रधान मन्त्री ने जोर-जोर से कह्यो के ये जनसंघ मुझे मारने वाला है। मुख्यमन्त्री जो फतेहपुर में भी पधारया। म्हे कह्यो कि राजवालो कुर्सी पर थे बैठोला। एक काम करता हो। म्हे कहां कि ये थारे प्रभाव में भी आने वाला नहीं है। छींटाकशी चलने वाली नहीं है। समाजवाद विरोधी काम करो। विरोधी कुर्सी पर बैठने वाला पैदा करे है। ई वास्ते क्यों दूसरे आदमी को बदनाम करवावो। दूसरा ने कहो कि तन्ने म्युनिसिपल को टिकट दे दूं। कन्ने रहे। सही बात होगी वह मानेंगे। छींटाकशी करके देश के टुकड़े हुये हैं। पाकिस्तान, अमेरिका कानी देखा जावे। देश का आखरी व्यक्ति हुआ वह देश का टुकड़ा करवाया। एक विरोधी एम० एल० ए०

Page No. 152

(श्री आलमअली)

और आप में क्या फर्क है। विरोधी को जनता ने वोट दिया। म्हें आई शब्दों को कहूं। मुख्यमन्त्रीजी चाहे ठण्डा सूं सुनो चाहे उन्डा सूं सुनो। थें म्हारो के कर सको। म्हे थारो के कर सका। बात को माने नहीं। इन्दिरा जी ने कहयो, म्हारे हाथ मजबूत करो। लोगों ने हाथ मजबूत किया। बी मजबूती ने क्या कियो। भिगोके दिया। अब १००–२०० से ज्यादा वोट मिलने वाला नहीं है। या ई नीती रही तो समाजवाद कुण चिड़िया ने कहे। समाजवाद कोई का नाथ है। कुर्सी पर बैठने वालों का समाजवाद है। ये धोखा धड़ी हैं। ई का नाम समाजवाद है। हम लोगों को आप ने इयां कियां फोड़े। म्हे एक ही बात कहूं। समाजवाद लाना है तो हेलीकोप्टर में नहीं बैठना है। कारों में नहीं बैठना हैं। गरीब आदमी जिस तरह से रहता है उस तरह से रहना है, अच्छाई लाने के लिए काम करना होगा। कानून के जरिये से आदमी दूना जुर्म करेगा। इन्सानियत की नीति से चलेगा तो हमेशा के लिए इतिहास बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, २ बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि वास्तव में विभागों में शिकायतें हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के बारे में मुझे जानकर बहुत दुःख हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मैंने एक पत्र लिख कर भेजा। जब मेरे पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मुझे बहुत दुःख हुआ। असेम्बली में क्वेश्चन किया। अलवर में जो परचेज हुई है, उसमें एक लाख की गड़बड़ हुई। चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर ने यह लिखकर भेजा कि शिकायत सही है। करीब ५० हजार रु० की गड़बड़ है। अभी तक उस रिपोर्ट पर डिपार्टमेण्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। बल्कि दबाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, सारी चीजें परचेज होती हैं। वही शिकायत होती है। टेण्डर काल करने के बाद, उसके बाद डिपार्टमेण्ट के एक आदमी ने टेण्डर को रिजेक्ट कर दिया। फिर बिना टेण्डर काल किये ही एक हफ्ते के अन्दर ही परचेज कर ली। दुगुने-तिगुने भावों पर सामान खरीद लिया। यह बहाना किया गया कि उन्होंने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स का नहीं दिया था। इसमें अकाउन्ट्स का आदमी मौजूद है, और उसको फाइनेन्स डिपार्टमेंट से दी गई हिदायत मौजूद है, ३१-१०-६४ की, अगर सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं हो तो डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट के लिए कहेगा और पर्चेज के पहले वह लाकर दे देगा तो वह रेगुलेराइज हो जायगा। यह मेरे पास मौजूद है, एफ. डी. १२५, तारीख है, ३१-१०-६४। इसमें साफ लिखा हुआ है, अपेंडिक्स १६ है पेज ४३६, अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, ६४ का और पर्चेज हुई है १९६७-६८ में, तो इस हिदायत को मद्दे नजर नहीं रखते हुए दुबारा टेन्डर काल किये, लेकिन वास्तव में टेण्डर काल नहीं किये क्योंकि एडवर्टाईजमेंट नहीं किया गया था और जो पहले पर्सन ने कान्ट्रेक्ट दिया था उसी से दुबारा मंगा कर दस-बारह रोज में दुगुने, तिगुने में वह सामान खरीद लिया। मुझे मालूम है सब विभाग की इस तरह की बहुत शिकायतें आती हैं लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट की इस प्रकार की शिकायतें

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सुनने में आई तो मुझे दुःख इस बात का हुआ, शिक्षा के मामले में इस तरह की बात हो, तो मैंने इसे आपकी नजर में लाने का प्रयत्न किया ताकि आप कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में ऑडिटर ने नोट लगाया था, लेकिन जिसने नोट लगाया उसको परेशान किया। आज जो शिक्षा विभाग हमारे बच्चों को शिक्षा देता है, उसके बारे में करप्शन की शिकायत आयें, यह बड़े दुःख की बात है। यह सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट पर जितना खर्चा होता है उतना कहीं नहीं होता है। अखबारों में थोड़े दिन पहले समाचार आया था, उसकी कटिंग मेरे पास है, वह एक महाविद्यालय के बारे में है, ढाई लाख के गबन की शिकायत थी, वह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दी गई लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। बहुत सी शिकायतें मेरे पास हैं, मिनिस्टर महोदय कहें, तो मैं भेज दूंगा। मुझे तो ऐसी बात कहते हुए संकोच होता है क्योंकि मैं एक लम्बे अर्से तक कांग्रेस के साथ था। खैर, मैंने मिनिस्टर महोदय को लिख कर भेजा था कि इस प्रकार की गड़बड़ी है, आप इसकी जांच कर लीजिये....

श्री रामकिशन : आपके व्यवहार में संकोच सा नहीं लग रहा है। आप दोनों तरह की बात कह रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधान सभा में बहुत कम बोलता हूं। जितनी बजट पर डिबेट हुई उसमें नहीं बोला। मैं बहुत कम बोलता हूं। लेकिन शिक्षा के मामले में यह बात ध्यान में आई तो मैंने मिनिस्टर महोदय के ध्यान में ला दी है। मुझे विश्वास था, मेरी चिट्ठियों पर एक्शन लेते हुए कुछ कार्यवाही करेंगे। इसलिए यह कहा।

अब मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में कुछ काम नहीं हुआ है, इसकी मुझे शिकायत नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि डिप्टी मिनिस्टर मेरे क्षेत्र में गये, २८ फरवरी को और वहां कहा कि वहां शाला खोलने का विचार करेंगे, यह पिछली साल की बात है, लेकिन उसके बाद पूरा साल निकल गया। इसके अलावा मैं एक विचित्र बात आपके ध्यान में लाता हूं, १९६६ में बृजसुन्दरजी एजूकेशन मिनिस्टर थे, तब उस इलाके में गये और वहां पर हाई स्कूल की नींव डाली। वह स्थान ऐसा है जो तीस गांवों के बीच में पड़ता है, और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वहां स्कूल खोल देंगे। उस समय तीस गांवों के आदमी वहां इकट्ठे हुए थे। वहां पर प्राइमरी स्कूल तो बना हुआ है, मिडिल स्कूल नहीं बना है। मैंने उस सम्बन्ध में विभाग को कहा था कि मिनिस्टर साहब का आश्वासन है, उसको तो पूरा करो। वैसे मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो—इसकी मुझे चिन्ता नहीं है, दो-तीन साल बाद हो जायगा। लेकिन अभी पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए, तब भी आश्वासन दिया था। ऐसी स्थिति में जो आश्वासन दिया था मिनिस्टर महोदय ने, और हाई स्कूल की नींव रखी थी, उस आश्वासन की तरफ तो सरकार स्वयं ध्यान दे। ये चन्द बातें मैंने कही है। अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में क्या होना चाहिए, जो नये-नये बेकार बढ़ रहे हैं, वह क्यों बढ़ रहे हैं, शिक्षा में क्या डिफेक्ट है—मैं समझता हूं, यह सब जानते हैं। लेकिन आप सोशलिस्टिक पेटर्न पर समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए

Page No. 154

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कि शिक्षा पद्धति ही समाजवाद को दिशा में जाने का मूल है, किन्तु आज की शिक्षा पद्धति में दोष है, जो कि शोषण करने वाले पैदा करती है और बेकारी को बढ़ाती है। मैं इतनी ही बात कह कर, क्योंकि और माननीय सदस्यों को बोलना है, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरमल बासोतिया !

(अनुपस्थित)

श्रीमती मदनकौर !

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल के लोक सभा के चुनाव में जनता की बढ़ती हुई आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब देख कर राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में कुछ नये प्रगतिशील कार्यक्रमों की घोषणा की है। राज्य सरकार को चाहिए कि इन नये कार्यक्रमों को एक्जीक्यूट करने के पहले अपने पूर्व के कार्यकलापों का अवलोकन करे। उपाध्यक्ष महोदय, गत बीस वर्षों का इतिहास उठा कर देखें तो यह पता लगेगा कि हमारी नीतियों और योजनाओं की दिशा सही होते हुए भी लक्ष्यों से हमारी दूरी है, वह और दूर होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने वर्ष के अनुभव के बाद इस बात में हमें कतई सन्देह नही करना चाहिए कि हमारा मौजूदा प्रशासन इस राज्य की बढ़ती हुई, बदलती हुई और शक्तिशाली आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में इन नये कार्यक्रमों से वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रशासन को जनता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाय। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी कार्यक्रम बनाये जायं, उनका एग्जीक्यूशन उनकी सही इन्टेन्शन और सही स्प्रिट को समझते हुए निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि जिन कार्यक्रमों को हमने निर्धारित समय में पूरा करने का वायदा जनता से किया था, उनको पूरा नहीं कर पाये—इसकी वजह एक है कि हमने राज्य के विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारियां तय नहीं की और प्रशासनिक ढांचे का विभिन्न स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया, जिसके कारण काम में विलम्ब हुआ, जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। सरकारी पैसे के गबन और रिश्वत लेने के मामले जहां हुए, सरकारी कर्मचारियों को सजा मिली है लेकिन अपने उत्तरदायित्व को न निभाने के फलस्वरूप किसी भी कर्मचारी को सजा मिली हो ऐसा एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है। आज राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं फैल हो जायं, राज्य को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़े, लेकिन किसी भी कर्मचारी को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसकी वजह है, हमारे यहां जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। जहां कहीं कुछ हद तक प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण है भी तो वह ठीक तरह से नहीं है और उसका डुप्लीकेशन होता है। जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, पावर का डेलीगेशन केवल कागजों तक सीमित है, वास्तविक डेलीगेशन नहीं है। इसके कारण काम में विलम्ब होता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि विभिन्न स्तर पर उत्तर-

(श्रीमती मदनकौर)

दायित्व स्पष्ट और सही, वेल डिफाइन्ड तरीके से निर्धारित करें, इसके कारण निर्णय लेने में आसानी रहेगी। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगी, इसके बाद में यदि कोई अधिकारी निर्णय लेने में कतराये. अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कतराये और निर्धारित समय में किसी मसले पर निर्णय नहीं ले सके तो उसे अयोग्यता का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। मैं समझती हूं, इसके फलस्वरूप हमारे राज्य प्रशासन में काफी सुधार आयेगा राज्य के पिछड़े और सदियों से उपेक्षित वर्ग के जीवन स्तर को उठाना और राजस्थान की अर्थ व्यवस्था के एक मजबूत आधार देने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब एक सेवाधारी टीम इस काम में पूरा विश्वास और लगन के साथ जुट जाए लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। आज लगभग सारे कर्मचारीवर्ग असंतुष्ट है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अनुचितरूप से लाभान्वित कर्मचारी भी असंतुष्ट है। इसका कारण मेरी समझ में एक ही आता है कि नियमों और कानूनों की पालना समय पर नहीं की जाती। आम तौर पर जयपुर के सचिवालय में देखने को मिलता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से कर्मचारी और अधिकारी सचिवालय में चक्कर लगाते रहते हैं और यहीं बात खतम नहीं होती। कुछ कर्मचारियों को तो विभिन्न न्यायालयों में जाकर राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ रिट याचिकायें पेश करनी पड़ती हैं। अगर कानूनों और नियमों की पालना समय पर होती रहे तो अधिकारियों का समय और धन इस काम में अपव्यय नहीं होगा। वैसे कानून और नियम सभी अच्छे बनाए जाते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में वे तभी अच्छे साबित हो सकते हैं जब की उनकी अनुपालना निश्चितरूप से और समान रूप से की जाए। आज विभिन्न राज्य सेवाओं में तरह-तरह के नियम हैं, रोज-रोज संशोधन किए जाते हैं। सभी राज्य सेवाओं के समान तौर के नियम बनाए जायें। उनकी अनुपालना समय पर हो, वरिष्ठता की सूचियां प्रकाशित की जायें, पेन्शन के मामले निर्धारित किए जायं, वेतन निर्धारित किए जायं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका राज्य कर्मचारियों के मानस पर बहुत भारी असर पड़ता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस संबंध में सक्रियरूप से कारगर बनें। दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के स्टेबल प्रशासन के बाद भी लगभग सभी विभागों में ढील चली आ रही है। आज सभी कर्मचारी कहते हैं कि हम कहां हैं पता नहीं। आज एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर है। कल ए० इएन० बन जाएगा। एक सुपरिन्टेन्डिग इन्जिनीयर है उसको यह पता नहीं कि वह इस पद पर कब तक रहने वाला है, यह ए० इएन० कब रिवर्ट किया जाएगा। तो यह जरूरी है कि राज्य कर्मचारियों की इस डांवाडोल स्थिति को समाप्त किया जाए। इसमें न केवल राज्य कर्मचारियों का हित है परंतु लांग रन में राज्य सरकार और जनता का हित है।

दूसरी बात, राज्य में विभागीय जांचों के बढ़ते हुए काम को देखकर कुछ समय पहले कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट एन्क्वायरीज का नया पद सृजित किया गया लेकिन स्थिति में कोई सुधार आया हो, ऐसा नहीं है। आज भी आम तौर पर विभागीय जांच में बहुत लम्बा समय लगता है और जिसका फायदा हर हालत में दोषी अधिकारी को मिलता है।

(श्रीमती मदनकौर)

राज्य सरकार को विभागीय जांच के लिए कुछ समय निर्धारित करना चाहिए और इसके साथ-साथ जांच करने वाले अधिकारी को विशेषरूप से निर्देश दिए जायें कि प्रोसीजर की गलती के कारण कोई भी दोषी अधिकारी दोषमुक्त न हो जाए और अगर जरूरी हो तो इस संबंध में जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण देना पड़े तो उसकी व्यवस्था किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार विभागीय जांच के दौरान राज्य कर्मचारियों को काफी लम्बे समय तक निलंबित रखा जाता है। इस प्रकार निलंबित रखा जाना एक तरफ तो राज्य सरकार को उसकी सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है, दूसरी तरफ सस्पेन्शन की तलवार उसके सिर पर लम्बे समय तक लटकी रहने से उसका मानस गिरता है। तो राज्य सरकार विभाग जांच के लिए कम से कम समय रखे ऐसी व्यवस्था करे और सस्पेन्शन पीरियड किसी हालत में तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

आम जनता जिला प्रशासन को ही राज्य सरकार का स्वरूप मानती है। लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार के कामों का स्वरूप बदला उनके उद्देश्य बदले, लेकिन जिला प्रशासन में किसी प्रकार मूल रूप से कोई सुधार नहीं हुआ और जो गुण इसमें पहले थे वह भी धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जिला अधिकारी और खास तौर से जिलाधीश और परगना अधिकारी के पास विकास संबंधी बहुत से काम आ गए हैं जिसके फलस्वरूप उनके जो नियमित काम थे, वह बहुत मात्रा में पेंडिंग रहते हैं और यही हमारी ग्रामीण जनता के मन में परेशानी का और व्यापक असंतोष का कारण बना हुआ है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि जिलाधीश और परगना अधिकारी से इस विकास के काम को हटाया जाय और इस काम को जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है, जिला परिषदों को दिया जाना चाहिए इससे एक तरफ जिला प्रशासन में तेजी आएगी और दूसरी तरफ जिला परिषदें, जो बिल्कुल बेकार और निष्क्रिय बनी हुई हैं, उपयोगी संस्थाएं सिद्ध हो सकेगीं।

इसीके साथ-साथ जो जिला अधिकारी भ्रमण करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूं। रियासत के समय जिला अधिकारियों के दौरे के समय रात्रि विश्राम को अधिक महत्व देते थे लेकिन दुःख कि बात है कि आज आवागमन के साधनों के कारण कोई अधिकारी गांव में विश्राम नहीं करता बाड़मेर कलेक्टर दौरा करेंगे और रात्रि का विश्राम आवश्यक होगा तो बालोतरा जाकर पहुँचेंगे। इससे आगे सुवाना पहुँचेंगे लेकिन पाटोदी, बालाऊ में कोई अधिकारी विश्राम नहीं करेगा, यह दुःखद स्थिति है। राज्य सरकार को चाहिए कि जिला अधिकारियों को, विशेष रूप से जिलाधीशों को, निर्देश दे कि एक महीने में कम से कम १०-१५ रात्रि विश्राम जिले के इन्टीरियर गांव में जाकर करे और उसकी पहले से ही सूचना वहां के लोगों को दी जाए ताकि रात्रि में ग्राम सभा बुलाई जाकर लोग अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रख सकें और ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिन समस्याओं का निवारण वहीं किया जा सके तो स्पाट पर ही किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण जनता कि राज्य प्रशासन के प्रति धारणा बदलेगी। मैं मुख्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करूंगी कि और बातें जो मैंने कही है उन पर विचार करने और निर्णय लेने

(श्रीमती मदनकौर)

में समय लग सकता है, लेकिन इस अंतिम सुझाव पर अवश्य शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले लें ताकि ग्रामीण जनता आपका बहुत आभार मानेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल। समय का ध्यान रखें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पूरी पार्टी की तरफ से बोलेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैंने न जनरल डिबेट में हिस्सा लिया न और किसी मांग पर फिर भी आप कहें कि समय का ध्यान रखूं।

श्री दिग्विजयसिंह : बकाया वसूल कर रहे हैं ?

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं बोलूंगा और आपके जागीरों के खिलाफ भी बोल रहा हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : वह तो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट अब की बार पेश हुआ है और यह अधिवेशन चल रहा है, यह जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसकी पृष्ठभूमि में है और इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस दल की तरफ से जिस घोषणा-पत्र पर चुनाव लड़ा गया यह उम्मीद की जाती थी कि कमसे कम नयी कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली राज्य सरकारें अपनी वित्तीय नीतियों में भी और प्रशासनिक नीतियों में भी उस प्रकार का फेर बदल करेंगी कि जिससे कि उन घोषणाओं को, जिनको उन्होंने चुनाव में किया है, अमली रूप दिया जा सके और आम जनता को यह आश्वासन दिया जा सके कि वास्तव में सरकार की ओर से और कांग्रेस नेतृत्व की ओर से यह केवल नारेबाजी नहीं है बल्कि वास्तविक रूप से सरकार उन पर अमल करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो भी सरकार का बजट है और आज जो सामान्य प्रशासन पर बहस हो रही है उन सब में कोई बुनियादी प्रश्न फेर बदल, नीति के या और हों, जो उस दिशा में साफ तौर से इंगित करते हों वह नहीं दिखाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह सुना था कि देश में गरीबी मिटाना है, बेरोजगारी पर काबू पाना है, मंहगाई पर काबू पाना है और इस दिशा में तेजी से काम करना है। तो आज की नीतियों के अलावा सरकार ने यह महसूस नहीं किया है कि उनका जो प्रशासनिक ढांचा है क्या उसके अनुरूप अपनी नीतियों पर अमल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं और उनके सुधार के बगैर वह मुद्दे वह लक्ष्य प्राप्त करना नामुमकिन है। यह उम्मीद करते थे राज्य सरकार से कि इस बात में सिन्सीयरिटी बताने के लिये अमली ठोस कदम प्रशासनिक रूप से उठायेगी मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक चाहे वह मंत्रिमंडल में हो, चाहे वह सर्विसेज में हों उनमें सिन्सीयरली कमिटेड लोग हों जो कि उन मुद्दों को उन लक्ष्यों को जो सरकार प्राप्त करना चाहती है, उस पोजिशन्स में उन लोगों को रखा जाय और इस प्रकार से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाय और सरकारी नौकरियों में जिम्मेदारियों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्बन्ध में परिवर्तन किया जाय, जो कार्पोरेशन्स, पब्लिक बोडीज पब्लिक सेक्टर हैं उनमें भी उस दृष्टिकोण से परिवर्तन किया जाय तो एक दिशा बंधती है कि वास्तव में सरकार इस दिशा में कुछ करना चाहती है। लेकिन मैं देखता हूं कि केन्द्र में प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के गठन में भी कुछ परिवर्तन किया है, नये लोगों को सम विचार के लोगों को, नौजवान लोगों को ज्यादा स्थान उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दिये हैं। राजस्थान में इसी प्रकार का प्रयत्न, मैं समझता हूं किया जाना चाहिये। मंत्रिमंडल की आलोचना संख्या के बारे में बार बार होती है। मुख्य मंत्रीजी अपने तरीके से, पोलिटिकल तरीके से अपने दल और बहुमत को बनाये रखने के लिये उस बारे में उनको दिक्कत हो सकती होगी, वहां भी कमी की जानी चाहिये। यदि फिर भी मजबूरी हो और काम न कर सकें तो जो जो इफेक्टिव काम करने हैं उनमें इफेक्टिव लोग हैं और सिंसियरली उनमें विश्वास करने वाले लोग हैं उनको वे काम दिये जांय और यह बहुत ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा, मेरा मंत्री विशेष पर कोई आरोप नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट के सामने, स्टेट के सामने जमीन का सवाल एक मुख्य सवाल होता है लैंड रिफार्म्स का सवाल राज्य की समस्याओं में एक मुख्य सवाल होता है इसलिये रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट किसी भी डायनेमिक आदमी के हाथ में जो सिंसियरली उसमें विश्वास रखने वाला हो, उस आदमी के हाथ में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट होना चाहिये जो इससे इनिशियेटिव ले। राजस्थान जैसी फ्युडल स्टेट में लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में, जिसके लिये प्रदेश चाहता है और देश चाहता है और जिसके लिये कमिटेड हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया और प्लानिंग कमीशन बार बार कहते हैं लेकिन हम यह देखते हैं कि राजस्थान में मामला वहीं का वहीं है। चाहे सीलिंग का मामला हो या और कोई मामला हो। लेकिन यह तथ्य है कि मामला आगे नही बढ रहा है। मै समझता हूं कि माननीय रामकिशोरजी के पास यह पोर्टफोलियो है सुखाड़िया उनको मंत्रिमंडल में रखना चाहें तो रखें यह उनकी इच्छा पर है और दूसरा काम आप देना चाहें, जैसे देवस्थान विभाग देना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है और उसको ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनको यह ज्यादा रूचिकर भी होगा लेकिन लैंड रिफोर्म्स जैसे मामले में जिसमें डायेनिज्म की आवश्यकता है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी यह मान्यता है कि सिलिंग आदि के प्रश्न पर जिस प्रकार से यह गवर्नमेन्ट चल रही है बिना मुख्य मंत्री के इशारे पर चल रही है या केवल इसके लिये राजस्व मंत्रीजी ही दोषी है। पोइन्टेड रेफरेन्स नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है कि मुख्य मंत्रीजी इससे बरी नहीं हो सकते हैं। सारे मंत्रिमंडल की मुख्य मंत्रीजी की जिम्मेदारी होती है और किसके पास क्या पोर्टफोलियो हो वह यह डिसाइड करते हैं। मुख्य मंत्री कौन हो यह कांग्रेस दल डिसाइड करता है, लेकिन जो सुझाव हम दे सकते हैं वह सुझाव हम दे रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी तो चाहते हों और रामकिशोरजी न चाहते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हों ऐसा मेरा कहना नहीं है। कांग्रेस की मेजोरिटी है। ऐसे डायनेमिक लोग जो बिलकुल लैंड रिफोर्म्स के बारे में कमिटेड हों और ज्यादा लेन्ड रिफोर्म्स चाहते हों उनके हाथों में दिया जाय तो कांग्रेस की नीतियों की परिधि में कुछ एडवांस किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मन्त्रिमण्डल में इस डिपार्टमेंट के लिये सबसे ज्यादा इनके पेबल हो सकते हैं उनको छांट कर यह दिया है। वे बुजुर्ग आदमी हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन लैंड रिफार्म्स की दृष्टि से यह पोर्टफोलियो एक नौजवान, डायनेमिक आदमी के हाथ में होना चाहिये। इस तरह की कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें जरूरत है आपका मन्त्रिमण्डल ज्यादा पोजिटिव काम कर सके उस दिशा में आप सोचें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह घोषणा की है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और वोट लेकर आये हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्रैश प्रोग्राम हाथ में ले लेंगे और आपकी गवर्नमेंट खुद रोजमर्रा पब्लिक सेक्टर से छटनी करती जाय इसका कहां तक तालमेल है। जिन्होंने आपको एक महीने पहले वोट दिये। उन लोगों ने इन्दिरागांधी को वोट देकर यह विश्वास दिलाया कि गरीबी लड़ाई को पूरी किया जाय। डेढ़ महीने बाद उन्हीं लोगों को रिट्रेन्चमेंट के नोटिसेज दें, कृषि विभाग में १८१ लोग पहले ही रिट्रेन्च पड़े हुए हैं और आर के दुर्गापुरा फॉर्म के १५० आदमियों को ३० अप्रेल को जब कि १८१ मामले पहले ही चल रहे हैं, आपकी ओर से उनको कहा गया कि हम आपकी कोशिश करेंगे किसी प्रकार एडजस्ट करेंगे।

इसके बाद जो दुर्गापुरा फॉर्म पर मजदूर काम कर रहे थे उनमें से कई तो दस-दस वर्ष के बताये जाते हैं, उन लोगों ने हड़ताल की और आश्वासन देने पर हड़ताल वापस ली और २३ तारीख को काम पर चले गये। ३० तारीख को अचानक नोटिस निकाल देते हैं कि आपके काम की जरूरत नहीं है। इस तरह से लोगों को बेरोजगार करने की आपकी नीति है। मैं कांग्रेस के लोगों से और विशेषकर उन लोगों से जो ईमानदारी से बेरोजगारी को दूर करने में विश्वास करते हों, अपील करूंगा। आखिर उनको भी जनता के बीच जाना पड़ेगा और उनसे क्या नौजवान उम्मीद करेंगे कि जो नये लोग आ रहे हैं उनको आप काम देंगे जबकि पहले जिन लोगों को काम पर लगा रखा है उनको भी आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। यह आपका अनजस्टीफाइड तरीका है। आपकी इस कार्यवाही ने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपने अपनी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिसी को नहीं छोड़ा तो प्रदेश में एक विषम स्थिति बन जायेगी। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैड्स कन्जरवेटिव लोग हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। आज यह छिपी हुई बात नहीं है। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि ऐसे आदमी हों जो आपकी पॉलिसी के अनुसार काम करते हों, जागीरदारों के साथ आपने यह मन्जूर किया कि जागीर कमिश्नर जागीरदारों का प्रतिनिधि होगा। इससे बड़ी और कोई विडम्बना नहीं हो सकती। आखिर क्यों गवर्नमेंट सरेन्डर करती है और इसी प्रकार की आपकी नीति आज तक लगातार चली आ रही है और अब तक चल रही है। जिस वर्ग के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये, जिस वर्ग को रेगुलरेट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहिये, उस वर्ग के संघर्ष के साथ उस वर्ग के हित में उसका ही प्रतिनिधि होता है और आप एडमिशन दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कम्पलीट सरेन्डर है। आज इसी तरह से आप प्रशासन को देखेंगे तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप अपने पब्लिक सेक्टर को उठा कर देख लीजिये। आपने ऐसे लोगों को मनोनीत किया है जिनका सोशलिज्म पर विश्वास नहीं है, पब्लिक सेक्टर पर विश्वास नहीं है और जो इसकी मजाक करते हैं और इस तरह की मजाक उड़ाते हैं और ऐसे लोगों को आप अध्यक्ष बना कर बिठा देते हैं। श्री चन्दनमल वैद, एग्रो इन्डस्ट्री कॉर्पोरेशन के चेयरमेन बना दिये गये। क्या मापदण्ड है? क्या ऐसे ही तरीके से आप समाजवाद लायेंगे। वे अपने ही लोगों को नौकरी पर लगा रहे हैं और उनके लिये जगह क्रियेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुराने लोगों को निकाला जा रहा है। समाजवाद के रूप में बैठ कर पूंजीवादी दृष्टिकोण अपना रखा है इतना मुनाफा हो, अपने लोग वहां पर हों और इस तरीके से कॉर्पोरेशन को लाने प्रयत्न करें कि वह आपकी एक मशीन हो तो यह कोई तरीका नहीं है। इससे आप भ्रम डाल रहे हैं और गलतफहमी पैदा हो रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने मन्त्रिमन्डल का गठन, अपनी सर्विसेज, हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरियेट का गठन इस दृष्टिकोण से करें और खास तौर से आप इन तमाम पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का गठन और इनके हैडस् ऐसे लोगों के हाथ में करें जो इसमें विश्वास करते हों।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह दुर्भाग्य की बात है कि सारी जनता में यह विश्वास हो गया है कि करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है और यह जो विश्वास है ऐसा नहीं है जो अनजस्टीफाइड है। लोगों ने अपने अनुभव से यह सीखा है। आप इसके लिये अपनी तकलीफ बता सकते हैं कि इसमें ये दिक्कतें हैं लेकिन अगर हम वास्तव में जनता के लीडर हैं तो हमको चाहे इसके लिये कानून बदलना पड़े बदलना चाहिये लेकिन उससे जनता को राहत मिलनी चाहिये और यह जो अभिशाप है भ्रष्टाचार का वह मिट सके। इस दिशा में अवश्य सोचना होगा और इस दिशा में हमको कदम भी उठाना चाहिये। कई बार यहां पर सदन में इसके मुत्तलिक बातें उठी हैं। अभी सतीशचन्द्रजी ने भी यही बात उठाई थी। हम लोग चिडचिड़े हुए लोग हैं, हमें पहल करना चाहिये। बराबर यह बात आयी है कि लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पदों के दुरुपयोग का मौका सिर्फ मिनिस्टर को ही है। हम लोग जो एम. एल ए. हैं कवेश्चन और दूसरी बातों में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। केवल मन्त्री पद हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात की जरूरत है कि जो हम चुने हुए लोग हैं चाहे विधान सभा में हों, चाहे पार्लियामेंट में हों, चाहे पंचायत समिती और जिला परिषद् के अन्दर हों। यदि इस प्रकार का कानून बनाया जाये, कोई परम्परा डाली जाये कि सब अपनी-अपनी असेट्स डिक्लेअर करें जब भी वे पब्लिक ऑफिस में आये और इसके बाद पीरियोडिकली, सालाना डिक्लेरेशन करें। इस प्रकार का कोई पैटर्न जिस तरह से इंकमटैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं, जिस संस्था से वे चुन कर आये हैं, उस संस्था को इस तरह का रिटर्न अपनी प्रोपर्टी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का भेजे ताकि जनता को यह विश्वास हो। आज हालत यह है कि सब के सब बेईमान गिने जाते हैं। इससे जनता को भी वास्तविकता का पता लगेगा और हम लोगों पर भी एक चैक होगा आमजनता का और जिससे सुधार हो सकेगा तो इसी रूप में जो आज मन्त्रियों के बारे में आरोप लगाये जाते हैं उनकी छानबीन हो उसके लिये भी किसी प्रकार का एक कमीशन हो। बार-बार कितनी ही जगहों पर इस बात पर चर्चा होकर और आल इन्डिया लेविल पर डिसकस होकर रिकमन्डेशन हो चुकी है और मैं समझता हूं कि सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये और इससे हम भ्रष्टाचार को खतम करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि जो यह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया है बेसिकली उसी सिस्टम को कन्ट्रीब्यूट करके मानकर चलें तो कोई सोलूशन नहीं है। हमने जिस तरह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये विवश किया, गांधीजी ने कहा निकल जाओ, चाहे हिन्दुस्तान में अनारकी हो जाये, कोई परवाह नहीं वह हमारा सेल्फ रूल होगा और वह अच्छा ही होगा, तुम भाग जाओ, उसी तरह से हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा जिस तरह से इनहेरिट किया है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि हों, होल टाइम ऑफिसर रख सकते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हों उनके जरिये काम हो। इस प्रकार नीचे से लेकर ऊपर तक सारे ढांचे का परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिये और वर्तमान जो सिस्टम है वह रेस्पोन्सिबल नहीं है और बिल्कुल भी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिये नये सिस्टम में कुछ खराबी पैदा हो, कुछ लोग हमेशा अंग्रेजों को याद करते हैं, वे भी चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऐसी हालत में भी चुने हुए प्रतिनिधियों को मौका देना चाहिये और कुछ रिस्क लेना चाहिए और अल्टीमेटली बुराई को छोड़ना होगा और पुराने तरीकों को तोड़कर डेमोक्रेटाइज वे में सारे के सारे काम को करना पड़ेगा। चाहे एग्जेक्यूशन का काम हो, ज्युडिशियल का काम हो उन सब के अन्दर चुनाव का तरीका हो। उसके लिये हम अलग अलग स्टेन्डर्ड कायम कर सकते हैं। जज; सेशन जज या हाईकोर्ट के जज हों उसके लिये क्या क्वालिफिकेशन हो, किस प्रकार के लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं वो तय कर दिया जाये और उसी प्रकार के लोग चुनाव लड़ सकें। परन्तु यह जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में हो। इस सिस्टम पर इस देश में सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सिस्टम में आज जो इन्क्वायरी करने का सिस्टम है, वह अजीब है। एक डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत करते हैं, उसकी इन्क्वायरी उसका नेक्स्ट हायर ऑफिसर करता है और हमारा यह अनुभव है कि यह एक बिरादरी बन गई है, जैसे एक बिरादरी की अपने बिरादरी के साथ हमदर्दी होती है वैसे ही उन लोगों की हमदर्दी उनके साथ रहती है और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिये हमको इस इन्क्वायरी के सिस्टम में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में यह इन्क्वायरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होनी चाहिये और उसमें डिपार्टमेंट का एक आदमी हो सकता है। परन्तु यहां इन्टायरीली इन्क्वायरी नहीं करता है वह बेसिकली उसका नेगिशन है। इस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्त्तन करना चाहिये। इस सिस्टम को भूलचूल परिवर्त्तन करना चाहिये। मैं समझता हूं इसमें सुधार आयेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में नई कांग्रेस नये रूप में सोचना चाहती है आया वही पुराना सिस्टम तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कलेक्टर, पंचायत समितियें, पंचायतें और जिला परिषद ये डायार्की सिस्टम रखना चाहती है और क्या इन दोनों को मर्ज करके करना चाहती है और दूसरी तरफ सर्विस क्लास लोग हैं उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाकर इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसा सिस्टम इवोल्व करें जिससे जनता को लाभ मिले और उसका एक्सपीरियन्स मिल सके। मैं समझता हूं राजस्थान इसमें पहल कर सकता है और करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा अभी पंचायतों में चलता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं चलता है जैसा मिनिस्ट्रियल लेवल पर चलता है। वहां पर बी. डी. ओ. रेस्पॉन्सिबल प्रधान के नहीं है, उस पर डेवलपमेंट कमिश्नर का कन्ट्रोल है। अगर चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के प्रति रेस्पॉन्सिबल न होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा तो कैसा महसूस करेंगे। यहां का मन्त्रीमण्डल खुद सोच सकता है। पहले जबकि शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे तो मत्स्य गवर्नमेंट में एक मिस्टर के० बी० लाल, चीफ सेक्रेटरी आये थे उनको मन्त्रीमण्डल को डील करने में कितनी दिक्कतें आती थीं। इसी तरह से आज जो सिस्टम है सबोर्डिनेट और चुने हुए प्रतिनिधि पंचायतों के अन्दर नहीं हुए हैं इसलिये वह कनफ्लिक्ट पैदा होता है वरना क्लियरकट हो तो खराब नहीं हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं यह जनता को ज्यादा अफेक्टिव हो और ज्यादा सिस्टम में सुधार हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां तक शिक्षा का सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है। आपके २५ मिनिट पूरे हो गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा का जहां तक शिक्षा का सवाल है आज इस सदन में टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर समस्या उठाई और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि युनिवर्सिटीज के अन्दर राजस्थानियों के सही हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है और राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं वे आज युनिवर्सिटीज पर हावी हैं और वे राजस्थानियों के अगेन्स्ट एक कौन्स्ट्रीक्टिव तरीके से उनके हितों की रक्षा नहीं करके बाहर वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपने इमोशन्स में सरकार ने कोई दुरुस्ती नहीं की तो ऐसा वक्त आयेगा लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनको यहां से निकालने की मांग करेंगे। मैं उस समय सोच रहा था कि ये कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं या शिव-सेना के कोई प्रतिनिधि बोल रहे हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं माननीय सदस्य की वे काफी प्रोग्रेसिव विचार और बातें यहां पर रखते हैं लेकिन इस मामले में जो मुद्दा

(श्री रामानन्द अग्रवाल

उन्होंने उठाया वह सही होते हुए भी कि राजस्थान का जो योग्य विद्यार्थी है या योग्य केन्डीडेट होता है उनके साथ पक्षपात किया जाकर किन्हीं दूसरों को चुन लिया जाता है यह गलत है। ये घटनाएं अवश्य होती होंगी। यह मास्टरों और पब्लिक सेक्टर में भी इस प्रकार की समस्या खड़ी हुई है, लेकिन जिस रूप में माननीय सदस्य उसको हल करने की सोचते हैं, जो दृष्टिकोण वे रखते हैं वह बहुत तंग है और राष्ट्र के खिलाफ है। हिन्दुस्तान के सब लोग एक हैं—प्रादेशिक भावनाओं को महत्व नहीं जाना चाहिये।

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह विचार क्यों रखा जा रहा है यद्यपि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या सही हल न करके सोसियो इकोनोमिक प्राबलम का सोसीयो रिफार्म करके रेडीकल इकोनोमिक रिफार्म करके सोसियलिज्म लेकर इस बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। आज उससे राजस्थान भी परेशान है, आज उससे यू. पी. भी परेशान है, आज उससे महाराष्ट्र भी परेशान है। यह एक प्रान्त को नहीं करीब करीब सभी प्रान्तों की हालत है। जो लोग उस समस्या को हल नहीं करना चाहते हैं रेडिकल इकोनोमिक रिफार्म को करना नहीं चाहते हैं तो वह एक हमारा हल बाहर वालों से निकल जाय यह संभव नहीं है और यह मानना कि हमारी सोर्टेज खतम हो जायगी और हमारी बेरोजगारी का हल निकल जायगा, गलत है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा और खास तोर से टोंक से आने वाले माननीय सदस्य से कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें कि किस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का हल निकालना है। क्या वास्तव में हमें बाहर वालों से लड़ना है अथवा अन्य लोगों से लड़ना है। मैं समझता हूं यह कोई हमारी लड़ाई बाहर वालों से नहीं है। हमारी वास्तविक लड़ाई इम्पीरिलिज्म से है न कि हमारे भाइयों से। बाहर वालों को हम कुछ देते हैं, कुछ लेते भी हैं। मैं इस रूप में वह निवेदन करूंगा राजस्थान के लोगों को अपना अधिकार मिले, नियमों के अन्दर प्रायरिटी की बात या और कोई परसेन्टेज की बात हो सके तो हम हद तक अनुकूल हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ावा देना उचित नहीं है और यह राष्ट्र के हित में नहीं है और वह रिऐक्शनरी बात है। देश में रीजनलिज्म फैलाना चाहते हैं, यह अनुचित है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य पुनः विचार करेंगे जो बातें उन्होंने कही हैं वह कहां तक दुरुस्त हो सकती हैं? उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा जहां जहां तक शिक्षा का........

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बीच में बात कहना चाहता हूं। माननीय रामानन्दजी को कोई भी आदमी यह बहका दें कि अमुक आदमी जनसंघी है अमुक आदमी फलां है तो ये बहक जाते हैं। मा० रामानन्दजी को किसी आदमी ने बता दिया और........

श्री उपाध्यक्ष : आपके इस मामले में विचार ज्यादा उदार हैं।

....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक आदमी कह जाय यह जनसंघी है और उसके लिये माननीय रामानन्द जी यह धारणा बना लें तो मैं समझता हूं यह कतई उचित नहीं है। वे स्वयं परिस्थितियों और हालातों की जांच करें........

Page No. 164

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सभापति पदासीन)

(४.३७ म. प.)

तब उनको सारी बातों का और तथ्यों का पता चल जायगा। सिर्फ माननीय रामानन्द जी को एक आदमी कहजाय जनसंघी है और जनसंघ का उसूल सही चीज को डेमेज करना है क्योंकि राजस्थान युनिवर्सिटी जनसंघ की नहीं है......(अन्तर)....आप चाहें तो मैं सहायता कर सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय इस संबन्ध मे मैंने जो विचार प्रकट किये हैं वह न तो जनसंघ को कन्टोर्सी से किये हैं और न किसी ने कोई बात मेरे से कही है। हमारा इस सम्बन्ध में एक रिजोल्यूशन भी था। मैं उनसे भी कहूंगा और मैं मानता हूं एक व्यक्ति एक्स अपने रिस्तेदार को नाराजगी लेने की जिम्मेदारी नहीं लें। चन्दनमलजी के बारे में मैंने कहा है सब में है, मनुष्य की जो एक प्रवृति है वह हरएक में है–और लोगों में भी है। राजस्थान के बार वालों मे भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं एक राजस्थान वरसेज अदर्स हो और इस दृष्टिकोण को बनाया तो उसको मजबूत बनाने के जाय इस चीज को तोड़ना चाहिये। इसके खिलाफ लड़ा जाना चाहिये और जो हेल्थ एलिमेंट्स है उनकी नकल लेकर सही दिशा हमको देनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जहां तक युनिवर्सिटी का....

(दर्शक दीर्घा से विपक्षी सदस्यों के बीच परचे गिराये गए)

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, पहले जो परचे अभी फेंके गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो कन्टीन्यू करू।

श्री सभापति : I will see to it. yes you continue. But you finish it early.

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो परचे फेंके गये हैं।

श्री सभापति : परचे फेंके गये हैं, आई हेव टेकन नोटिस आफ इट। जिन्होंने परचे फेंके। He Should be taken to custody and then we shall see to this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय शिक्षा विभाग के बारे में मैंने कटमोशन मूव किया था और मुझे यह कहना है कि गवर्नमेन्ट ने एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार जो पंचायत समिति के टीचर्स हैं तो उनके जो मेडिकल बिल्स हैं उन बिल्स का पंचायत समिति अपने कोष में से पेमेन्ट करे। इस प्रकार का आदेश गवर्नमेन्ट की तरफ से निकाला गया है, और जिसका नतीजा यह है कि बहुत सी पंचायत समितियों में जिनके पास अपने ओन के फन्ड्स नहीं है उन पंचायत समितियों के टीचर्स के मेडिकल बिल्स साल दो साल से बिना निपटे पड़े हैं। अलवर जिले की मेरे पास जानकारी आई है कि सभी जगह यह जनरल प्राब्लम हैं और बहुत सी जगह है। मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। इनको जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेन्ट दिया है और जो भी शिक्षक यहां पर ट्रांसफर होकर आये हैं तो उनके लिए भी जितना खर्चा जो गवर्नमेन्ट ने अपने स्कूल में रखा है उस खर्चे को गवर्नमेंट को वहन करना चाहि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको पंचायत समिति वहन नहीं करेगी। एक गवर्नमेंट टीचर को जो बेसिक पे है, उसको जो मेडिकल फेसिलिटी मिलती है, उसको जो मकान किराया वगैरह जो भी भत्ते हैं जो कि गवर्नमेन्ट उसको देती है वे सारे के सारे भत्ते पंचायत समिति के टीचर्स को मिलना चाहिए और गवर्नमेन्ट को पंचायत समिति को देना चाहिए और गवर्नमेन्ट को अपने इस निर्णय को वापिस लेना चाहिए ताकि जो पंचायत समितियों के टीचर्स हैं जो इससे असन्तोष है वह दूर होगा। उनका बहुत सा पेमेन्ट रुका हुआ है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने जो लोगों को प्रोमोट करने के, अध्यापकों को प्रोमोट करने के जो नियम बनाए हैं उन नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उनमें कई इस प्रकार की एनेमोलीज है, मसलन आपने रखा हुआ है कि १९६१ से पहले के जो इन्टरमीजियेट किये हुए हैं उनको बेस मानते हैं सीनियोरिटी का और कब वह एम० ए० बनता है या बी० ए० बनता है या बी० एड० बनता है वह इमभेटेरियल है। आपने रखा है कि ६१ में जो सीनियर है उसने ७० में बी० एड० किया हो वह सीनियर है बनिस्बत इसके जिसने ६२ में इन्टर किया हो और ६५ के अन्दर बी० एड० कर लिया हो। वह आपके हिसाब से जूनियर हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ६२ के अन्दर किया है इन्टर और ६५ में बी० एड० कर लिया उसको उससे जिसने ६१ में इन्टर किया है लेकिन बी० एड० ७० में किया हो जूनियर मानकर चलते हो पहले यह अवश्य किया था कि बाद की जो योग्यता है वह जिसकी सिमिलर डेट हैं उसको आपने सीनियर माना था, लेकिन उसको बाद में बदल दिया और जो उसको ६१ के पहले एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेसिक आधार पर सीनियोरिटी उसको मानते हैं तो इसके अन्दर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

इसके अलावा और भी मैंने कटमोशन और क्वेश्चन के रूप में पूछा है। अलवर के कुछ लोगों को जो ६१ के पहले के किये हुए हैं उनके अनुसार लाभ मिलना चाहिये था जो कि ग्रेजुएट थे लेकिन बी० एड० नहीं थे तो उनको भी आपने बी० एड० करने पर बी० एड० वाली ग्रेड में ले लिया था लेकिन इसमें पूरी तरह से वह नियम लागू नहीं किया गया। जो लोग ग्रेजुएट्स एक पर्टीक्यूलर डेट तक उन लोगों को तो इरेस्पेक्टिव आफ फैक्ट कि वह बी० एड० नहीं थे उन लोगों को आपने सीनियर ग्रेड में ले लिया बशर्ते कि एक पर्टीक्यूलर डेट को वे सर्विस में थे और पर्टीक्यूलर डेट तक उन्होंने बी० एड० कर लिया, और उसके बाद में आपने इस नियम को बन्द कर दिया। उसके बाद भी मुझे अलवर के टीचर्स ने बताया है कि अधिकतर लोगों को मिला, लेकिन ३०-४० तो टीचर्स ऐसे रहे हैं कि उनको उदारता नहीं मिली उनको देने की।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो कमेटी पंचायत समिति के टीचर्स के सम्बन्ध में बनी थी उस कमेटी की सिफारिशों को सिवाय आपने पदोन्नति के बारे में कि ७० पर्सेन्ट लोगों को दी जायगी, इसके अलावा और किन्हीं भी सिफारिशों को लागू नहीं किया। इससे टीचर्स में बहुत बड़ा असन्तोष है मैं समझता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि गवर्नमेंट ने इस बारे में अपना निर्णय लिया होगा, उन निर्णयों को बताया जाना चाहिए और उन पर अमल किया जाना चाहिए।

मैं तो यह कहना चाहता हूं, गवर्नमेन्ट को कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट स्पीच के अन्दर यह घोषणा की कि कुछ स्टाइपेन्ड्स इन्जीनियर्स को जो कि बी.ई. पास हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स व और शेड्यूल्ड कास्ट्स के जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको जो कि बेरोजगार हैं उनको स्टाइपेन देने की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग का इससे ताल्लुक है अभी तक उनके कोई रूल्स नहीं बने हैं। आखिर कब तक यह रूल्स गवर्नमेंट बनायेगी ? वह बनायेगी रूल्स तभी तो जाकर आगे वे लिखा-पढ़ी करेंगे और दरख्वास्तें देंगे। लोग तो हमारे पीछे पड़ गये। जो अभी बेरोजगार हैं वे कहते हैं कि कहां दरख्वास्त दें और यह फार्म कहां मिलेंगे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को स्पष्ट नीति की घोषणा करना चाहिए।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एडमिशन फॉम की दिकतों के बारे में जिक्र किया। इस सदन में जब बरकत साहब एज्यूकेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने बताया था कि तमाम एडमिशन फार्म्स को चेन्ज करने की जरूरत है। उनमें बहुत सी दकियानूसी बातें आज भी भरी हुई है, जैसे जाति का नाम, जैसे कि जाति हर साल ही बदल जाती हो। सक्यूंलर निकल गया होगा लेकिन अमल में वैसा ही हो रहा है और फार्म भी वैसे ही कर देते हैं।

एक प्रश्न साहित्य एकेडेमी का उठाया गया। उसके बारे में दो शब्द में भी कहना चाहूंगा। राजस्थान साहित्य एकेडेमी के चेयरमैन जनार्दनराय नागर हैं। उनके बारे में इस सदन में कितनी ही बार प्रश्न आये हैं कि उन्होंने सरस्वती सभा भंग कर दी और उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। इस सदन को माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया था कि वे जल्दी ही उनसे वार्ता करेंगे मीटिंग जल्दी ही बुलाने के लिए। मैं समझता हूं वह अभी तक सरस्वती सभा की जो अवधि है वह भी समाप्त होने वाली है, लेकिन उन्होंने उसकी एक मीटिंग भी नहीं बुलाई। अब वह यह प्रयत्न कर रहे है कि डाइरेक्टर की पोस्ट को तोड़कर सेक्रेटरी बना दिया जाय ताकि वे उसके सर्वे-सर्वा हो जायं। ये गवर्नमेंट को बजट बनाकर भेजते हैं तो उस बजट को खर्च करने का उनका अधिकार नहीं है। उन्होंने बगैर गवर्नमेंट की सैन्क्शन के बजट का पैसा खर्च किया है। अभी तक गवर्नमेंट उनको बजट दे रही है, मैं समझता हूं यह बिल्कुल अनुचित है, और सारे राजस्थान के साहित्यकारों में इसकी चकचक है और डेमोक्रेसी में जो नार्म्स अपनाये जाते हैं, मैं समझता हूं गवर्नमेंट इस छोटी सी बात को नहीं करवा सकी। इससे बड़ी कमजोरी और क्या उसके अन्दर हो सकती है ?

सभापति महोदय, राजऋषि कृषि कालेज, अलवर को वहां लेबोरेटरी का भवन बनाने के लिए युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से ७५ हजार मिले। उसकी बिल्डिंग शुरू हुई। वहां के महाराजा ने एक चिट्ठी लिख दी गवर्नमेंट को कि यह बाग के अन्दर आप यह बिल्डिंग बना नहीं सकते। उस वक्त लेट हिज हाईनेस, झालावाड़ शायद पी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर थे। वे उसी वर्ग से आते थे। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है और उन्होंने बिल्डिंग बनवाना बन्द करवा दिया। वह ७५ हजार रुपये इस तरह से लेप्स हो गये और आज तक स्टूडेण्टस् के लिए कोई लेबारेटरी नहीं बनी और वे बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि कानूनी तरीके से वह जो बिल्डिंग है जिसमें कि इस समय कालेज चल रहा है वह इनवेन्टरी, जो कोवेनेन्ट हुआ है उसके अन्दर लगी हुई है और जब तक उनके कब्जे में रहेगी जब तक कि एज्यूकेशन परपज के लिए उसकी जरूरत होगी। यह बिल्डिंग उसी काम के लिए ली जायगी तो उसका एपाटिंग बनना उसी बात के अन्दर निहीत है।

तो जिन लोगों ने पहले लाकर इसको बन्द किया है, उसे रिवाइज करना चाहिए। कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है। उसको लेकर लाइब्रेरी बनायें। ताकि स्टूडेन्ट्स को सुविधा मिले। गवर्नमेन्ट वक्त आने पर झुक जाती है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप का भाषण समाप्त हो। ४० मिनट हो गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मच्च मोर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा सा मोर।

जो सम्पत्ति इनवेण्टरी के जरिये उनको मिल गई है, आज गवर्नमेन्ट यह मानकर चलती है कि यह चेप्टर क्लोज हो गया है। अगर ऐसा मान लिया गया तो राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत बुरी बात होगी। एक-एक राजा के पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है। उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेन्ट इनसे कोलोबरेशन करना चाहती थी। समझौता करना चाहती थी। जो मांगा वही देदिया। जो चाहा वह कर दिया। आज वह सारी प्रॉपर्टी अपनी माने हुये हैं। मेरा यह कहना है कि जब आज विधान में संशोधन हो रहा है तो इन्वेण्टरी रीओपेन हो सकती है। वह इनवेण्टरीज जिन प्रॉपर्टीज को स्टेट का माना है। कई राजाओं के पास आज करोड़ों के हीरे-जवाहिरात पड़े हुये हैं। वह राजा लोग अपनी ही सम्पत्ति समझकर चल रहे हैं। यहां पर जो चन्द्र महल है। वहां जो लिखा हुआ है, उससे लगता है कि वह अपनी ही प्रापर्टी मानकर चल रहे हैं। आज जयपुर के महाराजा उसको प्राइवेट प्रापर्टी के रूप में मानकर चल रहे हैं। इसी प्रकार की और समस्याएं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस क्वेश्चन को रीओपेन करे। कम से कम २०० करोड़ आप को राजाओं की सीलिंग से मिलेंगे, आप ५ लाख पर सीलिंग कर रहे हैं। इससे आपको २०० करोड़ रुपया मिल सकता है। राजस्थान नहर अकेले राजस्थान की सम्पत्ति से राजाओं की सीलिंग से बनाई जा सकती है। गवर्नमेन्ट इस पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री भवरसिंह (अध्यक्ष) |

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, आज की मांगें पारित न हो जायें तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है?

कई माननीय सदस्य : जी हां!

श्री सभापति : मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (अश्रव्य)

श्री सभापति : जरा जोर से बोलिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक निवेदन कर रहा हूं। बंगला देश का एक नेता स्टूडेण्ट जेसोर जेल से छूटकर आया हुआ है। ७ बजे उसकी मीटिंग रखी गई है। अगर जल्दी ही अपने-अपने भाषण समाप्त कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। ताकि उसकी मीटिंग का लाभ ले सकें।

श्री रामकिशन : मिटिंग कहां रखी हैं।

श्री सभापति : गवर्नमेन्ट होस्टल में।

श्री रामकिशन : हम को पता भी नहीं।

श्री सभापति : लक्ष्मीकुमारीजी आप को भी बोलना है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के खड़े होने पर) रामकिशनजी तो महिलाओं का बहुत आदर करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह महिलाओं का आदर करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने नाम बताया नहीं है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, आज सदन में....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह लेना नहीं चाहते हैं किसी को।

श्री रामकिशन (बैर) : हमारे राज्य की शिक्षा नीति क्या हो, हमारा शासन किस प्रकार चले। यह मान्यता विधान सभा में बैठकर तय नहीं हो सकता है। असल में हम समाज किस प्रकार का बनाना चाहते हैं उसी प्रकार का गठन करना पड़ेगा। जिस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा का गठन करना पड़ेगा। इसी प्रकार मौजूदा शासन व्यवस्था का सारा दोष शिक्षा का है, यह इस कसौटी पर कसें तो जो हमने विचार प्रकट किये हैं उसके अनुसार आचरण करने का इरादा नहीं है। यह अज्ञानता के कारण है या किससे यह तय नहीं हो सकता है। आज हमारे राज्य के प्रशासन को हम जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं ढाल सके और न ही उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं रामानन्दजी से असहमति प्रकट करूंगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री रामकिशन : आप जल्दी क्यों कर रहे हैं?

इसलिए अगर कोई स्कूल बदलें या स्कीम बदलें तो गुलाड़ियाजी बड़ा पवित्र

(श्री रामकिशन)

काम करेंगे, मैं समझता हूं, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। असल में विश्व विद्यालय, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के अन्तर्गत अंग है ? इस पर शिक्षा शास्त्री प्रो० केदार अपने भाषण में चर्चा करेंगे। मैं तो अस्वस्थ होने के कारण अधिक नहीं कह सकूंगा। राजस्थान में मौजूदा स्थिति में काफी प्रयत्न किया है। स्कूलों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, कॉलेजों की संख्या. अगर संख्या की दृष्टि से हम शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो हम सन्तोष कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या राज्य की शिक्षानीति सही दिशा में है लेकिन शिक्षा के केवल विस्तार मात्र से हमारे समाज की ओर शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं होता है। आखीर हिन्दुस्तान भर में यह चर्चा है कि मौजूदा शिक्षा पद्धति है इसमें तब्दीली लानी चाहिये। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया आज तक, कितने ही कमीशन बैठे. कितनी ही कमेटियां बैठी, शिक्षा शास्त्रियों की गोष्ठी हुई लेकिन कौनसा परिवर्तन कब आ गया-- इसकी जानकारी न तो शिक्षा शास्त्रियों को है, न हिन्दुस्तान की जनता को है, न राजस्थान की जनता को है। केवल गोष्ठियां होती है या तो कमेटी बना देते हैं, या कमीशन बना देते हैं, कई बार बना देते हैं रिसर्च इन्स्टीटयूट और रिसर्च इन्स्टीट्यूट के लिये नया प्रावधान कर दिया जाता है। लेकिन जो मूल समस्यायें हैं बेरोजगारी की समस्या है इसके लिये नये दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है, मनुष्य के दर्द को समझने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान की शिक्षा पद्धति और देश के दूसरे प्रान्तों की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की आवश्यकता है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का युग है, जिस तरह मुल्क चल रहा है, उसमें संसार के अन्दर जो साक्षरता की स्थिति है, उसके साथ में हम राजस्थान की समस्याओं को थोड़े और शिक्षाशास्त्रियों पर जिम्मेदारी डाले, क्योंकि आज हम इस हैसियत में नहीं है कि इस सम्बन्ध में अचानक ही कोई सलाह दे दें इसलिये शिक्षाशास्त्रियों पर जिम्मेदारी डालें कि समाज के वर्तमान स्तर में आज किस तरह की शिक्षा हो। भले ही उनकी गोष्ठियां नहीं हो, लेकिन उनके सुझाव आने चाहिये ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। अक्सर शिक्षा मंत्री की बात, मुख्य मंत्री की बात हम सुनते हैं। शिक्षा के बारे में वह एक ही बात कहते हैं, राजस्थान बना तब इतने स्कूल थे, अब इतने बना दिये हैं। हम राज्य के बजट का २२ पर्सेंट केवल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। ये दोनों तथ्य सच है लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ नजर डालनी पड़ेगी, जहां शिक्षा का विस्तार हो रहा है, वहां अभी सेंसस हुई थी, उससे पता लग गया है, साक्षरता के मामले में हम कहां खड़े हुए हैं। हमे कोशिश करनी चाहिये, यह ध्येय होना चाहिए कि सबसे पहले साक्षरता के प्रसार को प्राथमिकता दें लेकिन चूंकि हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है, इसलिये कभी कॉलेज की तरफ, कभी विश्वविद्यालय की तरफ देखते हैं। प्राइमरी स्कूल के लिये हल्ला हुआ तो प्राइमरी स्कूल खोल देते हैं। सेकण्डरी स्कूल की मांग आई तो सेकंडरी स्कूल बढ़ा देते हैं। लेकिन मनुष्य को सुधारने के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिये जो मूल

Page No. 170

(श्री रामकिशन)

समस्या है, वह साक्षरता की समस्या है । मैं जानना चाहूंगा, साक्षरता का खूब प्रसार करने के लिए क्या प्रयत्न किया है ? छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के टार्जेट स्थापित किये, लेकिन हमारी उपलब्धियां क्या हैं ? या हमारी इस मामले में असफलता ही रही है । निरक्षरों की संख्या बढ़ी उसको छोड़ दीजिये, लेकिन हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा निरक्षर राजस्थान के मिलेंगे । इसका जवाब राजनीति का जानकार तो यह दे सकता है हम सामन्ती व्यवस्था से निकले हैं, इसलिये हमारा क्या दोष है यह अपने आप में सच्चाई है । एक व्यवस्था में किसी दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते है तो पहले की व्यवस्था का कुछ प्रभाव रहता है । यह सच्चाई है इसके बारे में कोई एतराज नहीं हो सकता लेकिन क्या यह कह कर अपनी समस्या के समाधान को टालते रहेंगे । जो आज मौजूदा शिक्षण के साधन हैं और जो मौजूदा पद्धति है उसमें परिवर्तन किये बिना हम कुछ कर सकते हों तो वह करने की स्थिति नहीं है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा, दुनिया के अन्य मुल्कों ने निरक्षरता के निवारण की योजना बनाई है, जैसे हम बनाते है, पानी के लिये, बिजली के लिये, नहर के लिए, वहां अन्य मुल्क जो विकासशील देश हैं, जो आजाद हुए हैं, इसी शताब्दि में जिन्हें आजादी के दर्शन हुए हैं उन्होंने निरक्षरता मिटाने का कार्यक्रम बनाया है क्या राज्य सरकार का शिक्षा मंत्रालय यह कह सकता है कि हम राजस्थान के सम्पूर्ण नागरिकों को नहीं, किन्तु जिनकी उम्र पचास साल से नीचे है, साक्षर बना देंगे ? यह सीमा बनानी चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है कि इस अवधि में साक्षर बना देंगे । हमारी राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री प्रयत्न करें तो यह सीमा आवश्यक है, समाज निर्माण के अन्दर इसकी जरूरत है । इस जरूरत को पूरा करने का क्या सरकार का इरादा है । चुनाव के साल में स्कूलों की संख्या बढ़ी किसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ी, किस में कम—मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा, न पड़ना पसन्द करता हूं । महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, और उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार एक सतसाला योजना बनाये इस वक्त राजस्थान के पास दोनों चीजें है, निरक्षर हैं और ट्रेण्ड शिक्षक भी हमारे पास हैं, एस. टी. सी. किये हुए । राजस्थान में कई छात्र या टीचर्स हैं जो बेकार बैठे हैं, उनके पास आय का जरिया नहीं है । हम उनके लिए सम्पूर्ण रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ समय तक के लिए वालियन्टर कोर बना सकते हैं और कुछ मदद के तौर पर पचास, साठ रुपया प्रति माह दे सकते हैं । इसके साथ ही टार्जेट निश्चित कर दे, इतने साल में इतने लोगों को साक्षर बनाना है । इससे इस समस्या का समाधान हो जायगा । जो अर्ध बेरोजगार हैं या जिन बेरोजगारों कि स्थिति खराब है उनके लिए हम अपना सामाजिक दायित्व पूरा कर दे । जो गरीब हैं, साधनहीन हैं, जिनके मां बाप ने एस. टी. सी. मुश्किल से कराई है, उनके लिए थोड़े समय के लिए रोजी मिल जायगी और निरक्षरता निवारण के लिए, जो समाजवादी नीति को समझने के लिए जरूरी है, हम प्रयत्नशील होंगे । आज समाजवाद की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की तो उसका प्रसार केवल रेडियो भाषण से नहीं होगा । समाजवादी प्रक्रिया आपने अपनाई है । तो करोड़ों लोगों का सहयोग आपको लेना

(श्री रामकिशन)

होगा। आपको विवेकशील लोगों को बनाना होगा। चुनाव में जो लोग आ गये, वह विवेकशील नहीं है और साक्षरता से ही गरीबी मिटेगी। आज प्रान्त में कितने गरीब हैं, यह पूछा जाय तो क्या बतायेंगे? राजस्थान में और हिन्दुस्तान में कितने बेरोजगार हैं? यह दोनों बातें बताने की स्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान का सारा सचिवालय इस स्थिति में नहीं है कि वह इस चीज की जानकारी दे सके। लेकिन हमारे सामाजिक लक्ष्य तय हो जाते हैं, ध्येय को पकड़ लेते हैं, देश के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आचरण शुरू कर देते हैं तो शिक्षा मंत्रीजी, सबसे पहले निरक्षरता निवारण के सम्बन्ध में स्पष्ट योजना का जिक्र करना चाहिये। अब आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, हमने प्रौढ़ शिक्षा के लिये यह प्रावधान किया है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर चार-पांच लाख से क्या बनेगा। यह बजट हमारा है, उसके विस्तार में न जाकर संक्षेप में सुझाव देना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, एक ओर शिक्षा शास्त्रियों से इस सम्बन्ध में चर्चा की जाय, दूसरी तरफ कैबिनेट के और दूसरे साथियों से चर्चा की जाय और निरक्षरता निवारण की समाजवादी नीति को एक धर्म के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए जरूरी है कि अन्य साधन बढ़ायें जायें। यहां तभी समस्याओं का समाधान होगा जब निरक्षरता निवारण पूरी तरह से होगा।

दूसरा सवाल है, जिस पर शिक्षा मंत्रीजी को अधिक ध्यान देना है। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, युवा कांग्रेसी, युवा तुर्क नहीं कह रहा हूं युवा कांग्रेसी कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्जरवेटिव बाप के प्रगतिशील सन्तान है। उन्होंने सवाल खड़ा किया रोजगार का, बेरोजगारी मिटाने के लिए कुछ विश्वविद्यालय का जिक्र किया। यह प्रसंग छिड़ गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पर खर्च बढ़ाते जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? हम दो उद्देश्य जानना चाहेंगे, एक व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य और दूसरा सामाजिक उद्देश्य। मैं समझता हूं विश्वविद्यालय के मौजूदा ढांचे के अन्दर जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिस दृष्टि से शिक्षा दी जा रही है—उससे दोनों उद्देश्य किसी तरह से पूरे नहीं होते हैं। और तो और, अब से पहले विभाग की तरफ से जो विभागीय रिपोर्ट मिलती थी, उसमें स्पष्ट छात्र संख्या होती थी, टीचर्स की संख्या होती थी, विश्वविद्यालय की तकलिफों का जिक्र होता था, कितने छात्र किस श्रेणी में हैं—इसका जिक्र होता था। तो एक तरफ तो आप समाजवाद की बात, चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट भिजवाई जाती है, उनमें जो समाज में जो पीड़ा है, समाज की जो मांग है, उसका जवाब है क्या? इसमें एक लाइन भी राजस्थान की शिक्षा के बारे में नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, आप इसको देख जाइये, इसमें हैं जो अकादमी है तीन, चार उन अकादमी के क्या क्रिया-कलाप रहे—उनका जिक्र किया है आपने, किन-किन साहित्यकारों को मदद दी, किस-किस प्रकार के प्रकाशन दिये। शिक्षा के मामले में यह डिपार्टमेंट की रिपोर्ट शांत है। यह शांत क्यों है? मैं समझता हूं, उपेक्षा वजह नहीं है, अज्ञानता वजह नहीं है, इरादे की वजह है। हिन्दुस्तान के समक्ष सही चित्र प्रस्तुत नहीं हो, इसलिये तथ्यों को जितना ज्यादा छिपायेंगे, आम लोगों से, इस सदन के माननीय सदस्यों से

(श्री रामकिशन)

उतना ज्यादा राज्य को लाभ हो सकता है। मेरा स्पष्ट आरोप है चार साल पहले शिक्षा विभाग का जो विवरण मिलता था, जो जानकारी मिलती थी, उससे हम जान पाते थे, प्रति व्यक्ति प्रति छात्र पर क्या खर्च है. शिक्षा प्राप्त करने वालों की क्या स्थिति है। शिक्षा को हम सामाजिक धर्म के रूप मे स्वीकार करते हैं, आचरण के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे क्रियाकलाप और मस्तिष्क का विकास उसी दिशा में होना चाहिए। ऐसी अवस्था में जरूरी हो जाता है कि किसी भी समाजवादी समाज में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का व्यय कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य को आप छिपाते हैं, आपका मंत्रालय जानबूझ कर इसलिए छिपाता है कि हम उद्देश्यों की पूर्ति में इन सारी चीजों को सहायक नही बनाना चाहते हैं। हम सारे समाज और सदन को अन्धकार में रखना चाहते हैं। आज कॉलिज शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, उसी अनुपात में प्राथमिक शिक्षा में बढ़ रहा है ? मैं कहूंगा, उसमें फर्क ज्यादा है.... मैं मान सकता हूं कि आपकी कॉलिज शिक्षा पर ५.२५ करोड़ और प्राथमिक शिक्षा पर १४.९३ करोड़ के आसपास है लेकिन इसमें छात्र संख्या और उनको दी जा रही सुविधाएं दिखानी पड़ेंगी। तो शिक्षा मंत्रीजी आपके ऊपर चाहे कितने ही प्रलोभन आयें, चाहे कांग्रेस दल का चाहे मुख्यमंत्री खुद क्यों न कहें. आप तो फैसला कर लें कि आने वाले १०-१२ सालों में राजस्थान में कॉलेज नहीं खोला जाएगा। मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूं आप मेरे दृष्टिकोण को समझें। आप कहेंगे कि मेरे यहां खुल गया इसलिए मना कर रहा हूं। मैं कभी स्वार्थी नहीं रहा हूं। आप एक नीति के रूप में, सारे भारत के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप कॉलेजों का अंधाधुन्ध विस्तार किस लिए कर रहे हैं ? उद्देश्य क्या है ? आपके सामने ही स्थिति है कि समाज में निराशा है। हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। कुछ समय के लिए रोकें। हमेशा के लिए नहीं कहता। ५ साल के लिए तय करिए, दो साल के लिए तय करें लेकिन जब तक प्राथमिक शिक्षा सब को न मिल जाए और निरक्षता दूर न हो जाय तब तक कॉलेज न खोलें....

श्री मदनसिंह : वैसे ही नहीं खोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा पर जोर देना चाहिए। मैं उनके लिए कॉलेज बन्द करने की बात नहीं करता। उसका कारण यह कि चूंकि आप एक संकुचित वातावरण में आ गए, जैसे मैंने स्त्रियों के लिए कॉलेजों की बात कही तो आपके आगे भरतपुर आ गया। मैं संपूर्ण स्त्री जाति के लिए चाहता हूं कि ताकि वे पढ़ी लिखी बनें। सारे हिन्दुस्तान में सभी राज्यों के मुकाबले स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आपका परसेंटेज कम हैं इसलिए आप दूसरे कॉलेज फिलहाल न खोलें, लेकिन स्त्री शिक्षा के लिए जो व्यवस्था कर सकें करें, उस पर बन्धन न लगायें।

एक चीज मैं और जानना चाहूंगा (श्री रामानन्दजी से) मेरी श्रीमती की तो कॉलेज जाने लायक उम्र नहीं है। तुम्हारी स्त्री की जाने लायक उम्र है। मुझे आपसे एक निवेदन करना है। आपने छात्रवृत्तियों

(श्री रामकिशन)

के लिए कुछ व्यवस्थायें की। कुछ समाज कल्याण विभाग देता है, आपके विभाग से भी कुछ छात्रवृत्तियां देते हैं। इस चुनाव के बाद करीब-करीब ज्यादा नहीं तो १५ प्रतिशत समाजवाद की ओर आपने जाने का इरादा किया हैं। तो जो समाजवादी समाज होगा उसमें छात्रवृत्तियों का क्या तरीका होना चाहिए ? उसका मापदंड पूरी तरह से गरीबी और आर्थिक क्षमता होना चाहिए तो आपको तय करना चाहिए कि शिक्षा की नीति स्वरूप नए कॉलेज नहीं खोलेंगे, लेकिन जिनके अभिभावकों की आमदनी १००) से कम है तो बगैर वर्ग के जाति के धर्म के, जिनकी आमदनी १२००) साल से के बराबर या आसपास है उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देना सरकार का कर्तव्य होगा। तब तो समान आचरण का आप मापदंड बनाते हैं, अन्यथा जिस प्रकार का आज शिक्षण का तरीका है वह सब अधूरा है और कम और गलत ढंग से चल रहा है।

इसलिए दो तीन बातें आप से और कहना चाहूंगा। आपने कई तरह के संस्थान बना रखे हैं और बजट भी काफी रखा है। आपके विज्ञान का भी है, राज शिक्षा संस्थान और व्यवसाय गाइड्स राजकीय ब्यूरो बना रखा है, सब का उपलब्धियां क्या हैं ? मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह नहीं कह सकता कि आपको जानकारी नही होगी लेकिन जो संस्थान बना रखे हैं, इनसे शिक्षा प्रणाली या ज्ञान की क्या उपलब्धियां हुई, इसकी सदन को जानकारी मिलनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से किया है, अगर कुछ लोगों को बनाए रखने की दृष्टि से किया है तब तो दूसरी बात है। मगर यदि यह उद्देश्य नहीं है तो मैं स्पष्ट चाहूंगा बजट का एक बड़ा हिस्सा जिस काम के लिए खर्च कर रहे हैं, उन संस्थानों की क्या उपयोगिता है।. इनसे ज्ञान में किस तरह से सहायता मिलती है ...

(घन्टी)

मुझे तो अभी सामान्य प्रशासन पर भी बोलना है।

श्री सभापति : २० मीनिट हो गए हैं।

श्री रामकिशन : आपके मिनट जल्दी चलते होंगे।

श्री सभापति : आपके दल में दूसरे भी बोलने वाले हैं।

श्री रामकिशन : उसकी हम व्यवस्था कर लेंगे।

श्री सभापति : यह समझ रामानन्दजी की तो नहीं थी, आपको तो है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय. शिक्षा विभाग ने शिक्षा संचालन के अलावा साहित्य सृजन के लिए उनकी गतिविधियों को पुष्ट करने के लिए कुछ राजकीय अकादमियों का गठन किया हैं। उनके भीतरी प्रशासन के बारे में कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। अक्सर जो चर्चायें होती रहती हैं इनके प्रशासन के बारे में, क्षमत के बारे में उन सारे प्रश्नों को मैं छोड़ देता हूं लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी हो और कोई अकादमी हो इन सब का हम क्या उपयोग करते हैं ? किस प्रकार का उपयोग करते हैं। मैंने कुछ प्रकाशन देखे हैं। सारे तो नहीं लेकिन

(श्री रामकिशन)

समय-समय पर कुछ प्रकाशन देखे हैं। मैं समझता हूं साहित्यकार का काम केवल साहित्य के तथ्यों को प्रस्तुत कर देना ही नहीं है, केवल तथ्यों को रख देना ही नहीं। उस समय सामाजिक परिस्थितियां और थी जिन परिस्थितियों की वजह से और जिस प्रकार साहित्य का निर्माण किया है उसका ऐतिहासिक विवेचन इन अकादमियों में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम साधारण लोग केवल एक कविता का कविता के रूप में अर्थ लगा सकते है लेकिन जो साहित्यकार हैं वह केवल तथ्यों को प्रस्तुत ही नहीं करें उनका काम यह भी है कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में प्रस्तुत करें। मैंने आपका साहित्य राजस्थान बोली के रूप में कुछ दिन पहले दो किताबें पढ़ने का मौका मिला। हिन्दी अनुवाद था। उससे मालूम पड़ा कि सचमुच यह बोली भाषा का स्वरूप ले लेगी। उसका मैं भाषा के रूप में नहीं लेकिन इस राजस्थानी साहित्य को जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों में, जिस प्रकार का साहित्य का निर्माण हुआ है, उस निर्माण को अगर हम दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले में कुछ जगह रखें तो मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले कलकत्ता के एक राजस्थानी के मारफत लिखा हुआ लेख देखा। उसमें एक राजस्थानी संगीत की व्याख्या थी। कमाल की व्याख्या थी, न फ्रांस में ऐसा साहित्य, न हंगरी में। उसमें हम केवल वेदना के प्रति विचार रखें वह काफी नहीं है। उस जमाने की नारी यह गीत क्यों गाती थी? यह विवरण आने वाले समाज के लिए नहीं रखा है तो थोड़ी वेदना के लिए आनन्द स्वरूप हो सके। अन्यथा उपलब्धि नहीं। गाने में बताया गया है कि गृहणी की १०, १२ साल में शादी हो गई, १४ साल में पति परदेश चले गये। क्यों गए? गीत गाने से मेरा मतलब नहीं है लेकिन उस समय सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और इस कारण ऐसे गीत गाने पड़े। इनको केवल तथ्यों के रूप में प्रस्तुत कर दे तो मैं समझता हूं साहित्यकार अपना अधूरा काम करता है, साहित्यकार का काम साहित्य सृजन ही नहीं है उसका ऐतिहासिक विवेचन भी जरूरी है। इस सम्बन्ध में मुझे नाट्य-कला अकादमी के पत्र-पत्रिकायें भी मिली है। उनका भी बजट है लेकिन चूंकि समाजवादी राज बनाने की बात करते हैं, आपका हर आचरण व्याख्या से शुरू होना चाहिए। खेल का बजट रखा है, प्लान और नान-प्लान में ११।। लाख का। इन खेलों की जो प्रवृत्तियां हैं क्या जानकारी है? सारी प्रवृत्तियों का अध्ययन करके हम देखे कि जो लोक खेल हैं जैसे कबड्डी-खो इत्यादि उन पर कुछ खर्च नहीं हो रहा है, जो सामंती खेल हैं, इंग्लैंड के लिए वे लोक खेल हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सामंती खेल हैं तो इन पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है।

संस्कृत शिक्षा का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन यह मानकर चलें कि संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही, सामंती भाषा रही है। आम जनता हिन्दी का और शासक अंग्रेजी का प्रयोग करते रहे हैं तो खोज व शोध का काम होना चाहिए लेकिन इसके विस्तार के लिए अंधाधुंध तरीके से चलेंगे तो नए समाज के निर्माण के लिये इन सारी चीजों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

नृत्य कला अकादमी को देखा। नागर साहब इसके अध्यक्ष हैं। साहित्यकार हैं,

(श्री रामकिशन)

दूसरे श्री देवीलाल हैं, वह नाटककार हैं लेकिन एस. के. श्री रामनिवास मिर्धा हैं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं लेकिन जो आदमी सामान्य औरतों से बात करने में संकोच करता हो वह ललित कला अकादमी का विकास क्या कर पायेंगे, जो महिलाओं से बात करने में भी झेंपते हैं...

श्री सभापति : खुद के बारे में सदन में प्लीड नहीं करना चाहिये ।

श्री रामकिशन : मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो प्रवृत्तियों की बात करता हूं । जो जिसका काम हो जो जिसके योग्य हो, हमेशा उस पर जिम्मेदारी डालनी चाहिये । क्योंकि नई दिशा देना है। हम देखते क्या हैं कि वही की वही कत्थक की पुरानी प्रणाली है। रवीन्द्र रंगमंच पर मुझे लेगये। बृजसुन्दरजी चेयरमेन थे। कहां तो कत्थक का नृत्य और कहां बृजसुन्दरजी का पेट। मुझे कहा कि कहां ले आये भाव नृत्य बदल रहा है और बृजसुन्दरजी का शरीर कुर्सी से नहीं हिल रहा। सामान्य प्रशासन में सुखाड़िया साहब और पी० डब्ल्यू० डी० में नवाब साहब और कृषि में शोभारामजी दक्ष हो सकते हैं। मैंने थोड़े बहुत साहित्य प्रकाशन देखे हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान का साहित्य बड़ा समृद्ध है, तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन जब कि तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन नहीं होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था से लोग नफरत नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो समाजवाद के लिये भूमि तैयार नहीं कर पायेंगे।

विश्वविद्यालय के लिये चर्चा हुई है, मैं छोड़ रहा हूं।

सामान्य प्रशासन के लिये निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप से कहूं कि मंत्रिमंडल की संख्या कम करो तो बेकार है। आपके पास वह शक्ति है। वैसी राजनैतिक आवश्यकता तो है नहीं। एक तरह की भेड़े हैं। पांच-सात को निकाला भी तो जायेंगे कहां। इधर भी नहीं हैं। सामान्य प्रशासन का ढांचा उस तरह का नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन, योग्यताएं दिशा उसका कि नहीं है जिस प्रकार के समाज निर्माण के लिये आवश्यक है। इन सबको छोड़ भी दें। अधिकारियों का वर्ग बना रखा है। समाजवाद को सब लागू नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको भी ज्ञात है कि अधिकांश की प्रवृत्तियां क्या हैं, क्या विचारधारा हैं और क्या कार्यकलाप हैं। वे इसलिये नहीं है कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल स्वयम् भोगी है, कहां आप व्यवस्था कर पायेंगे समाजवाद को? वही पुराने ढर्रे पर राज चला करते थे।

समाजवाद नाम की कोई चीज नहीं। यह मैं केवल आस्थाओं के लिये कह रहा हूं। जन-साधारण में समाजवाद के प्रति रुचि और आकांक्षा और आस्था पैदा की जाय वह आपकी ओर से प्रयत्न नहीं होता है, समाज का सृजन करके नये व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिये। वह प्रवृत्ति ही नहीं है। मैं प्रशासनिक ढांचे के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक-दो बातें कहना चाहूंगा। आपने प्रशासन में यथास्थिति बना रखी है। समाजवादी बनाएं यह आपकी शक्ति नहीं है। उम्र के लिहाज से भी बुढ़ापा आगया है, जिन्दगी के सोलह साल अच्छे निकल गये।

(श्री रामकिशन)

कन्जरवेटिव तरीके से सारी विचारधारा है। उस पर तो समय खराब करें हम अपना समय वह बेकार है। क्योंकि वह आपके समझ में आने वाला है नहीं।

आर. ए. एस. की सीनियोरिटी लिस्ट को पी. एस. सी. में भेजना बन्द कर दिया। कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, पी एस. सी. के चेयरमेन को आप लिस्ट भिजवाते हैं और अधिकारी को भी भिजवाते हैं। ६७ में तो भिजवाया और बाद में बंद करदी। मेरिट फार्मूले पर जिनको पसन्द करते थे उनको तो किया और जो जिनको आप पसन्द नहीं करते थे उनको नहीं किया। इसके कारण इस सर्विस में बड़ा असन्तोष है। यह आपने गलत काम किया। क्रांतिकारी होते तो दूसरा रूप धारण कर लेते। याचिकाएं हुईं और हाईकोर्ट ने फैसला किया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लिस्ट दुबारा प्रकाशित कराये जिससे कि मालूम हो जाय कि कौन सीनियर है। चीफ सेक्रेटरी, श्री भगवतसिंह मेहता थे उस समय उन्होंने एक सिक्रेट सरक्यूलर पी. एस. सी., रेवेन्यू बोर्ड और विकास आयुक्त को भेज दिया और सिन्योरिटी लिस्ट का प्रकाशन बन्द कर दिया। मैं इसमें अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपने क्या किया है यह नमूना देखिये ३१-४-७१ को एम. पी. पगोरिया, अभी कन्फर्म भी नहीं हुए हैं, काफी लोग उनसे सीनियर है, २५-२५ साल की जिनकी सर्विस है उनको तो नहीं, लेकिन उनको प्रमोशन दे दिया, आप महसूस करें या न करें। श्री मोतीराम कक्कड़ और श्री श्रीकांत शुक्ला की २५ साल की सेवाएं थी, काफी सीनियर थे उनको छोड़ दिया और उनको लगा दिया। जोधपुर के फेमिन के समय जो सेवाएं की उनका फल दिया।

(५. २६ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

आपने बोर्ड, निकायों वगैरा में अधिकारियों को भेज रखा है। मर्यादा क्या है ? आपके स्पष्ट आदेश होने चाहिये और आपका स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिये। लेकिन वह है नहीं। दिल्ली में पांच-छः साल से अधिकारी को बैठा रखा है। क्यों बैठा रखा है ? श्री बैकुन्ठलाल चतुर्वेदी। छः-छः साल से लोगों को बैठा रखा है इसी प्रकार श्री मुन्नालालजी गोयल। आपके दामाद हैं तो मेरे भी मित्र हैं, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। जनता में एक प्रतीक बनाकर सारी गड़बड़ियां इसलिये होती हैं कि उनके दामाद इतने अर्से से हैं, लोकतन्त्र में आने वाले सब ऐसा करेंगे यह डर लगता है। आपको तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे दूसरों पर असर हो।

आपने सीनियोरिटी फिक्स की। कुछ विभागाध्यक्ष बनाये, सिंगल साहब को बनाया, अभी कन्फर्म हुए। समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष बना दिया वे कन्फर्म हुए। उनसे दूसरे काफी सीनियर हैं। जज के भाई हैं तो यह दूसरी बात है। इससे आपकी सेवाओं में असन्तोष होता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे इन सारे मामलों पर विचार करे और फैसला करें। आपने यह फैसला किया था कि तीन साल से अधिक जयपुर में कोई नहीं रहेगा। लेकिन एक ही आदमी को इधर-उधर करते रहते है कभी, ए. डी. एम.

(श्री रामकिशन)

कभी-कभी दूसरी जगह लगा दिया। इस प्रकार का काम आप करते हैं इससे सेवाओं में बड़ा असन्तोष होता है। डिप्टी मिनिस्टर, चौधरी साहब के छोटे भाई दस साल से जोधपुर में बैठे हुए हैं। कोई बीकानेर में बैठा हुआ है, कहीं सेल्स टैक्स में कहीं ए. डी. एम. की जगह और कोई दूसरी जगह पर लगा दिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेवाओं में इस प्रकार की चीजों को बिल्कुल समाप्त करें। एक आदमी के साथ भी अन्याय हो तो लोकतन्त्रीय राज्य के अन्दर वह नहीं होना चाहिये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं। राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा होती रहती है और इसके बारे में हमारी एक स्पष्ट नीति है और वह यह कि उनको मुआवजों की जरूरत नहीं है लेकिन एक बड़ा मौलिक प्रश्न और है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके लिये जरूरी हैं।

श्री रामकिशन : एक यह जो मौलिक प्रश्न है जिसके लिए विचार करना जरूरी है। आपने कुशलगढ़ और नीमकाराना के लिए बजट में ९ लाख रुपये का प्रावधान किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों को आप कब तक चालू रखेंगे। आप इस तरह से किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। आपने पोलिटिकल सफरर्स का भत्ता प्रारम्भ कर दिया है। यह भत्ता ऐसे लोगों को आप दे रहे हैं जिनसे समाज की नाराजगी है? आप किस प्रकार के लोगों को यह भत्ता दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको पुर्नविचार करना चाहिये, और अन्त में अध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रीजी को भी यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे शिक्षा नीति में तब्दीली लावें और इसके लिये मैं पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं और विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में भी मैं लम्बी चर्चा करना चाहता हूं परन्तु इसके लिये इतना समय नहीं है, इसलिए मैं यह चर्चा प्रोफेसर केदार के लिए छोड़ देता हूं। वे इस विषय के ज्ञाता भी हैं और मुझे आशा है सरकार उनके प्रस्तावों पर विचार करेगी।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे सामान्य प्रशासन के ढांचे में तब्दीली लावें तो उचित होगा। आपने एक बार कहा था कि यह जो लम्बी-चौड़ी फौज है मिनिस्टर्स की उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह ट्रेनिंग का पीरियड कितने साल का है। चार साल तो हो गये हैं। अब यह बतादें कि कितने साल का समय और चाहिये। इनकी योग्यता की तो ट्रेनिंग हो गई है और वाकई मुख्य मंत्रीजी कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं कि वे गुल्ली डंडा खेलते हैं और मानो उनके जीवन का कोई कार्य नहीं है। ये क्या मंत्री हैं। न तो इनमें विवेक है न ज्ञान है। इसलिए मुख्य-मंत्रीजी आप इस पर भी सोचिये।

श्री भवर्नसिंह : चुन कर भेजा है जनता ने, चाहे मूर्ख को चुन कर भेजा है। इनके लिये आप ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री रामकिशन : मैंने यह नहीं कहा है कि ये मूर्ख हैं।

सदन के अपमान का मामला

श्री अध्यक्ष : जैसा विवाद चल रहा है, मैं चाहूंगा कि उसके बीच में दो चार मिनिट

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक श्री रमेशचन्द्र शर्मा, एम. ए. एल. एल बी. एडवोकेट हाईकोर्ट, जोधपुर ने यहां सदन में पर्चा फेंका है, उसके सम्बन्ध में निर्णय हो जाय और उसके बाद डिबेट आगे चले। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी निर्णय हो वह हो जाय और उसके आधार पर आगे की फार्मेलिटी पूरी की जाय क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है इसलिये जो भी तस्फिया हो वह हो जाये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (मुख्य सचेतक कांग्रेस पार्टी) अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आप को रमेशचन्द्र शर्मा कहते हैं और जिन्होंने आज ४ बजकर ४० मिनिट पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन में पर्चा फेंका है और जिसको वाच एण्ड वार्ड वालों ने अपनी कस्टडी में कर लिया है, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं। यह सदन आगे संकल्प करता है कि उनको १५ दिन की जेल की सजा दी जाय और जेल भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव है। इस पर माननीय सदस्यों को कुछ कहना है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज कई अर्से से हम देखते आ रहे हैं और विधान सभा के जहां विधायक हों, वहां ऐसा हो तो यह एक अनुचित कार्यवाही है और यह पब्लिक के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। विधायक पब्लिक की आवाज यहां पर उठाते हैं और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां कि पब्लिक का पूरा रिप्रेजेन्टेशन न होता हो लेकिन एक व्यक्ति अपनी औरत या लड़के की बात को लेकर ऐसा कोई कार्य करता है तो गलत है। वह विधायकों से बात करता और हम उसकी बात को यहां पर उठाते। ऐसे तो हर एक व्यक्ति अपनी औरत या और किसी काम के लिए विधान सभा जैसे पवित्र मन्दिर में इस तरह से पर्चे फेंके तो यह एक गम्भीर बात हो जाती है। अध्यक्ष महोदय मैं सही रूप से कहता हूं कि आप का भी इसमें लीनियन्ट रुख रहा है आपने भी पहले लोगों के कहने से क्षमा कर दिया और उसके कारण ही ये बातें डवलप हो रही है। आज पर्चा फेंका है, कल गोबर फेंकेंगे और फिर जूता फेंका जायगा। इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये और एक पढ़ा लिखा आदमी विधान सभा में इस तरह का अनुचित कदम उठाता है, तो घोर अपराध है। कोई अनपढ़ आदमी हो तो उसको माफ किया जा सकता है। परन्तु एक पढ़े लिखे ने यह हरकत की है तो उसको सजा मिलनी चाहिये ताकि लोगों को भी मालूम हो सके कि विधान सभा को भी कोई ताकत है और वह सजा दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब इस प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि संक्षेप में हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब इस प्रकार की घटना हुई थी तो एक अवसर दिया गया था"

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बजाय इसके यह कह दें कि इसको स्वीकार करते हैं जो प्रस्ताव मूव किया गया है तो ठीक रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा विचार है कि इसमें पहले से कोई सजा तजवीज की जाये उसको मौका दिया जाये और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को जरूर फोलो किया जाना चाहिये और उसको दोषी मानते हैं तो उसको अपनी डिफेन्स करने का, अपनी बात को कहने का अवसर दिया जाकर फिर यह कार्यवाही की जानी चाहिये। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि और इस बात के पक्ष में हूं कि जैसे पहले माननीय अध्यक्ष के ऊपर इस बात को छोड़ दिया गया था कि वे सदन की भावनाओं की जानकारी ले लें और उसके बयान भी ले लें और जो उचित समझें कार्यवाही करली जाये तो उचित होगा उनको मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अग्रवाल!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के विशेषाधिकारों अथवा सदन के अपमान करने के अपराध में उन्हीं व्यक्तियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अथवा शहादत करने का मौका दिया जाता है जिन मामलों में इस प्रकार की घटनाएं सदन के समक्ष न घटी हों। मुझे जहां तक स्मरण है संसद के माननीय सदस्य का नागपुर रेलवे स्टेशन पर अपमान करने के अपराध में वहां के संबंधित पुलिस अधिकारियों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उनसे प्रश्न पूछा गया था और उसके बाद सदन से एक आज्ञा ली थी लेकिन जो घटना इस सदन के समक्ष घटित हुई है उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार से भी शहादत लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता, मौका देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह कन्टेम्पट हाउस की मौजूदगी में हुआ है। कन्टेम्पट हाउस के सामने न हो जैसा कि पिछली बार विधान सभा की केन्टीन में एक घटना घटी थी विशेषाधिकारों के हनन के सम्बन्ध में तो उसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया था। उसमें एक बरसन का सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन यहां यह सवाल है कि पर्चा फेंका गया है और जिस व्यक्ति ने फेंका है उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उस सम्बन्ध में आदेश दे दिया गया है और अब तो केवल इस सदन को तय करना है कि उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाये। एवीडेन्स का सवाल या मौका देने का कोई प्रश्न नहीं है। सदन का अपमान हुआ है, विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सदन की कार्यवाही के दौरान इस प्रकार का पर्चा फेंकने की घटना गम्भीर है। सदन ने पहले बहुत ही उदारता से काम लिया है। मैं समझता हूं कि पढ़ालिखा व्यक्ति और वह भी एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, वह व्यक्ति इस प्रकार से दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही में पर्चा फेंके, तो यह गम्भीर घटना है और मैं उनको सजा देने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं, छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा एक संशोधन है कि १५ दिन के स्थान पर ७ दिन की सजा दी जाये और उनको जेल भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

(श्री रामकिशन)

जो मुख्य सचेतकजी की ओर से प्रस्ताव आया है, मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव पर अमल करने से पहले उनको सुन लें और सदन यह अधिकार आपको देता है और आप सुन कर तजवीज पेश करें और सदन उस पर विचार कर ले। वैसे यह घटना जिस तरह की है वह छोटी घटना है लेकिन अपराध की दृष्टि से इसकी गम्भीरता कम नहीं होती है लेकिन आज समाज में जो अव्यवस्था चल रही है उसका यह एक प्रतीक है। केवल पर्चा-फेंका है, यह छोटा अपराध है परन्तु इससे अपराध की मात्रा कम नहीं होती है। हो सकता है कि उन्होंने सारे जगह के दरवाजे खटखटाये हों और निराशा हाथ लगी हो। इस प्रकार की हमें भी एक चिट्ठी दो-तीन दिन पहले मिली थी। मेरी दृष्टि में हो सकता है अज्ञानता के कारण यह सब कुछ किया गया है...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

....आप उत्तेजित न हों हंसराजजी। मैं खुद कह रहा हूं अपराध की मात्रा कम नहीं होती है। आप चेम्बर में बुलाकर जो उचित समझें इस सदन को अवगत करा दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, यह चेम्बर में बुलाकर बात करने वाली स्थिति तो इसलिये नहीं होती, सदन के सामने यह काम हुआ है। सदन के सामने प्रश्न है डाऊट का प्रश्न नहीं है। जो भी निर्णय किया जाय। सजा तो मिलनी चाहिये ताकि आये दिन सदन में यह पुनरावृत्ति न हो। इस विषय में जो फैसला हो वह सदन में होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य ! बहुत संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करने से पहले उसकी कई सीमायें होती हैं. शिक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करना और चाहे किसी की धर्मपत्नी हो और चाहे भाई हो और चाहे कुछ भी हो। उस व्यक्ति ने जो ये पर्चे गिराये, कोई नारा नहीं लगाया, सिर्फ सदन की जानकारी के लिये इस प्रकार की कार्यवाही आज राजस्थान में हो रही है। डिपार्टमेंट्स में कोई सुनाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जाता है और उसकी सुनाई नहीं हो तो मैं इसको कोई बड़ी घटना नहीं समझता हूं। वह समय भी नजदीक है जब विधान सभा में लोग बम फेंकने लगेंगे।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान करने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....

एक माननीय सदस्य : ऐसे व्यक्ति को ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अधिकार है बोलने का आपको इससे....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में मा० सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं आज लोगों के अन्दर इतनी ज्यादा निराशा उत्पन्न हो गई है। सुनवाई नहीं होने की वजह से यह कान्ड हुआ है। मेरा निवेदन है उस व्यक्ति को चेम्बर में बुलाकर उसकी गाथा सुनें किस प्रकार पर्चे गिराये। यदि वह सजा पाने

(श्री रामचन्द्र आर्य)

का अधिकारी है तो सजा भी दी जाय और यदि वह माफी मांग लेता है तो माफी दे देनी चाहिये। मैं इसे कोई बड़ी घटना नहीं समझता हूं। सदन की मर्यादा और अपमान है, वह जरूर है लेकिन आज इस राज्य की मर्यादा कहां गई। आज जो अव्यवस्थायें समाज में फैल रही हैं उसी का परिणाम है इस तरह से ऊपर से पर्चे फेंके।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करलें, अब मैं समझ गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस पर पुनः विचार किया जाय और इस प्रकार सजा न सुनाई जाय। सजा से कोई आदमी मारा नहीं जाता है। इतनी संकीर्णता नहीं होनी चाहिये। उस आदमी ने पर्चे गिराये हैं, पर्चे सदस्यों को मिल गये और इससे सदन की गरिमा कम हो गई हो ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन है इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय पर्चे फेंकने वाला एम० ए०, एल० एल० बी० है और राजस्थान हाईकोर्ट का एडवोकेट है। वह पढ़ालिखा है और यह काम वह तभी कर सकता है जब उसके दिमाग की स्थिति सही नहीं हो। सजा देने से पहले उसका मेडीकल एग्जामिनेशन कराया जाय और ऐसा भी हो सकता है वह एक पागलपन की स्थिति में हो। इसलिये सजा से पहले....

श्री मदनसिंह : अगर इतना पागल होता तो अन्दर आ जाता।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, काम दो तरह से किये जाते हैं एक व्यक्ति समाज के दुःख से दुखी होकर जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो करता है और एक आदमी अपनी पत्नी के सुख के लिये काम करे तो फिर तो इसका अन्त नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है पढ़ालिखा है, एडवोकेट है और जब एक पढ़ालिखा व्यक्ति इस तरह को स्थिति पैदा करे तो दिमाग में फितूर तो नहीं है इसकी जांच करके माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो एक सप्ताह का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही प्रश्न संसद में सन् १९६७ में आया था। पर्चा फेंकने के मामले में कार्यवाही करने की विधि पर हमारी परम्परा मार्गदर्शन देती है। और संसद ने उसी वक्त काग्नीजेन्स लिया। एक मोशन सामने आया और उस आधार पर उसको सजा दे दी गई और छोड़ दिया गया। एक तो यह व्यवस्था इस सम्बन्ध में हो सकती है, जो संसद में ऐसे ही मामले में संसद ने निर्णय लिया। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया है उसका एग्जामिनेशन सदन में किया जाय। उस सम्बन्ध में सारे विवरण को सदन के सामने रखना चाहता हूं फिर उस पर डिबेट हो और निर्णय हो। इन दो प्रश्नों पर विचार होना है–यदि माननीय सदस्य यह

(श्री अध्यक्ष)

समझते हों कि संसद की व्यवस्था का अनुपालन करते हुये आज ही इस मामले को ले लें तो ले लिया जाय। माननीय सदस्य सभी सहमति रखते हैं। और इस बारे में माननीय सतीशचन्द्रजी ने १५ दिन से ७ दिन-और कोई सीमा निर्धारित हो तो उस सीमा में यह तय हो सकता है। दूसरे प्रश्न में मुझे जो अधिकार दिये जाते हैं तो उसमें सजा का भी अधिकार दे दिया जाय तो चेम्बर में ट्रायल दिया जाकर आगे निर्णय लिया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : जो फैसला आप चाहें कर दें। मंजूर है। हाउस को बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह सदन की सहमति है कि मैं इस पर निर्णय दे दूं ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसे इश्यू पर आपको पावर्स डेलीगेट की जा सकती है या नहीं, यह प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संसद में जिस तरह से हुआ है चाहे माफ किया लेकिन स्पीकर महोदय ने मामले को संसद में रखा है–Powers to committ a man cannot be delegated to any other man.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सजा का है। माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी कुछ करना है तो यहां बुलाकर सदन में ताड़ना दे दी जाय। यह काफी है।

श्री अध्यक्ष : सीरियसनेस ज्यादा न हो तब तक जो मैंने व्यवस्था रखी है–परम्परा के रूप में संसद की व्यवस्था सामने रखते हुए उसकी अनुपालना की जाय तो ठीक है। यहां पर तो सिर्फ सजा का प्रश्न है अथवा ताड़ना का प्रश्न ही विचारणीय रहता है। अगर ७ दिन अधिक समझते हैं तो तीन दिन दो दिन....

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : तीन दिन कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : तो सदन की सहमति है? प्रश्न यह है कि यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री रमेशचन्द्र शर्मा कहता है, इन्होंने आज ४ बज कर ४० मिनिट पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन में पर्चे फैंके और जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया है, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो करते रहें। प्रश्न यह है कि यह सदन आगे संकल्प करता है कि उनको १५ दिन के बजाय तीन दिन के लिये जेल की सजा दी जाय–सिम्पल इम्प्रीजिनमेंट।

(स्वीकृत)

तीन दिन की सजा उनको प्रदान की गई।

अब आगे का भाषण आरम्भ रखिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन कर दूं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमारे में से कोई बोला ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में एक छोटा सा सुझाव दे दूं।

यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और यह कन्डेम होना चाहिए। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं को बैठक बुलाकर और बातचीत करके होना चाहिए। जांच की रिपोर्ट कम्प्लीट होती है तो इसमें उस तरह से सीरियसनेस के साथ डिसीजन होना चाहिए और जहां तक हो सके युनेनिमस डिसीजन किया जाय, चाहे वह चेयर की तरफ से किया जाय, क्योंकि दी चेयर इज गार्जियन एण्ड प्रोटेक्टर ऑफ अवर राइट्स। यह जरूरी नहीं है कि सरकारी पक्ष की तरफ से ही वह आये। कान्शीयस बनाई जाय तो इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की आवश्यकता न हो।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा सा माननीय सदस्य और बोल लें। श्री मनोहरसिंह आप समय का खयाल रखेंगे। १० से अधिक नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज ७ बजे जाना है और आप तो रोज ही बोलते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रोज तो दल की तरफ से बोलता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वहां जाना है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जितना आपको दर्द है उतना मुझे है बंगाल के लिए।

श्री अध्यक्ष : १०-१२ मिनिट का कोटा है उसमें सब बोल लेंगे।

अनुदानों की मांगों पर पुनर्विचार एवं पारण

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया साहब की कहीं बुराई सुनता हूं तो मुझको बुरा लगता है। इसका मतलब यह है कि मेरे मन में इनके बारे में आदर और स्नेह है। जब इनकी प्रशंसा होती है बड़ी खुशी होती है। तो जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं वह इसी भावना से प्रेरित होकर कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी व्यक्ति लम्बे समय तक राज्य करता है तो उसका उतार शुरू हो जाता है। यह बात पंडितजी ने भी नहीं सोची और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा और आखिर में लोगों को यह कहना पड़ा कि पंडितजी तो बरगद का पेड़ है जिसकी छाया सुखद है लेकिन जिसके नीचे कोई नहीं पनपता है। सुखाड़िया साहब ने इतने लम्बे समय तक राज्य किया लेकिन अब सुखाड़िया साहब के लिए वह वक्त है कि इन १० महीनों के अन्दर बड़ी कड़ाई के साथ काम करें और जो जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोक सकें तो हिन्दुस्तान के लिए वे मार्गदर्शक होंगे और उनका नाम हिन्दुस्तान में अमर रहेगा चाहे फिर से वे शासन में आयें या न आयें तो थोड़े से सुझाव मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पंडितजीने अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहा। उस तरह से आप न करें। मेरे मन में आपके प्रति आदर है इसलिए विश्वास है कि आप उस पर ध्यान देंगे।

आप मंत्रियों की संख्या निश्चित रूप से कम करें। इतनी तादाद में न रखें या

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ऐसा करें कि सब को मंत्री बना दें। अभी करीब ३६ मिनिस्टर हैं यानी एक तिहाई तो हैं फिर बाकि ७२ ने क्या किया ? ये ७२ क्या बुरे हैं। इनको भी बना दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात मानलें साहब इनकी।

श्री अध्यक्ष : ७२ हैं भी या नहीं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मंत्रियों की संख्या कम करें।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि सब मंत्रियों और विधायकों से मांगे कि मिनिस्टर और विधायक बनने से पहले तुम्हारे पास क्या जायदाद थी और अब क्या है और उसको प्रकाशित करवायें और जिसके पास में ज्यादा निकले तो कम से कम उसको मंत्रिमण्डल में न लें।

क्योंकि हमारे राज्य पर कर्जा ज्यादा है उसको कम करना है तो हमारे अधिकारियों से कहें कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और यह बात निश्चित करें की कोई भी मंत्री इम्पाला गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा इम्पाला गाड़ी जो लाख या ८० हजार में आती है उसका उपयोग नहीं करेगा।

एक माननीय सदस्य : सुखाड़िया साहब तो....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं सब के लिए कह रहा हूं।

बिजली, पानी और टेलीफोन पर सीलिंग होना चाहिए। मंत्रियों और विधायकों के ऊपर। जो कोई सीलिंग से ऊपर जाता है तो उसके पैसे उसको भरना चाहिए। कृपा करके आज इस बात को घोषणा करें कि सीलिंग करते हैं। चार,...

श्री अध्यक्ष : कुल कितने हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बदबु आती है तो उनको अलग करें निश्चित रूप से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोज गटर में रहने वाले को कोई बदबु नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : ये सारे प्रश्न रख दिये गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कृपया ऐसा निश्चय करें कि दैनिक तबादलों में कोई दखल नहीं होगा। छोटे से छोटे आदमी का तबादला किया जाता है तो उसमें दखल होता है। अच्छे आदमी के तबादले किये जाते हैं और भ्रष्टाचारी आदमी के वापिस तबादले मुलतबी होते हैं। इसलिए वे परवाह नहीं करते हैं और वे समझते हैं कि मंत्री मेरे पक्ष में हैं। आप कृपा करके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल बन्द करें वरना यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चलेगा नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान भर में चूंकि वैसे तो भ्रष्टाचार तो अब रहा नहीं यह तो शिष्टाचार हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार आज इस हद तक पहुंच गया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब लिप्त हैं। इसलिए कृपा करके आप मंत्रियों और कर्मचारियों पर बन्दिश लगायेंगे। शराब पीने की, क्योंकि भ्रष्टाचार का मूल कारण शराब है।

श्री अध्यक्ष : एक दिन तो माननीय सदस्य आप उपवास कर लें और इसका बिना नाम लिए हुए ही बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समाजवाद अपन लाना चाहते हैं और आज इतना बड़ा भेद है कि आप यह निर्णय लें कि फोर्थ क्लास जाकर किसी मंत्री या अधिकारी के घर पर काम नहीं करेगा और ये जो ४० हजार के करीब फोर्थ क्लास लोग हैं उनको जहां सरकारी योजना चलाये जांय वहां इनको भेज दिया जाय, लेकिन किसी भी मंत्री या अधिकारी के घर पर फोर्थ-क्लास सर्वेन्ट नहीं जाय। इनका वे शोषण करते हैं।

सर्विसेज के अन्दर इतना बड़ा अन्तर है कि आज जो आई. ए. एस और आई. पी.एस बड़े अधिकारी हैं वे ५८ में रिटायर होंगे और दूसरे ५५ साल में तो आप स्ट्रांगली रिकमण्ड करें गवर्नमेंट आफ इंडिया को कि सबकी आयु समान हो। सर्विसेज की आयु का कहा है आयु अगर मेरी १०० से ज्यादा हो तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह मयाद के साथ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ५५ साल की आयु पर सब को रिटायरमेंट मिलना चाहिए जहां पर वेतन बढ़ाने की मांग आती है तो आप बराबर बढ़ाते जाते हैं। जो वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं और कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो यह उचित नहीं है। दोनों बातें साथ-साथ होती हैं। हम १२ हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा करते हैं तो बंगाल की यह मुसीबत आई है तो इस १२ हजार किलोमीटर की सहूलियत को छोड़ दें। इस रियायत को छोड़ दें और जिस क्लास में ट्रैवल करें उसी क्लास का चार्ज करें। यह नहीं हो कि थर्ड क्लास में तो ट्रैवल करते हैं लेकिन चूंकि हमको यह रियायत मिली हुई है कि थर्ड क्लास में यात्रा करके भी फर्स्ट क्लास का चार्ज कर सकते हैं तो उसको छोड़ना चाहिये हम लोग खुद अनैतिक काम करेंगे तो कौन नैतिक काम करेगा और दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो किस मुंह से कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट से अधिक नहीं लूंगा।

मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े गौरव के साथ में शिक्षा मंत्रीजी ने फरमाया कि हम एक करोड़ से ४१ करोड़ पर शिक्षा पर खर्च को ले गये हैं। फायदा क्या हुआ ?

बांध बंधा, बणावां सड़क
भली मदरसा खोल।
नैतिकता बिन देश को
नी कोड़्यां रो मोल ।।

सारे देश में अनैतिकता फैल रही है। इसलिये कालेजेज मत बढ़ाइये। श्रम के महत्व को बढ़ाइये और हायर सैकन्डरी स्कूलों के अन्दर उद्योग के जरिये शिक्षा होगी तो आगे जाकर वे काम करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके यह तो खतरा है इसलिए कालेजज की संख्या मत बढ़ाइये, नहीं तो बेकारों की फौज इतनी बढ़ जायगी कि वह दिन दूर नहीं है कि हमारे सिर पर डंडा मारने वाले लोग बेकार हो बेकार इधर-उधर फिरेंगे आप इस तरह की शिक्षा कालेजेज में और स्कूलों में दें कि आगे जाकर वे काम पर लग सकें या कोई न कोई काम गांव में शुरू कर सकें। इसलिए इसके बारे में गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मैं अब अधिक वक्त नहीं लूंगा लेकिन प्राथमिक शालाएं आप खुद ही खोलें और पंचायत समितियों से वापस लेलें। मैं एक बात और, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि किसी काम से ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि किसी के साथ में भेदभाव किया गया है। यह अगर करते हों तो कृपा कर इस बात पर ध्यान दें। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आदमी को एडमिशन के वक्त चाहे वह नौकरी में है या शिक्षण संस्था में हो उसके मेरिट को देखना चाहिए और मेरिट्स में कमी नहीं करना चाहिए। हरिजन और आदिवासियों को आप स्कालरशिप दें, पूरी सुविधाएं दें, उनको पढ़ने के पूरे साधन दें, लेकिन जहां पर सिलेक्शन का मौका आता है तो मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन करें। यह न करें कि ६९ और ७० पर्सेन्ट वाला चूंकि वह हरिजन नहीं है वह रह जायगा और ४५-४६ पर्सेन्ट वाले को एडमिशन मिल जाय। इससे आपका सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जायगा और सारा शिक्षा का स्टेण्डर्ड खराब होगा। मैं यही बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैंने शिक्षा और सामान्य प्रशासन के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं शिक्षा के बारे मे विचार रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, उसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग बाड़मेर जिले में हैं। पहले ७% थे और अब १०% पढ़े लिखे लोग हैं। वित्तमन्त्री जी ने अपने भाषण में ३० प्राइमरी स्कूलें खोले जाने के बारे में कहा है। जब कि विधान में यह है कि १४ वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी फ्री एजूकेशन देनी चाहिए। २३ साल में हम यह नहीं कर सके हैं। अभी जो ३० प्राइमरी स्कूल खोली जायेगी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक या दो प्राइमरी स्कूल खोली जा सकती हैं। हमारे जिले में जो आज शिक्षा की परिस्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। प्राइमरी स्कूल अधिक से अधिक खोले जायें। सरकार को यह नीति घोषित करना चाहिए कि फ्री एजूकेशन दी जायेगी। जिन क्षेत्रों में मिडिल स्कूल कम हैं, हाई स्कूल कम हैं। उनमें हम को प्राथमकिता देनी चाहिए।

अब मैं सामान्य प्रशासन पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जब हमने समाजवाद का बीड़ा उठा लिया है कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे, परन्तु जब तक सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे, तब तक जनता को विश्वास नहीं होता है। हमने मध्यावधि के चुनाव जो लड़े हैं, वह इसी नीति के आधार पर लड़े हैं। उसमें हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि गरीबी और अमीरी के फर्क को खत्म करेंगे। परन्तु इसके लिए सब से अधिक महत्व यह है कि प्रिवीपर्स की समाप्ति की ओर जोर दे रहे हैं। राजाओं के प्रिवीपर्स का समाप्ति के लिए जोर दे रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि उनको बिना मुआवजा दिये प्रिवीपर्स समाप्त किये जायें। परन्तु यह अपना भी कर्तव्य है कि एम. एल. एज. का भी कर्तव्य है कि वह भी कुछ सैक्रीफाइज करें। राजा-महाराजाओं के प्रिविलेजेज समाप्त हों परन्तु अपने जीवन को समाजवाद के अनुरूप नहीं ढालेंगे तो वह उचित नहीं होगा। इसका असर अच्छा

Page No. 187

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मन्त्रिमण्डल के आकार के बारे में पहले आप ने निर्णय नहीं लिया। पहले परिस्थिति कुछ और थी। अब दूसरी है। जब आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो मन्त्रिमण्डल का आकार छोटा करना चाहिए। यह भी करना चाहिए कि जो प्रगतिशील विचारों के हैं, उनको मन्त्रिमण्डल में लेना चाहिए। मुख्यमन्त्री महोदय, को यह सोचना चाहिए कि आप समाजवाद की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति जो समाजवाद में विश्वास नहीं रखते है, ऐसे कई लोग हैं जो समाजवाद को बिल्कुल नहीं मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसे कौन कौन हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : डरते क्यों हो ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुख्यमन्त्री जी इस बारे में सोचें।

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस विधान सभादल के जनरल सैक्रेटरी बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां हां, मैं जनरल सैक्रेटरी होकर बोल रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : साधारण बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि हमारे विचारों के कौन कौन है वहां ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं मन्त्रिमण्डल को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं बनना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्रांतिकारी परिवर्तन होकर खड़े हो। यह जो सरकारी मशीनरी है, इसके द्वारा समाजवाद को लाना चाहते हैं आप समाजवाद को ला नहीं सकते।

श्री हंसराज आर्य : यदि आपको गृह-मन्त्री बना दिया जाय तो आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र आर्य : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कभी मन्त्री नहीं बनना चाहता। मेरे सम्बन्ध में कोई बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये तो डिप्टी स्पीकर बनेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गवर्नमेन्ट मशीनरी में बहुत से आर. एस. एस. मेन्टिलिटी के आदमी हैं। आर. एस. एस. में सक्रिय भाग लेते हैं। इलेक्शन में भाग लिया है। जिनके बारे में सी. आई. डी. से लिस्ट ली जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप को मेरी ओर देखना चाहिए माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल वण्डवासी : आर. एस. एस. के नाम पर आप को चुन्ने काटते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां, यह आर. एस. एस साम्प्रदायिक संस्था है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप सारे के-सारे आर. एस. एस. में आ जाते तो न तो भ्रष्टाचार होता और आप के जीवन मे आमूल चूल परिवर्तन आ जाता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने देखा है, आर. एस. एस. में विद्यार्थी जाते हैं वह न पिताजी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

का कहना मानते है न माताजी का कहना मानते हैं

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलत है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अनुशासन के नाम पर इसके जो सदस्य हैं वह विद्यार्थियों के साथ किस तरह का जुल्म कर रहे हैं....

श्री देवीदत गाड़िया : क्या आपने जांच की है। आर० एस० एस० तो सबसे बड़ी देश भक्त संस्था है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया !

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसलिए आर० एस० एस० ओरियन्टेड, माइण्डेड गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं उनकी लिस्ट बना कर, सी० आई० डी० से मालूम करके, उनकी जांच करके उनके खिलाफ एक्शन लें !

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री कृष्णकुमार गोयल : रात क्यों पटको, भूख लागी है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

किसी भी देश की शिक्षा पद्धति उस देश के लिए सुसंस्कृत, संस्कारयुक्त और उपयोगी नागरिक पैदा करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहां की शिक्षा प्रणाली देश में स्वाभिमानी, स्वावलम्बी और चरित्रवान, अनुशासनप्रिय नागरिक बनाने में असफल रही है। हमारी शिक्षा द्वारा वाचाल, अनुशासनहीन, निराश और क्षुब्ध नागरिकों का निर्माण हो रहा है

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : कामचोर !

श्री दौलतराम सारण : इसलिए जितना शीघ्र हो सके, संस्कारयुक्त जीवन वाले, उच्च आदर्श वाले, त्यागी, सेवाभावी, समाज के एक अच्छे साथी, अनुशासन प्रिय और जीवन के साथ संगति रखने वाले नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए। इसमें जितना विलम्ब होगा उतना ही राष्ट्रीय अहित होगा, एक बात मैं यह कहना चाहता था। दूसरी यह कि यह मैं मानता हूं कि शिक्षा का प्रसार हुआ है, शिक्षण संस्थायें खुली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, नीचे प्राथमिक शाला से लेकिर विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण संस्थायें बढ़ी हैं। लेकिन क्या उसके साथ में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है ? हमें यह देखना चाहिए। अगर हम गम्भीरता से यह देखते हैं तो मालूम होगा कि हम जहां दस साल पहले थे उससे पीछे ही गये आगे नहीं गये हैं। मैंने जो कहा है, उसके प्रमाण में मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। १९६१ के अन्दर २४.३ प्रतिशत साक्षरता थी देश के अन्दर, और १९७१ में २९.३५ प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत है। उस समय राजस्थान में १९६१ में १५.२१ औसत था, आज राजस्थान में १८.६१ प्रतिशत है। अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो जहां १९६१ के अन्दर ८.८२ का अन्तर था साक्षरता प्रतिशत के अन्दर वहां १९७१ में १०.८८ प्रतिशत का अन्तर आ गया है। तो हम पीछे हुए हैं, देश के प्रतिशत का जहां तक सवाल है, उसमें हम आगे नहीं बढ़े हैं इतना खर्च करने के बाद, १ करोड़ से ४१ करोड़ खर्च करने के बाद भी साक्षरता का प्रतिशत है उसके अन्दर कमी हुई है।

(श्री दौलतराम सारण)

आज भी हम देश के स्तर तक बराबर नहीं आये हैं। यह स्थिति दस साल के बीच में हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए केवल शिक्षण संस्थाओं का प्रसार हुआ है इतनी सफलता है। इसलिए हमारा बेक ग्राउन्ड ऐतिहासिक यह था-यह बात कहते हुए भी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपका यह संवैधानिक दायित्व था कि आप शिक्षा को अनिवार्य करते प्राथमिक शिक्षा को और १४ वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करते, लेकिन आप प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाये हैं। आज देश में ७० प्रतिशत से अधिक नागरिक अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं और देश के लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। आज राजस्थान के हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें कोई प्राथमिक शाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में, अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों गांव है जिनमें कोई स्कूल नहीं है। डेढ़ सो और सो घरों की बस्तियों में प्राथमिक शाला नहीं है। नोहर तहसील के सम्बन्ध में गत वर्ष प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था, उस समय बताया कि ९० गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर प्राथमिक शाला नहीं है। इसी तरह से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां पर भी काफी गांव हैं जिनमें प्राथमिक शालायें नहीं है। तो प्राथमिक शालाओं पर जोर देना चाहिए, आपको माध्यमिक शालाओं पर जोर देना चाहिए। आपने माध्यमिक शालायें चुनाव के वर्ष में खोलो, चिल्ल पों मचाई लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपका खोलने का निश्चित आधार नहीं है। आप हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी और मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करते हैं, लेकिन कोई निश्चित आधार या निश्चित योजना नहीं है। कहीं दो मील पर, एक एक मील पर हायर सैकण्डरी हैं, कहीं पर दस मील में भी हायर सैकण्डरी नहीं है। मैं एक एक तहसील का उदाहरण देकर बता सकता हूं। इसलिए इसमें निश्चित आधार और निश्चित योजना होनी चाहिये, यह क्यों होता है, अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए होता है, इसके पीछे कोई व्यवस्थित आधार नहीं है, इसके पीछे राजनीति काम करती है, पक्ष काम करता है, इसलिए यह होता है। इसलिए मंत्री जी की क्षमता से यह काम बाहर है। सारे मंत्रिमण्डल का एक तरीके से काम करने का इरादा हो तब यह हो सकता है। लेकिन मंत्रिमण्डल का इरादा है नहीं, इसलिए यह होता है। शिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ है लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को, बाल शिक्षा की उपेक्षा की है। माध्यमिक शालाओं के साथ में छात्रावास नहीं बनाये हैं, हाई स्कूल के साथ में छात्रावास की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज देहातों के लड़के पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं क्योंकि आपने स्कूलों को शहरों में कन्सेन्ट्रेट किया है। शहरों में आते हैं तो वहां छात्रावासों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनको परेशानी होती है और शिक्षा उनके लिए खर्चीली हो जाती है। इसलिए आप स्कूल बनायें, हायर सेकेन्डरी, या सेकेन्डरी बनायें या मिडिल स्कूल इसके साथ में छात्रावासों का कार्यक्रम अवश्य रखें।

इसके साथ में यह कहना चाहता हूं कि आज पंचायत समितियों के स्कूलों में बी. ए.

Page No. 190

(श्री दौलतराम सारण)

बी एड, एम.ए,एम.एड. टीचर हैं। उनके बारे में इसी सदन के अन्दर कहा था कि उनको ७५ पर्सेन्ट विभागीय प्रमोशन्स में स्थान देंगे, लेकिन आज तक इस बारे में अमल नहीं हुआ है और उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए आपको इस ओर देखना चाहिए। उनकी तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से उनमें असंतोष बढ़ता है।

इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है, वह भयंकर है। वहां शिक्षकों की तनख्वाह में लाजिमी तौर पर कटौती की जाती है, जो कुछ किया जाता है अकाउन्ट में और पेमेन्ट कुछ किया जाता है। समय पर पेमेन्ट नहीं मिलता है। उनमें डबल अकाउन्ट्स रखे जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक डबल अकाउन्ट्स का केस तो हमारे दल के एक माननीय सदस्य ने प्रमाण के रूप में रखा था लाडनूं के स्कूल का। उसके बारे में जब समय आयगा तब ध्यान दिलाऊंगा। इस प्रकार प्राइवेट स्कूलों में भयंकर भ्रष्टाचार है, अनियमितता है और पैसे का दुरुपयोग होता है। कुछ लोगों ने निहित स्वार्थ बना रखे हैं, इसलिए शिक्षकों को तनख्वाह का सरकार द्वारा डाइरेक्ट पेमेन्ट होना चाहिए,इन स्कूलों के ऊपर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए। निरीक्षकों के साथ मिल कर, कोशिश करके एड बढ़वा लेते हैं और एड का अलग अकाउन्ट शो करके, शिक्षकों के वेतन में से कटौतियां करके कमाई का जरिया बना कर शिक्षण संस्थाओं में उधम मचाया हुआ है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों के मामले में कठोरता के साथ व्यवहार करें। यह निवेदन करूंगा।

इसके अलावा स्कूलों में पार्टीबाजी है। टीचर आपस में लड़ते हैं और वह लड़कों का इस्तेमाल करते हैं इस तरह लड़कों में अनुशासनहीनता प्रवेश कराई जाती है। छात्रों को अनुशासनहीन बनाया जाता है! इस प्रकार यूनिवर्सिटी से लेकर आज प्राइवेट स्कूलों तक में टीचर्स लड़कों का इस्तेमाल करते हैं और दलबन्दियां करते हैं। मैं चाहूंगा, दलबन्दियों को सख्ती के साथ समाप्त किया जाय। लेकिन आज दलबन्दी ऊपर से प्रोत्साहित की जाती है। अपने चहेतों को हेडमास्टर की कुर्सी पर उनके विरुद्ध शिकायतें होने पर भी रखा जाता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह एक बड़ी प्राबलम है, इस कारण अव्यवस्था पैदा हो रही है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में जो मोण्टेसरी स्कूल हैं और दूसरे इंगलिश स्कूल हैं, वह शिक्षा की पद्धति में और शिक्षा की व्यवस्था में भेद पैदा करते हैं। इस पद्धति को आपको देखना चाहिए। एक तरफ तो स्कूल में टाट पट्टी नहीं है, दूसरी तरफ आलीशान व्यवस्था है। उनको ९० पर्सेन्ट एड मिलती है और दूसरी तरफ टाट पट्टी और साधारण चाक देने की व्यवस्था नहीं है। यह डबल मेथड चलेगा नहीं। इसकी प्रतिक्रिया आम नागरिक के ऊपर अच्छी नहीं होती है। देश के कुछ नागरिकों को एक तरह के और कुछ नागरिकों को दूसरी तरह के अधिकार नहीं होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, समान शिक्षा की व्यवस्था हरएक के लिए होनी चाहिए। यह निवेदन है, इसलिए शिक्षा के अन्दर जो व्यवस्था है उसको देखना चाहिए।

प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है, प्रशासन हमारे उद्देश्यों और हमारे इरादों के अनुकूल चलना चाहिए। वह तब

Page No. 191

(श्री दौलतराम सारण)

ही चल सकता है जब उस इरादे को सरकार हो। अगर सरकार का इरादा साफ नहीं हैं, अगर सरकार डिटरमिन नहीं है अपने उद्देश्य के लिए, अगर सरकार अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रवृत्त नहीं होती है तो फिर प्रशासन को दोष देना व्यर्थ है क्योंकि प्रशासन तो केवल सरकार का रिफ्लेक्शन है। केबिनेट में भ्रष्टाचार को बात लोग कहते हैं, प्रशासन में में नहीं है यह नहीं कहता, प्रशासन में भी खामियां हैं.... मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन तो केवल केबिनेट को अच्छी भावना और क्रिया का रेफ्लेक्शन मात्र है। कैबिनेट का जैसा मॉरल होगा, जैसा उसका चरित्र होगा, जैसे उसके इरादे होंगे, जितनी दृढ़ता होगी, जितनी स्पष्टता होगी, उसी तरह का रेफ्लेक्शन प्रशासन पर आएगा। जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ प्रशासन में नहीं है, उसकी जड़ मंत्रिमंडल में है। अगर आज प्रशासन में अयोग्यता और कुशलता का अभाव है या पक्षपात है, तत्परता नहीं है, बुराइयां नजर आती हैं, दुर्व्यवहार को स्थिति है तो वह भी केबिनेट का रेफ्लेक्शन है क्योंकि अधिकारियों के केजसे मंत्रिमंडल के सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, भले आदमियों की उपेक्षा की जाती है, योग्य अधिकारियों को उपेक्षा की जाती है, उनको उद्दो सदो विभाग दिये जाते हैं, बार बार उनका स्थानान्तर किया जाता है लेकिन जा चापलूस हैं, चाटुकार है, हाज़िरबाज है, थूंक के लिए अपना हाथ मांड लेते हैं, ठकुर सुहाती करते रहते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया जगह दी जाती है और हमेशा लाड़ प्यार से रखे जाते हैं और उनको हैसियत से और केलिबर से, अच्छी जगह दी जाती है, अयोग्य होने की वजह से क्षमता नहीं रखते, दायित्व के संपादन की, इसलिए प्रशासन में गल्तियां होती हैं, अनियमिततायें होती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है.... मैं २–४ मिनट और

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लूंगा क्योंकि खुद मुझे भी आपकी विवशता का ध्यान है। अगर आप (मुख्यमंत्री) वास्तव में चाहते हैं कि समाज में और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए और जैसा आप कहते हैं, समाजवाद लाना है, उस तरह का समाज आप चाहते हैं तो पहले आप मंत्रिमंडल को देखिये। ट्रान्सफर्स में पैसे की शिकायत' रोज सदन में आती है। कौन लेता है ? इसकी जरा जांच तो करायें ? कौन मंत्री ऐसा है कि जो ट्रांसफर कैंसिल कराने में पैसे लेता है, ट्रांसफर्स करने में पैसा लेता है कौन मंत्री ऐसा है जो पोस्ट ठेके देता है और नीलाम करते हैं ? कौनसे हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स इस मामले में मिले हुए हैं ? यह सामान्य प्रशासन का काम है देखने का, गृह विभाग का काम है लेकिन कतई भरोसा नहीं है कि काम होगा। यह उस आदमी से हो सकता है जिसमें खुद में दृढ़ता हो जो खुद ऊंचा उठा हुआ हो, खुद में इतनी इरादे की स्पष्टता हो, मुख्य मंत्रीजी आप नहीं कर सकते। जो भ्रष्टाचार से अपनी सरकार बनाये, वह मुख्य मंत्रीजी नहीं कर सकता, जो लोगों की ईमान खरीद कर शासन चलाये, वह नहीं कर सकता जो लोगों के मनसूबों पर पानी फेरने की चेष्टा करे, वह नहीं कर सकते जिनकी पक्षपात, बेईमानी और भ्रष्टाचार की जिंदगी है, जिनकी पैदाइश ही गंदगी से हुई है, वह कोई निर्मलता जाहिर नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। जिसने त्याग का चिंतन नहीं किया है, जो भोग में लिप्त

(श्री दौलतराम सारण)

है, उससे त्याग नहीं हो सकता। उद्देश्य के लिये वह जी सकता है, जिसमें उद्देश्य के लिए इरादा हो, कार्य करने का मादा हो, लेकिन जिसने लोगों के ईमान की खरीद-फरोख्त केवल शासन चलाने के इरादे से की हो, वह समाज को ऊंचा नहीं उठा सकता। हर साल मुख्यमन्त्री की बरसी कभी यह वर्ष कभी वह वर्ष पूरा हो गया, मनाया जाता है। एडवरटाइजमेंट्स स्पेशल आर्टीकल्स लिखने के लिए दी जाती हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो रोज कहते हैं कि राजस्थान में हमने स्थिर शासन दिया, कहते हैं कि गरीबी मिटायेंगे और जन निर्माण या विकास का सवाल आता है तो कहते कि साधनों का सवाल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रशासन के सुधार के लिए किसी रिसोंसिज की आवश्यकता नहीं। प्रशासन के सुधार में किसी त्याग की जरूरत नहीं है, जनता की आवाज सुनने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं, केवल इरादे की जरूरत है केवल ईमान की जरूरत है, और कुशलता और दक्षता की जरूरत है। १६–१७ वर्ष मुख्यमन्त्री रहने के बाद भी आप में मादा नहीं, कैलीवर नहीं जिससे राजस्थान को कुशल, सक्षम, पवित्र, निष्पक्ष शासन दे सकें। या स्वीकार कीजिये कि मैं अयोग्य हूं, मैं मजबूर हूं शासन में परिवर्तन लाने में असमर्थ हूं। लेकिन दो घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती। आपने राजस्थान को जो स्थिर शासन दिया है, ऐसे शासन से तो अराजकता अच्छी। इस शासन के अंदर लोगों की इज्जत सुरक्षित नहीं, ईमान सुरक्षित नहीं, लोगों को रोजीरोटी नहीं, लोगों को कुछ भी नहीं। उस शासन से तो अराजकता भली।

अध्यक्ष महोदय, इस शासन में श्मशान की शांति नजर आती है लेकिन आज भ्रष्टाचार की बदबू से सारा समाज सड़ रहा है, पक्षपात और बेईमानी से सारा समाज कराह रहा है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी के दिल में असंतोष है। शासन के छोटे कर्मचारी रोज जुलूस निकालते हैं, रोज हड़ताल करते हैं, राज्य कर्मचारी लड़कर अपने अधिकार को प्राप्त कर रहा है, हाई कोर्ट में रिट करके अपने लिए न्याय प्राप्त करता है और फिर आप कहते हैं कि हमने स्थिर शासन दिया है। आपने स्थिर शासन अपने साले, अपने जवांई और लड़कों के लिए दिया होगा लेकिन राजस्थान की जनता के लिए नहीं दिया है। राजस्थान की जनता को आपने बरबाद किया है। राजस्थान का नागरिक आज कराह रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसको कोई पूछ नहीं, कोई नहीं सुनता, न्याय नहीं मिलता, आज यह प्रशासन की स्थिति है। मैंने कुछ समय पहले चूरू के बारे में सवाल उठाया था। वहां तीन एस. डी. ओ. कोर्ट्स हैं। वहां केसेज की क्या स्थिति है? एक-एक केस में ९०–८५–७५ पेशियें पड़ती हैं। कई वर्षों तक मामलों का फैसला नहीं होता है लेकिन कोई देखना वाला नहीं। उसके बाद भी कहते हैं कि प्रशासन अच्छा है। चुनाव हुए उनमें जीत के बाद दुहाई दी गई लेकिन जिस एस. डी. ओ को पंजीयन अधिकारी बनाया उसने लोगों के नाम काट दिए जो विधान सभा के चुनाव लड़ चुके हैं, लोक-सभा के चुनाव लड़ चुके हैं, नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों के चुनाव लड़ चुके हैं, मतदाता सूचियों से उनके नाम हटा दिए गए। मरे हुए नामों की सूची नहीं, हजारों नाम काटे गए। जहां ऐसे अधिकारी हों, वहां लोकतंत्र कैसे सुरक्षित है? यह पंजीयन अधिकारी पर जिम्मेदारी है, उसका संपादन

(श्री दौलतराम सारण)

ठीक तरह से नहीं, लैंड रेवेन्यू रेकार्ड्स अधिकारियों का काम ठीक नहीं, जो उनकी सुपरवाइजरी ड्यूटीज हैं, उस दृष्टि से उनका काम ठीक नहीं। अब जिला प्रशासन की हालत देखिए। कलेक्टर को सारे विभागों के सुपरवीजन और को-आर्डीनेशन के अधिकार दे रखे हैं, कलेक्टर एक शहंशाह की पोजीशन में हैं। आदेशों की कम्पलीयन्स नहीं। गवर्नमेंट की सारी रिपोर्ट्स हैं, सीनियर ऑफीसर्स कान्फरेंसिज के रेकार्ड हैं। साफ जाहिर है। कलेक्टर से कुछ कहना होगा तो यहां से लिखेंगे, कलेक्टर से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, कलेक्टर साहब यह सूचना दे लेकिन कलेक्टर साहब किसी आदेश का पालन नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने, प्रशासन की क्या स्थिति है, उसका थोड़ा सा नमूना रखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि शीघ्र समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह स्थिति ५ साल पहले थी या इन्हीं सालों में हुई है।

श्री दौलतराम सारण : जबसे आपका पदार्पण हुआ है, आप जैसी चाटुकारों का पदार्पण हुआ है, कांग्रेस में...

श्री मदनसिंह : यह स्थिति १९५२ से है।

श्री दौलतराम सारण : आप जैसे चाटुकारों का कांग्रेस में पदार्पण हुआ जो हुजूरी बढ़ी....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं पूछना चाहती हूं कि ५ साल बाद आप....

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा था कि ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो हुजूरी नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : मैं जो हुजूरी करता और ईमान बेचता तो आज केबीनेट मिनिस्टर बना होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन द्वारा पारित कानूनों की क्या हालत है उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। मैंने सदन में प्रश्न पूछा था उस समय उत्तर दिया गया था कि अब तक चार अधिनियम ५८ से ६४ तक पारित आज तक अमल में नहीं लाये गये हैं, व्यवहार में ही नहीं लाये जा रहे हैं। चार कानून पास तो कर दिये लेकिन उन पर अमल कोई सरकार ने अब तक नहीं किया। ४९ से ६६ तक २८ अध्यादेश एवं अधिनियम ऐसे हैं जिनमें नियम आज तक नहीं बनाये गये। ६२ ऐसे अधिनियम हैं जिनके अन्तर्गत नियम बनाये गये परन्तु उनमें से कइयों की अनुपालना अब तक नहीं हो रही है। इस तरह से संक्षेप में एक बात रखी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहां रखी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सारी बात कहता तो घंटा भर लगता। किस तरह से मैं भाग रहा हूं।

यह इस तरह से क्यों होता है? यह इसलिये होता है कि इरादे और दृष्टिकोण में समता नहीं है, लक्ष्य और कार्यक्रम और

(श्री दौलतराम सारण)

नीतियों में सामन्जस्य नहीं है। आप देखिये कि पद स्थानापन्न में, ६८ की आडिट रिपोर्ट का हवाला दूं, दस अधिकारी दस दिन से ४५८ दिन तक आदेश की प्रतीक्षा में रहे। ६२ हजार रुपया उनके वेतन भत्ते पर लगा दिया। तीन चार दिन पहले मैं गवर्नमेन्ट होस्टल में बैठा था उस वक्त मैंने देखा समाजकल्याण विभाग के एक अफसर को भी भर्ती कर दिया, सैंकड़ों की तनख्वाह जिनको मिलती है, पिछले २॥ वर्ष से अवेटिंग आर्डर्स में बैठे हैं, राज्य सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है। वह मौज कर रहे हैं। बैठे-बैठे राज्यकोष से पैसा ले रहे है। यह तो शासन की स्थिति है। एक तरफ गरीब जनता की गाढ़ी कमाई पर भारी कर लगा कर वसूल किया जाता है और दूसरी तरफ इस बेरहमी से उस गाढ़ीकमाई को खर्च किया जाय यह प्रशासन पर कोई कलंक नहीं है क्या? प्रशासन पर कोई गौर नहीं है। माननीय सदस्य मंत्रिमंडल के काम करने की बात करते हैं। औचित्य और अनौचित्य की बात करते हैं। मंत्रिमंडल तो रिफलेक्शन है नेतृत्व का। मंत्रिमंडल कैसा है? मोहनलाल सुखाड़िया का जैसा स्वरूप है, कार्य कलाप है, दृष्टिकोण है उसका रिफलेक्शन मात्र है।

श्री अध्यक्ष : बहुत कह दिया।

श्री दौलतराम सारण : नेतृत्व का प्रतीक है। स्पष्ट प्रमाण है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अवेटिंग आर्डर्स के मामले पक्षपात के कारण तय नहीं होते हैं। इनके मामले में पक्षपात चलता है। यह बहुत ही घटिया दर्जे की चीज है। जिन कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेयर करते हैं उन पर लाखों रुपया सरप्लस के नाम से खर्च करने पड़ रहे हैं। इसको तुरन्त एडजस्टमेन्ट करके मिटा सकते हैं ठीक कर सकते हैं। यह तो वही प्रशासन कर सकता है जिसमें तत्परता से निर्णय लेने की क्षमता है, जिसके पास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और जिसमें सोचने और समझने की बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत जानकारी से कहना चाहूंगा कि काफी ऐसे अधिकारी हैं जो कि देश भक्त हैं, ईमानदार हैं और देश की सेवा की भावना रखते हैं और समाजवाद के प्रति आस्था रखते हैं लेकिन उसका आपोर्चुनिस्ट राजनैतिक दल विशेष, चाटुकार अधिकारियों को संरक्षण देकर, बार-बार ट्रान्सफर करते रहते हैं और इसलिये उनको बार-बार अपने बच्चों की टी. सीज. कटवानी पड़ती है इस कारण वे लोग निरूत्साहित हो जाते हैं। यह राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण है, अदूरदर्शिता से प्रशासन को हैंडल करने के कारण; प्रशासन को गलत तौर से इस्तेमाल करने के कारण है।

एक तरफ पंचायत राज की एक कड़ी है। हमारी निष्ठा ब्योरोक्रेसी और पंचायती राज दोनों में है। हम इस प्रकार डबल रोल रखते हैं। एक तरफ सहकारी समितियां और निगम भी काम करेंगे और दूसरी तरफ सहकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही काम करेंगे। यह जो डुप्लीकेसी चल रही है इसी कारण से प्रोग्राम में सेबोटेज होता है। रोज सवाल आते हैं प्रोग्राम के बारे में। पोलिसी को आप स्पष्ट कीजिये। पंचायती राज में यदि आपकी निष्ठा है तो इसको उसी प्रकार से चलाइये और दूसरी जो ब्युरोक्रेसी को भी रखने को जो पोलिसी है उसको बन्द

Page No. 195

(श्री दौलतराम सारण)

कर दीजिये और यदि ब्युरोक्रेसी में निष्ठा है, तो उसको रखिये और पंचायत राज को बन्द कर दीजिये। पंचायत समितियों और तहसील दोनों रखना फिजूल खर्ची है। तहसील तोड़ देनी चाहिये, तहसीलदार को विकास अधिकारी और अन्य को राजस्व प्रसार अधिकारी बनाया जा सकता है और काफी स्टाफ कम किया जा सकता है। स्पष्ट तरीके से प्रशासन होना चाहिये जन प्रतिनिधियों में और पंचायती राज में विश्वास नहीं है तो क्यों ज्यादा विकेन्द्रीकरण की बात करना चाहते हैं ? आप तो केन्द्रीकरण कर रहे हैं। एक बार ढोल पिटवाया कि विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मेरा निवेदन है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वह अपने दायित्व का निर्वाह न करें और नियमों का पालन न करें तो जांच की अलग व्यवस्था करना चाहिये और आज की भांति अधिकारी ही अधिकारी की इस प्रकार से जांच करने वाला नहीं होना चाहिये।

एन्टीकरप्शन के सम्बन्ध में बहुत ही मुख्तसिर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री दौलतराम सारण : एन्टीकरप्शन में वे ही नियुक्त किये जाते हैं जो सिविल पुलिस में रहते आए हैं। डिपार्टमेन्टल अफसर वे होते हैं जो डिपार्टमेन्ट के हैं। फील्ड में कभी उनको अलग से मौका नहीं रहता है। अतः वे निरक्षता एवं निडरता से काम नहीं कर सकते अतः भ्रष्टाचार निरोधक स्टाफ अलग से होना चाहिए।

ये छोटे-मोटे मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत किये हैं शायद आप इन पर गौर करेंगे और नयी परिस्थितियों के सन्दर्भ में विचार करेंगे यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भवनसिंह (दांता रामगढ़) : दो मिनिट अर्ज करना चाहता हूं।

प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। न तो समाजवाद एक सैकिन्ड में आ सकता है और न ही इस सरकार की पॉलिसी एकदम बदल सकती है। जैसी गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया में और इनकी पार्टी की पॉलिसी है ये भी वैसा ही करेंगे। जिस क्षेत्र से जो विधायक चुन कर आता है, चाहे वह किसी पार्टी का हो, वहां जो अधिकारी हैं वह वहां का जो जन प्रतिनिधि है, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे कन्सर्न रख कर उसकी नीतियों के माफिक चले तो सही माने में प्रजातन्त्र आ सकता है। मेरे क्षेत्र से तो मैं जीत कर आया हूं और आपकी पार्टी के लोग आकर वहां अपना प्रभाव डालते हैं। जो जिस क्षेत्र से जीत कर आता है, मुख्य मंत्रीजी आदेश दे दें कि पांच साल तक दखल न दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है।

श्री भवनसिंह : दूसरा ट्रान्सफर के लिये विधायक न जाय। जब ट्रान्सफर के लिये जाते हैं तो उसका कर्मचारी पर प्रभाव पड़ता है। हम सरकार के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप न करें तो काम चलता रह सकता है सुचारुरूप से।

(श्री मदनसिंह)

तीसरा सुनकर ताज्जुब होगा कि आर० एस० एस० के लोग सब में फिर रहे हैं वैसे ही समाजवादी और कांग्रेसी क्यों नहीं फिरते हैं। वे भी सब में फैल जांय। शिक्षा से इसका सम्बन्ध नहीं है। कुछ ऐसी बातें की जिनकी इन्क्वायरी हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। शिक्षा विभाग को स्कूलों को पंचायतों से ले लेना चाहिये। शिक्षा कैसी हो रही है यह पता लग जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय !

श्री रामचन्द्र आर्य : दो चार मिनिट मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपा कर लें और स्थान ग्रहण करलें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और भूतपूर्व नरेशों से सम्बन्धित मांगों के बारे में इस सदन में जो कटौती प्रस्ताव आये और जो चर्चा हुई उसके सम्बन्ध में मैं बहुत विस्तार में तो उत्तर में नहीं पड़ना चाहता लेकिन कुछ बातें यहां पर उठाई गई हैं, उसके सम्बन्ध में जिक्र करना चाहूंगा।

यहां पर देश में समाजवाद के आधार को स्वीकार किया गया है और उस दृष्टि से सर्विसेज कमीटेड हो, उनका व दृष्टिकोण हो और नान आफिशियल का एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव का ज्यादा उसके अन्दर हाथ हो, उसके संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अगर हम सर्विसेज के बारे में भी जो आज सर्विसेज की टर्म्स और कन्डीशन्स हैं या उनके सिलेक्शन के जो मेथड्स हैं उसमें परिवर्तन की बात सोचें तो सबसे पहले विधान के अन्दर कई मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। इस मूलभूत परिवर्तन करने वाली बात के साथ एक डेमोक्रेसी से किस हद तक रेजीमेन्टेशन आफ सर्विसेज हो, उसके एडवेन्टेज और डिस एडवेन्टेज पर भी विचार करना होगा। आमतौर से डेमोक्रेटिक कन्टरीज में इलेक्टेड रिप्रिजेन्टेटिव एक निश्चय रूप से, एक अवधि के लिये चुनकर आते है, वहां परिवर्तन होता है और वह एक परिमानेन्ट तरीके से चलता है और सिवाय इसके कि कुछ अमेरिका जैसी जगहों पर से ऊपर के हैड्स के बारे में सिर्फ परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात मैं भी मानता हूं कि देश के जो बदने हुए हालात हैं उनमें इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये और मध्यावधि चुनावों के दौरान देश के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है उसका सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है, और उसके बाद किस प्रकार की व्यवस्था हो वह सोचने की बात होगी, प्रश्न होगा, लेकिन रेजीमेन्टेशन आफ सर्विसेज डेमोक्रेसी के अन्दर नहीं किया जा सकता है और न किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे बहुत अनसूटेबल प्रश्न पैदा होंगे। उदाहरण के तौर पर कोई देश में परिवर्तन पांच साल के अन्दर हो जाता है तो उसकी सर्विसेज के साथ, दूसरी चीजों के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध जुड़ेगा, यह भी एक प्रश्न हो जायेगा। लेकिन नॉन आफिशियल इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को जैसे हमारा पंचायती राज और दूसरी संस्थाएं हैं उनको कैसे ज्यादा सक्षम बनाया जाये इसके बारे में हमारे पंचायत मंत्रीजी जिक्र कर चुके हैं, एक समिति बना कर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार इन चीजों के

Page No. 197

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अन्दर उनको ज्यादा प्रभावशील बनाकर चल सकें। पब्लिक सेक्टर के बारे में इस बात को मानता हूं कि पब्लिक सेक्टर के वर्किंग में जो पब्लिक सेक्टर के बारे में विश्वास रखते हों उन्हीं व्यक्तियों के जरिये वह ज्यादा सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है और एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के चेयरमैन के बारे में ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि वे इन उद्देश्यों को न मानते हों। वहां पर रिट्रेन्चमेन्ट या दूसरी बातें हुई हैं उनके सम्बन्ध में अलग से विचार कर रहे हैं। उनका नया रास्ता निकाल सके, किस प्रकार उन लोगों को कामकाज में लगाया जा सके, इन चीजों के बारे में भी विचार विनिमय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्षजी प्रोमोशन के बारे में और दूसरी चीजों के लिये हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और जगह ऑफिसर जाते हैं और उसे सर्विसेज के अन्दर असन्तोष वाली बात कही जाती है। तो सर्विसेज के अन्दर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके लिये उसको स्वतन्त्रता है। इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं समझता हूं, सभी माननीय सदस्य इस बात के लिये सहमत होंगे और हाईकोर्ट के अन्दर भी जो मेरिट फार्मूला वाली बात है, हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने इस मेरिट के फार्मूले को स्वीकार किया था और अब सुप्रीमकोर्ट के सामने है और जब उसका फैसला आ जायेगा, तो उसके बाद इसके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, अभी बहस हो चुकी है। उसके बाद इस पर विचार किया जायगा लेकिन मेरिट के सम्बन्ध में तो देश में भी कई जगह यह चिन्तन रहा है कि मेरिट के आधार पर अगर प्रमोशन का कुछ पर्सेन्टेज सर्विसेज का हो तो उसके नीचे जो यंगस्टर्स हैं उनके अन्दर एक इनीसियेटिव रहेगा, यह भावना रहेगी कि अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको अपॉरचुनिटी मिल सकती है और केवल सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन किया जाता है तो अच्छा से अच्छा भी अगर यंगस्टर है तो वह हमेशा यह मानकर चलेगा कि मेरा नम्बर इतने वर्षों में आयेगा इसलिये मैं अच्छा काम भी करूं तो मेरे को कोई बेनीफिट नहीं है। इसलिये जो निर्णय किया गया था वह किसी एक व्यक्ति के लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक जनरल सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा निर्णय किया था और इसकी वजह से कई व्यक्तियों को उसका लाभ पहुंचा है। सीनियोरिटी की लिस्ट जो पब्लिश नहीं की गई बताई वह इसी वजह से नहीं की गई कि मेरिट फॉर्मूले का जब फाइनल डिसीजन हो जायगा तो उसके बाद में इस लिस्ट को पब्लिश किया जायेगा लेकिन इस बीच में जिनके भी प्रमोशन हुए है वे एडहाक बेसिस पर किये गये हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके सम्बन्ध मे जो और विचार करने वाली बात होगी तो उन चीजों के ऊपर विचार किया जायेगा। माननीय अध्यक्षजी आज आई. ए. एस. के सर्विस रूल्स के अन्दर जो आल इडिया सर्विस रूल्स है, उसमें जो प्रमोशन की बात है, उसमें यह मानकर चला जाता है कि प्रमोशन मेरिट वीथ ड्यू रिगार्ड सीनियोरिटी के हिसाब से उनको प्रमोशन होगा। अब कई जगह आमतौर से लोगों के दिमाग के अन्दर यह होता है। इट शुड बी सीनियोरिटी कम मेरिट है और दूसरी तरफ हायर पोस्ट के लिये मेरिट वीथ ड्यू रिगार्ड टू सीनियोरिटी वाली बात मैंने कही। यह आल इण्डिया सर्विसेज में है और वहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर इसका फैसला करने के लिये कोई कमेटी नहीं होती है। अब मान लीजिये कोई सीनियर स्केल का आई. ए. एस. है और उसको सिलेक्शन स्केल लेना है या सुपरटाइम स्केल लेना है तो उसका फैसला गवर्नमेन्ट कर सकती है बिना किसी डी. पी. सी. के और कमेटी के इस बात की आथोरिटी रूल्स के अन्दर कन्सीव करके चला गया है कि इन चीजों का फैसला गवर्नमेन्ट करेगी। लेकिन राजस्थान में हमने डी. पी. सी. और जिसके अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर होता है, इसके 'अलावा डिपार्टमेन्ट का सेक्रेटरी और अपाइन्टमेन्ट वालो' यह मिल करके जो भी रूल्स बनाये जाते हैं उसके मुताबिक वह प्रोमोशन करता है। जिससे कि और ज्यादा किसी को कहने कि अपारचुनिटी न हो कि किसी इन्डीव्यूजल ने यह फैसला किया है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यहां पर इस बात को खयाल में रखा गया है कि किसी का भी विक्टीमाइजेशन न हो और जो उसका ड्यू राइट है वह उसको मिल सके, इस बात को दृष्टि में रख कर कर चला गया है। सर्विसेज के अन्दर असन्तोष की बात जो कही जाती है मैं ऐसा समझता हूं कि आज के जमाने में मांग करना, एजीटेट करना और नाराजगी जाहिर करना, टीका-टिप्पणी करना, यह सब तो डेमोक्रेसी का और आज की समाज का अंग बन गया है, लेकिन शायद तटस्थता से बैठकर के सर्विसेज की चर्चा की जायेगी तो सर्विसेज वाले इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो कई प्रदेशों के अन्दर स्थिति है उसके मुकाबले में राजस्थान में इन लोगों को काफी फेवरेबल डील दिया गया है। कहीं अनजाने में कोई गलती हुई हो उसके बारे में तो मैं दावा नहीं करता हूं. लेकिन इन लोगों के सम्बन्ध में डी. पी. सी. के जरिये या और तरीके से जितना सम्भव है उसके बारे में प्रयास किया गया है। कुछ कट मोशन्स आये हैं जिनका यहां पर जिक्र नहीं हुआ, था जैसे-इन्टीरिम रीलिफ के बारे में जिक्र किया गया है। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि भारतवर्ष में कुछ स्टेट्स के अन्दर एजीटेशन के बाद कुछ हुआ और कुछ जगह नहीं हुआ और कई जगह कई प्रकार की सरकारें हैं उनमें भी क्या-क्या हो रहा है यह सब आप जानते हैं। राज्य कर्मचारियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है इससे मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर जो हमारी क्षमता नहीं थी उससे भी कुछ अधिक करने का प्रयत्न किया है और इस लिहाज से कि हम चाहते हैं कि आपस में रिलेशन में फरक न आये और किसी अन्य तरह की स्थिति पैदा न हो। माननीय अध्यक्षजी, एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के अन्दर पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है और मिनिस्टर्स इम्प्लीमेन्टेशन का काम करते हैं। मैं समझता हूं भाषण के लिये तो यह कहना उपयुक्त हो सकता है लेकिन व्यवहार में यह बात नहीं है। आज चाहे करेन्सीज के बारे में १९५४ से लेकर अबतक जो भी इसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान में लिया गया किसी ब्यूरोक्रेसी के आधार पर नहीं लिये गये हैं बल्कि हमारी पॉलिसी के आधार पर लिये गये हैं। इसी प्रकार हमने लैंड रिफॉर्म्स की दिशा में भी किया है। इसी प्रकार इन्जिनीयर्स, डॉक्टर्स आदि के बारे में जो निर्णय लिये गये हैं और जो बातें बजट स्पीच के अन्दर कही गई और जो स्टेप्स लिये गये हैं वह ब्यूरोक्रेसी के आधार पर नहीं हुए हैं। वह हमारे खुद के इनीसियेटिव और निर्णय लेने की बात है–

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उस पर ही खड़े हुए हैं। अध्यक्षजी यहां जिक्र किया गया है पावर्स डेलीगेट कर दिये जायं और इसमें इन्टरफियरेन्स न हो। मैं समझता हूं सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी लेकिन अपन भी सदन में जितनी चर्चा ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उनके बारे में करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि जिनको पावर डेलीगेट करने की बात करते हैं उनके बारे में यहां ज्यादा चर्चायें आती हैं और उन्हीं के बारे में प्रश्न होते हैं। आज तहसीलदार के एक्शन के बारे में, थानेदार के एक्शन के बारे में हम यहां यह मानकर चलते हैं कि जो ट्रांसफर किया गया है वह गलत है बाकी जो वे स्वयं कर रहे हैं उनके बारे में किसी को शिकायत नहीं हो। अपेक्षा की जाती है कि उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये, कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिये। जो आज पावर डेलीगेट करने की बात है उसमें कुछ तो लॉ के द्वारा डेलीगेटेड पावर हैं और कुछ गवर्नमेंट ने की। लेकिन जो डेलीगेटेड पावर हैं, हम चाहते हैं हस्तक्षेप न करें और ट्रांसफर्स करने वाली बात कम से कम हो। इस बात को पसन्द करेंगे और हमने कई बार निर्णय लिया है तीन वर्ष तक कोई एक जगह पर रह चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, उनका ट्रांसफर किया जाय वह अलग बात है लेकिन कम ट्रांसफर हो, यह हम चाहते हैं लेकिन बहुतसी बार उनके सम्बन्ध में काफी शिकायतें आईं और वहां पर लोगों का असन्तोष है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर कार्यवाही करनी पड़ती है। इस विषय में मैं कोई ना कहकर नहीं चलता....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो एन्क्वायरीज के मेथड्स हैं डिपार्टमेन्ट के वह ठीक नहीं हैं। एन्क्वायरीज उनके पास जाती है और वे कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमने विजिलेन्स कमीशन को इन्डेपेन्डेन्ट बाडी भी इसलिये बनाया कि उसमें किसी प्रकार की शिकायत न रहे और मैं यह निवेदन करदूं कि विजिलेन्स के जरिये काफी सस्पेंशन हुए हैं, काफी केसेज में चालान हुए हैं और कुछ में सजा भी हुई है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बतादूं जो डिपार्टमेंटल कमिश्नर होते हैं वे उसी डिपार्टमेंट के नहीं होते है जिसमें वे गजेटेड ऑफिसर होता है। सारे गजेटेड ऑफिसर्स की बात को कमिश्नर देखता है जिसके पास मैटर्स जाते हैं। अब सबार्डिनेट और लोअर लेवर के जितने आफिसर हैं उन सबके लिये अलग एजेन्सी कायम कर दी जाय तो काफी काम एक जगह कन्सनट्रेट हो जायगा इसलिये अभी नहीं किया गया है।

फिक्सेशन नहीं होने का, सिक्योरिटी की फीलिंग्स नहीं रहती है आदि के सम्बन्ध में, कुछ सर्विसेज में हम जानते हैं ऐसा होता है। उसमें हमारे रूल्स अभी फाइनेलाइज नहीं हुए है। मैं उम्मीद करके चलता हूं जल्दी से जल्दी रूल्स को फाइनलाइज कर देंगे। और फाइनल रूल्स का मतलब है प्रमोशन, फिक्सेशन आदि में जो दिक्कतें आती है, वह नहीं रहेगी।

सस्पेन्शन ज्यादा समय के लिये न हों और यह सुझाव दिया गया कि तीन महीने के अन्दर अन्दर अगर केस नहीं निपटा दी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सस्पेन्शन हटा देना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एन्क्वायरी में डिले होने का रीजन, एन्क्वायरी ऑफिसर की नहीं होती है। अगर यह रूल्स बने कि तीन महीने में या अमुक पीरियड तक फैसला नहीं होता तो रि-इन्स्टेट हो जाय। ऑफिसर जो स्टेटमेंट देता है वह चार्जशीट के बाद देता है, वह वक्त लेती है और वक्त नहीं लेती है तब भी लीगल कम्प्लीकेशन होने की दिक्कतें रहती हैं। इसलिये ऑफिसर के लेवल पर देर होती है, यह बात नहीं है। चार्जशीट का सवाल आता है एवीडेन्सेज के सवाल आ जाते हैं उसमें बड़ी मुश्किलें रहती हैं। वैसे जनरली इन्स्ट्रक्शन्स ६ महीने से ज्यादा न रहे, इसके सम्बन्ध में आदेश दिये हुए हैं लेकिन यह कमिट कर दिया जाय कि इस पीरियड से ज्यादा न हो, यह मुश्किल होगा। और प्रोसीक्यूशन के मामले में तो और ज्यादा होगा। यही मैं कहकर चल सकता हूं माननीय अध्यक्षजी अभी यहां जिक्र किया गया कि ऑफिसर्स नाइट-हॉल्ट बाहर नहीं करते, अगर करें तो उससे ज्यादा लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि वे दूसरी जगह जायं और गांवों में नाइट होल्ट करें और लोगों से सम्पर्क स्थापित करें। मेरी मान्यता है यह तो उस जमाने की बात थी जबकि मीन्स आफ कोम्युनिकेशन नहीं थे या बहुत कम आने-जाने के साधन थे। अब लोग-बाग भी ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकते है और ऑफिसर्स भी ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकते हैं। तहसील हेड क्वार्टर पर नाइट हॉल्ट कर लेंगे तो फर्क पड़ जायगा....

श्री रामकिशन : ये बूढ़े ऑफिसर्स भी नहीं रहते हैं क्या बाहर ?

श्री अध्यक्ष : नाट वाइज स्पीकिंग।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया .... ऐसा मैं नहीं मानता हूं। (व्यवधान) .... उनके लिये ऐसा कमिटमेंट कि एक्स जागीर कमिश्नर की जगह जागीरदार रहे यह सही नहीं है। माननीय सदस्य जानते ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : नोमिनी के लिये कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी गलत है, जागीर कमिश्नर की जगह जागीरदार का नामिनी होगा। वक्त-वक्त पर कई ऑफिसर्स रहे हैं, यह भी माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय अध्यक्षजी और बहुत से विस्तार के पाइन्ट्स पर जाऊं....

श्री मदनसिंह : मैं मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिये जागीर कमिश्नर की जगह जागीरदार न रहें तो अग्रवाल पर अग्रवाल ऑफिसर नहीं होना चाहिये....

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जिक्र किया जो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड या उसके संबंध में। उसके बारे में जो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जिनके बारे में बृजमोहनजी के बारे में खास तौर से इशारा है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है सोना उनके पास में रहना जाहिर नहीं हुआ है। जो एक दूसरे व्यक्ति हैं उनके बारे में मालूम हुआ है, और क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं उनके बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया है. क्योंकि विजिलेन्स कमीशन ने लीगल

(श्री मदनसिंह)

एक्शन लेने के बारे में सिफारिश नहीं की है, ऐसा बताया जाता है....

श्री भैरोंसिंह : वह चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां उसी का।

माननीय अध्यक्षजी जी० ए० डी० की डिमान्ड पर चर्चा होती है तो मिनिस्टर की जो संख्या है उसमें कमी हो, भ्रष्टाचार वाली बात वह तो उसके साथ चर्चा का विषय बन जाती है। मैं उस विवेचन के अन्दर में नहीं पड़ता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वनटेन्य की चर्चा की जाती है तो मैं समझता हूं कि देश के अन्दर बहुत कम जगह वनटेन्य वाली बात को निभा पाये हैं। जिस सिद्धान्त की बात आप कहते हैं तो आज जो है वन-टेन्य वाली बात कितनी जगहों पर निभ पाई है, वह भी सब जानते हैं, और जिस समाजवाद के उद्देश्य से बहुत बड़े-बड़े कदम के बारे में अभी शिथिलता का जिक्र किया गया है तो मैं यहीं समाप्त करके चलता हूं कि कई जगहों पर कई प्रकार की पार्टियां प्रशासन कर रही हैं उन्होंने इस दिशा में परिवर्तन किया, उसका जिक्र करते तो हम लाभान्वित होते। उसके सम्बन्ध में कोई चीज प्रकाश में नहीं लाये।

श्री डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की व्यथा को मैं समझ सकता हूं। इसलिए उनको नाराजगी की भाषा के ऊपर मैं नाराजगी जाहिर करना तो उपयुक्त नहीं समझता....

श्री मदनसिंह : बात क्या है

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन उन्होंने एक बात कही और वह शायद इस बात को बहुत जोर से कहा करते हैं कि कुर्सी के उद्देश्य से काम करने का लक्ष्य हो तो दूसरी बात है वरना बहुत कुछ उपाय हो सकते हैं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कुर्सी के उद्देश्य से राजनीति में नहीं गये थे। जब राजनीति के अन्दर गये थे तो उद्देश्य एक ही था कि जो भी कष्ट उठाने पड़े उठायेंगे, लेकिन देश को आजाद करवायेंगे, इस बात को लेकर आये थे। इसलिए मेहरबानी करके यह लचर दलील नहीं दिया करें कि कुर्सी के लिए आये हुए हैं और इसी से सार्वजनिक जीवन शुरू किया हो। यह कहां से शुरू हुआ और कहां से नहीं हुआ सारे हिन्दुस्तान को बात जाने दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज इतने जोर से बोलने का प्रयास करते हैं तो साढ़े चार-पांच साल पहले जब आप इस ओर बैठे हुए थे मिनिस्टर बनकर उस वक्त आपके मुंह से भ्रष्टचार की बात क्यों नहीं निकली इसलिए आज भी....

श्री दौलतराम सारण : मेरे बारे में आज भी कोई अंगुली नहीं उठा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम से कम....

मैं तो बीच में नहीं बोला था जब आप इतने जोर से बोल रहे थे तो आप में कम से कम मैं इतना ही कहता हूं कि सुनें शान्ति से....

श्री दौलतराम सारण : सच्चाई छुप नहीं सकती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १२ साल तक आप रहें तो कोई बात नहीं थी और अब साड़े चार-पांच साल में शिकायतें हो गई जब कि इस ओर आप नहीं हैं। १२ साल के वक्त में शिकायत नहीं हो सकती थी जब कि आप इधर थे। उस वक्त भी जब आप यहां बैठते थे तो उस तरफ से ऐसी ही बौछारें आया करती थी और आपके साथियों पर पड़ा करती थी, लेकिन उस वक्त आपने एक शब्द भी नहीं....

श्री दौलतराम सारण : मैंने जो आपको पत्र लिखे हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपके जितना भाषण लम्बा नहीं दूंगा। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस सरकार का निर्माण तोड़-फोड़ और लोगों को लालच देने से हुआ है। यह हमारे लिए तो सही हो कि न हो लेकिन बी० के० डी० का निर्माण ही इस बात से हुआ है। उसके बाद भी आप लेक्चर देते हैं। यह और कोई लेक्चर देता, दौलतरामजी, तो ठीक था। आपका लेक्चर देना इस मामले में ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज, व्यवस्था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतना ही कह कर, अध्यक्ष महोदय, कई कटौती-प्रस्तावों के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है तो मैं व्यक्तिगत तौर से जहां स्पेसिफिक कटमोशन है उनका जवाब भेज दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : एक बात पूछ लूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले सत्र में रेवेन्यू बोर्ड को नये रूप से गठित किया जायगा ऐसा कहा था....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि इसके बारे में रूल्स फाइनेलाइज हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जुडिशियल ऑफिसर और प्रेक्टिस करने वालों का समावेशन इसके अन्दर कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे कटौती प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा। अलवर की आबादी एक लाख की हो गई है ७१ के सेन्सस में और वहां के राज्य कर्मचारी हाउस रेन्ट के लिए एलिजिबल हो गये हैं इस बारे में घोषणा करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ज्यों ही फाइनल रिपोर्ट हो जायगी और आप सचमुच में एक लाख से ऊपर हो जायेंगे तो....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा कटौती प्रस्ताव था सब का सीलिंग करने का. बिजली, पानी, टेलिफोन का तो इस पर आपने कुछ नहीं कहा। क्या इरादा है आपका ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की उसके लिए सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यहां पर जो चर्चा हुई उसका स्तर बहुत ही ऊंचा रहा और माननीय सदस्यों को जो शिकायत थी कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और

(श्री शिवचरण माथुर)

समाज का निर्माण उससे होता है तो इसके बारे में जो उनकी व्यग्रता थी मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आम तौर से प्रत्येक व्यक्ति साधारण रूप से यह कह देता है कि शिक्षा-प्रणाली दूषित है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली के दोषों को मिटाने के लिए इन २२ वर्षों में देश में कई कमीशन बने और शिक्षा शास्त्रियों ने बैठकर विचार किया, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सारा ही शिक्षा-प्रणाली का दोष हो यह वाजिब बात नहीं है। आज समाज के दोषों को भी हमें देखना पड़ेगा। समाज के जो मूल्य हैं आज उन मूल्यों का दोष है, और सबसे पहले हमें समाज के मूल्यों को बदलना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा कभी भी इस बात को नहीं कहती है कि कोई भी विद्यार्थी पढ़-लिख कर बड़े-बड़े पद की ही मांग करे और जो मजदूरी का काम है और साधारण दर्जे के काम हैं उनको न करें। शिक्षा में कहीं इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन आज समाज के मूल्यों का दोष है। आज जो आदमी कुर्सी पर बैठकर हुकूमत कर सकता है वह समाज में बड़ा माना जाता है और जो मेहनत मजदूरी करता है वह आदमी नीचा माना जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें समाज के मूल्यों को सुधारना पड़ेगा और उसके साथ-साथ शिक्षा में जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा।

मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने राजस्थान में यह कोशिश की है शिक्षा को श्रम से संबंधित करें। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र आया है कि शिक्षा को श्रम-समन्वित बनाने लिए कार्यानुसार सब की योजना को चलाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपका सहयोग चाहता हूं कि आप लोग राजस्थान के जिन स्कूलों में इस संबन्ध में काम चल रहा है उनको जाकर देखें हम लोगों ने एक छोटा सा नम्र प्रयास किया है इसके माध्यम से हम शिक्षा के जरिये श्रम के महत्व की भावना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राजस्थान के २०० स्कूलों में यह कार्यक्रम चल रहा है जिनमें विद्यार्थियों को हाथ से काम करने की भावना पैदा की जाती है।

इस मांग पर मैं आंकड़े वगैरह देकर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने चर्चा में वे सब मुद्दे रख दिये हैं जिनमें कि संख्यात्मक दृष्टि से काफी काम हुआ है, लेकिन गुणात्मक विस्तार की दृष्टि से भी राजस्थान में कुछ काम हो रहा है। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे समय-सीमा का ध्यान है इसलिए मैं अधिक बात नहीं कहता हुआ आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है शिक्षा के काम को समझने के लिए कन्सलटेटिव कमेटीज का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और आप से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में न केवल शिक्षाशास्त्री ही विचार करें, यह जरूरी नहीं है लेकिन अलग तरह से शिक्षा के विषय में आप लोग भी दिलचस्पी लें तो बहुत काम हो सकता है।

यहां पर राजस्थान के तीनों विश्व-विद्यालयों के सम्बन्ध में कहा गया है, उनमें जो खराबियां हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुझाव का स्वागत कर रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं ?

Page No. 204

श्री शिवचरण माथुर : स्वीकार कर रहा हूं।

जिस भावना से उन्होंने राजस्थानी और नॉन-राजस्थानी का प्रश्न उठाया है, वह भावना से ही देखते हुए कहता हूं कि एक दृष्टि से तो यह ठीक है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले लेकिन हम हिन्दुस्तान की दूसरी जगह के लोगों का हम आना बन्द कर दें यह सम्भव नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सभी बातों के होते हुए राजस्थान के लोगों को स्थान मिल सके। एक जमाना यह था कि यहां पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। तब तो हम कह सकते थे। आज २२ साल से राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में माना जाता है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम विश्वविद्यालय के स्वायत्त का स्वागत करके चलें। उसका कोई उचित तरीका निकाल कर हम चलें। उसको जो स्वायत्तता है जो सीमाएं हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप न करते हुये, कोई उचित तरीका निकाला जा सकता है तो हम निकालें। जिससे कि हम देश की एकता को कायम रख सकें।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसने अपने विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने में सबसे ज्यादा अगुआई की है। शायद हमारे ही विश्वविद्यालय हैं जिसमें पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ब्लाक ग्रान्ट सिस्टम लागू किया है। ऐसा और कोई किसी जगह नहीं किया गया है। उनका जो जिम्मेदारी है, उनको सराकर स्वायत्तता के अन्दर ही उनको मौका देती है।

एक माननीय सदस्य ने जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बारे में कहा है। यह बात एक हकिकत है कि काम पहले से ज्यादा ठीक चल रहा है। लेकिन यह कहना कि सारे के सारे लोग खराब हैं....

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : (अश्रव्य)···· उनकी हिन्दी विरोधी नीति है।

श्री शिवचरण माथुर : अगर वहां हिन्दी को लाना है तो ला सकते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान के जो ओवरसीयर/डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको मान्यता क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष (श्री शिक्षा मन्त्री से) : इसको आप नोट कर लें।

श्री शिवचरण माथुर : यहां जो सुझाव रखे गये हैं उनको मैं बहुत मूल्यवान मानता हूं। आंकड़ों के आधार पर एक माननीय सदस्य ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं का जहां तक राजस्थान में सवाल है, वह राजस्थान में काफी है। लेकिन जितना लाभ होना चाहिए, वह आज नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। शहरों में स्कूल खोल दिया जाये तो हजारों विद्यार्थी मिल जायेंगे। लेकिन अगर देहात में स्कूल खोलें तो कहीं तो एक मिलेगा। कहीं दो मिलेंगे। इसके लिए तो समाज के लोग ही सहयोग दें।

श्री मदनसिंह : समाज के लोग सहयोग देते हैं तो उनको उखाड़ा जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान में प्राइमरी स्तर पर ६५% वेस्टेज हो जाता

Page No. 205

(श्री शिवचरण माथुर)

है। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। डेढ़ करोड़ का बजट १९५० में था। आज ४३ करोड़ से अधिक हम खर्च कर रहे हैं। ५८% तक हम ६ से ११ साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा की सुविधा दे पाये हैं। इसका कारण यह है कि सबसे कम शिक्षा का परसन्टेज कन्याओं में है यह मैं मानता हूं कि कन्याओं के शिक्षा के मामले में हमें तत्परता और सक्रियता से काम करना है। जो कमी रह गई है उसको मिटाना है आपने देखा होगा कि ९० सालाना योजना में पंचायत समितियों द्वारा चलाई जा रही ९० मिडिल स्कूलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने के अतिरिक्त ३० नई प्राइमरी स्कूलें खोले जाने और ३०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है। ५० मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में क्रमोन्नत करने और १० हाई स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाने का प्रस्ताव है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने ३०० मिडिल स्कूल बनाने के लिए कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : ३ नये कॉलेज खोले जायेंगे। भीलवाड़ा और भरतपुर में कन्याओं के लिए, एक सवाई माधोपुर में लड़कों के लिए। वहां पर कॉलेज होने की आवश्यकता है। इसलिए तीन कॉलेज रखे हैं। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि अन्य कटौती प्रस्तावों का लिखित में जवाब दे दिया जायगा। क्योंकि समय नहीं है जिससे कि पूरा उत्तर दे सकें। मैं सुझावों का स्वागत करते हुये निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग के अनुदान की मांगों को स्वीकार करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय....

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि बातचीत के आधार पर तय कर लें, सदन में चर्चा नहीं हो। जब भी समय हो। शिक्षा मन्त्री जी तैयार हो। वहां इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, वह मन्त्री महोदय सैटिसफाई कर लें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वित्तमन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ३० प्राइमरी स्कूल खोलेंगे उनमें १० स्कूल अरबन एरिया के लिये हों जहां लड़के बहुत-बहुत हों।

श्री शिवचरण माथुर : राज्य में १९००० प्राथमिक शालाएं हैं। डेढ मील से अधिक दूर जाना नहीं पड़ता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पांच-पांच मील दूर जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,९१, ४७,०८० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,३४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,२४,१७००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

श्री रामकिशन : इनको तो दे दो, पढ़ा रहे हैं बच्चों को।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, तारीख १० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ७ बज कर २१ मिनिट पर सोमवार, दिनांक १० मई, १९७१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

(ता० प्र० सं० ६६२ की सूची)

राज्य सरकार के विशेष अधिकारों के अन्तर्गत एज ए स्पेशिल केस आवंटित की गई भूमि का विवरण ।

क्र० सं०	नाम अलॉटी	आवंटित भूमि का विवरण
१	२	३
	खुद काश्त	
१.	श्री मालचन्द पुत्र हनुमानदास अग्रवाल, सा० सिसवाला कला, तहसील टी० बी०	१ एम.डी. मु. नं. १६१/४५=२५
२.	श्री काशीराम पुत्र श्री लिखमीचन्द अग्रवाल, सा० सिसवाला	१ एम. डी. मु. नं. १६१/२२=२५
३.	श्री सूरजमल पुत्र श्री गजूमल अग्रवाल, सा० सिसवाला	,, १६१/२९=२५
४.	श्री भेरूदान पुत्र श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सा० सिसवाला	,, १६१/३०=२५
५.	श्री रामकुमार पुत्र श्री जवाहरमल अग्रवाल, सा० सिसवाला	,, १६१/४६=२५
६.	श्रीमती सरस्वती बेवा श्री महादेव अग्रवाल, सा० सिसवाला मुख्याराम श्री रामकुमार	,, १६१/३८=२५
७.	श्री हरीमोहन पुत्र श्री गयाप्रसाद सक्सेना, भूतपूर्व बिस्वेदार	,, १६१/४६=२५ ,, १६१/४१=।
	अनुसूचित जाति	
८.	श्री रावतराम पुत्र श्री बुधाराम मेघवाल, सा० खारसर, त० सरदारशहर	ग्राम बुद्धवालिया २१४/३९० चक २ २१३/३९०=२५
	एक्स सर्विसमेन	
९.	श्री जुगलाल पुत्र श्री श्योनन्द हरिजन, सा० रामगढ़, त० नोहर	६ के. एम. २१३/३९८=१२)१० २१४/३९८= २)१०
		योग.... १५) बीघा

१	२	३	
१०.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हीरालाल विश्नोई, सा० उडसर, त० रायसिंहनगर	८ एम. एल. डी.	८/५५=२५
११.	श्रीमती श्रोमबाई पत्नी स्व० श्री ईश्वरसिंह, निवासी सरदारपुरा	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
राजनैतिक पिडीत			
१२.	श्री गोपालसेन चौधरी, सा० जोधपुर	६ एम. डी. एम.	१४६/३४०=२४
		एम.	१४६/३४०=२४
		एम.	१४६/३३९= २
		योग....	५०) बीघा
१३.	श्रीमती सबली देवी धर्मपत्नी करनीराम जाट, सा० धमोरा	४ ए.एस. मु. नं.	१७८/४३२=२१
			१७९/४३२= ४
		योग	२५
१४.	श्रीमती फूलीदेवी	,,	१७८/४३३=२५
१५.	श्री घासीराम पुत्र श्री गोविन्दराम जोशी, सा० सीकर	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
१६.	श्री लाधूराम पुत्र श्री गोविंदराम जोशी, सा० सीकर	,,	२५) बीघा
अन्य			
१७.	श्री रनजीतसिंह पुत्र श्री लादूराम निवासी, फतेहपुर	६ बी.टी.डी. मु. नं.	२४४/३५९=२२)१२
			२४४/३५१= २) ६
		योग	२४)१८
१८.	श्री जयनारायण पुत्र श्री सावित्री प्रसाद, सा० दयालपुरा	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
१९.	श्रीमती केसरकंवर पत्नी श्री किशनलाल ब्राह्मण सा० दयालाल	,,	२५) बीघा
२०.	श्री किशनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाट, सा० थाना	,,	२३) १५

परिशिष्ट "स"

(विधान सभा प्रश्न संख्या १४/कृषि मंत्री द्वारा श्री हंसराज आर्य, सदस्य विधान सभा)

सूची एलोटीयान् जिन्हें ग्राम युयवा सया में सरकार द्वारा भूमि (सिंचित) आवंटित की गयी, उपनिवेशन, राजस्थान नहर योजना, हनुमानगढ़

क्रम संख्या	नाम अलॉटी	चक नम्बर	आवंटित रकबा
१.	श्री घासीराम पुत्र श्री गोविन्दराम जोशी सा० सीकर	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
२.	श्री लाधूराम पुत्र श्री गोविन्दराम जोशी सा० सीकर	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
३.	श्रीमती ओमबाई पत्नी स्वर्गीय श्री ईसरसिंह सा० सरदारपुरा	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२०) बीघा
४.	श्री जयनारायण पुत्र श्री सावित्रीप्रसाद, सा० दयालपुरा	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
५.	श्रीमती केसरकंवर पत्नी श्री किसनलाल ब्राह्मण सा० दयालपुरा.	२ बी. डब्ल्यू. एम.	२५) बीघा
६.	श्री किसनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाट, सा० थाना	२ बी. पी. एम.	२३) १५ बीघा
		योग....	१४३) १५ बीघा

ह०/- उपनिवेशन तहसीलदार,
राजस्थान नहर योजना,
हनुमानगढ़ ।

परिशिष्ट—२

(ता. प्र. सं० ६६६ की सूची)

Statement showing the Sales of Land which have been mutated out of the Lands acquired for the Indian Ports & Health Resorts Development Co., Ahmedabad

S. No.	Khasra No.	Area	Name of the purchaser	Amount	Date of registration	Date of passing Mutation	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	247	20.13	Smt. Sarojani W/o Shri Dinu Bhai, Baroda	6,195/-	6-11-1968	30-12-1968	
2.	248	11.8	Shri Dinu Bhai S/o Shri Bhailal Bhai, Baroda	3,420/-	6-11-1968	30-12-1968	
3.	249	11.16	Shri Satish S/o Shri Chatur Bhai, Baroda	3,540/-	6-11-1968	30-12-1968	
4.	255 256	3.11 0.02	Shri Laxman Singh Executive Officer, Municipal Board, Abu	1,200/-	9-11-1968	1-8-1969	
5.	268	10.02	Shri Kamal Kishore S/o Shri Devi Singh of Jodhpur	3535/-	24-11-1969	1-2-1970	
6.	270	56.10	M/s Shantilal Ishwar Bhai of Vallabhnagar	16,950/-	6-11-1968	30-12-1968	
7.	283 286	4.12 1.00	Smt. Sunita Devi W/o Shri Brahmdutt, Jawai Bandh	840/-	3-7-1969	11-7-1969	

परिशिष्ट—३

(ता. प्र. सं० ६६९ की सूची)

विवरण

लेखा मद	पदों की संख्या		वेतन व भत्तों पर व्यय लाख रुपयों में
	अधिकारी	कर्मचारी	
९. भू-राजस्व	५५	१२,२३७	३६७.६५
१९. सामान्य प्रशासन	३७३	८,०४५	२५८.५४
योग	४२८	२०,२८२	६२६.१९

परिशिष्ट—४

(ता. प्र. सं. ६७७ की सूची)

थानेदार लाडनू के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का संक्षेप में विवरण

१. श्री हरजी राम बुरडक, विधायक द्वारा एक शिकायत थानेदार द्वारा जनता को परेशान करने व उनसे पैसे ऐंठने के सम्बन्ध में प्राप्त होने पर गृह निरीक्षक नागौर द्वारा जांच कराई गई। जांच से लगाये गये सभी आरोप निराधार पाये गये।

२. श्री बन्सीलाल सोनी द्वारा एक शिकायत पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान को इस आशय की, की गई कि थानेदार लाडनूं स्थानीय सुनारों के साथ बुरा व्यवहार तथा मारपीट करता है। उक्त शिकायत की जांच गृह निरीक्षक नागौर द्वारा किये जाने पर परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप असत्य पाये गये।

३. श्री रतनाराम जाट नि. जैनाना ने पुलिस अधीक्षक, नागौर को दिनांक १०-१-७० को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए थानेदार लाडनूं पर यह आरोप लगाया कि थानेदार प्रार्थी को झूंठे मुकदमे में फंसवाना चाहता है। इस शिकायत की जांच गृह निरीक्षक नागौर द्वारा करवाये जाने पर रतनाराम मुकदमा नं० ८०/६६ धारा ४५४/३८० ता० हि० में मतलूब पाया गया।

४. श्री जैठमल सोनी द्वारा दर्ज करवाये गये मु० नं० ५४/७०, धारा ३६६/३८० ता० हि० में बाद अनुसंधान एस. एच. ओ. लाडनूं द्वारा एफ. आई. आर. दी जाने पर मुस्तगीस ने एक शिकायत पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रस्तुत की कि एस. एच. ओ. ने उससे २०००) रु० रिश्वत मांगी है। शिकायत बाद जांच झूंठी पाई गई।

५. श्री हनुमानलाल शर्मा द्वारा एक शिकायत गृह मंत्री महोदय को इस आशय की प्रस्तुत की गई कि थानेदार, लाडनूं स्थानीय जनता को व्यर्थ ही परेशान कर रहा है तथा उन्हें झूंठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा स्वयं की गई जिससे थानेदार पर लगाये गये समस्त आरोप निराधार पाये गये।

६. श्री धन्नालाल मेहरिया द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई कि थानेदार, लाडनूं ने पाक नागरिकों को पाकिस्तान भेज दिया है। उक्त शिकायत की जांच से पाया गया कि तीन पाक नागरिक जो मु० नं० १७/७० धारा १४ आई. एफ. एक्ट में मतलूब थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार पाकिस्तान भेजे गये थे।

७. एक शिकायत श्री बलदेवराम आर्य ने पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रस्तुत की कि थानेदार लाडनूं ने उससे ४००) रु० रिश्वत के ले लिये तथा थाने के अन्य दो सिपाहियों ने २००) रु० की रिश्वत लेली और मुस्तगीस को नाजायज तौर पर थाने के हवालात में बन्द रखा। इस शिकायत की जांच करवाये जाने पर थानेदार व सिपाहियों पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

८. मु० नं० १५/६८४/५३६३/आई. पी. सी., थाना केकडी और मु० नं० १६/६८४/५४२० आई. पी. सी. थाना केकडी जिसकी तफतीश एस. आई. नरपतसिंह ने की थी, में उसके द्वारा की गई उसमें अनियमितायों एवं भ्रष्टाचार की जांच उप-अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अजमेर द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट—५

(ता. प्र. सं. ९७८ की सूची)

प्रश्न २ के लिये सूची

क्रम सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य की रकम	एग्रीमेन्ट के अनुसार समाप्त करने की अवधि
१.	राईजिंग मैनपार्ट 'अ'	श्री वेदप्रकाश अग्रवाल जयपुर	६४६०६/=	५-५-७१
२.	,, ,, 'स'	,, ,,	६५०१२/=	२७-४-७१
३.	डिस्ट्रीब्यूशन	,, ,,	७९३१८/=	२७-४-७१
४.	राईजिंग मैनपार्ट 'ब'	श्री आनन्दीलाल	६२९८१/=	११-४-७१

परिशिष्ट—६

(समयाभाव के कारण सदन पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सगतड़ा–सेरिया सड़क पर पुलिया का निर्माण

६८०. श्री देवीलाल (सराडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या परसाद से सगतडा, सेरिया वाया चावण्ड सड़क पर पुलियों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो परसाद से सेरिया, सगतडा वाया चावण्ड सड़क पर कुल कितनी पुलियों का निर्माण कराया गया है और कितनी पुलियों पर लेण्टल डालने का कार्य अधूरा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि सड़क का कार्य अपूर्ण होने से आवागमन में अड़चन पैदा होती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(१६-४-७१)

सेवा सहकारी समितियां

२९७. श्री मोतीलाल (रेवदार): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति आमेर में कितनी सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ?

(२) क्या अलग अलग ग्रामों में कार्य कर रही सहकारी समितियों को हर पंचायत क्षेत्र में एक एक सहकारी समिति बना दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के तहत ?

(३) क्या चिमनपुरा ग्राम सहकारी समिति को रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में मिला दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या चिमनपुरा सहकारी समिति में लाभ था और रामपुरा सहकारी समिति में हानि ?

(श्री मोतीलाल)

(५) रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के कितने सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को कितना कितना कर्जा दिया गया है ? तथा बैंक से कितना कितना लिया गया ?

(६) रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना कब हुई और उसने आज तक कितना लेन-देन किया और उसमें क्या लाभ हुआ ?

(७) क्या यह सही है कि सदस्यों के नाम से आया हुआ बैंक का कर्जा कार्य कारिणी के सदस्यों के निजी कार्य में आता है ? यदि हां, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति आमेर में ३९ ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(२) जी हां, सहकारी समितियों का एकीकरण पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत किया गया है। राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९६५ की धारा १७ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियां प्रदत्त हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। वर्ष १९६९-७० ई० के आंकड़ों के अनुसार दोनों ही समितियों में लाभ था।

(५) रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की वर्तमान सदस्यता १५६ है। इस समिति को जुलाई, १९७० में जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से १६,३०० रु० ऋण प्राप्त हुआ जिसमें से १४,०९० रु० सदस्यों को वितरण किया गया तथा शेष राशि वापस बैंक में जमा करा दी गई है। प्रत्येक सदस्य को वितरण किये गये ऋण की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(६) रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्रमांक ४४० दिनांक ११-११-६९ को पंजीयन हुआ है। समिति द्वारा किये गये लेन देन एवं अर्जित लाभ हानि का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (ब) में अंकित है।

(७) जी नहीं, अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट—'अ'

रामपुरा डावड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०

क्रमांक १	नाम सदस्य २		कर्जा जो दिया गया ३
			रुपये
१.	श्री बिरदा/मंगला जाट	४-१-७०	१०४०
२.	,, हीरादास/लादूदास	,,	८०
३.	,, सुवाराम/लादू जाट	,,	४५०
४.	,, भूरा/घासी जाट	,,	४५०
५.	,, राम शंकर/पोखर	,,	८०
६.	,, नन्दलाल/बालाबक्श	,,	१००
७.	,, रामनिवास/हरबक्श	,,	३००
८.	,, भूरा/हरदेव	,,	८०
९.	,, आनन्दीलाल/गोविन्दराम	,,	१०४०
१०.	,, भगवान सहाय/रामसहाय	,,	८०
११.	,, बाबूलाल/रामसहाय	,,	८०
१२.	,, रामस्वरूप/भौंरीलाल	,,	९७५
१३.	,, नन्दकिशोर/खुउदाय	,,	३००
१४.	,, नाथुराम/बिरदा	,,	८०
१५.	,, शिम्भु/कोला	,,	१००
१६.	,, सेडूराम/भूथा जाट	,,	८०
१७.	,, घासीलाल/छोटीलाल	,,	१५०
१८.	,, हनुमान/चौथमल	,,	१५०
१९.	,, नानगा/बगरा बुनकर	,,	८०
२०.	,, नाथू/आलू	,,	१००
२१.	,, नारायण/लाला	,,	१००
२२.	,, रंगलाल/ईसरराम	,,	८०
२३.	,, भूरा/श्यामलाल	,,	८०
२४.	,, मगल्या/रंगलाल	,,	८०
२५.	,, श्यामलाल/मांगू	,,	८०
२६.	,, घासी/हुकम	,,	८०
२७.	,, नाथू/रामू जाट	,,	४५०
२८.	,, मोलम/रामू जाट	,,	४५०
२९.	,, भूरा/लादू	,,	८०

१	२		३
३०.	श्री भूरा/मंगला	४-१-७०	६००
३१.	,, भौरीलाल/छोटीलाल	,,	३००
३२.	,, सीताराम/छबीलाल	,,	५००
३३.	,, रूथा/करमी	,,	१६०
३४.	,, काना/ईसरा जाट	,,	२४०
३५.	,, गिरधारी/ईसरा जाट	,,	१६०
३६.	,, घीसा/जीवन	,,	५२०
३७.	,, काशीप्रसाद/लक्ष्मीनारायण	,,	३२०
३८.	,, भौंरीलाल/मोहनलाल	,,	५२५
३९.	,, ब्रजमोहन/गणेशनारायण	,,	३००
४०.	,, देवनभ/सुखदेव	२२-७-७०	४००
४१.	,, सूरजमल/छगन	,,	४५०
४२.	,, केसरा/बिस्वा कुम्हार	२७-७-७०	८०
४३.	,, लादू/बलदेव	,,	२४०
४४.	,, भूरा/लगन्दा जाट	,,	२४०
४५.	,, भौंरीलाल/मुरलीधर	,,	८०
४६.	,, कल्याण/कालू शर्मा	,,	८०
४७.	,, हरला/सुखदेव	,,	२२०
४८.	,, गंगाराम/सुखदेव	,,	१५०
४९.	,, चौथू/भीमा जाट	१-४-७०	१०४०
		योग....	१४०९०

परिशिष्ट (ब)

रामपुरा समिति द्वारा किये गये लेन—देन एवं अर्जित लाभ-हानि का विवरण

क. सं.	वर्ष	लेन	देन	लाभ	हानि
१.	६१–६२	६४३६.३७	६४९२.९३	—	३.१९
२.	६२–६३	३००३.०३	२८४५.३६	१७.८७	—
३.	६३–६४	१४५८८.२८	१३७९३.२५	—	४२.११
४.	६४–६५	४७२४.५४	४८००.५६	—	२३३.६५
५.	६५–६६	१५७२७.६८	१६४७५.७३	७६४.३३	—
६.	६६–६७	१०६१७.८७	१०४७०.४२	६५२.९२	—
७.	६७–६८	८४७०.७९	८६९१.१३	३३३.२२	—
८.	६८–६९	४५२२.९९	४५७८.३५	—	२१.७५
९.	६९–७०	९७३४.१६	९५७४.०१	१०६.८१	—

नोटः—दिनांक १६-११-४९ से ३०-६-६१ तक कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

———

परिशिष्ट-७

(ता. प्र. सं. ६५४ की सूची)

आदिवासी तथा अनुसूचित जाति की जन संख्या १६६१ की जनगणना के अधार पर

क्रमांक	क्षेत्र	कुल जनसंख्या	जन संख्या अनुसूचित जाति	जन संख्या अनुसूचित जन-जाति	अनुपात अनुसूचित जाति	अनुपात अनुसूचित जन-जाति
१.	तहसील सराड़ा	८४६२१	३८९१	२१९९९	४.४९	४९.२५
२.	तहसील गिरवा	२३०५६५	१५५५९	४६६३८	६.७५	२०.२३

———

पंचायत समिति सराड़ा तथा गिरवा के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा कल्याण कार्यों के लिये धनराशि आवंटन की गई उसका विवरण

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	१९६८–६९ अनुसूचित जन-जाति		१९६९–७० अनुसूचित जन-जाति		१९७०–७१ अनुसूचित जन-जाति		सिंचाई-कूप	विशेष अनुसूचित जन-जाति
		प्राथमिकशाला	बुनियादी-शाला	प्राथमिकशाला	बुनियादी-शाला	प्राथमिकशाला	बुनियादी-शाला		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	सराड़ा (उदयपुर)	—	५०००	—	३००	—	९०००	२०००	
२.	गिरवा (उदयपुर)	२०००	८०००	३०००	५०००	४०००	३०००	—	

परिशिष्ट—८

(ता. प्र. सं० ६५७ की सूची)

COPY

The following settlement has been made between the Lakheri villagers and the Associated Cement Co. Ltd., Lakheri on 14-1-1947—

1. That the present Railway line will run along the route, already sanctioned with the following modifications:—

   (a) A bridge for loaded carts will be given for the Tambolies near the passage already made for padestrians and for water.

   (b) That fifty feet of the embankment will be removed and re-placed by arches.

   (c) That the line further on will be taken on arches upto the malies' temple.

   (d) That there will be arches for carts and water channel near the mohalla of Brahmins.

2. The Associated Cement Co. Ltd., will grant the following concessions:—

   (a) Water Channels will be constructed to prevent water logging

   (b) Cement concrete road will be constructed from the main road through Naya Bazar upto Raghunathji's temple and the road in front of the Police Station connecting the main road.-

   (c) Electric light will be provided free in the main bazar and main streets and in Raghunathji's temple and other temples on the main road upto nine.

   (d) The Principal temples will be repaired by ACC Ltd., free of charges.

   (e) The A. C. C. Ltd., will give cement free to them whose houses which have crached by blasting. The question as to what houses have suffered damage due to blasting will be determined by a committee consisting of the Executive Engineer or his nominee (convenor), a representative of the Cement works and a representative of the villagers of Lakheri.

(f) No silt will be cast in the tank and the A. C. C. will build two ghats for the convenience of the villagers. The location will be determined by the villagers of Lakheri with due consideration to the constructional point of view.

(g) Facilities will be given to the villagers to get the benefit of the Dispensary free of charge.

(h) Latrines will be constructed by the Company with 9 seats.

(i) Preference will be given to the villagers of Lakheri in giving employment in this Company and in the selection of candidates for training of skilled labour, other things being equal.

(j) The A. C. C. will construct a cement well for the benefit of the entire village and if the village decides to instal their own pump the Company will supply the necessary electrical power for driving the pump free of charge.

3. There will be no victimisation of the employees of the Cement Works who took part in this agitation.

परिशिष्ट—६

(ता. प्र. सं० ६६५ की सूची)

सूची (अ)

क्र० सं०	तामीर कराने वाले व्यक्तियों के नाम	पता
१.	श्री ब्रजमोहन हलवाई	कवई
२.	,, हीरालाल ठेकेदार	सालपुरा
३.	,, अमरलाल मोगिया	छीपाबडौद
४.	,, ओंकारलाल व० काना	,,
५.	,, हीरालाल व० भंवरलाल	,,
६.	,, देवराज व० जोवराज	छबड़ा

परिशिष्ट—१०

(अ. प्र. सं. ६२३ की सूची)

डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त अधिकारियों की सूची

१.	श्री रूपराज पुरोहित, संयुक्त निदेशक	१.	बी. एस. सी. (इण्डस्ट्रीयल केमेस्ट्री) फर्स्ट क्लास
		२.	एम. एस. सी. (टेक्नोलोजी) डिग्री फर्स्ट क्लास
		३.	एम.एस.सी. (केमीकल इन्जीनियरिंग) फोम यू. एस. ए.
२.	श्री बी. एल. सुखवाल, संयुक्त निदेशक	१.	डिग्री इन बी. एस. सी. (इन्जी.) बी. एस. यू. इन मेकेनीकल एण्ड इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग
३.	श्री जी. एस. शुक्ला, उप-निदेशक	१.	बी. एस. सी. (होनर्स)
		२.	डिप्लोमा इन वुड वरुश टेक्नोलोजी प्लान एन्ड मशीन (ड्राईंग ३ इयर्स)
		३.	ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग सर्टीफिकेट एलीमेन्ट्री एण्ड इन्टरमीडियेट, ग्रेड २ इयर्स
		४.	टेक्सटाइल डाईंग एण्ड प्रिन्टिंग प्रताप मील्स, पुलीया एप्रेन्टिस कोर्स
		५.	ट्रेण्ड इन यू. एस. ए.— (ए) वुड टेक्नोलोजी (बी) डिजायनिंग इन्टीरियर डेकोरेशन (सी) इण्डस्ट्रीयल मैनेजमेन्ट
४.	श्री प्रेम स्वरूप शर्मा, डवलपमेन्ट ऑफिसर, (केमीकल)		बी. एस. सी. इण्डस्ट्रियल (केमेस्ट्री) एल. एल. बी. बी. ए. आई. सी.
५.	श्री पी. एन. प्रधान, सहायक निदेशक	१.	इन्टरमीजियेट
		२.	सिनीयर डिप्लोमा (डी. डब्ल्यू. आई.) फ्रोम गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट वारानसी सेक्युरिंग ५ पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट

६.	श्री के. डी. शर्मा, सहायक निदेशक (लेदर)	१.	इन्टरमिजियेट
		२.	साहित्य सुधाकर
		३.	२ इयर्स सर्टीफिकेट (कानपुर)
		४.	क्राफ्टसमेनशिप एग्जामिनेशन यू. के.
		५.	सी. एण्ड जी. फाइनल (बी. एस.)
		६.	फुल टेक्नोलोजी (बी. एण्ड एस.)
		७.	फुल कालेज डिप्लोमा (बी. एण्ड एस.)
		८.	सी. एण्ड जी. ट्रेनिंग लाइट लेदर फाइनल
		९.	सी. एण्ड जी. हेवी लेदर फाइनल
		१०.	सी. एण्ड जी. लेदर डाईंग एण्ड फिनिशिंग
		११.	सी. एण्ड जी. फुल टेक्नोलोजी (लेदर)
७.	श्री एल. के. शर्मा, सहायक निदेशक	१.	बी. एस. सी.
		२.	लाइसेन्सीयट, आफ टेक्नीकल केमेस्ट्री
		३.	ट्रेण्ड इन टेक्सटाइल प्रिन्टिंग एट आई. सी. आई. बोम्बे
८.	श्री देवीलाल थानवी, सहायक निदेशक	१.	इन्टरमीडियट २ सीटी एण्ड गाइल्ड्स इस्टीटयूट (लण्दन) एक्जाम आफ टेक्सटाइल टेक्नोलोजी
		२.	आवटेण्ड २ इयर्स ट्रेनिंग इन टेक्सटाइल्स एस. फार्मर बीकानेर स्टेट स्कूल
९.	श्री एच.डी. उपाध्याय, सहायक निदे०	१.	बी. ए. बी. एण्ड
		२.	डिप्लोमा इन डाइंग एण्ड टेक्नोलोजी
		३.	२ इयर्स ट्रेनिंग इन टेक्सटाइल मैन्यूफेक्चरिंग
१०.	श्री बी. के. मोहत्ता, सहायक निदेशक	१.	मेट्रीक्युलेट
		२.	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डाइंग एण्ड फिनिशिंग

		३. टेक्नी सर्टिफिकेट इन डाइंग एण्ड वुल
		४. फाइनल ग्रेड सर्टिफिकेट इन डाइंग आफ कॉटन
		५. इन्टर ग्रेड सर्टिफिकेट
११.	श्री कुन्दनमल गुप्ता पी. ओ. (इण्ड.)	१. इन्टर कॉमर्स
		२. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल एम. एफ. जी.
१२.	श्री के. पी. पाण्डे, सुपरिन्टेण्डेन्ट-कम डिजायनर आर्टिस्ट	१. बी. ए. इन इंगलिश
		२. साहित्य रत्न प्रभाकर
		३. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल टेक्नोलोजी इन्टर ग्रेड ड्राइंग एक्जामीन
१३.	श्री बी. एस. कटियाल, सुपरिन्टेन्डेन्ट-डिजायनर आर्टिस्ट	१. मेट्रिक
		२. डिप्लोमा इन टैक्सटाइल टेक्नोलोजी ४ इयर्स
		३. इन्टरमीजिएट कॉटन वीविंग सीटी एण्ड गाइल्डस आॅफ लन्दन
		४. इन्टर ग्रेड ड्राइंग

तकनीकी सेक्शन की स्वीकृत पदों की सूची

क्रमांक	पद का नाम	स्थाई	अस्थाई
१.	टेक्नीकल ऑफिसर केमिकल/वुलन टेक्सटाइल इन्जीनियरिंग/लेदर	—	६
२.	सुपरिन्टेन्डेन्ट- कम-डिजाइनर आर्टिस्ट, हेण्डिक्राफ्ट्स डवलपमेन्ट सेन्टर, जयपुर	१	—
३.	सुपरिन्टेन्डेन्ट-कम-डिजाइनर हेन्डलूम डिजाइन सेन्टर	—	१
४.	लेक्चरार (लेदर) फुटवियर ट्रेनिंग	२	—
५.	डिजाईनर (हेण्डीक्राफ्ट)	१	—
६.	जैकार्ड मास्टर हेन्डलूम डिजाईन सेन्टर	—	१
७.	डिजाइनर हेण्डिक्राफ्ट्स डवलपमेन्ट सेन्टर	३	—
८.	वीविंग मास्टर हेण्डलूम डिजाईन सेन्टर	—	१
९.	डाईंग मास्टर हेण्डलूम डिजाइन सेन्टर वूलन कॉटेज ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट	—	१
१०.	सुपरवाइजर, कालिटी मारकिंग स्कीम हेण्डलूम/हेण्डिक्राफ्ट्स	३	१
११.	पावरलूम इन्सट्रेक्टर	४	४
१२.	इन्सपेक्टर, (हेण्डिक्राफ्ट्स)	१	—
१३.	होजरी मास्टर/वुल वीविंग मास्टर वुलन कॉटेज ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट	२	—
१४.	सुपरवाइजर (लेदर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट) फुटवियर/ट्रेनिंग	४	—
१५.	ड्राफ्ट्समेन (साल्ट पेटर)	१	—
१६.	इन्सपेक्टर लेदर फुटवीयर	१	—
१७.	इन्सपेक्टर, क्वालिटी मार्किंग स्कीम, हेण्डिक्राफ्ट्स/हेण्ड लूम	६	३
१८.	ड्राईवर	१	२
१९.	मिस्तरी लेदर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट	२	—
२०.	मिस्तरी/मेकेनिक/डाई-कम-प्रिन्टर हेण्डिक्राफ्ट्स डवलपमेन्ट सेन्टर	३	—
२१.	मेकेनिक वूलन कॉटेज ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट	१	—
२२.	स्कील्ड वीवरस	४	२
२३.	इन्सपेक्टर वीविंग एण्ड डाईंग एसिस्टेण्ट इन्सपेक्टर वीविंग एण्ड डाईंग	५	—
२४.	कारपेन्टर	१	—
	कुल योग	४७	२२

परिशिष्ट—११

(अ. प्र. सं. ६२८ की सूची)

सूची (क)

क्र. सं.	नाम गांव	घोषित भूमि	चरागाह बीघा में	मवेशी की संख्या	चरागाह अधिक है, पूरा है या कम
१.	जावला	२७६५.	।।।	१३७७	अधिक
२.	सिदरपुरा	११५५.		९४२	अधिक
३.	झालरा	३४३	६	६२३	अधिक नहीं
४.	मकरी मेड़यास	१२३.	१४	७७६	कम
५.	मकरी सील	१०८०.	४	९३७	अधिक
६.	बाज बास	६३.	१९	६४०	कम
७.	पीह	१८३२.	१०	३०४०	अधिक

सूची (ख)

क्र. सं.	साल	अनुसूचित जाति संख्या	अनुसूचित जन जाति संख्या	भू. पू. सैनिक सं.	संख्या	अन्य सं.
१.	१९६८	८६	४	४४१	१३	१०९५
२.	१९६९	७७	८	—	—	—
३.	१९७०	२५१३	९२	—	—	—

———

परिशिष्ट—१२

(ग्र. प्र. सं० ६३० की सूची)

	पद १	आउट पुट २	कर्तव्य एवं दायित्व ३	वेतन ४
१.	'वशन आफिसर सचिवालय	व्यक्ति विशेष तथा विभाग के कार्यभार पर निर्भर है। इसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	अधिनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण, विभाग में प्राप्त होने वाली डाक का वितरण एवं उसके निपटारे के लिये देख रेख, विभाग में निपुणतां एवं दक्षता से कार्य का संचालन ताकि नियोजित कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्यरत रहें और अपना काम समय पर पूरा करें। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन एवं निरीक्षण जिससे कि किसी कर्मचारी का काम पिछड़ा न रहे। प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रति मास मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदन। कर्मचारियों का कठिन मामलों में मार्गदर्शन। विभाग का तिमाही पूर्णरूपेण निरीक्षण कर रिपोर्ट व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग को प्रस्तुत करना। साथ ही विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रत्याधेदन प्रस्तुत करना। विभाग द्वारा जारी किये जाने वाली स्वीकृति एवं पत्रादि पर हस्ताक्षर करना जिसके लिये स्थाई आदेश में वह सक्षम है।	२७५-२०-३७५-२५-६५०

२. आशुलिपिक सचिवालय	कार्यालय में कार्य पर निर्भर है। इसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	जिस अधिकारी के पास नियोजित है उसके द्वारा दिये हुए डिक्टेशन को भली प्रकार मुद्रित करना। कार्यालय से अधिकारी के पास प्राप्त हुए ड्राफ्ट मुद्रित करना एवं हस्ताक्षर कराकर विभाग में लौटाना। अधिकारी के पास प्राप्त होने वाले पत्र एवं पत्रावली का लेखा रखना जिससे कि आवागमन का अभिलेख रहे। अधिकारी के पास रहने वाली नियम आदि की पुस्तकों को संशोधनों से पूर्ण रखना। कार्यालय में अन्य मन्त्रालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना। प्रति मास निपटाई गई पत्रावली का विवरण तैयार करना एवं पेंडिंग मामलों की सूचना संबंधित विभागों को भेजना। अधिकारी की हर प्रकार से कार्य संचालन में सहायता करना एवं प्रत्येक मामले में गोपनीयता का ध्यान रखना।	१. २२५-१५-३४५-२०-५२५ २. १७०-१०-२१०-१५-३९०

१	२	३	४
३. कार्यालय अधीक्षक	व्यक्ति विशेष पर तथा विभाग के कार्यभार पर निर्भर है. जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना और उनका मार्गदर्शन। प्रतिदिन की डाक का वितरण। रजिस्टर, पत्रावलियों का व्यवस्थित रूप से रखवाना। प्रतिवेदनों का समय पर भिजवाना। आवश्यक पत्रादि का नोट रखना और उनके निरवर्तन की कार्यवाही समय पर करवाना।	१. २२५-१५-३४५-२०-५२५ २. १८०-१०-२२०-१५-३८५-२०-४२५
४. आशुलिपिक अधीनस्थ कार्यालय	कार्यालय में कार्य पर निर्भर है जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	प्रत्येक शीघ्रलिपिक जिस अधिकारी के पास नियोजित है उसके द्वारा दिये हुए डिक्टेशन को भली प्रकार मुद्रित करता है। अधिकारी द्वारा कार्यालय से संबंधित अन्य कार्य जो सौंपे जावें सम्पन्न करता है।	१. १८०-१०-२२०-१५-३८५-२०-४२५ २. १६०-८-२००-१०-२४०-१५-३६०
५. लेखाकार	व्यक्ति विशेष एवं विभाग के कार्यभार पर निर्भर है जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	विभाग के लेखा संबंधी कार्य का संचालन एवं व्यवस्था करना। समय समय पर आय-व्ययक बनाना तथा विभागीय खर्च पर नियंत्रण रखना। विभाग में खरीददारी एवं अन्य लेखा सम्बन्धी मामलों में निर्धारित प्रणाली एवं नियमों का अनुपालन करवाना। लेखा आपत्तियों तथा अन्य लेखा संबंधी कार्य करना।	२००-१५-३५०-२०-४५०

परिशिष्ट—१३

(प्र० प्र० सं० ६३१ की सूची)

ग्राम सीसवाली में पिछले ५ साल में हुए जुर्मों को सूची

(सन् १९६६ से १९७०)

	जुर्म			
सन्	चोरी	मारपीट	कत्ल	विविध
१९६६	७	११		२३
१९६७	१२	६	१	१४
१९६८	१२	९		१७
१९६९	११	१०	८८	२०
१९७०	१५	८	१	१८

———

परिशिष्ट—१४

(अ० प्र० सं० ६१७ की सूची)

सूची अ अतारांकित प्रश्न संख्या १६३/पं० मं०

अकाल राहत कार्यों पर पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित खर्चा हुआ है

क्र. सं.	नाम राहत कार्य	वर्ष	
		१९६८–६९	१९६९–७०
		रुपये	रुपये
१.	झालरापाटन-रायपुर एप्रोच रोड	१६६३-३३	—
२.	रामगंज मण्डी से जरमी रोड	१५९१-३२	३१५३२-७७
३.	झालावाड़-रायपुर एप्रोच रोड	—	६९७५-७०
४.	मनोहरथाना-राजगढ रोड	—	४,७३,३९०-९४
५.	मनोहरथाना-गनेशपुरा-महाराजपुरा रोड	—	2,८९,९०९-४७
६.	बकानी भालतारोड (बकानी से गोविन्दपुरा)	—	१,४५,६०२-३९
७.	झालावाड़-बकानी रोड (मोदिया से टीटोरिया)	—	२,३८,७९६-२७
८.	कनवाड़ा-परोलिया रोड	—	२,४६,०३७-७१
९.	कोटडी-पिड़ावा रोड	—	१,७९,३०३-७७
१०.	सालरी-रायपुर एप्रोच रोड	—	१,३९,६४६-१६
११.	सुलिया-सुनेल-सोयत-पिड़ावा (दोलतपुरा से पिड़ावा)	—	४५,०२४-६५
१२.	झालरापाटन-सुनेल रोड (सलोतिया से पाटन)	—	३,२३,०३१-२८
१३.	लिंकरोड़ डाक बंगला से गिन्दोर (इवासडक)	—	४७,१८१-३०
१४.	बकरावाला से कुन्दी रोड	—	१०-००
१५.	पिडावा से एनीकट रोड	—	६,३३०-६३
१६.	पालाया तालाब रोड	—	१३,८०१-२७
१७.	सेमली हाट तालाब (मनोहर थाना)	—	९,४५६,५६-५६
१८.	भिनभिनी तालाब	—	१,३१९-५०

परिशिष्ट–१५

(प्र. प्र. सं० ६४१ की सूची)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING LABORATORY
RAJASTHAN, JODHPUR

Report of the Chemical Examination of water

To

The Executive Engineer,
P. H. E. D., Churu (Rajasthan)

Ref.:—Your letter No. 2929-32 dated 26-2-71
Date of Collection—25-2-71
Date of Receipt—26-2-71
Date of Examination—15-3-71

Sl. No. 232 & 233 Particular Lab. Sample No. Cholawala well

Note:—All results Except PH are in P. P. M.

A—PHYSICAL EXAMINATION

1.	P. H.	8.2
2.	Thrbidity (Silica Scale)	NIL
3.	Colour (Nason Scale)	NIL
4.	Caltour (Threshoid No.)	Not objectonable
5.	Tempreture	C.

B—CHEMICAL EXAMINATION

1.	Free carbodioxide	10
2.	Alkalinity Phenolp thalion (Ca Co 3)	50
3.	Alkalinity Nothy orange (Ca Co 3)	135
4.	Total hardness as (Ca Co 3)	50
5.	Calcium hardnees	85

Page No. 236

6.	Magnesiam hardnees	50
7.	Corbonate hardnees	NIL
8.	Non-carbonate hardnees	NIL
9.	Chlorides as cl.	970
10.	Sulphates as Co4	134
11.	Nitrites (H)	—
12.	Nitrites	—
13.	Free Ammonia (M)	
14.	Albuminiod Ammonia (N)	
15.	Oxygen absorbed in 3 hrs. (Tidy 2 procons)	
16.	Total Soiled	
17.	Total disolved soilds	1340
18.	Suspend soilds	
19.	Hesidual Chlorical	

Remarks:—Water is potable after disinfection,

Sd/.
Junior Chemist
Health, Rajasthan, Jodhpur

———

परिशिष्ट—१६

(प्र. प्र. सं. ६४२ की सूची)

प्रश्न ५ के (i) व (ii) की सूची

योजना का नाम		५% रकम	दिनांक ३१-३-७१, तक योजना से क्षय	नुकसान
१.	आनन्दपुर कालू	१०,०००	२०५०.०८	—
२.	बीजापुर	७,४२५	६९१०.७७	—
३.	घनाडी	१५,०००	—	१९२६.९९
४.	बिजोवा	६,५००	—	५९२९.१९
५.	चानोद	८,७००	—	—
६.	चण्डावल	६,५००	१४८४.६०	—
७.	ढाकडी	३,०००	—	३२७१.००
८.	छीनला	९,०००	—	२९८.६९
९.	नीमाज-जैतारण	२,३५,०००	२४५८९.३४	—
१०.	फालना	१८,२५०	९६८८.०५	—
११.	कोसेलाव	६,८००	पंचायत द्वारा चलाई जा रही है	
१२.	खिमेल	८,०००	—	५१५९.३६
१३,	मुन्डास	६,४००	३५०५.८४	—
१४.	सांडेराव	१५,०००	७३३.४८	—
१५.	सुमेरपुर	१५,५००	५७,७७५.९८	—
१६.	रोहट	५,०७०	—	१४९८.२४
१७.	तनी	८,४००	३८०२.०६	—
१८.	तख्तगढ़	२६,९५०	पंचायत द्वारा	
१९.	रायपुर	११,५००	८४८.०३	—
२०.	देसुरी	९,५००	—	९८.८५
२१.	कुशालपुरा	१,०००	६३१.७०	—

प्रश्न १ की सूची

क्र. सं.	जलदाय योजना का नाम	गांव	संभावित लागत (रुपयों में)
१	२	३	४
ब.	खिमेल, केनपुरा, सागोद	१. केनपुरा	१०,५०,५००
		२. सागोद	
		३. देबतरा	
		४. देनपुरा	
		५. बकावरा	
		६. ब्राहमी	
स.	आनन्दपुर कालू, मोकस-किलरिया	१. लिलरेपा	१,९८,०००
		२. मोकस	
		३. आसुला	
द.	खारियानीम-रूपावास	१. खारीया नींम	४,५२,०००
		२. खुटेलाव	
		३. डुडसाय	
		४. हापट	
		५. रूपावास	
		६. वारासनी	
क.	बड़गांव बाबागांव, धामोद	१. बड़गांव	१६,५५,०००
		२. पांवा	
		३. पिलावा	
		४. धवासा	
		५. बाबागांव	
		६. अनुपपुरा	
		७. त्रिपुरा	
		८. धामोद	

१	२	३	४
ख.	दिलावास, राजोल कलां	१. बामीया	१४,१३,७००
		२. सुमेराव	
		३. अवकरों की ढाणी	
		४. राजोलकलां	
		५. नयागांव	
		६. धनाव	
		७. धामोलवास	
		८. जुपेसाव	
		९. शिवपुरा	
		१०. बिलावास	

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ६ मई, १९७१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३	३	ठेक	ठीक
२२	अन्तिम से १४	श्री देवादत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
४९	,, ५	मे	में
५०	१३	उपर्यंकित	ऊपर अंकित
५२	अन्तिम से १	स्वीकृत	स्वीकृति
५३	शीर्ष	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
,,	४	है	हो
५४	अन्तिम से १३	टाऊन	टाउन
५५	,, १४	किय	किया
,,	,, ४	माननीय	मानवीय
५६	,, १३	काम	कम
५७	१०	अवटंन	आवंटन
,,	९	तरके	तरीके
,,	अन्तिम से १४	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
,,	,, ३	होगो	होगी
५९	,, ३	सार्वजानिक	सार्वजनिक
६२	,, ४	मह ने	महीने
६३	शीर्ष	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
६७	४	कॉमशियल	कार्मशियल

१	२	३	४
६८	अन्तिम से १५	था	तथा
६९	,, २	तह-लो	तहसीलों
७२	१	ब्यक्तियों	व्यक्तियों
७३	१३	तकनिकी	तकनीकी
९३	८	नगरपालिक	नगरपालिका
,,	७	गर्मीकी	गर्मी के
९९	५	की	का
१०२	अन्तिम से १६	कां	का
,,	,, ४	रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१०५	,, ३	ब ढ़दार	बाढ़दार
१०८	३	ने	ने कहा
११२	अन्तिम से ६	प्रवेदन	प्रतिवेदन
१२२	१३	वनादे	बना दे
१२५	अन्तिम से १	आये	आये हुए हैं
१३७	८	बाढ़कर	बाढ़दार
१५३	४	शिक्ष	शिक्षा
१६२	५	कठूमार	कठूमर
,,	१७	होतो	होती
१६५	१	अकलेला	अकलेरा
१६७	९	अन्तर्गत में	अन्तर्गत मांग में
,,	१०	नहीं	नहीं बदली
१६९	अन्तिम से १८	त्री	श्री
१७४	५	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
१७५	१	शोर्षक	शीर्षक

१	२	३	४
१८०	५	निष्कीयता	निष्क्रियता
१८४	१२	शीषेक	शीर्षक
१९५	१६	मुब्ह	मुख्य
१९९	अन्तिम से २	जा	जाय
२३०	१४	नाम न	नाम पर न
२४०	अन्तिम से १५	वि जलेन्स	विजिलेन्स
२४४	,, ११	करया	करता
२४६	११	५ हगार	५ हजार
,,	अन्तिम से ६	र्सटिफिफेट	र्सटिफिकेट
२४७	११	मेलाड	मेथड
२५६	१५	दुलाचंद	दुलीचंद
२५८	अन्तिम से ७	असन्ताष	असन्तोष
२७०	,, ३	बिभाग	विभाग
२७१	९	श्री उपा यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२७२	अन्तिम से १२	चाहै	चाहे
२७३	११	फाइर्नेप	फाइनेंस
२७६	अन्तिम से १३	बैटा	बैठा
२७८	१८	लगाभ	लगाम
२८९	अन्तिम से ३	प्र ग्र म	प्रोग्राम
२९१	,, १	ावलियत	काबलियत
२९५	२	ऐडमिनिस्ट्रटिव	एडमिनिस्ट्रैटिव
२९६	११	एटमि ट्रेटर	एडमिनिस्ट्रेटर
,,	अन्तिम से १३	च हुँगा	चाहूँगा
३०३	७	लागों	लोगों

१	२	३	४
३०३	१२	नाथ	नाम
३२२	अन्तिम से ११	डिप र्टमेंट	डिपार्टमेंट
३२४	१४	मये	गये
३२७	८	अश्रव्व	अश्रव्य
३२८	अन्तिम से १	चाहि	चाहिये
३३१	,, ११	दिकतों	दिक्कतों
३३८	१२	वं मान	वर्त्तमान
३५३	अन्तिम से ११	नीमकाराना	नीम का थाना
४०६	,, १३	कमेठीज	कमेटीज
४०७	,, ५	निभ ने के	निभाने के
,,	,, २	सराकर	सरकार
४१४	५	पिडीत	पीड़ित
४२१	अन्तिम से १०	खेदार	रेवदर